सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

वार्षिक रिपोर्ट
2017 - 18

वस्त्र मंत्रालय
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट

2017-18

सत्यमेव जयते

वस्त्र मंत्रालय

भारत सरकार

विषय सूची

अध्याय सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	सिंहावलोकन	1-18
2	कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा	19-50
3	निर्यात संवर्धन	51-57
4	कच्ची सामाग्री सहायता	58-97
	4.1. कपास	58-64
	4.2. जूट	64-77
	4.3. रेशम	77-91
	4.4. ऊन	91-97
5	प्रौद्योगिकी उन्नयन	98-101
6	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	102-142
7	अवसंरचना सहायता	143-146
8	अनुसंधान एवं विकास	147-150
9	तकनीकी वस्त्र	151-167
10	क्षेत्र–वार योजनाएं	168-224
	10.1. विद्युतकरघा	168-183
	10.2. हथकरघा	183-199
	10.3. हस्तशिल्प	199-224
11	पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र संवर्धन	225-234
12	आईसीटी पहल	235-238
13	राजभाषा	239-241
14	एससी/एसटी,महिला तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं	242-247
15	सतर्कता कार्यकलाप	248-250
16	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	251

अध्याय–1

सिंहावलोकन

1.1 भारतीय वस्त्र उद्योग, अपनी समग्र मूल्य श्रृंखला, मजबूत कच्ची सामग्री आधार तथा सशक्त विनिर्माण क्षमता के कारण विश्व के बड़े वस्त्र उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस उद्योग की विशिष्टता इसके व्यापक विस्तार में है जहां एक तरफ गहन पूंजी वाले मिल उद्यम हैं वहीं दूसरी ओर सूक्ष्म कारीगरी वाले हस्त उद्योग हैं। मिल क्षेत्र, 50 मिलियन स्पिंडल्स और 8,42,000 रोटर्स से अधिक की संस्थापित क्षमता वाली 3400 वस्त्र मिलों के साथ विश्व में दूसरे स्थान पर है। हथकरघा, हस्तशिल्प और छोटे स्तर की विद्युतकरघा इकाई जैसे परंपरागत क्षेत्र, ग्रामीण एवं अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में लाखो लोगों के लिए रोजगार के सबसे बड़े स्रोत हैं।

भारतीय वस्त्र उद्योग के कृषि तथा देश की संस्कृति तथा परंपराओं के साथ नैसर्गिक संबंध हैं जो घरेलू तथा निर्यात बाजारों, दोनों के लिए उपयुक्त उत्पादों के बहुआयामी विस्तार को संभव बनाते हैं। वस्त्र उद्योग, मूल्य के रूप में उद्योग के आउटपुट में 7%, भारत की जीडीपी में 2% तथा देश की निर्यात में आय में 15% का योगदान देता है। प्रत्यक्ष रूप से 45 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देने वाला वस्त्र उद्योग, देश में रोजगार सृजन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है।

भारत के विकास को समावेशी तथा प्रतिभागी बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार का मुख्य जोर वस्त्र क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण अवसंरचना का निर्माण करना,नवाचार को बढ़ावा देने वाली प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना, कौशल तथा परपंरागत शक्तियों को बढ़ाकर वस्त्र विनिर्माण में वृद्धि करना रहा है। वर्ष 2017–18 की कुछ प्रमुख पहलें तथा मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

1.2 **निर्यात संवर्धन:**

i. **अपैरल एवं मेड–अप क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज:** वस्त्र एवं अपैरल क्षेत्र के लिए जून, 2016 में 6000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया गया था। इस पैकेज को दिसंबर, 2016 में मेड–अप्स क्षेत्र पर भी लागू कर दिया गया था। इस पैकेज की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

क. **श्रम कानूनों में सुधार**

- सरकार, प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के अंतर्गत नियोक्ता के 8.33% अंशदान की मौजूदा प्रतिपूर्ति के साथ–साथ नए कामगारों के लिए कर्मचारी के कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अंशदान के 3.67% का वहन कर रही है।
- 15,000 रुपए प्रति माह से कम अर्जित करने वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफ को

वैकल्पिक बनाया जाएगा; इस प्रकार कामगारों के हाथ में अधिक धनराशि आएगी।

- ओवरटाइम सीमा को 50 घंटे से बढ़ाकर 100 घंटे प्रति तिमाही करना जिससे कामगारों की आय में वृद्धि होगी।
- उद्योग की मौसमी प्रकृति को देखते हुए परिधान क्षेत्र के लिए निर्धारित अवधि के रोजगार की शुरूआत की गई। एक निर्धारित अवधि के कामगार को काम के घंटों, मजदूरी, भत्तों और अन्य सांविधिक देयों के मामले में स्थायी कामगारों के समकक्ष माना जाएगा।

ख. **एटीयूएफएस के अंतर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहनः** संशोधित–टीयूएफएस के अंतर्गत परिधान इकाइयों को उपलब्ध कराई जाने वाली रोजगार एवं उत्पादन संबद्ध सब्सिडी को 15% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया जिससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला। इस पैकेज ने इनपुट आधारित प्रोत्साहन से परिणाम आधारित प्रोत्साहन की दिशा में बढ़ने के नए अवसर तैयार किये हैं; इस योजना का एक विशेष गुण अनुमानित रोजगार सृजन के उपरांत ही सब्सिडी का वितरण करना है।

ग. **ड्यूटी ड्रॉबैक कवरेज में वृद्धिः** अपनी तरह की पहली पहल में अभी तक पुनर्अदायगी न की जाने वाली राज्य लेवियों की पुनर्अदायगी की एक नई योजना की शुरूआत की गई। अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत फैब्रिक आयात किए जाने पर भी घरेलू ड्यूटी अदा किए गए इनपुट के लिए ऑल इंडस्ट्री रेट पर ड्राबैक दिया जा रहा है।

घ. **राज्य लेवियों की पुनर्अदायगी के अंतर्गत जीएसटी उपरांत दरों की अधिसूचनाः** मंत्रालय ने सिलेसिलाए परिधानों एवं मेड–अप्स और एए–आरओएसल के अंतर्गत परिधानों के निर्यात पर राज्य लेवियों में छूट (आरओएसएल) हेतु जीएसटी उपरांत दरों को अधिसूचित कर दिया है। परिधानों के लिए दरें 1.25% तथा 1.70% के बीच हैं और मेड–अप्स के लिए ये दरें 1.40% से 2.20% के बीच हैं। ये दरें 01.10.2017 से प्रभावी हैं।

ङ **आयकर अधिनियम की धारा 80जेजेएए के दायरे का विस्तार करनाः** परिधान उद्योग की मौसमी प्रकृति को देखते हुए आयकर अधिनियम की धारा 80जेजेएए के अंतर्गत 240 दिनों के प्रावधान में छूट देते हुए इसे 150 दिन कर दिया गया है। निर्धारित अवधि के रोजगार एवं धारा 80जेजेएए के दायरे का विस्तार करने वाले संघटक, मेड–अप्स क्षेत्र पर लागू नहीं है।

ii. एमईआईएस के अंतर्गत दरों में वृद्धिः डीजीएफटी ने वस्त्र क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सिलेसिलाए परिधानों तथा मेड–अप्स पर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) के अंतर्गत दरों को 2% से बढ़ाकर 4% कर दिया है। ये दरें 1 नवम्बर, 2017 से 30 जून, 2018 के दौरान लागू रहेंगी।

iii- **मेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कार्यक्रमः टेक्सटाइलस इंडिया 2017**

भारत सरकार ने भारत के टेक्सटाइल एवं

हस्तशिल्प उद्योग की अद्वितीय शक्ति और विस्तार को प्रदर्शित करने के लिए गुजरात के गांधीनगर में 30 जून–2 जुलाई, 2017 के दौरान वस्त्र क्षेत्र के लिए अपनी तरह के पहले मेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिनिधियों तथा सीईओ ने भाग लिया और इसने बी2बी संवाद के लिए उत्कृष्ट मंच उपलब्ध कराया तथा टेक्सटाइल मूल्य श्रृंखला के विभिन्न सेगमेंट में निवेश एवं प्रौद्योगिकी गठबंधनों की संभावनाओं को तलाशा। इस कार्यक्रम के दौरान अन्य कार्यक्रमों के साथ–साथ विदेशी सरकारों तथा कंपनियों और भारतीय इकाइयों सहित विभिन्न संगठनों के मध्य 65 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। कई नई व्यापारिक भागीदारियां की गईं। इस कार्यक्रम ने भारतीय वस्त्र क्षेत्र को एक वैश्विक ब्रांड के रूप में मजबूती से स्थापित किया है और वस्त्र उद्योग में नए निवेश को प्रेरित करने के लिए नई ऊर्जा प्रदान की है।

व्यापारिक प्रदर्शनी के अतिरिक्त, तीन दिवसीय टेक्सटाइल इंडिया–2017 में कोरिया, बांग्लादेश, रूस के लिए कंट्री सेशन, आसियान देशों का एक सम्मेलन, 7 राज्य सत्रों, माननीय केंद्रीय मंत्रियों की अध्यक्षता में 6 बड़े सम्मेलनों तथा सम–सामायिक विषयों पर राउंड टेबल और फैशन शो सहित विभिन्न क्रियाकलाप आयोजित किए गए।

'टेक्सटाइल्स इंडिया–2017' के दौरान सम्मेलनों और राउंड टेबल की सिफारिशों को लागू करने के लिए निम्नलिखित संस्थागत व्यवस्था की गई है:

क. प्राकृतिक फाइबर की उत्पादकता तथा

उनके सह–उत्पादों के विविधीकरण पर शिक्षाविदों, कृषक समुदाय तथा उद्योग में जानकारी साझा करने के लिए नॉलेज नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम (केएनएमएस) के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए अंतर–मंत्रालयी संचालन समिति।

ख. भारत में एमएमएफ उद्योग के विकास तथा प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत पहलों को तैयार करने हेतु मानव–निर्मित फाइबर (एमएमएफ) पर एक अंतर–मंत्रालयी समन्वय समूह।

ग. वस्त्र क्षेत्र के विकास के लिए टेक्सटाइल्स इंडिया–2017 के विभिन्न निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई के संचालन के लिए टेक्सटाइल्स इंडिया पर एक कार्यबल।

1.3 कच्ची सामग्री सहायता

क. कपास

कपास एक सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से है और यह कुल वैश्विक फाइबर उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा है। भारतीय वस्त्र उद्योग की कच्ची सामग्री की खपत में कपास का हिस्सा लगभग 59% है। देश में प्रति वर्ष 300 लाख गांठों (170 किग्रा प्रत्येक) से अधिक की कपास की खपत होती है। भारत ने लगभग 105 हैक्टेयर क्षेत्र में कपास की खेती के मामले में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया है जो वैश्विक क्षेत्र का लगभग 35% है। वर्ष 2016–17 के दौरान भारत की उत्पादकता 540.80 किग्रा/हैक्टेयर रही। भारत, वर्ष 2016–17 में 345 लाख गांठों के उत्पादन के साथ विश्व का कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और कपास का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है।

कपास, लगभग 5.8 मिलियन किसानों तथा कपास प्रसंस्करण तथा व्यापार जैसे संबंधित क्रियाकलापों में लगे 40–50 मिलियन लोगों की आजीविका को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। कपास उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने कपास के दो आधारभूत स्टेपल समूहों यथा मध्यम स्टेपल और लंबी स्टेपल कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित किया है। वस्त्र मंत्रालय का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भारतीय कपास निगम (सीसीआई) प्रचलित बीज कपास (कपास) के मूल्यों के एमएसपी स्तर को छू जाने पर एमएसपी अभियान चलाने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख एजेंसी है। कपास वर्ष 2017–18 (दिनांक 20.11.2017 की स्थिति के अनुसार) के दौरान सीसीआई द्वारा एमएसपी के तहत कपास की 2.12 लाख गांठों की खरीद की गई।

ख. पटसनः

पटसन उद्योग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के प्रमुख उद्योगों में से एक है। यह अनुमान लगाया गया कि पटसन उद्योग, तृतीय श्रेणी के उद्योग गोण क्षेत्र और संबंध क्रियाकलापों सहित संगठित मिलों और विविधीकृत इकाइयों में 0.37 मिलियन कामगारों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराता है तथा लगभग 4.0 मिलियन किसान परिवारों को आजीविका उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त, पटसन के कारोबार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं।

भारत सरकार पटसन उत्पादकों को न केवल भारतीय पटसन निगम द्वारा संचालित एमएसपी अभियानों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराती है बल्कि पटसन

पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के प्रावधानों को लागू करके खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए प्रति वर्ष लगभग 6000 करोड़ रुपए के लगभग मूल्यों वाले पटसन बोरों की सीधी खरीद के माध्यम से भी पटसन उत्पादकों को सहायता उपलब्ध कराती है। यह न केवल पटसन किसानों बल्कि पटसन मिल कामगारों के लिए भी एक बहुत बड़ी सहायता है।

1 नवंबर, 2016 से पटसन बोरों की खरीद के लिए एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म 'जूट–स्मार्ट' (जूट सेकिंग सप्लाई मैनेजमेंट एंड रिक्वीजिशन टूल) को क्रियान्वित किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न राज्य सरकार की एजेंसियां, प्रतिवर्ष लगभग 7000 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 27–30 लाख गांठों (पटसन सामानों के कुल उत्पाद का 68%) के पटसन बोरों की खरीद कर रही हैं। यह प्लेटफॉर्म, ई–गवर्नेंस का बेहतरीन उदाहरण है जहां बहुत से स्टेकहोल्डर एक ही मंच पर बहुत से बिचौलियों सहित विभिन्न पटसन मिलों से विभिन्न राज्य सरकारों के लिए एक पारदर्शी और उचित प्रक्रिया के द्वारा पटसन बोरों की खरीद से संबंधित पेचीदा अंतरणों का प्रबंधन कर रहा है।

जूट–आई–केयर की शुरूआत प्रमाणित बीजों, बेहतर कृषकीय प्रक्रियाओं और पटसन संयंत्र हेतु माइक्रोबियल रेटिंग के प्रयोग को बढ़ावा देकर पटसन किसानों की आय में कम–से–कम 50% की वृद्धि करने के लिए की गई है। इस कार्यक्रम ने अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।

पटसन क्षेत्र के संवर्धन के लिए योजनाएं मुख्यतया राष्ट्रीय पटसन बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं जो पटसन क्षेत्र के विकास एवं संवर्धन के लिए सृजित किया गया एक सांविधिक निकाय है।

ग. रेशम:

कच्ची रेशम का उत्पादन वर्ष 2015–16 में 28,523 मीट्रिक टन की तुलना में 6.4% की वृद्धि के साथ वर्ष 2016–17 में 30,348 मीट्रिक टन था। आयात विकल्प बाइवोल्टाइन रेशम का उत्पादन 4,613 मीट्रिक टन से 14.16% की वृद्धि से बढ़कर 5,266 मीट्रिक टन हो गया है। वान्या रेशम (मूगा, एरी एवं तसर) का उत्पादन 8,045 मीट्रिक टन से बढ़कर 9,075 मीट्रिक टन हो गया जिसमें 12.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। मूगा रेशम के उत्पादन में अब तक का सबसे अधिक 170 मीट्रिक टन का उत्पादन दर्ज किया गया है और इसने वृद्धि की नई गति स्थापित की है।

घ. ऊन:

ऊन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वस्त्र मंत्रालय ने एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) नामक एक नया एकीकृत कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के माध्यम से अगले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख ऊन उत्पादक राज्यों में किया जाएगा। माननीय प्रधान मंत्री ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य में 50 करोड़ रुपए के आबंटन से पश्मीना क्षेत्र के विकास के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम को आईडब्ल्यूडीपी में 'जम्मू एवं कश्मीर राज्य की पुनर्निर्माण योजना' के रूप में शामिल किया गया है। आईडब्ल्यूडीपी, ऊन उत्पादकों से लेकर अंतिम उत्पाद के विपणन तक ऊन क्षेत्र की समग्र श्रृंखला को सहायता उपलब्ध कराएगा।

1.4 प्रौद्योगिकी सहायता

क. प्रौद्योगिकी उन्नयनः संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस)

एटीयूएफएस को जनवरी, 2016 में 17,822 करोड़ रुपए के परिव्यय से वर्ष 2022 तक लगभग 95,000 करोड़ रुपए के नए निवेश को प्रेरित करने तथा लगभग 35 लाख लोगों के लिए अवसरों के रोजगार के सृजन के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया था। 30 जनवरी 2018 तक 15,371 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश तथा 4,46,443 लोगों के लिए अनुमानित रोजगार वाले कुल 4,254 प्रस्तावों को इस योजना के अंतर्गत अनुमोदित किया गया है।

1.5 कौशल विकास हेतु सहायता

क. एकीकृत कौशल विकास योजनाः वस्त्र क्षेत्र में कुशल श्रमशक्ति की कमी को दूर करने के उद्देश्य से वस्त्र मंत्रालय, वर्ष 2017–18 तक वस्त्र क्षेत्र को 15 लाख अतिरिक्त कुशल श्रम शक्ति उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ एकीकृत कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। योजना के अंतर्गत न्यूनतम 70% प्लेसमेंट को अनिवार्य बनाया गया है। वर्ष 2016–17 और 2017–18 के दौरान आईएसडीएस के प्रशिक्षण के उपरांत 4 लाख से अधिक लोगों को वस्त्र उद्योग में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। क्रियान्वयन तथा निगरानी को सरल बनाने के उद्देश्य से इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ई–प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है। अभी तक आईएसडीएस के अंतर्गत शामिल किए गए 62 पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (एनएसक्यूएफ) के साथ जोड़ा जा चुका है। आईएसडीएस के अनुभवों के आधार पर मंत्रालय ने संगटित क्षेत्र में स्पिनिंग और विविंग को छोड़ते हुए वस्त्र क्षेत्र की समग्र मूल्य श्रृंखला को शामिल करते हुए 1300 करोड़ रुपए के परिव्यय से वर्ष 2017–18 से 2019–20 के लिए 'वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु योजना (एससीबीटीएस)' नामक एक नई कौशल विकास योजना की शुरूआत की है। इस योजना में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा अधिसूचित सामान्य मानकों के अनुसार वित्त पोषण के मानको के अनुरूप राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (एनएसक्यूएफ) का अनुपालन करने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शामिल होंगे। इस योजना के द्वारा वस्त्र क्षेत्र के विभिन्न सेगमेंट में 10 लाख लोगों को कौशल प्रदान किए जाने और प्रमाणित किए जाने का अनुमान है जिनमें से 1 लाख व्यक्ति परंपरागत क्षेत्रों में होंगे।

1.6 अवसंरचना सहायता

क. एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस)

एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) का उद्देश्य लघु एवं मध्यम प्रसंस्करण इकाइयों को अपेक्षित पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन करने में सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना को 12वीं योजना में 500 करोड़ रुपए के परिव्यय से उपयुक्त प्रौद्योगिकी के साथ सामान्य बहिस्राव शोधन संयंत्र (सीईटीपी) की स्थापना/उन्नयन हेतु क्रियान्वित किया गया था। योजना के अंतर्गत भारत सरकार, शून्य तरल बहिस्राव परियोजना अथवा समुद्री बहिस्राव परियोजना के लिए 75 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के साथ पात्र परियोजना लागत का 50% तथा

परंपरागत सीईटीपी को 10 करोड़ रुपए उपलब्ध कराती है। राज्य सरकार को परियोजना लागत का 25% वहन करना होता है। इस परियोजना का क्रियान्वयन, प्रसंस्करण संघों/इकाइयों द्वारा गठित विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) द्वारा किया जाता है। राजस्थान तथा तमिलनाडु के प्रसंस्करण कलस्टरों में आईपीडीएस योजना के अंतर्गत अभी तक 7 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 55.31 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इस योजना को 01.04.2017 से 31.03.2020 तक की तीन वर्षों की अवधि हेतु जारी रखने का अनुमोदन किया गया है।

एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी)

'एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी)' 10वीं पंचवर्षीय योजना से क्रियान्वयनाधीन है। इस योजना का क्रियान्वयन पीपीपी मोड में किया जाता है जहां भारत सरकार, वस्त्र विनिर्माण इकाइयों के लिए सामान्य अवसंरचना तथा सामान्य सुविधाएं विकसित करने हेतु 40 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत के 40% तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में पहली दो परियोजनाओं के लिए 40 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत के 90% की दर से भारत सरकार की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में 66 वस्त्र पार्क, क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। एसआईटीपी के अंतर्गत इन 66 वस्त्र पार्कों के लिए 1334.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। एक बार पूरी तरह प्रचालनशील होने के उपरांत उपर्युक्त सभी पार्कों में लगभग 5776 वस्त्र इकाइयों को स्थान मिलने, लगभग 3,96,000 लोगों को रोजगार मिलने तथा 26,770 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के आकर्षित होने की आशा है। इस योजना को 500 करोड़ रुपए के परिव्यय से 01.04.2017 से 31.03.2020 तक की तीन वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन किया गया है।

एसआईटीपी के अंतर्गत अपैरल विनिर्माण इकाइयों हेतु अतिरिक्त अनुदान

अपैरल विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा विशेष रूप से महिलाओं के लिए अतिरिक्त रोजगार के सृजन के उद्देश्य से मंत्रालय इस योजना का क्रियान्वयन प्रायोगिक आधार पर कर रहा था। इस योजना के अंतर्गत सरकार, एसआईटीपी के तहत पूर्ण की गई परियोजनाओं को वस्त्र पार्क के अंदर नई/अतिरिक्त अपैरल इकाइयों की स्थापना करने के लिए 10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराती है। योजना के अंतर्गत एक परियोजना पल्लाडैम हाई–टेक विविंग पार्क, तमिलनाडु के लिए स्वीकृत की गई थी।

ख. अपैरल विनिर्माण उद्भवन योजना (एसआईएएम)

अपैरल विनिर्माण उद्भवन योजना (एसआईएएम) की शुरूआत 12.93 करोड़ रुपए/उद्भवन केंद्र की दर से 3 उद्भवन केंद्रों की स्थापना के लिए 38.80 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय के साथ वर्ष 2014 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य

एक नए व्यापार स्थापित करने में लगने वाले समय, लागत तथा प्रयासों को कम करने के लिए पूरे पारिस्थितिक तंत्र के साथ एक एकीकृत प्लग एंड प्ले कार्यस्थल उपलब्ध कराकर अपैरल विनिर्माण में नए उद्यमियों को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा में एचएसआईआईडीसी, ओडिशा में एसपीआईएनएफईडी तथा मध्य प्रदेश में आईआईडीसी की एक–एक अर्थात कुल तीन परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है।

ग. वस्त्र उद्योग के कामगारों हेतु आवास

वस्त्र कामगारों की आवास योजना की शुरूआत 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2014 में 45 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य वस्त्र एवं अपैरल उद्योग के कामगारों को वस्त्र एवं अपैरल उद्योगों के उच्च बहुलता वाले क्षेत्रों के नजदीक सुरक्षित, पर्याप्त और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराना है। ऐसी दो परियोजनाओं को अक्तूबर, 2014 में स्वीकृत किया गया था जिनमें गुजरात इको–टेक्सटाइल्स पार्क प्रा. लि. तथा तमिलनाडु में पल्लाडैम हाई–टेक विविंग पार्क प्रा.लि. शामिल हैं।

1.7 वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना (टीडब्ल्यूआरएफएस):

जून, 1985 की वस्त्र नीति के पैरा 18.7 के अनुसार भारत सरकार ने वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना तैयार की जो 15 सितम्बर, 1986 से प्रभाव में आई। वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना (टीडब्ल्यूआरएफएस) का उद्देश्य मिलों के स्थायी रूप से बंद हो जाने के कारण बेरोजगार हो गए कामगारों को अंतरिम राहत प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत ली जाने वाली सहायता केवल 3 वर्षों के लिए टेपरिंग आधार पर उपलब्ध है जिसमें पहले वर्ष में मजदूरी के 75%, दूसरे वर्ष में 50% और तीसरे वर्ष में 25% के बराबर सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 05.06.1985 को अथवा उसके बाद बंद होने वाली मिलों को टीडब्ल्यूआरएफएस के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह योजना राज्य/केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राज्य/केंद्र सरकार की सहकारी वस्त्र इकाइयों पर लागू नहीं है। 30.09.2017 तक 96 मिलों के 119799 कामगारों को 325.98 करोड़ रुपए की सहायता संवितरित की गई है।

टीडब्ल्यूआरएफएस का आरजीएस केवाई में विलय

टीडब्ल्यूआरएफएस को अब वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 06.04.2017 को जारी अधिसूचना सं. सा.आ.1081(ई) के तहत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (आरजीएसकेवाई) के साथ विलय कर दिया गया है। टीडब्ल्यूआरएफएस को 01.04.2017 से बंद कर दिया गया है। पंजीकृत कामगार अब नई आरजीएसकेवाई के अंतर्गत लाभ प्राप्त करेंगे।

1.8 तकनीकी वस्त्र

तकनीकी वस्त्र, भारत में तेजी से अपना स्थान बना रहे हैं। तकनीकी वस्त्र ऐसे कार्यात्मक फैब्रिक हैं जिनका ऑटोमोबाइल्स, सिविल इंजीनियरिंग तथा

कंस्ट्रक्शन, कृषि, स्वास्थ्य, औद्योगिकी सुरक्षा,निजी सुरक्षा आदि सहित विभिन्न उद्योगों में अनुप्रयोग हैं। प्रयोग के आधार पर तकनीकी वस्त्रों के 12 सेगमेंट हैं यथा एग्रो टेक, मेडीटेक, बिल्डटेक, मोबिलटेक, क्लॉथटेक, ओएकोटेक, जियोटेक, पैकटेक, होमटेक, प्रोटेक, इंडुटेक तथा स्पोर्टेक। भारत में वर्ष 2020–21 तक तकनीकी वस्त्रों के बाजार का आकार 2,00,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

क्षमतावान उद्यमियों की तकनीकी वस्त्रों में प्रवेश करने में सहायता के उद्देश्य से 59.35 करोड़ रुपए (टीआरए/सीओई में 5 तथा आईआईटी दिल्ली, मुंबई, कानपुर तथा खड़गपुर में 6) की लागत से प्लग एंड प्ले मॉडल पर 11 फोकस उद्भवन केंद्रों (एफआईसी) की स्थापना की गई है।

क्र.सं.	उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) का नाम	क्षेत्र/डोमेन	स्थान
i.	बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (बीटीआरए), मुंबई तथा लीड पार्टनर के रूप में बीटीआरए के साथ अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन (एटीआईआरए),अहमदाबाद	जियोटेक	मुंबई महाराष्ट्र
ii.	दि सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन (ससमीरा), मुंबई और लीड पार्टनर के रूप में ससमीरा तथा नॉलेज पार्टनर के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) साथ मानव–निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ (मंतरा), सूरत और नवसारीकृषि विश्वविद्यालय।	एग्रोटेक	मुंबई महाराष्ट्र
iii.	उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (निटरा), गाजियाबाद और लीड पार्टनर के रूप में निटरा के साथ भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान (आईआईटी), दिल्ली प्रोटेक	गाज़ियाबाद	उत्तर प्रदेश
iv.	दि साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (एसआईटीआरए), कोयंबटूर तथा सिटरा के रूप में लीड पार्टनर के साथ एसी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजीए चेन्नई	मेडिटेक	कोयंबटूर तमिलनाडु
v.	डीकेटीई सोसाइटीज टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, इचलकरंजी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र,	नॉन–वूवन	इचलकरंजी महाराष्ट्र
vi.	पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कोयंबटूर, तमिलनाडु	इंडुटेक	कोयंबटूर महाराष्ट्र
vii.	अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन (एटीआईआरए), अहमदाबाद, गुजरात	कंपोजिट्स	अहमदाबाद गुजरात
viii.	ऊन रिसर्च एसोसिएशन (डब्लयूआरए), ठाणे	स्पोर्टेक	ठाणे महाराष्ट्र

एग्रो टेक्सटाइल्स के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर (एनई) क्षेत्र में 44 प्रदर्शन केन्द्र तथा शेष भारत में 10 प्रदर्शन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। कुल 922 एग्रोटेक्सटाइल्स किट्स का वितरण किया गया है तथा 42.68 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में जियो टैक्नीकल वस्त्र संवर्धन योजना के अंतर्गत कुल 100 करोड़ रू. की परियोजना लागत के साथ 17 सड़क परियोजनाएं, 13 जलाशय परियोजनाएं और 10 ढलान स्थिरीकरण परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। 36.86 करोड़ रू. की राशि जारी की गई है।

तकनीकी वस्त्रों पर छठी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी तथा सम्मेलन 'टेक्नोटेक्स 2017' का आयोजन 12 से 14 अप्रैल, 2017 के दौरान बॉम्बे एग्जीबीशन सेंटर, गोरेगांव तथा मुंबई में आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र मेजवान राज्य था तथा गुजरात, झारखंड एवं कर्नाटक राज्यों ने भागीदारी राज्यों के रूप में भाग लिया। टेक्नोटेक्स 2017 के दौरान प्रमुख तकनीकी उद्योगों के साथ एक सीईओ फोरम का भी आयोजन किया गया था। चीन, ताइवान, यूएसए, जापान, फ्रांस, घाना, इंडोनेशिया, बांग्लादेश आदि जैसे 22 देशों से तकनीकी वस्त्र उद्योगों के विशिष्ट पैवेलियनों में अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया।

1.9 क्षेत्र–वार योजनाएं

क. विद्युतकरघा क्षेत्र

i. विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र, फैब्रिक उत्पादन तथा रोजगार सृजन के मामले में वस्त्र उद्योग के सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट में से एक है। यह 44.18 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। निर्यात किए जाने वाला 60% से अधिक फैब्रिक विद्युतकरघा क्षेत्र से आता है। सिलेसिलाए परिधान तथा होम टेक्सटाइल क्षेत्र अपनी फैब्रिक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्युतकरघा क्षेत्र पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। इस क्षेत्र का प्रौद्योगिकी स्तर साधारण करघों से लेकर हाई.टेक शटलरहित करघों तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में लगभग 1.50 लाख शटलरहित करघे हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि 75% से अधिक शटल वाले करघे 15 वर्ष से अधिक पुराने तथा अप्रचलित हो चुके हैं और इनमें कोई प्रसंस्करण अथवा गुणवत्ता नियंत्रण के उपकरण/अटैचमेंट नहीं लगे है।

ii. विद्युतकरघा क्षेत्र की सहायता करने के लिए सरकार ने 1 अप्रैल, 2017 को 487 करोड़ रुपए के परिव्यय से 3 वर्षों के लिए 'पावरटेक्स इंडिया' की शुरूआत की है। करघा उन्नयनय अवसंरचना सृजन तथा ऋण तक छूट युक्त पहुंच जैसे संघटकों वाली इस योजना में 1000 करोड़ रुपए के निवेश; 10000 लोगों को रोजगार देने की क्षमता है और इससे विद्युतकरघा इकाइयों को ज्यादा लाभ भी प्राप्त होगा। पावरटेक्स इंडिया के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु आवेदन करने के लिए विद्युतकरघा बुनकरों हेतु ऑनलाइलन एप्लीकेशन सुविधा के लिए एक समर्पित वेबसाइट www.ipowertexindia.gov.in तैयार की गई है। आवेदन से लेकर सब्सिडी की स्वीकृति तक पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया गया है ताकि विद्युतकरघा इकाइयां इस सुविधा का प्रभावी, पारदर्शी और बाधा रहित तरीके से लाभ उठा सकें।

iii. वस्त्र मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय ने लघु एवं मध्यम विद्युतकरघा इकाइयों को बिना किसी अग्रिम (अपफ्रंट) लागत के ऊर्जा दक्ष विद्युतकरघे, मोटर तथा रेपियर किट्स उपलब्ध कराने के लिए 'साथी' (लघु क्षेत्र के उद्योगों की सहायता के लिए दक्ष वस्त्र प्रौद्योगिकी को संपोषणीय और त्वरित रूप से अपनाना) नामक एक नई पहल की संयुक्त रूप से शुरूआत की है। एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लि. (ईईएसएल) इन उपकरणों को खरीदेगा और बिना किसी अपफ्रंट लागत के कामगारों को उपलब्ध कराएगा तथा वे 4 से 5 वर्ष की अवधि के दौरान ईईएसएल को किस्तों के रूप में पुनर्अदायगी करेंगे। यह पहल देश में 24.86 लाख विद्युतकरघा इकाइयों को सहायता प्रदान करेगी।

ख. हथकरघा

हथकरघा विविंग, कृषि के उपरांत लगभग 40 लाख बुनकरों तथा संबद्ध कामगारों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराने वाले सबसे बड़े आर्थिक क्रियाकलापों में से एक है। यह क्षेत्र देश के कपड़ा उत्पादन में लगभग 15% का योगदान देता है और देश की निर्यात आय में भी योगदान देता है। विश्व का 95% हाथ से बुना हुआ फैब्रिक भारत से आता है। हथकरघा क्षेत्र को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है:–

राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास कार्यक्रम

(i) ब्लॉक स्तरीय कलस्टर, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के संघटकों में से एक है जो अन्य बातों के साथ–साथ सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) सहित सामान्य सुविधा केंद्र ;सीएफससी) की स्थापनाए वस्त्र डिजाइनर–सह–विपणन कार्यपालक की नियुक्ति, वर्कशेड के निर्माण, कलस्टर विकास कार्यपालक (सीडीई) की नियुक्ति, प्रौद्योगिकी उन्नयन,

कौशल उन्नयन आदि जैसी विभिन्न पहलों के लिए 2.00 करोड़ रुपए तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त, जिला स्तर पर डाई–हाउस की स्थापना के लिए 50.00 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

वर्ष 2017–18 के दौरान (31.12.2017) तक 12 राज्यों में 43 ब्लॉक स्तरीय कलस्टर स्वीकृत किए गए तथा 22.87 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

(ii) **व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस):** व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना क्रियान्वयनाधीन है। 15,000 से अधिक हथकरघों वाले कलस्टरों के लिए सरकार, भारत सरकार के हिस्से के रूप में 40 करोड़ रुपए तक की निधि उपलब्ध करा रही है। वर्ष 2017–18 (31.12.2017 के अनुसार) के दौरान विभिन्न पहलों के क्रियान्वयन के लिए मेगा हथकरघा कलस्टरों हेतु 28.45 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

(iii) **इंडिया हैंडलूम ब्रांड (भारत हथकरघा ब्रांड) (आईएचबी):** जैव तत्वों से बने उच्च गुणवत्तापूर्ण हथकरघा उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए इंडिया हैंडलूम ब्रांड (भारत हथकरघा ब्रांड) को 7 अगस्त, 2015 को शुरू किया गया था। अभी तक 113 उत्पाद श्रेणियों के अंतर्गत 1007 पंजीकरण किए गए हैं। आईएचबी ने अपने भंडारगृहों से विशिष्ट आईएचबी वस्तुओं की बिक्री के लिए 100 रिटेल स्टोरों के साथ भागीदारी की है। देशभर में 25 रिटेल स्टोरों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। 25 परिधान विनिर्माताओं ने आईएचबी उत्पादकों के साथ कार्य करते हुए हस्तकरघा परिधानों की एक पृथक श्रृंखला को शुरू किया है।

(iv) **बुनकर मुद्रा योजना:** इस योजना की शुरूआत हथकरघा बुनकरों को तीन वर्ष की अवधि के लिए रियायती ऋण, मार्जिन मनी सहायता और ऋण गारंटी उपलब्ध कराने के लिए सितंबर, 2015 में की गई थी। अभी तक 52059 बुनकर इस योजना का लाभ उठा चुके हैं और बुनकर मुद्रा योजना के अंतर्गत 271.62 करोड़ रुपए का ऋण का स्वीकृत किया गया है।

(v) **ई–कॉमर्स:** हथकरघा बुनकरों/कारीगरों को सीधे तौर पर विपणन मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हथकरघा उत्पादों के ऑनलाइन विपणन हेतु 21 अग्रणी ई–कॉमर्स कंपनियों को शामिल किया गया है। वर्ष 2017–18 (दिसम्बर 2017 तक) में ई–विपणन के माध्यम से 5.59 करोड़ रुपए की बिक्री की जा चुकी है।

(vi) **हस्तकला संवर्धन सहायता योजना:** इस योजना की शुरूआत प्रशिक्षित बुनकरों को 90% सरकारी सहायता से आधुनिक करघों और उपस्करों को उपलब्ध कराने के लिए 01.12.2016 को की गई थी। अभी तक 8606 बुनकर इस योजना का लाभ उठा चुके हैं।

(vii) **व्यापार सुविधा केंद्र:** वाराणसी में (अपनी तरह के) पहले अत्याधुनिक व्यापार सुविधा केंद्र तथा शिल्प संग्रहालय – 'दीनदयाल हस्तकला संकुल' को भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने 22 सितंबर, 2017 को लोकार्पित किया। 7.93 एकड़ क्षेत्र में

स्थापित किया गया यह केंद्र बुनकरों तथा कारीगरों को विश्वस्तरीय विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा तथा वाराणसी की पर्यटन क्षमता में भी वृद्धि करेगा।

(viii) हथकरघा बुनकरों हेतु आउटरीच कार्यक्रमः

- हस्तकला सहयोग शिविरः पहली बार हस्तकला सहयोग शिविरों के माध्यम से बुनकरों तथा कारीगरों के लिए एक बड़ा आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 07–17 अक्तूबर, 2017 के दौरान देशभर के 247 जिलों में 394 ऐसे शिविर आयोजित किए गए थे। लगभग 94,000 बुनकरों तथा कारीगरों ने ऐसे शिविरों में भाग लिया। कई केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा विधान सभा सदस्यों ने भी इन शिविरों में भाग लिया। इन शिविरों में बुनकरों तथा कारीगरों को मुद्रा ऋण, करघों, उपस्करों तथा टूल किट्स की आपूर्ति, पहचान (आईडी कार्ड), यार्न पासबुक, औपचारिक शिक्षा के लिए उनके बच्चों के पंजीकरण में सहायता उपलब्ध कराई गई।

- **ई–धागा एपः** भारत सरकार ने हथकरघा बुनकरों को सेवा प्रदान करने में दक्षता लाने तथा उन्हें 24x7 आधार पर सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 19 दिसंबर, 2016 को एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम (ईआरपी) तथा ई–धागा मोबाइल एप को शुरू किया था। यह एप हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, उडिया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम, उर्दू और बंगाली कुल 10 भाषाओं में उपलब्ध है।
- **बुनकर मित्र हेल्पलाइनः** हथकरघा बुनकरों को उनके पेशेवर प्रश्नों के उत्तर देने हेतु संपर्क करने का सिंगल प्वाइंट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'बुनकरमित्र'–हेल्पलाइन 1800 208 9988 की शुरूआत 04.01.2017 को की गई थी। यह सेवा सप्ताह के सातों दिन सात भाषाओंः हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़ और असमिया में प्रातः 10 बजे से सांय 06 बजे तक उपलब्ध है।
- **मैसर्स सीएससी ई–गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लि. के साथ एमओयूः** वस्त्र मंत्रालय ने बुनकरों को आवश्यक सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं, समाज कल्याण योजनाओं, स्वास्थ्य सुविधाए वित्त, शैक्षणिक सेवाओं, प्रदर्शनी तथा विपणन सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुनकर सेवा केंद्रों तथा हथकरघा कलस्टरों में सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) की स्थापना के लिए 7 अगस्तए 2017 को एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

(ix) हथकरघा बुनकरों के बच्चों के लिए शैक्षणिक सुविधाएंः बुनकरों को उनके अनुकूल शैक्षणिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिसके लिए मंत्रालय एससीए एसटीए बीपीएल तथा महिला बुनकर परिवारों के मामले में फीस का 75% उपलब्ध कराती है।

x. हथकरघा कपड़ा उत्पादन तथा निर्यातः

हथकरघा उत्पादों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2017–18 (अक्तूबर, 2017 तक) के दौरान 5134 (पी) मिलियन वर्ग मीटर कपड़े का उत्पादन दर्ज किया गया।

वर्ष 2016–17 के दौरान हथकरघा मदों का निर्यात 2392.21 करोड़ रू. था और 2017–18 के दौरान (सितम्बर, 2017 तक 1241.51 करोड़ रू. था)

ग. हस्तशिल्प

हस्तशिल्प क्षेत्र ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में 68.86 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है तथा देश के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। अगस्त, 2017 तक हस्तनिर्मित कालीन सहित हस्तशिल्प का निर्यात 24249 करोड़ रुपए रहा है और वर्ष 2017–18 के दौरान प्लान आबंटन 295.75 करोड़ रुपए है।

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, हस्तशिल्प कलस्टर के विकास के लिए 'राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)' नामक एक बड़ी योजना क्रियान्वयन करता है। एनएचडीपी के निम्नलिखित संघटक हैं:

i. अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास

योजना– इस योजना के अंतर्गत कारीगरों का बेसलाइन सर्वेक्षण, डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन, मानव संसाधन विकास, कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ, अवसंरचना तथा प्रौद्योगिकी सहायता, अनुसंधान, विकास एवं विपणन सहायता प्रदान की जाती है।

ii. **व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना (मेगा कलस्टर योजना):** हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के लिए विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता को पहचानते हुए एनएचडीपी, प्राथमिक उत्पादकों को सहायता, कारीगरों को डिजाइन तथा प्रशिक्षण सहायता और विपणन सहायता के प्रावधानों के साथ ब्लॉक स्तर पर सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना के आधार पर संशोधित रणनीति को अपनाता है।

iii. **कारीगरों हेतु नई पहलें:**

- **'पहचान' पहल:** कारीगरों को उन लाभों तक, जिनके लिए वे पात्र हैं, आसान पहुंच को संभव बनाने के लिए उन्हें बेहतर रूप से लक्षित करने के लिए 7 अक्तूबर, 2016 को 'पहचान' की पहल की गई थी। अभी तक लगभग 20.23 लाख कारीगरों का सत्यापन किया जा चुका है और 13.32 लाख पहचान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।
- पहचान पत्रों के सत्यापन एवं प्रमाणीकरण में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।
- **पुश्तैनी हुनर विकास योजना:** परंपरागत कालीन बुनाई परिवारों के बुनकरों को तकनीकी तथा सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भदोही स्थित भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान में यह योजना 2017 में शुरू की गई।
- **कारीगर हेल्पलाइन:** कारीगर हेल्पलाइन संख्या 18002084800 को 5 मई, 2017 को 7 भाषाओं – हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, असमिया, बंगाली, तमिल और तेलुगु में शुरू किया गया।
- **वित्तीय निगमों के साथ एमओयू:** आय में निरंतरता तथा वृद्धि के लिए आवश्यक फॉरवर्ड लिंकेज के साथ 20 अभिज्ञात कलस्टरों में ओबीसी तथा एससी कारीगरों तथा बुनकरों के लिए भारत सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम (एनबीसी एफडीसी) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम (एनएसएफ डीसी) के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- मुद्रा ऋण प्राप्त करने वाले हस्तशिल्प कारीगरों को ब्याज आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए 1 सितंबर, 2017 को विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय तथा पंजाब नेशनल बैंक के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। बैंक ने सभी भागीदार बैंकों के लिए विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय में देय ब्याज आर्थिक सहायता के भुगतान के प्रबंधन के लिए चालू खाते के संचालन हेतु एक पोर्टल उपलब्ध कराया है।
- विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय की निम्नलिखित 9 योजनाओं को 12.06.2017 को डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया।

i. अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना

(दस्तकार सशक्तिकरण योजना)

ii. कालीन बुनाई प्रशिक्षण योजना
iii. व्यापक हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम
iv. जम्मू एवं कश्मीर में अन्य शिल्पों का विकास
v. कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ
vi. हस्तशिल्प डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना
vii. हस्तशिल्प मानव संसाधन विकास
viii. हस्तशिल्प अनुसंधान एवं विकास
ix. विपणन सहायता एवं सेवाएं तथा निर्यात संवर्धन योजना

1.10 पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस)

वस्त्र मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र उद्योग के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस) का क्रियान्वयन कर रहा है। एनईआरटीपीएस एक व्यापक (अंब्रैला) योजना है जिसका क्रियान्वयन पूर्वोत्तर राज्यों की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिजाइन एवं क्रियान्वयन में आवश्यक लचीलेपन के साथ परियोजना आधारित दृष्टिकोण के साथ किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन, विद्युतकरघों तथा अपैरल एवं परिधान सहित टेक्सटाइल्स के सभी उप–क्षेत्रों को शामिल करते हुए 1050 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

पूर्वोत्तर में अपैरल एवं परिधान परियोजनाः इस परियोजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य तथा सिक्किम में 18.18 करोड़ रुपए/प्रति केंद्र की दर से प्लग एंड प्ले केंद्र (परिधान फैक्ट्रियां) स्थापित की गई हैं। प्रत्येक केंद्र में 100 औद्योगिक परिधान मशीनों वाली तीन इकाइयां मौजूद हैं। प्रत्येक केंद्र द्वारा 1200 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराए जाने का अनुमान है। 7 केंद्रों का शुभारंभ किया जा चुका है तथा उन्हें राज्य एजेंसियों को सौंप दिया गया है। इस श्रृंखला में सबसे आखिर में माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा 30 जनवरी, 2017 को मेघालय के अम्पाटी जिले में एएंडजी केंद्र का उद्घाटन किया गया था।

- वस्त्र एवं संबद्ध क्षेत्रों में विनिर्माण पर बल देते हुए पहला पूर्वोत्तर निवेश सम्मेलन 29 से 30 जनवरी, 2017 को शिलौंग में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य निवेश के एक वैश्विक लक्ष्य के रूप में इस क्षेत्र की क्षमता को उजागर करना तथा इस क्षेत्र में वस्त्र क्षेत्र में निवेशों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों तथा पूर्वोत्तर राज्यों के प्रयासों के सम्मिलन की संभावनाओं को तलाशना था। इस सम्मेलन में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, सभी पूर्वोत्तर राज्यों, निर्यात संवर्धन परिषदों, औद्योगिक संघों तथा भारत तथा पड़ोसी देशों के निवेशकों ने भाग लिया गया तथा यह सम्मेलन अत्यधिक सफल रहा।

- इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश के अवसरों तथा आरएंडडी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 21 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान 200 बी2बी बैठकें भी आयोजित की गई थीं।

1.11 फैशन प्रौद्योगिकी का संवर्धन

अपने 16 पेशेवर रूप से प्रबंधित परिसरों के नेटवर्क के माध्यम से राष्ट्रीय फैशन टैक्नालॉजी संस्थान (निफ्ट), फैशन शिक्षा के क्षेत्रों में कार्य निष्पादन तथा प्रक्रियाओं के मानकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। फैशन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने तथा फैशन को हथकरघा तथा हस्तशिल्प की परंपराओं से जोड़ने में निफ्ट की कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

- श्रीनगर (जेएंडके) में निफ्ट का एक परिसर 2017 में प्रचालनशील हो गया है। स्थायी परिसर की स्थापना 325.36 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ की जा रही है।
- इस वर्ष से हस्तशिल्प तथा हथकरघा पर बल देने वाली छात्रों की स्नातक परियोजनाओं को विकास आयुक्त (हथकरघा) तथा विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। निफ्ट ने उभरते फैशन पेशेवरों को हथकरघा तथा हस्तशिल्प

कलस्टरों के साथ जोड़ने के लिए परस्पर सहयोग करने के लिए शिल्प कलस्टर पहल हेतु विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) तथा विकास आयुक्त (हथकरघा) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो 2017 में प्रचालनशील हो गया है।

- 25 हस्तशिल्प और हथकरघा कलस्टरों को शामिल करते हुए अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के सहयोग से उस्ताद (पुश्तैनी कला/शिल्प के विकास हेतु कौशल उन्नयन तथा प्रशिक्षण) परियोजना की शुरूआत की गई है जिसमें वर्ष 2017 में नैदानिक अध्ययन तथा डिजाइन विकास कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा फैशन डिजाइन विकास (सीपीएफडीडी), फैशन डिजाइन एवं प्रबंधन (सीपीएफडीएम), फैशन में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग (सीपीएआईटीएफ) तथा निटवेयर डिजाइन एवं विनिर्माण (सीपीकेडीएम) में 4 एक वर्षीय प्रमाणपत्र कार्यक्रम शुरू किए गए।
- वस्त्र मंत्रालय की अनुसंधान एवं विकास योजना के अंतर्गत साइज इंडिया परियोजना (सिलेसिलाए परिधान उद्योग के लिए बाजार अनुसंधान एवं उत्पाद सहायता) शुरू की गई।

अध्याय–2

कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा

2.1 कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा

वस्त्र मंत्रालय वस्त्र उद्योग के नीति निर्माण, योजना और विकास के लिए उत्तरदायी है। वस्त्र मंत्रालय के प्रमुख वस्त्र मंत्री हैं जिन्हें वस्त्र राज्य मंत्री, सचिव (वस्त्र) और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

2.2 विजन

तकनीकी वस्त्र, पटसन, रेशम, कपास तथा ऊन सहित सभी प्रकार के वस्त्रों के विनिर्माण व निर्यात में प्रमुख वैश्विक स्थान प्राप्त करना और हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के साथ इन क्षेत्रों में वर्षों पुरानी सांस्कृतिक धरोहर का संवर्धन करना और बचाए रखना।

2.3 मिशन

- सभी क्षेत्रों को पर्याप्त फाइबर उपलब्ध कराकर वस्त्र के सुनियोजित व सामन्जस्यपूर्ण विकास का संवर्धन करना।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से उद्योग का आधुनिकीकरण करना।
- सभी वस्त्र कामगारों की क्षमता और कौशल का विकास करना।
- कार्य का समुचित वितरण और स्वास्थ्य सुविधाओं की आसान पहुंच तथा जीवन की बेहतर गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए बुनकरों और कारीगरों को बीमा सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- वस्त्र और क्लोदिंग तथा हस्तशिल्प के निर्यात का संवर्धन करना और इन क्षेत्रों में वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाना।

2.4 मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पन्न करने के लिए निम्नलिखित सम्बद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों तथा सलाहकार बोर्डों द्वारा इसे सहायता प्रदान की जाती है:–

2.4.1 संबद्ध कार्यालय:–

(i) विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, नई दिल्ली

इस कार्यालय के प्रमुख विकास आयुक्त (हथकरघा) हैं। यह हथकरघा क्षेत्र के संवर्धन तथा विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करता है। इसके अधीनस्थ कार्यालयों में 28 बुनकर सेवा केंद्र (डब्ल्यूएससी), भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएचटी) तथा हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 को लागू करने के लिए प्रवर्तन तंत्र शामिल हैं।

(ii) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, नई दिल्ली

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के प्रमुख विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) हैं। यह हस्तशिल्प के संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाओं तथा कार्यों को क्रियान्वित करता है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, चैन्नई, गुवाहाटी तथा नई दिल्ली में हैं।

2.4.2 अधीनस्थ कार्यालय

(i) वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई

वस्त्र आयुक्त के कार्यालय (टीएक्ससी) का मुख्यालय मुंबई में है तथा अमृतसर, नोएडा, इंदौर, कोलकाता, बंगलुरू, कोयम्बतूर, नवीं मुंबई और अहमदाबाद में इसके आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं। वस्त्र आयुक्त, मंत्रालय के प्रमुख तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, प्रौद्यो–आर्थिक सर्वेक्षण करता है और सरकार को वस्त्र उद्योग की सामान्य आर्थिक स्थिति के बारे में सलाह देता है। वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के विकासात्मक कार्यकलाप वस्त्र तथा क्लोदिंग क्षेत्र की समानांतर उन्नति और विकास की योजना के आस–पास केंद्रित रहते हैं। देश भर में कार्यरत सैंतालीस विद्युतकरघा सेवा केंद्रों (पीएससी) में से पन्द्रह वस्त्र आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे हैं। यह पीएससी की वस्त्र एवं क्लोदिंग उद्योग के लिए कुशल जन शक्ति तथा विकेंद्रीकृत विद्युतकरण क्षेत्र को तकनीकी परामर्श/सेवाओं की जरूरत को पूरा करते हैं। वस्त्र आयुक्त का कार्यालय विभिन्न वस्त्र अनुसंधान संघों एवं राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित किए जा रहे शेष बत्तीस विद्युतकरघा सेवा केंद्रों का समन्वय करता है और उनका मार्ग दर्शन भी करता है। यह कार्यालय तकनीकी वस्त्र, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस), समूह विद्युतकरघा योजनाओं पर विभिन्न विकासात्मक और संवर्धनात्मक योजनाओं का क्रियान्वयन एवं उनकी मॉनीटरिंग भी करता है।

(ii) पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता

पटसन आयुक्त का कार्यालय के कार्य तथा गतिविधियां –(i) मशीनरी विकास सहित पटसन उद्योग से संबंधित नीतिगत मामलों की तैयारी के संबंध में मंत्रालय को तकनीकी सलाह देना; (ii) राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) जैसे वस्त्र मंत्रालय के पटसन संबंधी निकायों के माध्यम से विकासात्मक कार्यकलापों विशेष रूप से भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (इजिरा) और अन्य वस्त्र अनुसंधान संघों के माध्यम से ऐसे क्षेत्र तथा आरएंडडी कार्यक्रमों में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र तथा उद्यमशीलता कौशल में पटसन हस्तशिल्प और पटसन हथकरघा के संवर्धन के लिए कार्यान्वयन; (iii) पटसन और मेस्टा उत्पादकों को एमएसपी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भारतीय पटसन निगम के माध्यम से कच्ची पटसन और पटसन सामानों दोनों के मूल्य परिवर्तन की मानीटरिंग तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का क्रियान्वयन; (iv) स्वदेशी तथा निर्यात बाजार दोनों में पटसन सामानों के बाजार की तलाश करने के लिए विशेष रूप से बाजार संवर्धन। उन

पटसन उत्पादक क्षेत्रों में पटसन संबंधी कार्यकलापों को प्रोत्साहित/प्रोन्नत करने के प्रयास किए जा रहे हैं जहां ऐसे कार्यकलाप अपर्याप्त हैं और पूर्वोत्तर राज्यों सहित गैर पटसन उत्पादक राज्यों में हैं। पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 की धारा 4 के अंतर्गत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए पटसन आयुक्त, बी.ट्विल बैगों की आपूर्ति के लिए पटसन मिलों को उत्पादन नियंत्रण आदेश (पीसीओ) जारी करता है। पीडीएस के माध्यम से वितरण के लिए एफसीआई सहित विभिन्न राज्य खाद्यान्न खरीद एजेंसियों द्वारा एमएसपी के अंतर्गत खरीदे गए खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए इन बैगों की आवश्यकता होती है। पटसन आयुक्त, नियमित और समयबद्ध आधार पर पटसन क्षेत्र की समस्याओं और स्थिति की सूचना भी मंत्रालय को भेजते हैं।

2.4.3 इनके अलावा, निम्नलिखित सांविधिक निकाय तथा पंजीकृत समितियां मंत्रालय के कार्यों से संबद्ध हैं।

सांविधिक निकाय

(i) वस्त्र समिति, मुंबई

वस्त्र समिति की स्थापना, वस्त्र समिति अधिनियम,1963 (1963 का 41) के अंतर्गत की गई थी। वस्त्र समिति ने एक संगठन के रूप में 22 अगस्त,1964 से कार्य करना प्रारंभ किया। अधिनियम की धारा 3 द्वारा वस्त्र समिति निरंतर उत्तराधिकार के साथ एक सतत अनुक्रमणशील सांविधिक निकाय है। मुंबई स्थित वस्त्र समिति वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। वस्त्र समिति का मुख्य उद्देश्य आंतरिक खपत तथा निर्यात उद्देश्यों के लिए वस्त्र एवं वस्त्र मशीनरी की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।

(ii) राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, कोलकाता

राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) का गठन, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) के अनुसार किया गया है, जो 01 अप्रैल, 2010 से लागू है और तत्कालीन पटसन विनिर्माण विकास निगम तथा राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केंद्र का राष्ट्रीय पटसन बोर्ड(एनजेबी) में विलय कर दिया गया है।

एनजेबी को सांविधिक रूप से निम्नलिखित उपाय करने का दायित्व सौंपा गया है:–

- पटसन के उत्पादन में वृद्धि करने तथा तत्संबंधी गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से योजना की तैयारी, विस्तार कार्य, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन के मामलों में पटसन की खेती के लिए एकीकृत एप्रोच विकसित करना;
- बेहतर गुणवत्ता वाली कच्ची पटसन के उत्पादन का संवर्धन;
- कच्ची पटसन की उत्पादकता को बढ़ाना;
- कच्ची पटसन के बेहतर विपणन तथा कच्ची कपास के मूल्यों का स्थिरीकरण करने के लिए प्रोन्नत करना अथवा व्यवस्था करना;
- कच्ची पटसन तथा पटसन उत्पादों के मानकीकरण का संवर्धन करना;
- अवशिष्ट को समाप्त करने, अधिकतम उत्पादन, गुणवत्ता में सुधार तथा

लागत में कमी के उद्देश्य से पटसन उद्योग के लिए दक्षता के मानकों के लिए सुझाव देना;

- कच्ची पटसन के उत्पादकों तथा पटसन उत्पादों के विनिर्माताओं के लिए उपयोगी सूचना का प्रचार करना;
- गुणवत्ता नियंत्रण अथवा कच्ची पटसन और पटसन उत्पादों का संवर्धन करना और उपाय करना।
- कच्ची पटसन के प्रसंस्करण, गुणवत्ता, ग्रेडिंग की तकनीकी और पैकेजिंग में सुधार के लिए सहयोग करना और अध्ययन तथा अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करना।
- कच्ची पटसन और पटसन उत्पादों के संबंध में आंकड़ों का संग्रह तथा निष्पादन करने के उद्देश्य से सर्वेक्षण अथवा अध्ययन को बढ़ावा देना अथवा करना;
- पटसन विनिर्माताओं के मानकीकरण का संवर्धन करना;
- पटसन उद्योग की दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि करके पटसन विनिर्माताओं के उत्पादन के विकास का संवर्धन करना;
- पटसन क्षेत्र से संबंधित वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय, आर्थिक तथा विपणन अनुसंधान के लिए स्पांसर, सहयोग, समन्वय, प्रोत्साहित अथवा आरंभ करना;
- पटसन विनिर्माताओं के लिए देश के भीतर और बाहर मौजूदा बाजारों को बनाए रखना और नए बाजार विकसित करना तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऐसे विनिर्माताओं के लिए मांग के अनुरूप विपणन रणनीतियां तैयार करना;
- नयी सामाग्रियों, उपकरण तथा पद्धतियों की खोज और विकास तथा पटसन उद्योग में पहले ही प्रयोग में लायी जा रही पद्धतियों में सुधार करने सहित सामाग्रियों, उपकरण, उत्पादन की पद्धतियों, उत्पाद विकास से संबंधित मामलों में वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान के लिए प्रायोजित, सहयोग, समन्वय अथवा प्रोत्साहित करना;
- उद्यमियों, कारीगरों, शिल्पकारों, डिजाइनरों, विनिर्माताओं, निर्यातकों, गैर–सरकारी एजेंसियों आदि को सहायता उपलब्ध कराकर विविधीकृत पटसन उत्पादों के लिए अनुकूल परिस्थितियां और आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं को उपलब्ध कराना और उनका सृजन करना;
- कार्यशालाओं, सम्मेलनों, व्याख्यानों, संगोष्ठियों, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना तथा पटसन एवं पटसन उत्पादों के संवर्धन तथा विकास के उद्देश्य से अध्ययन समूह गठित करना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना;
- पटसन फसलों की जेस्टेशन अवधि को कम करने तथा पटसन बीज की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनुसंधान करना;
- पटसन क्षेत्र के सुस्थिर मानव संसाधन विकास तथा इसके लिए आवश्यक

निधि उपलब्ध कराने हेतु उपायों को करना;

- पटसन क्षेत्र का आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय विकास;
- पटसन उत्पादकों तथा कामगारों के हितों की रक्षा करने तथा आजीविका के माध्यमों द्वारा उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाना;
- पटसन उद्योग में लगे कामगारों के लिए सुविधाओं तथा प्रोत्साहनों में सुधार करना तथा बेहतर कार्यशील परिस्थितियों तथा प्रावधानों की व्यवस्था करना;
- वैकल्पिक आधार पर उत्पादकों तथा विनिर्माताओं का पंजीकरण करना;
- समेकन तथा प्रकाशन के लिए पटसन एवं पटसन उत्पादों से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करना;
- पटसन क्षेत्र के संवर्धन अथवा भारत एवं विदेशों में पटसन एवं पटसन उत्पादों के संवर्धन एवं विपणन के लिए किसी अन्य निकाय के साथ कोई अनुबंध (भागीदार, संयुक्त उद्यम अथवा किसी अन्य तरीके से) करना अथवा शेयर कैपिटल प्राप्त करना।

(iii) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी), बैंगलूरू

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी), वस्त्र मंत्रालय, प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सांविधिक निकाय है। संसद के एक अधिनियम (1948 का अधिनियम सं LXI) द्वारा 1948 में स्थापित सीएसबी को रेशम के आयात एवं निर्यात को अभिशासित करने वाली नीतियों के प्रतिपादन सहित रेशम यार्न के उत्पादन के लिए खाद्य पौधों के विकास से रेशम कोया तक देश में रेशम उत्पादन के कार्यकलापों की समग्र प्रक्रिया को शामिल करते हुए रेशम उद्योग को विकसित करने का पूर्ण दायित्व सौंपा गया है। सीएसबी मूल रूप से अनुसंधान और विकास संगठन है। सीएसबी के महत्वपूर्ण कार्यकलापों में रेशम क्षेत्र में वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान कार्य करने के लिए सहयोग तथा प्रोत्साहित करना है। रेशम–उत्पादन तथा रेशम वस्त्र उद्योग के विकास के लिए कार्यक्रम राज्य रेशम उत्पादन/वस्त्र विभागों द्वारा प्राथमिक रूप से प्रतिपादित तथा क्रियान्वित किए जाते हैं। तथापि, केंद्रीय रेशम बोर्ड अपने देशव्यापी नेटवर्क केंद्रों के माध्यम से अनुसंधान और विकास, विस्तार तथा प्रशिक्षण के लिए अनिवार्य सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को पूरा करता है। इसके अलावा, केन्द्रीय रेशम बोर्ड गुणवत्तापूरक रेशम कीट के प्राथमिक तथा वाणिज्यिक बीजों के उत्पादन और आपूर्ति की व्यवस्था करता है और विभिन्न रेशम उत्पादन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए भी राज्यों को सहयोग प्रदान करता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड, राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों स्तर पर रेशम उत्पादन के आंकड़ों का संग्रह तथा संकलन भी करता है।

(iv) राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी संस्थान (निफ्ट), नई दिल्ली

राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी संस्थान (एनएफआईटी) को वस्त्र मंत्रालय, के

तत्वाधान में 1986 में स्थापित किया गया था और यह निफ्ट अधिनियम, 2006 द्वारा शासित एक सांविधिक निकाय है। व्यापक सुरुचिपूर्ण एवं भौतिक दृष्टिकोण को लेकर आने वाले प्रारंभिक शिक्षकों में फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, न्यूयार्क, यूएसए के प्रमुख प्रगतिशील विद्वान शामिल थे। घरेलू शिक्षकों को बुद्धिजीवियों के एक विशिष्ट समूह से लिया गया था जिन्होंने प्रभावी अध्ययन के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु एक गतिशील दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया था। नई दिल्ली में निफ्ट के मुख्यालय का पुपुल जयकर हॉल विभिन्न शैक्षणिक विचारकों तथा विजिनरियों की याद दिलाता है जो संस्थान की सफलता के रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण रहे थे। संस्थान की विस्तार योजनाओं में शैक्षणिक समावेशन एक उत्प्रेरक के रूप में रहा है। समय के साथ–साथ, निफ्ट ने देश भर में अपना विस्तार किया है।

2.4.4 पंजीकृत समितियां

(i) केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी), जोधपुर

केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी) का गठन 1987 में एकीकृत नीति के विकास के साथ ऊनी उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विविधीकृत हितों को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया था जिसका मुख्यालय, जोधपुर राजस्थान में है। सीडब्ल्यूडीबी को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के अंतर्गत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। यह, बोर्ड के शासी निकाय के समग्र मार्गदर्शन तथा वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करता है। यह बोर्ड ऊन क्षेत्र की उन्नति तथा विकास से संबंधित मामलों पर वस्त्र मंत्रालय के लिए सलाहकारी निकाय का भी कार्य करता है।

(ii) सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र एवं प्रबंधन स्कूल (एसवीपीआईएसटीएम) सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र एवं प्रबंधन स्कूल (एसवीपीआईएसटीएम) की स्थापना 24 दिसम्बर, 2002 को कोयम्बटूर, तमिलनाडु में एक वस्त्र प्रबंधन संस्थान के रूप में की गयी थी।

2.4.5 सलाहकार बोर्ड

(i) अखिल भारतीय विद्युतकरघा बोर्ड (एआईपीबी)

बेहतर उत्पादकता, संवर्धित कुशलता हासिल करने, कामगार कल्याण और विद्युतकरघों के स्थानिक फैलाव में सुधार करने के लिए किए जाने वाले उपायों सहित विद्युत चालित बुनाई क्षेत्र के भीतर विद्युतकरघों के स्वस्थ विकास से जुड़े मामलों में आमतौर पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से अखिल भारतीय विद्युतकरघा बोर्ड (एआईपीबी) का गठन सर्वप्रथम नवम्बर, 1981 में भारत सरकार के सलाहकार बोर्ड के रूप में किया गया था। भारत सरकार समय–समय पर एआईपीबी का पुनर्गठन करती है। इसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों, विद्युतकरघा उद्योग के विद्युतकरघा परिसंघ/संघों के प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में शामिल हैं तथा माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री इसके अध्यक्ष हैं।

(ii) कपास सलाहकार बोर्ड

कपास सलाहकार बोर्ड (सीएबी) सरकारी एजेंसियों, उत्पादकों, उद्योग एवं व्यापार का एक प्रतिनिधि निकाय है। यह सरकार को सामान्यतः कपास के उत्पादन, खपत और विपणन पर परामर्श देता है तथा कपास वस्त्र मिल उद्योग, कपास उत्पादन, कपास ट्रेड तथा सरकार के मध्य समन्वय का मंच भी उपलब्ध करवाता है। सीएबी का कार्यकाल 2 वर्ष का है। कपास सलाहकार बोर्ड, कपास तुलनपत्र तैयार करता है। यह बोर्ड द्विस्तरीय प्रणाली में कार्य करता है जिसमें परामर्शदात्री समिति कपास उत्पादकों, कपास व्यापारियों, कपास मिलों से इनपुट प्राप्त करती हैं। कपास परामर्शदात्री समिति कपास सलाहकार बोर्ड की औपचारिक बैठक से पहले अपनी बैठकें आयोजित करती है। परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों के बिंदुओं पर सीएबी द्वारा विचार किया जाता है। 18 अगस्त, 2017 को संपन्न हुई अपनी बैठक में सीएबी ने कपास मौसम वर्ष 2017–18 के लिए खेती के अंतर्गत क्षेत्र का 123 लाख हेक्टेयर, उत्पादन का 380 लाख गांठ तथा निर्यात योग्य अधिशेष का 35 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया है।

(iii) पटसन सलाहकार बोर्ड

पटसन सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष सचिव (वस्त्र) हैं जो सरकार को पटसन व पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश–2000 के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पटसन से संबंधित मामलों पर सलाह देते हैं जिनमें पटसन और मेस्ता के उत्पादन से संबंधित अनुमान शामिल हैं। बोर्ड का पुनर्गठन दिनांक 15.06.2016 को दो वर्ष की अवधि के लिए किया गया था।

(iv) हस्तशिल्प सलाहकार बोर्डः

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड (एआईएचबी का पुनर्गठन प्रक्रियाधीन है)

2.4.6 निर्यात संवर्धन परिषदें

वस्त्र एवं क्लोदिंग उद्योग के सभी क्षेत्रों अर्थात सिले–सिलाए परिधानों, सूती, रेशम, पटसन, ऊन, विद्युतकरघा, हथकरघा, हस्तशिल्प और कालीनों का प्रतिनिधित्व करने वाली ग्यारह वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदें हैं। वैश्विक निर्यात बाजार में अपने–अपने क्षेत्र के विकास का संवर्धन करने के लिए ये परिषदें वस्त्र मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों के साथ घनिष्ठ सहयोग से कार्य करती हैं। निर्यात बढ़ाने और नए बाजारों तक पहुंच के लिए भारत और विदेशी बाजारों में अपैरल मेले, प्रदर्शनियां और शो आयोजित किए जाते हैं। वस्त्र मंत्रालय के अधीन निर्यात संवर्धन परिषदों का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः–

i. अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी)
ii. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टेक्सप्रोसिल)
iii. सिंथेटिक एवं रेयान वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (एसआरटीईपीसी)
iv. ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (डब्ल्यू एंड डब्ल्यूईपीसी)
v. ऊन उद्योग निर्यात संवर्धन संगठन (वूल टेक्सप्रो)
vi. भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद (आईएसईपीसी)
vii. कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी)

viii. हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच)

ix. विद्युतकरघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (पैडिक्सिल)

x. हथकरघा निर्यात सवंर्धन परिषद (एचईपीसी)

xi. पटसन उत्पाद विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (जेपीडीईपीसी)

2.5 सार्वजनिक क्षेत्र

सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रम वस्त्र क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास में सक्रियता से लगे हुए हैं :–

1. राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि.(एनटीसी)
2. हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
3. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
4. भारतीय कपास निगम (सीसीआई)
5. सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि., नई दिल्ली
6. ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि. (बीआईसी)
7. भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) लि., कोलकाता
8. राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लि. (एनजेएमसी), कोलकाता

2.5.1 राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि. (एनटीसी) :

वस्त्र मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि. (एनटीसी) की स्थापना वर्ष 1974, 1986 और 1995 में तीन राष्ट्रीयकरण अधिनियमों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा मुख्य रूप से अपने कब्जे में लिए गए रूग्ण वस्त्र उपकरणों के कार्यों का प्रबंधन करने के लिए की गई थी। पुरानी प्रौद्योगिकी, अधिक जनशक्ति, खराब उत्पादकता आदि के कारण इसकी 9 सहायक कंपनी में से 8 को वर्ष 1992–93 में बीआईएफआर को संदर्भित कर दिया गया था। बीआईएफआर ने सभी नौ सहायक कंपनियों के लिए पुनरूद्धार योजना अनुमोदित की– उनमें से 8 को वर्ष 2002–03 में और 9वीं को वर्ष 2005 में अनुमोदित किया गया था। यह कंपनी तब से लेकर अभी तक पुनरूद्धार योजना को क्रियान्वित कर रही है। वर्ष 2002–03 की स्वीकृत मूल्य योजना (एसएस–02) को 53 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए आबंटित 736 करोड़ रुपए के संघटक के साथ कुल 3937 करोड़ रुपए की लागत से क्रियान्वित किया गया था। यह योजना 2 बार संशोधित की गई थी – पहली बार 5267 करोड़ रुपए की कुल संशोधित लागत से वर्ष 2006 (एमएस–06) में जिसमें 22 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 530 करोड़ रुपए का संघटक शामिल था और दूसरी बार यह योजना 4 नई मिलों की स्थापना सहित बढ़ाई गई क्षमता के साथ 22 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 1155 करोड़ रुपए के संघटक के साथ 9102 करोड़ रुपए की कुल संशोधित लागत से वर्ष 2008 (एमएस–08) में संशोधित की गई थी। बीआईएफआर द्वारा इस योजना का विस्तार 31.03.2012 तक किया गया था।

निवल मूल्य सकारात्मक हो जाने के साथ एनटीसी, 28.10.2014 के बीआईएफआर

के आदेश के माध्यम से एसआईसीए की धारा 3(1)(0) के आशय के भीतर रूग्ण औद्योगिक कंपनी नहीं रही। दिनांक 31.08.2017 की स्थिति के अनुसार कंपनी का निवल मूल्य 2147.32 करोड़ रुपए (लगभग) बनता है। बीआईएफआर ने निदेश दिया है कि पुनरुद्धार योजना के क्रियान्वित न किए गए प्रावधान को संबंधित प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।

एनटीसी के पास कुल लगभग 3611.78 एकड़ भूमि है जिसमें से 960.85 एकड़ भूमि लीज होल्ड में है और शेष 2650.93 एकड़ फ्री होल्ड है।

तीन राष्ट्रीयकरण अधिनियमों के माध्यम से राष्ट्रीयकृत की गई कुल 124 मिलों में से बीआईएफआर को संदर्भित की गई 119 मिलों और हसन में स्थापित एक नई मिल का विवरण नीचे दिया गया है:–

(i) 77 मिलें बंद हो गई हैं (78 मिलें आईडी अधिनियम के अंतर्गत बंद की गई हैं किंतु बंद की गई एक मिल नामतः बिदर्भ मिल को फिनले मिल्स, अचलपुर के नाम से पुनः शुरू किया गया था)

(ii) 23 मिलें एनटीसी द्वारा प्रचालित की जा रही हैं (हसन में स्थापित एक नई मिल सहित)

(iii) जेवी मार्ग के माध्यम से पुनरुद्धार की जाने वाली 16 इकाइयों में से 5 इकाइयों का पुनरुद्धार कर दिया गया है और शेष 11 इकाइयां जिसके लिए जेवी हेतु एमओयू हस्ताक्षर किया गया था, समीक्षा करने पर निरस्त कर दी गई थी। इन 11 मिलों का मामला न्यायालय/मध्यस्थ अधिकरण के समक्ष न्यायाधीन है।

(iv) 2 मिलों को पुद्दुचेरी सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया है।

(v) उदयपुर एवं बीवर, राजस्थान स्थित दो मिलें प्रचालनशील नहीं हैं।

एनटीसी ने 3 नई ग्रीन फील्ड परियोजनाओं को प्रारंभ किया है और 20 अन्य मिलों का आंशिक आधुनिकीकरण किया है। निकट निगरानी तथा प्रबंधकीय हस्तक्षेपों के माध्यम से एनटीसी यार्न तथा कपड़ा दोनों खंडों में बेहतर भौतिक निष्पादन प्राप्त करने में सफल हुई है।

एनटीसी के निष्पादन में सुधार हो रहा है और वर्तमान तथा पिछले कुछ वर्षों के दौरान उपलब्धियां नीचे दी गई है :

उत्पादन

उत्पाद	2013.14	2014.15	2015.16	2016.17	अप्रैल–अगस्त,17
यार्न (लाख किग्रा.)	489.11	518.54	562.02	521.95	229.31
कपड़ा (लाख मीमीटर)	147.78	171.70	190.34	201.81	82.18

क्षमता उपयोग

मानदंड	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	अप्रैल–अगस्त,17
क्षमता उपयोग (%)	83.37	85.47	86.67	84.81	88.51

क्षमता उपयोग

मानदंड	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	अप्रैल–अगस्त,17
कपास उत्पादकता (40 परिवर्तित)	जीएमएस	87.35	88.90	91.00	93.05	93.02
मिश्रित उत्पादकता (40 परिवर्तित)	जीएमएस	90.35	92.28	93.00	94.84	94.40

टर्नओवर

मानदंड	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	अप्रैल–अगस्त,17
प्रचालनों से राजस्व	करोड़ रूपए	1103.64	1213.89	1129.22	1174.86	295.32

गत 8 वर्षों में डीपीई द्वारा दी गई एमओयू रेटिंग

वर्ष	रेटिंग
2008–09	उचित
2009–10	आकलन नहीं किया गया
2010–11	उचित
2011–12	अच्छा
2012–13	बहुत अच्छा
2013–14	अच्छा
2014–15	अच्छा
2015–16	अच्छा
2016–17	डीपीई से अभी प्राप्त होना है

हालांकि कंपनी को आरंभ से ही बजट आबंटन के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती रही है, एनटीसी ने वर्ष 2009–10 से कोई बजटीय सहायता प्राप्त नहीं की है और अपने कार्यकलापों का प्रबंधन स्वयं के संसाधनों के माध्यम से कर रही है।

कंपनी की स्वयं को एक एकीकृत वस्त्र कंपनी में बदलने की योजनाएं है जिसमें कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, परिधान निर्माण के इसके अतिरिक्त तकनीकी वस्त्रों में विविधिकरण की भी योजना है।

एनटीसी द्वारा की गई कुछ वर्तमान महत्वपूर्ण पहलें

क. ई–नीलामी के माध्यम से यार्न की ब्रिकी

ई–नीलामी के माध्यम से यार्न की बिक्री 10 दिसम्बर, 2015 से प्रारंभ की गई है।

ख. पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा

I. उच्च मूल्य वाले लेन–देनों में अत्यधिक पारदर्शिता लाने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) ने 03.12.2015 को सत्यनिष्ठा समझौता निर्दिष्ट लेनदेन के लिए एनटीसी और संभावित आपूर्तिकर्ताओं के बीच हस्ताक्षर करने वाले निगम में सत्यनिष्ठा समझौता के क्रियान्वयन के संबंध में ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

II. सत्यनिष्ठा समझौता के अंतर्गत शामिल लेनदेन की जांच करने के लिए सीवीसी द्वारा अनुमोदित श्री कल्याणचंद, आईआरएस (सेवानिवृत्त) और श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, सेवानिवृत्त, जिला और सत्र न्यायाधीश को स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर (आईईएमएस) नियुक्त किया गया है।

ग. नई वेबसाइट का प्रारंभ किया जाना

एनटीसी ने 1 अप्रैल, 2016 को अपनी नई वेबसाइट प्रारंभ की जिसमें एनटीसी से संबंधित सारी सूचना एक क्लिक पर मौजूद है। नई वेबसाइट का नवीनीकरण किया गया है और वेबसाइट पर सभी सांविधिक अनुपालन भी उपलब्ध हैं। एनटीसी को विश्व में ट्रेंडी और अद्यतन प्रदर्शित करने के लिए इसकी वेबसाइट को समय–समय पर अद्यतन किया जाता है।

घ. स्वच्छ भारत के अंतर्गत योगदान

एनटीसी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री की स्वच्छ विद्यालय अभियान पहल के अंतर्गत देश भर में फैली एनटीसी की 6 मिलों में 15 सरकारी स्कूलों में 34 शौचालयों का निर्माण करवाया है।

ड. स्किल इंडिया में योगदान

तकनीकी कौशल का विकास करने और सोसाइटी में नौकरी के अवसर सृजित करने के लिए एनटीसी ने वर्ष 2015 में एकीकृत कौशल विकास योजना के अंतर्गत लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने की शुरूआत की है। एनटीसी ने लोगों को संयंत्र प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपनी कार्यशील मिलों में 10 प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ किए हैं। दिनांक 31.08.2017 की स्थिति के अनुसार 3643 लोगों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और 209 लोग प्रशिक्षणाधीन है। प्रशिक्षित 3643 लोगों में से एनटीसी ने अपनी कार्यशील मिलों में 1411 लोगों को रोजगार प्रदान किया है।

च. रणनीतिक बैठक

एनटीसी ने फरवरी, 2016 के दौरान अपनी पहली रणनीतिक बैठक की और उसके पश्चात अप्रैल, 2016 में समापन सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें एनटीसी की शक्तियों, कमजोरियों और अवसरों का अध्ययन किया गया था। इसमें शामिल बाजार और विस्तृत तकनीकों पर भी अध्ययन किया गया था और निश्चित समय–सीमा के साथ पहचान किए गए समस्या वाले क्षेत्रों को लक्ष्य बनाने के लिए शर्तें तैयार की गई।

छ. एनटीसी स्थापना दिवस

एनटीसी ने दिनांक 01.04.2016 को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया जिसमें एनटीसी के सभी कर्मचारी एकत्रित हुए और निगम में बांड और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए अंतर विभागीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। विजेताओं को ट्रॉफी, प्रमाणपत्र और नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर निदेशकों और सीएमडी ने एनटीसी के निष्पादन और इतने वर्षों में हमने कितनी

प्रगति की है, इस पर अपनी राय व्यक्त की। एकजुटता के साथ यह निर्णय लिया गया कि एनटीसी वर्ष 2018–19 तक एक लाभ कमाने वाला संगठन बनने के लिए आगे बढ़ेगी।

ज. मानव संसाधन उपलब्धियां

i. सीए/सीडब्ल्यूए पहल के माध्यम से कैम्पस नियोजन सहित लगभग 127 व्यक्तियों की पेशेवर के रूप में नियुक्ति

ii. समूचे देश में समान रूप से विभिन्न मानव संसाधन नीतियों का कार्यान्वयन, जैसे कि:–

क) भर्ती नीति
ख) पदोन्नति नीति
ग) निष्पादन प्रबंधन प्रणाली
घ) संशोधित चिकित्सा नियम आदि

झ. परिसंपत्तियों का डिजीटलीकरण

एनटीसी के पास उपलब्ध भूमि के सभी ब्यौरे अर्थात स्थल, क्षेत्रफल आदि को डिजीटलीकृत किया गया है।

भावी योजनाएं

- मिलों का गैर–अर्थक्षम स्थलों से अर्थक्षम स्थलों पर स्थानांतरण तथा समेकन।
- एनटीसी को एक पूर्णतः ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत कंपनी बनाना अर्थात कताई से वस्त्र तैयार करने तका।
- मूल्य वर्धित उत्पादों का उत्पादन और खुदरा विपणन आउटलेटों का रूपांतरण।
- अतिरिक्त आधुनिकीकरण, पुनर्स्थापन, समेकन और विस्तार द्वारा उन्नत, आधुनिक प्रतिस्पर्धी रूप से एकीकृत मिलों की स्थापना करना।
- कंपनी की अधिशेष परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण द्वारा आंतरिक रूप से संसाधनों को जुटाना जिनका उपयोग स्तूना की सीमा के भीतर केवल वस्त्र क्रियाकलापों हेतु किया जाएगा।
- **निम्नलिखित के माध्यम से कंपनी का कायाकल्प करना :**
  - सरकारी सुधारों का उपयोग करके विद्युत लागत का युक्तिकरण।
  - भारत सरकार के श्रम सुधारों तथा कार्य–भार निपटानों का उपयोग करके मजदूरी लागत का युक्तिकरण।
  - भारत सरकार के ई–गवर्नेन्स के माध्यम से कच्चे माल की लागतों को ईष्टतम करना।
  - लगातार बदलती बाजार आवश्यकताओं हेतु एनटीसी उत्पादों का पुनः संरेखण और उनका मूल्य अधिकतम करना।
- **तकनीकी वस्त्रों सहित मूल्य वर्धित उत्पादों में विविधीकरण।**

वित्तीय परिणाम **(करोड़ रुपए में)**

क्र. सं.	विवरण	2015-16 (लेखा परीक्षित)	2016-17 (लेखा परीक्षित)	01.04.2017 से 31.08.2017	2017-18 (अनंतिम)
A.)	मूल्यह्रास से पूर्व प्रचालन से लाभ, ब्याज एवं कर	(103.30)	(164.67)	(68.96)	(165.50)
B.)	मूलह्रास	165.42	136.57	56.40	135.36
C)	ब्याजः क) भारत सरकार के ऋण पर ब्याज क) अन्य ब्याज	46.84 12.69	46.84 83.67*	20.00 2.35	48.00 6.10

क्र. सं.	विवरण	2015-16 (लेखा परीक्षित)	2016-17 (लेखा परीक्षित)	01.04.2017 से 31.08.2017	2017-18 (अनंतिम)
D)	असाधारण से पहले वर्ष के लिए प्रचालन से नकद लाभ अथवा हानि	(81.90)	(226.56)	(64.78)	(155.93)
E)	करः आय कर आस्थगित कर परिसंपत्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
F)	असाधारण मदें:				
	i) परिसंपत्तियों की बिक्री से आय	0.61	1412.38	0.00	0.00
	ii) एमवीआरएस आदि पर व्यय	(6.71)	(9.26)	(5.28)	(12.67)
	iii) टेक ओवर के बाद कर्मचारियों के दायित्व	(0.88)	0.00	0.00	0.00
	iv)लिखे गए प्रावधान	340.24	1.78	0.00	0.00
G)	जारी प्रचालन से अवधि के लिए लाभ/(हानि)	5.00	973.15	(152.99)	(367.64)
H)	अन्य व्यापक आय	10.45	(3.77)	0.00	0.00
I)	कुल व्यापक आय	15.45	969.38	(152.99)	(367.64)

* माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के दिनांक 03.04.2017 के आदेश के माध्यम से दिए गए निदेशानुसार अन्य ब्याज में ईएमडी पर 70 करोड़ रुपए ब्याज शामिल है।

2.5.2 हैंडीक्राफ्टस एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (एचएचईसी)

दि हैंडीक्राफ्टस एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (कॉरपोरेशन), वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में "इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि." के रूप में दो उद्देश्यों के साथ हुई (i) निर्यात प्रोत्साहन तथा (ii) हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम उत्पादों का व्यापार विकास। वर्ष 1962 में इसका नामकरण "दि हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि." के रूप में किया गया। कॉरपोरेशन वर्तमान में दो सितारा निर्यात गृह है जो सोना एवं चाँदी के आभूषण/वस्तुओं का निर्यात करने के अतिरिक्त हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों (हाथ से बुने हुए वूलन कारपेट एवं सिले सिलाए वस्त्र सहित) के कार्य करता

है। कोपोरेशन को वर्ष 1997–98 में सोने–चाँदी के आयात तथा घरेलू बाजार में बिक्री के लिए नामित किया गया था। वर्ष 2016–17 में प्रमुख सूचक के संबंध में कारपोरेशन का कार्य–निष्पादन नीचे दिया गया है :–

कुल बिक्री	–	590.14 करोड़ रुपये
कर पूर्व लाभ / (हानि)	–	(21.99) करोड रुपये
कर पश्चात लाभ / (हानि)	–	(30.53) करोड़ रुपये

पिछले वर्ष के दौरान 15.26 करोड़ रुपए की प्रचालनशील हानि की तुलना में वर्ष के अंत में 18.17 करोड़ रुपए की प्रचालनशील हानि मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से हुई:

- मंत्रालय के निदेशानुसार अवसर आधारित बुलियन व्यवसाय में कमी

असंतुलित संगठनात्मक ढांचे, अन्य परिसमापन बाधाओं के कारण महत्वपूर्ण व्यवसाय में गिरावट

विवेकपूर्ण लेखांकन नीति के रूप में 13.81 करोड़ रुपए के संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के प्रावधान

इसके अलावा निगम ने पिछले वर्ष कर पश्चात 10.76 करोड़ रुपए की कुल हानि की तुलना में कर पश्चात 30.53 करोड़ रुपए की कुल हानि के साथ वर्ष की समाप्ति की। इतनी हानि का मुख्य कारण मुख्य रूप से पिछली अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय और 8.54 करोड़ रुपए की आस्थगित कर संपत्तियों के परिवर्तन के फलस्वरूप सह–स्वामी होने के कारण एचएचईसी से एसटीसी द्वारा मांगे गए 3.51 करोड़ रुपए अतिरिक्त संपत्ति कर के प्रावधान के कारण हुई।

क. पूँजी

वर्ष 2016–17 के दौरान कॉरपोरेशन की प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूँजी अपरिवर्तित रहने के कारण क्रमशः 20.00 करोड़ रुपए तथा 13.82 करोड़ रुपए ही रही। संपूर्ण प्रदत्त पूँजी भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा अभिदत्त है।

ख. कार्यशील परिणाम

कॉरपोरेशन की कुल बिक्री वर्ष 2016–17 में 1970.37 करोड़ रुपए से कम होकर वर्ष के दौरान 590.14 करोड़ रूपए हो गई जो 1380.23 करोड़ रुपए (70%) की कमी दर्शाता है। इस कमी के प्रमुख कारण हैं –

- सोने–चाँदी का व्यापार एक अवसरवादी व्यवसाय है। वर्ष के दौरान सोने–चाँदी के आयात में 1011.90 करोड़ रुपए (64%) की कमी हुई जो मुख्यतः मांग में कमी और सोने–चॉदी के व्यापार को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के सरकार के निदेशों के चलते हुई थी।
- घरेलू व्यवसाय में 13.38 करोड़ रुपए (29%) की कमी मुख्य रूप से सिक्कों और मेडेलियन की कारपोरेट संस्थागत बिक्री में कटौती, महत्वपूर्ण अधिकारियों की कमी, समाप्त किए हैं कानूनी मामलों आदि के कारण परिसमापन पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण हुई है।

ग. निर्यात संवर्धन एवं व्यापार विकास

कॉरपोरेशन ने विदेशी डिजाइनों एवं फैशन पर ज्ञान बढ़ाने के साथ ही साथ परम्परागत शिल्प और टैक्सटाइल क्लस्टरों से नए नमूनों के विकास की प्रदर्शित करने के लिए भारत और विदेशों में विभिन्न प्रदर्शनियों में भाग लिया। वर्ष के दौरान कॉरपोरेशन ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मेलों यथा 27वें इंडिया होम फर्निशिंग फेयर, 2016, जापान; 37वें

इंडिया गारमेन्ट फेयर 2016, जापान; नमस्ते स्टॉकहोम 2016, स्वीडन; हेमटेक्सटाइल फेयर 2017, जर्मनी और एम्बियेन्ट फेयर 2017, जर्मनी और मैसन एंड ऑब्जेक्ट 2017, फ्रांस में भाग लिया। घरेलू मेलों में प्रतिभागिता में आईएचजीएफ (पतझड़कालीन)–2016 (ग्रेटर नोएडा), आईएचजीएफ (बसन्त)–2017 (ग्रेटर नोएडा), दीवाली मेला 2016 (नोएडा काम्प्लैक्स) और इंडिया इंटरनेशनल हैंडवूवन फेयर–2017, चैन्नई, शामिल है।

घरेलू बाजार में अपनी उपस्थिति को मजबूत बनाने और घरेलू व्यवसाय को सुचारू बनाने के लिए एचएचईसी ने निम्नलिखित आक्रामक बाजार रणनीतियां आरंभ की है।

i. **अव्यवहार्य घरेलू खुदरा दुकानें बंद करना:** वर्ष 2016–17 के दौरान एचएचईसी ने वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य 5 खुदरा दुकानों को बंद किया है और घरेलू व्यवसाय को समेकित करने के लिए जनशक्ति और मालसूची को अन्य खुदरा दुकानों में भेजा है। बंद की गई दुकानें हैं– यूपी हैंडलूम शॉप, सेक्टर–21, 27 नोएडा, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी शॉप (एनएफसी), बुद्ध स्मृति शॉप–पटना, पटना म्यूजियम शॉप–पटना।

ii. वस्त्र और हस्तशिल्प को पर्यटन से जोड़ने के लिए कुतुबमीनार, लालकिला, नई दिल्ली, ताजमहल, आगरा एवं पुरानी पुर्तगाली चर्च, गोवा में दुकानें खोलने के लिए एएसआई के साथ बातचीत की जा रही है।

iii. **कारपोरेट संस्थागत बिक्री:** कॉरपोरेशन बड़ी संस्थाओं जैसे राष्ट्रपति भवन, उप राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद भवन, विदेश मंत्रालय, एलआईसी, एचएएल, एनटीपीसी, सेल, आईआरसीटीसी, ऑयल इंडिया, भेल आदि के साथ निजी क्षेत्र के अन्य कॉरपोरेशनों पर विशेष फोकस करते हुए निगम संस्थागत बिक्री पर विशिष्ट ध्यान केंद्रित कर रहा है। वर्ष के दौरान एचएचईसी इन प्रचालनों को और सशक्त बनाने की योजना बना रहा है।

iv. **ई–मार्किटिंग** : खरीदारी के आधुनिक तरीकों को ध्यान में रखते हुए कॉरपोरेशन ई–विपणन पर जोर देना जारी रखेगा इससे न केवल एचएचईसी की विजिविलिटी बढ़ेगी बल्कि शिल्पकारों एवं बुनकरों की रंगाई की कला/शिल्प के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा।

v. **सार्क संग्रहालय** : एचएचईसी ने परियोजना के विकास, इसके अनुरक्षण तथा प्रबंधन के लिए विदेश मंत्रालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तदनुसार, एचएचईसी ने सार्क संग्रहालय के निर्माण कार्यों तथा विकास के लिए डीटीटीडीसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सार्क संग्रहालय में सिविल कार्य पूरा हो गया है। सार्क संग्रहालय के लिए इंटीरियर का काम करने के लिए डीटीटीडीसी को कार्य आबंटन प्रक्रियाधीन है क्योंकि निष्पादन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुतिकरण दिए जाने के पश्चात इन्टीरियर के काम के लिए संशोधित अनुमानों को एमईए द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध सम्मेलन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 2016 में पांच सदस्य देशों जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्षों अथवा सरकार के प्रमुखों ने भाग लिया था। इसका आयोजन 15 से 16 अक्तूबर, 2016 को गोवा में किया गया था। एचएचईसी को सच्ची भावना के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए

दौरा करने वाले सभी राष्ट्राध्यक्षों को रेशम की जैकेट की डिजाइन और आपूर्ति करने का दायित्व सौंपा गया था। एचएचईसी ने विदेश मंत्रालय की संतुष्टि के अनुसार सौंपे गए कार्य को संतोषजनक ढंग से पूरा किया।

घ. मानव संसाधन विकास एवं औद्योगिक संबंध

- निगम अपने सभी स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए उचित महत्व देती है जिससे उनकी पूर्ण क्षमता को विकसित किया जा सके तथा जिन क्षेत्रों में उनमें कमी है उन क्षेत्रों में सुधार लाया जा सके तथा वे उत्तरदायित्व के अत्यधिक बोध से कार्य कर सकें। कर्मचारियों की पुनः तैनाती और प्रेरणा को भी इस दृष्टि से प्राथमिकता दी जाती है कि कर्मचारियों की आंतरिक शक्ति और गुणों का विकास किया जा सके।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सभी शाखाओं/इकाइयों में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहे। कोई भी कार्य–दिवस हड़ताल या तालाबंदी से बर्बाद नहीं हुआ। सभी कर्मचारियों ने नए जोश और उत्साह से कार्य किया।
- कंपनी के किसी भी कर्मचारी ने कंपनी (नियुक्ति एवं प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है।
- निगम, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के साथ–साथ विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का सख्ती से पालन करता है। एससी/एसटी/ओबीसी के पदों के आरक्षण के लिए विधिवत रोस्टर बनाया जाता है ताकि इस विषय में नियमों/अनुदेशों का कोई भी उल्लंघन न हो। समीक्षाधीन अवधि में एससी/एसटी/ओबीसी के लिए आरक्षित कोई भी पद अनारक्षित नहीं किया गया।
- निःशक्त व्यक्तियों की नियुक्ति (पीड्ब्ल्यूडी): 31.03.2017 के अनुसार, कुल 105 व्यक्ति कार्यरत थे जिनमें से छह कर्मचारी (1 अस्थि विकलांग समूह 'क' में, 2 दृष्टिबाधित विकलांग समूह 'ख' में, 1 श्रवणबाधित विकलांग और 1 अस्थि विकलांग समूह 'ग' में और 1 श्रवणबाधित विकलांग समूह 'घ') निशक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्त थे।

2.5.3 राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी)

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) लि., लखनऊ की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में भारत सरकार द्वारा फरवरी 1983 में की गई। एनएचडीसी लि. की प्राधिकृत पूँजी 2000 लाख रुपए है तथा इसकी प्रदत्त पूँजी रुपए 1900 लाख है। एनएचडीसी के प्रमुख उद्देश्य हैं:–

- हथकरघा क्षेत्र के लाभ के लिए यार्न की सभी प्रकार की सप्लाई के व्यवसाय को चलाना।
- हथकरघा क्षेत्र के लिए आवश्यक गुणवत्ता रंगों तथा संबंधित सामग्री की आपूर्ति आयोजित करना।
- हथकरघा फैब्रिक को बाजार उपलब्ध कराना।
- आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, हथकरघा क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी सहित हथकरघा फैब्रिक के उत्पादन के साथ जुड़ी हुई परियोजनाओं को सहयोग, सहायता तथा अभिपूर्ति।

क. **उक्त उद्देश्यों के अनुसरण में एनएचडीसी निम्नांकित कार्यों को कर रहा है:–**

यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस) भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है जिसके अधीन एनएचडीसी द्वारा मिल गेट की दरों पर संपूर्ण भारत के पात्र हथकरघा बुनकरों को समस्त प्रकार की यार्न की आपूर्ति की जाती है। वाईएसएस के अधीन 5 वर्षों में आपूर्ति किए गए यार्न का विवरण निम्न है:

वर्ष	यार्न की आपूर्ति	
	मात्रा (लाख किग्रा. में)	मूल्य (रु. करोड़ में)
2012-13	1070.78	1318.56
2013-14	1262.09	1788.46
2014-15	1484.300	2160.77
2015-16	1725.00	2356.86
2016-17	1799.15	2941.95
2017-18 (दिसम्बर 2017 तक)	931.47	1514.25

वाईएसएस के अंतर्गत भाड़े की प्रतिपूर्ति की जाती है और डिपो प्रचालन एजेंसियों को 2% की दर से डिपो प्रचालन खर्चे दिए जाते हैं। वर्तमान में सारे भारत में ऐसे 932 यार्न डिपो कार्यरत हैं। एनएचडीसी हथकरघा क्षेत्र को प्रतियोगी/न्यून दरों पर गुणवत्ता रंग और रसायन की आपूर्ति भी करता है। 5 वर्षों में की गई आपूर्ति का विवरण निम्न है:–

वर्ष	रंग एवं रसायन	
	मात्रा (लाख किग्रा. में)	मूल्य (रु. करोड़ में)
2012-13	27.62	20.90
2013-14	36.31	35.69
2014-15	36.90	49.48
2015-16	37.46	44.84
2016-17	45.82	45.97
2017-18 (दिसंबर 2017 तक)	28.89	27.02

इस योजना के अंतर्गत नकद आधार पर प्रयोक्ताओं को समय पर आपूर्ति सुनिश्चित रखने के लिए एनएचडीसी ने सीतापुर एवं मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश), गुवाहाटी (असम), समुंद्रगढ़ (पश्चिम बंगाल), कन्नूर (केरल), चिराला एवं करीमनगर (आंध्र प्रदेश), अगरतला (त्रिपुरा), भुवनेश्वर (ओडिशा) एवं रांची/गोड्डा (झारखंड) में 10 गोदाम खोले हैं।

ख. हथकरघा फैब्रिक के बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए कॉरपोरेशन, सिल्क फैब्स एवं वूल फैब्स और राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो जैसी विशेष प्रदर्शनियाँ आयोजित करता है। भारत सरकार इन प्रदर्शनियों में निगम द्वारा खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति करता है। विगत 4 वर्षों के दौरान प्रदर्शनियों की संख्या, भागीदार एजेंसियाँ तथा इन प्रदर्शिनयों में की गई कुल बिक्री का ब्यौरा नीचे दिया गया है : –

वर्ष	कार्यक्रमों की सं.	स्टॉलों की सं.	कुल बिक्री (रुपये करोड़ में)
2012-13	19	1834	84.25
2013-14	23	2168	101.00
2014-15	24	1742	89.00
2015-16	23	1802	92.37
2016-17	25	1716	88.99

ग. एनएचडीसी, बुनकरों को नवीनतम रंगाई तकनीकों के विषय में शिक्षित करने के लिए तथा हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए एवं बुनकरों की जानकारी के लिए भारत सरकार की जारी योजनाओं के विषय में भी निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित करता है:–

- क्रेता–विक्रेता बैठकें
- एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यक्रम।
- विभिन्न प्रकार के यार्न प्रयोग करते हुए नए उत्पादों के विकास पर कार्यक्रम।

विगत 4 वर्षों के दौरान एनएचडीसी का कुल कारोबार, जारी किया गया लाभांश, रेटिंग इत्यादि का विवरण नीचे दिया गया है:–

(लाख रुपये में)

वर्ष	कुल बिक्री	निवल लाभ	लाभांश	एमओयू रेटिंग
2012-13	137546.57	697.39	141.00	उत्कृष्ट
2013-14	184003.11	1203.28	241.00	उत्कृष्ट
2014-15	221696.49	2540.00	511.00	उत्कृष्ट
2015-16	240604.43	2407.92	731.00	उत्कृष्ट
2016-17	299351.79	2888.16	870.00	बहुत अच्छी (अनं.)

2.5.4 भारतीय कपास निगम (सीसीआई)

सीसीआई, भारत सरकार द्वारा 1970 में कपास विपणन के क्षेत्र में एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन के रूप में स्थापित की गई थी। अपनी शुरूआत से निगम निजी कपास व्यापारियों और अन्य संस्थागत खरीदार क्रेताओं से प्रतिस्पर्धा में चल रहा है। इसकी बाजार हिस्सेदारी एमएसपी अभियानों के अंतर्गत कुछ वर्षों को छोड़कर जब यह 31 प्रतिशत तक चली गई, 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत है।

बदलते कपास परिदृश्य के साथ निगम की भूमिका और कार्यों की समीक्षा की गई थी और समय–समय पर संशोधित की गई। 1985 में मंत्रालय से प्राप्त हुए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार सीसीआई मूल्य समर्थन अभियान चलाने के लिए सरकार की एकमात्र एजेंसी है, जब कभी कपास का मूल्य (बीज कपास) न्यूनतम समर्थन स्तर पर पहुंचता है। हालांकि, मूल्य समर्थन अभियानों की अनुपस्थिति में निगम एनटीसी मिल, राज्य वस्त्र निगमों की इकाई मिलों, सहकारी कताई मिलों और निजी मिलों को

कपास की आपूर्ति के लिए वाणिज्यिक अभियान चलाती है। इसके अतिरिक्त, निर्यात प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए कपास की खरीद भी करती है। निगम को सौंपे गए कार्य संक्षिप्त में निम्नानुसार है:

- जब कपास का बाजार मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन कीमत को छू जाए तब बिना किसी मात्रात्मक सीमा के कीमत समर्थन कार्यों को आरंभ करना।
- सीसीआई के अपने जोखिम पर केवल वाणिज्यिक कार्यों को प्रारंभ करना तथा
- निर्यात प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए कपास की खरीद करना।

सीसीआई की उपरोक्त भूमिका वर्ष 2000 की नई वस्त्र नीति के अधीन जारी रही। तथापि, पूर्व उल्लिखित कार्य संगत नहीं हैं क्योंकि कपास का निर्यात अब मुक्त है और सरकार कोई कोटा जारी नहीं करती है। फिर भी, सीसीआई अब भी मंत्रालय के साथ समझौता–ज्ञापन के अंतर्गत अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में प्रवृत्तियों को देखते हुए कपास का निर्यात करता है।

वित्तीय परिणाम

- वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान सीसीआई ने पिछले वर्ष के 17066.97 करोड़ रुपए के कुल कारोबार की तुलना में 1962.96 करोड़ रुपए का कारोबार किया।
- वित्तीय वर्ष 2015–16 और 2016–17 के दौरान वित्तीय परिणामों की विशेषताएं निम्नलिखित थी:

	वित्तीय वर्ष	
विवरण	**2016-17**	**2015-16**
घरेलू बिक्री (लाख गांठ में)	9.44	85.47
निर्यात बिक्री (लाख गांठ में)	-	0.67
कारोबार (करोड़ रुपए में)	1962.96	17066.97
कर पश्चात लाभ / (हानि) (करोड़ रुपए में)	7.44	11.69

- सीसीआई की अल्प कालीन ऋण की रेटिंग केयर ए1+(एसओ)[केयर ए1 प्लस], (संरचनात्मक दायित्व) अर्थात 25000 करोड़ रुपए की अल्प कालीन बैंक उधार के लिए इस श्रेणी में सौंपा गया उच्चतम क्रेडिट रेटिंग है जो अल्प कालीन ऋण दायित्व के समय से भुगतान के लिए सशक्त क्षमता को प्रदर्शित करता है और न्यूनतम ऋण जोखिम रखता है।
- लाभांश: सीसीआई ने वित्तीय 2016–17 के दौरान कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी का 30 प्रतिशत अर्थात 2.25 करोड़ रुपए के लाभांश की अनुशंसा की है।

2.5.5 सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (सीसीआईसी), नई दिल्ली

सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज एम्पोरियम की स्थापना वर्ष 1952 में दिल्ली में इण्डियन कोआपरेटिव यूनियन की प्रबंधकारिणी के

अधीन किया गया। बाद में 1964 में सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा अधिकार में ले लिया गया तथा 4 फरवरी, 1976 को सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (सीसीआईसी) के रूप में निगमित किया गया। सीसीआईसी, वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

सीसीआईसी का प्रमुख उद्देश्य गुणवत्ता भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा वस्तुओं का डीलर, निर्यातक, विनिर्माता तथा एजेंट होना है और भारत तथा विदेशों में इन उत्पादों के लिए बाजार विकसित करना है। कॉरपोरेशन के दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, बंगलौर, चैन्नई तथा हैदराबाद में शोरूम हैं।

पूँजी

कॉरपोरेशन की प्राधिकृत पूँजी 1200 लाख रुपए तथा प्रदत्त पूँजी 1085 लाख रुपए है ।

कार्यशील परिणाम

(क) कारोबार

निगम का कारोबार पूर्व वर्ष अर्थात 2015–16 में 8,592.44 लाख रुपए के मुकाबले वर्ष 2016–17 में 8763.48 लाख रुपए था।

(ख) निर्यात

वर्ष 2015–16 के दौरान निगम का कुल निर्यात पिछले वर्ष में 288.20 लाख रुपए की तुलना में 341.45 लाख रुपए था।

(ग) लाभप्रदता

वर्ष 2016–17 के दौरान सकल आय पूर्व वर्ष के 4551.13 लाख रुपए से बढ़कर 4583.46 लाख रुपए हो गई। निगम का उपरिव्यय पूर्व वर्ष में 4452.27 लाख रुपए से बढ़कर चालू वर्ष में 4623.82 लाख रुपए हो गया है। चालू वर्ष, पिछले वर्ष के 93.50 लाख रुपए के तदनुरूपी लाभ की तुलना में 13.87 लाख रुपए के कर पूर्व लाभ के साथ समाप्त हुआ।

सांख्यिकी

पिछले तीन वर्षों के कार्यशील परिणामों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित में दिया गया है:–

(लाख रुपये में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 के लिए लक्ष्य
कारोबार	8185.64	8284.09	8592.44	8763.48	9500.00
कर पूर्व निवल लाभ (+)/हानि (–)	36.63	166.97	93.50	13.87	100.00
कर पश्चात निवल लाभ (+)/हानि (–)	12.85	93.31	21.10	8.32	66.00
लाभांश	2.57	18.67	8.68	2.50	12.45

डिजाइनों का विकास/प्रदर्शनियाँ

सीसीआईसी निरंतर नए डिजाइन विकसित करने का प्रयास करता है। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान 655 नई डिजाइनें विकसित की गई। ऑनलाइन बिक्री सहित बिक्री में वृद्धि करने के लिए वर्ष के दौरान विशेष पहले की गई थी। वर्ष 2016–17 के दौरान सीसीआईसी की वेबसाइट पर 526 अतिरिक्त उत्पाद प्रदर्शित किए गए। वित्त वर्ष

2016–17 के दौरान 34 नए कारपोरेट ग्राहक भी जोड़े गए जिन्हें वर्ष के दौरान एक लाख रुपए और उससे अधिक की बिक्री हुई।

वर्ष 2016–17 के दौरान सीसीआईसी ने 65 इन–हाउस थीम आधारित प्रदर्शनियों तथा सीसीआईसी इम्पोरियम से बाहर प्रदर्शनियों का आयोजन किया जिनमें निगम के संरक्षण का विस्तार करने के लिए निगम द्वारा नवनिर्मित उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। सीसीआईसी ने हांगकांग, इटली, मलेशिया और जर्मनी में विकास आयुक्त (हथकरघा)/विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा प्रायोजित 4 (चार) विदेशी मेलों में भी भाग लिया।

शो–रूमों के माध्यम से बिक्री करने के लिए विशिष्ट नए डिजाइनों तथा नए उत्पादों को विकसित करने की दृष्टि से सीसीआईसी ने वर्ष के दौरान विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय से वित्तीय सहायता लेकर धातु शिल्प, काष्ठ कला, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, चम्बा रूमाल, केन क्राफ्ट, ज्वैलरी आदि क्षेत्रों में तकनीकी डिजाइन विकास कार्यशालाओं का आयोजन किया।

चोलापुर और रामनगर, वाराणसी में दो सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) की स्थापना

सीसीआईसी ने बुनकरों के लाभ के लिए जनवरी 2015 में चोलापुर और रामनगर, वाराणसी में दो सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) की स्थापना की है।

31 मार्च, 2017 तक सीसीआईसी ने चोलापुर और रामनगर में इसके द्वारा संचालित सीएफसी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के संबंध में 2014 बुनकरों को सूचना और सेवाएं प्रदान की। इसके अलावा सीसीआईसी ने वाराणसी में सीएफसी से संबद्ध 264 बुनकरों को कार्य सौंपा और सीसीआईसी एम्पोरिया के माध्यम से विपणन के लिए साडियों, ड्रेस मैटेरियल और दुपट्टा जैसे हथकरघा उत्पादों के लिए 389.41 लाख रुपए मूल्य का ऑर्डर किया।

उपर्युक्त सीएफसी में रिचार्ज सर्विसेज, पासपोर्ट पंजीकरण सेवा, बैंकिंग सेवा, ट्रेवलिंग एवं टिकेटिंग, पैन–कार्ड, आधार कार्ड सेवा आदि जैसी विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए सीएससी ई–गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लि. के माध्यम से दो सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) भी स्थापित किए गए हैं।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्य और उपलब्धियां :–

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) आदेश, 2012 (दिनांक 23 मार्च, 2012) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसरण में निगम ने अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 4% सहित एमएसई से न्यूनतम 20: सामानों और सेवाओं की अपनी खरीद करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया था।

वर्ष 2016–17 के दौरान सीसीआईसी ने एससी/एसटी उद्यमियों सहित एमएसई द्वारा उत्पादित सामानों और प्रदान की गई सेवाओं की सीसीआईसी द्वारा की गई वार्षिक खरीद की कुल कीमत का 34.90% की खरीद की। एमएसई से खरीद में वृद्धि किए जाने के प्रयास जारी हैं।

ऑन–लाइन शॉपिंग :–

सीसीआईसी की अपने मूल्यवान ग्राहकों के लिए www.thecottage.in ऑनलाइन शॉपिंग वैबसाइट है। यह वैबसाइट ऑनलाइन शॉपिंग के लिए विवरण सहित 1000 हस्तशिल्प तथा हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करती है। उत्पादों की खरीद सुरक्षित भुगतान द्वारा क्रेडिट कार्ड से की जा सकती है जो बैंक द्वारा प्रमाणित होती है। खरीदा गया सामान विश्व के समस्त देशों में जहाज से भेजा जा सकता है। इसकी विभिन्न सरकारी वैबसाइटों, अतुल्य भारत आदि से आदेश ट्रेकिंग प्रणाली और लिंक है।

सीसीआईसी में डिजीटल पहल

- सीसीआईसी के इम्पोरिया सात शहरों (14 शोरूम) में हैं। सभी शोरूम और कार्यालय एमपीएलएस नेटवर्क से आपस में जुड़े हुए हैं।
- खरीद, बिक्री, माल सूची, उपभोक्त संबंध प्रबंधन आदि के प्रबंधन के लिए एलएस खुदरा के साथ एक ईआरपी सैल्यूशन, माइक्रो सॉफ्ट नेवीजन 2009 आर2 क्रियान्वित किया गया है।
- सभी शाखाओं में जीएसटी के अनुपालनों के अनुसार ईआरपी सैल्यूशन का अनुकूलन किया गया है।
- इसके इम्पोरियम में क्रेडिट/डेविट कार्ड/यूपीआई/भीम एप, यूएसएसडी, ई–वैलेट, आरटीजीएस/एनईएफटी और चेक के माध्यम से भुगतान स्वीकार किया जाता है (76% पावतियां ई–साधन के माध्यम से)।
- सीसीआईसी ने एन्ड्रॉयड और एपल प्लेटफार्म के लिए मोबाइल एप क्रियान्वित किया है।
- बुनकरों, शिल्पियों और अन्य क्रेताओं को सभी भुगतान ईसीएस/एनईएफटी के माध्यम से किए जाते हैं (98.63% भुगतान ई–साधन के माध्यम से)।
- नकदी रहित, विशेष रूप से भीम एप का प्रयोग करके भुगतान करने के लिए अपने उपभोक्ताओं और आम जनता को शिक्षित करने के लिए सीसीआईसी ने 151 शिविर लगाए और 80000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- सीसीआईसी ने ई–टेंडरिंग के लिए ई–प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट के लिए और विक्रेता, पीएफएमएस के लिए जीईएम (अनुदान प्राप्त करने के लिए) और आरटीआई का काम संभालने के लिए ऑनलाइन आरटीआई प्रणाली जैसी ई–गवर्नेंस सुविधाओं को क्रियान्वित किया है।

2.5.6 ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि. (बीआईसी)

ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि. (बीआईसी) को 24 फरवरी, 1920 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया। भारत सरकार द्वारा इसे 11 जून, 1981 में ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि. (शेयरों का अधिग्रहण) अधिनियम के अंतर्गत अधिकार में लिया गया। बीआईसी लिमिटेड, कानपुर के पास दो ऊनी मिलों का स्वामित्व तथा उनका प्रबंधन कार्य है (1) कानपुर वूलन मिल्स शाखा, कानपुर (2) न्यू एजर्टन वूलन मिल्स शाखा, धारीवाल जो वर्ष 2013 से काम नहीं कर रही हैं। इन दो मिलों के उत्पादों को क्रमशः 'लाल इमली' तथा 'धारीवाल' के ब्रांड नामों से जाना जाता है। ये इकाइयाँ ऊनी/ब्लेंडेड सूटिंग, ट्वीड, वरदी का कपड़ा, लोही, शॉलों गलीचों, कम्बलों आदि का निर्माण करती थीं।

बीआईसी लिमिटेड का आधुनिकीकरण/पुनर्वासन

वित्तीय परिस्थितियों के आधार पर बी.आई.सी. लिमिटेड को 1992 में बीआईएफआर को सौंप दिया गया और एक रूग्ण कंपनी घोषित कर दिया गया। वर्ष 2002 में बीआईएफआर ने कुल 211 करोड़ रुपए की लागत से एक पुनर्वास योजना अनुमोदित की। योजना को समग्रतः लागू नहीं किया जा सका। वर्ष 2010 में ब्यूरो फॉर रिकंस्ट्रक्सन ऑफ पब्लिक सेक्टर एन्टरप्राइजेज (बीआरपीएसई) की संस्तुति के आधार पर वर्ष 2011 में 338 करोड़ रुपए की संशोधित योजना मंजूर की गई। एक संशोधित पुनर्वास योजना का मसौदा (एमडीआरएस) तैयार किया गया और बीआईएफआर के सम्मुख प्रस्तुत किया गया तथा 14.02.2008 को हुई इसकी सुनवाई में 273.28 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी प्राप्त हुई

जिसमें से 157.35 करोड़ रुपए की सरकारी बजट सहायता तथा अधिशेष भूमि की बिक्री से प्राप्त की जानी थी। बीआरपीएसई ने दिनांक 28.07.2010/18.12.2010 को हुई अपनी बैठक में 338.04 करोड़ रू. की एक और संशोधित योजना की संस्तुति की। संशोधित योजना को कैबिनेट, भारत सरकार ने 9.6.2011 को हुई अपनी बैठक में 'सिद्धांत रूप में' इस शर्त पर अनुमोदित कर दिया था कि पहले उत्तर प्रदेश सरकार से अधिशेष भूमि की बिक्री की अनुमति प्राप्त कर ली जाए ।

विचारार्थ वित्तीय साधन निम्नवत हैं : –

(रुपए करोड़ में)

भारत सरकार वीआरएस से अनुदान	17.10
प्रचालन हानियाँ	
9/10, 10/11 अनुदान	66.99
भूमि की बिक्री से ब्याज मुक्त ऋण	128.66
वेतन के लिए (2 वर्ष) भारत सरकार से कम ब्याज पर ऋण	78.00
परिवर्तन प्रभार भुगतान हेतु भारत सरकार से ब्याज मुक्त ऋण	47.35
योजना की लागत	338.04

योजना का कार्यान्वयन अभी प्रारंभ होना है क्योंकि अधिशेष भूमि की बिक्री के लिए आवश्यक मंजूरी अभी उत्तर प्रदेश सरकार से ली जानी है। मामले की जांच की जा रही है।

क. बीआईसी लिमिटेड की सहायक कंपनियां

i. एल्गिन मिल्स कंपनी लिमिटेड, कानपुर

एल्गिन मिल्स कंपनी लि. वर्ष 1864 में स्थापित की गई थी और यह वर्ष 1911 में दो इकाइयों, एल्गिन नं.1 और एल्गिन नं.2 को मिलाकर पंजीकृत की गई थी। एक अध्यादेश नामतः ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि. (शेयरों का अधिग्रहण) अधिनियम 1981 द्वारा भारत सरकार ने बीआईसी लि. के सभी शेयरों का अधिग्रहण किया और इस प्रकार यह 11 जून, 1981 को एक सरकारी कंपनी बनी। एल्गिन मिल्स कंपनी ने सरकारी कंपनी का दर्जा प्राप्त किया। कंपनी को सिविल बाजार के लिए सूती और मिश्रित फैब्रिकों तथा रक्षा, अर्द्धसैनिक बलों, सरकारी और अन्य संस्थानों के लिए तौलिए, चादरें, सूटिंग एवं सर्टिंग्स, ड्रिल, सैल्यूलर आदि के उत्पादन का कार्य सौंपा गया था।

कंपनी द्वारा लगातार घाटा उठाए जाने के कारण इसे एसआईसीए के उपबंधों के अंतर्गत बीआईएफआर को सौंपा गया था और रुग्ण घोषित किया गया था। बीआईएफआर ने 1994 में कंपनी को बंद करने की सिफारिश की। एएआईएफआर ने 1997 में उक्त आदेश की पुष्टि की और तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने 1999 में इसे बंद करने का आदेश पारित किया तथा सरकारी परिसमापक की नियुक्ति की। भारत सरकार ने जून, 2001 में स्वैच्छिक पृथककरण योजना (वीएसएस) कार्यान्वित की। कंपनी ने प्रतिभूति वाले ऋणदाताओं के बकायों का भुगतान कर दिया है। तथापि कंपनी की अधिकांश परिसंपत्तियां, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा नियुक्त सरकारी परिसमापक के पास हैं।

मैसर्स एल्गिन मिल्स फिलहाल बंद किए जाने के लिए प्रतिभूति ऋणदाताओं द्वारा दायर अदालती मामले का सामना कर रही है और आईएफसीआई से एकमुश्त समाधान के अंतर्गत बकाए की स्वीकृति के लिए अपनी पेशकश के नवीकरण का अनुरोध किया है। कंपनी, माननीय न्यायालय के

समक्ष कोटक महिन्द्रा बैंक द्वारा 'नोड्यूज प्रमाणपत्र' जारी किए जाने के अदालती मामले का सामना कर रही है। पिछली सुनवाई में अन्य बातों के साथ–साथ माननीय न्यायालय ने प्रतिभूति ऋणदाताओं के बकाए का निपटारा करने के लिए एल्गिन मिल की फ्री होल्ड संपत्ति की बिक्री करने के लिए सरकारी परिसमापक द्वारा जारी विज्ञापन को रद्द कर दिया था। उक्त समग्र संपत्ति को खाली करवाने और तीन महीने की अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सरकारी परिसमापक को जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर से संपर्क करने का भी निदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एल्गिन मिल्स कंपनी लि. पर आईएफसीआई के देयों का निपटान उनके साथ एकमुश्त निपटान, के माध्यम से आईएफसीआई को 26.10.2016 को 9.29 करोड़ रूपए का भुगतान करके कर लिया गया है।

ii. कानपुर टेक्सटाइल्स लिमिटेड, कानपुर

कानपुर टेक्सटाइल्स लि., बीआईसी लि. की एक सहायक कंपनी है और इसे वर्ष 1920 में निगमित किया गया था। कंपनी, घरेलू सिविल बाजार और रक्षा, अर्द्धसैनिक बलों, सरकारी और अन्य संस्थाओं के लिए फैब्रिक और यार्न का उत्पादन कर रही थी।

निरंतर नुकसान और कंपनी के निवल मूल्य कम/नकारात्मक होने के कारण कंपनी को एसआईसीए के उपबंधों के अंतर्गत बीआईएफआर को सौंपा गया था और 1992 में कंपनी को रुग्ण घोषित किया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1999 में इसे बंद करने का आदेश पारित किया तथा सरकारी परिसमापक की नियुक्ति की। भारत सरकार ने 2001 में स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वीएसएस) कार्यान्वित की। प्रतिभूति ऋणदाताओं ने माननीय उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया और कानपुर टेक्सटाइल लि. की मिल और आवासीय परिसरों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। सभी प्रतिभूति ऋणदाताओं को ओटीएस के अनुसार भुगतान किया गया और कंपनी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कंपनी को परिसमापन के बाहर लाने के लिए अनुमति मांगी है।

2.5.7 भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) लि., कोलकाता

भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) 1971 में स्थापित भारत सरकार का एक उद्यम है। जेसीआई वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) की सरकारी एजेंसी है जो पटसन उत्पादकों के लिए एमएसपी नीति के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है और कच्चे पटसन बाजार में एक स्थिरकर्ता एजेंसी के रूप में कार्य करता है। जेसीआई वाणिज्यिक प्रचालन भी करता है, जैसे लाभ के सृजन के लिए वाणिज्यिक प्रतिफल पर एमएसपी से ऊपर मूल्य पर पटसन की खरीद करना। जेसीआई के मूल्य समर्थन अभियानों में जब भी पटसन का प्रचलित बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे जाता है जो किसी मात्रात्मक सीमा के बिना छोटे और सीमांत किसानों से एमएसपी कर कच्चा पटसन खरीदना शामिल है। ये अभियान, कच्चे पटसन के मूल्य में अंतर–मौसमी और अंतरा–मौसमी उतार–चढ़ाव को रोकने के उद्देश्य से अत्यधिक आपूर्ति करके बाजार में एक नोशनल बफर के सृजन मे सहायता करते हैं। जेसीआई के विभागीय क्रय केन्द्र (डीपीसी), जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति हैं, किसानों से पटसन सीधे खरीदते हैं।

पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और त्रिपुरा आदि राज्यों में जेसीआई के लगभग 141 डीपीसी हैं।

31.3.2016 की स्थिति के अनुसार निगम की प्राधिकृत और प्रदत्त पूंजी 5 करोड़ रूपए और निवल मूल्य 107.73 करोड़ रुपए है। भारत सरकार द्वारा संपूर्ण प्राधिकृत पूंजी को अभिदत्त किया गया है ।

मिशन / विजन

भारत सरकार की मूल्य समर्थन एजेंसी के रूप में कार्य करना और पटसन उत्पादकों को कच्चे पटसन का लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अभियान चलाना तथा घरेलू व्यापार में इसके बाजार हिस्से को धीरे–धीरे बढ़ाना।

मुख्य कार्य

i. जब भी कच्चे पटसन का मूल्य भारत सरकार द्वारा नियत न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर को छूता है तो बिना किसी मात्रात्मक सीमा के सरकार की ओर से समर्थन मूल्य अभियान चलाना।

ii. जब भी आवश्यकता हो अन्य प्रयोजन के लिए एनजेएमसी की पटसन मिलों के लिए वाणिज्यिक कार्य शुरू करना।

iii. एनजेबी की सब्सिडी योजना के तहत पटसन के प्रमाणित पटसन बीजों का वितरण करना और किसानों को प्रमाणित पटसन के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से धीरे–धीरे मात्रा को बढ़ाना।

iv. अन्य विस्तारित गतिविधियों को संचालित करना जैसे कि पटसन उत्पादकों के लाभ जेटीएम एमएम–।।। और एनजेबी योजनाओं के तहत केन्द्रों के आवंटन द्वारा नई रैटिंग तकनीकी का प्रदर्शन करना और दैनिक बाजार दर को प्रदर्शित करना।

v. मिनी मिशन–।।। के लिए कार्यान्वयन एजेंसी की भूमिका निभाना और मिनी मिशन–IV तथा पटसन प्रौद्योगिकी मिशन के अन्य मिनी मिशन की गतिविधियों के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना।

vi. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत स्कीमों की योजना बनाना और उनको कार्यान्वित करना।

भारतीय पटसन निगम लि. के कार्य निष्पादन को निम्नवत स्पष्ट किया गया है:

विवरण मात्रात्मक (गांठों / लाख में)	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	अनुमानित (एमओयू के अनुसार) 2016–17
कच्चे पटसन की खरीद	3.63	1.90	0.57	0.05	2.25
कच्चे पटसन की बिक्री	2.40	2.60	1.46	0.20	0.71
अंत शेष माल	1.75	1.07	0.17	0.02	1.57
वित्तीय (रुपए लाख में)					
कच्चे पटसन की बिक्री	11135.58	12331.00	8027.07	1506.45	5097.70
पटसन बीज की बिक्री	132.65	227.13	895.44	627.55	1214.17

2.5.8 राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लि. (एनजेएमसी), कोलकाता

राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लि. को निम्नलिखित 6 (छह) पटसन मिलों अर्थात पश्चिम बंगाल में नेशनल, किन्नीसन, खरदाह, एलेक्जेंडर, यूनियन और कटिहार, बिहार में आरबीएचएम इकाई को शामिल करते हुए भारत सरकार को पूर्ण स्वामित्व वाले एक उपक्रम के रूप में 3 जून, 1980 को पंजीकृत और/या निगमित किया गया था। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य सरकार की खाद्य प्रसंस्करण एजेंसियों को आपूर्ति के लिए पटसन की वस्तुओं (बोरों) के विनिर्माण का व्यवसाय करना है। इसके प्रारंभ से निरंतर हानि और निवल मूल्य के गिरावट के कारण 1992 में कम्पनी को बीआईएफआर को संदर्भित किया गया था। तथापि, वस्त्र मंत्रालय के हस्तक्षेप से 19 मार्च, 2010 और 25 नवम्बर, 2010 के मंत्रिमंडल के निर्णय को ध्यान में रखते हुए छह पटसन मिलों में से एनजेएमसी द्वारा अपनी तीन मिलों (पश्चिम बंगाल में किन्नीसन, खरदाह और कटिहार, बिहार में इकाई : आरबीएचएम) को चलाने के लिए बीआईएफआर ने 31.3.2011 को हुई अपनी बैठक में कम्पनी के पुनरूद्धार प्रस्ताव को अंततः मंजूरी दे दी। इन मिलों के प्रचालन को वर्ष 2003–04 में रोक दिया गया था और सभी कामगारों और कर्मचारियों को इस वर्ष से पूर्व स्वीकृत योजना के अनुसार वीआरएस दे दिया गया था। ठेके के श्रमिकों की नियुक्ति के द्वारा वर्ष के दौरान उत्पादन शुरू करने के लिए एचटी विद्युत लाइनों को बहाल करने, कारखाने के शेड, भण्डार, कार्यालय की मरम्मत और संयंत्र और मशीनरी तथा अन्य अवसंरचना की मरम्मत और नवीकरण के लिए पूरे प्रयास किए गए। यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि वर्ष के दौरान उपर्युक्त तीनों मिलों में नियमित उत्पादन शुरू हो गया है।

स्थान के साथ मिल	कुल भूमि (एकड़)	स्थिति
नेशनल– संक्रील, हावड़ा	63.34	बंद
अलेक्जेन्ड्रा–जगदल, नॉर्थ 24–परगना	52.68	बंद
यूनियन–सियालदह, कोलकाता	14.13	बंद
खारदाह–टीटागढ़, नॉर्थ 24–परगना	86.56, बिक्री योग्य–23.62	कार्य रोक दिया गया है
किन्नीसन– टीटागढ़, नॉर्थ 24–परगना	52.63 बिक्री योग्य–2.43	कार्य रोक दिया गया है
आरबीएचएम–कटिहार, बिहार	55.05, बिक्री योग्य–30.35	कार्य रोक दिया गया है

एनजेएमसी को वर्ष 1993 में रूग्ण कंपनी घोषित कर दिया गया था और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को संदर्भित कर दिया गया था। बीआईएफआर ने वर्ष 1993 के मामला संख्या 506 के अंतर्गत रूग्ण पीएसयू के पुनरुद्धार के लिए दिनांक 05.01.2011 को एक योजना बनाई थी और दिनांक 31.03.2011 को एनजेएमसी की पुनरुद्धार योजना को स्वीकृति प्रदान की थी। इस योजना को आईडीबीआई द्वारा तैयार किया गया थाए बीआरपीएसई द्वारा स्वीकृत किया गया थाए भारत सरकार (सीसीईए) द्वारा मंजूर किया गया था और अंततः बीआईएफआर

द्वारा अनुमोदित किया गया था।

क. राष्ट्रीय पटसन पुनर्निर्माण निगम (एनजेएमसी) के अंतर्गत पटसन मिलों का पुनरुद्धार

परिकल्पित पुनरुद्धार योजना निम्नलिखित हैं:

(i) सीसीईए द्वारा अनुमोदित वित्तीय पुनर्निर्माण

(ii) एनजेएमसी के द्वारा ही प्रचालन करके तीन मिलों अर्थात पश्चिम बंगाल में खारदाह, किन्नीसन और बिहार में आरबीएचएम का पुनरुद्धार

(iii) शेष तीन मिलों अर्थात एलेक्जेंड्रा, नेशनल और यूनियन को बंद करना

(iv) सभी प्रतिभूत, गैर–प्रतिभूत ऋणों और सांविधिक बकायों का परिसमापन

(v) सभी कर्मचारियों को वीआरएस का भुगतान

(vi) दबाव डालने वाले ऋणदाताओं को भुगतान

(vii) अधिशेष भूमि और अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री

(viii) विभिन्न संस्थाओं/प्राधिकरणों से राहत और रियायत

(ix) भारत सरकार से ब्याज मुक्त ऋण

इसमें शामिल मसलों, विशेष रूप से कर्मचारियों को वीआरएस और मिलों के आधुनिकीकरण के लिए पूंजी व्यय के आकार पर विचार करते हुए क्रियान्वयन की अवधि वर्ष 2010–11 से आरंभ करके 2018–19 तक 9 वर्ष रखने का निर्णय लिया गया। तदनुसार कंपनी का प्रचालन मौजूदा डी–रेटेड क्षमता पर 20% क्षमता उपयोग के साथ वर्ष 2010–11 तक अनुमानित किया गया था और आधुनिकीकरण कार्यक्रम के माध्यम से नए संयंत्र और मशीनरी की स्थापना करके इसे धीरे–धीरे बढ़ाते हुए 2017–18 में 80% तक पहुंचाने का अनुमान लगाया गया था। मार्च, 2011 में इस योजना के अनुमोदन के परिणामस्वरूप कुछ महत्वपूर्ण मौजूदा मशीनों और कारखाने के भवन की मरम्मत और नवीनीकरण के पश्चात उत्पादन आरंभ करते हुए तीन पुनरुद्धार मिलों को पुनः शुरू करके इस योजना का क्रियान्वयन तत्काल आरंभ कर दिया गया था। वास्तविक उपयोग के साथ–साथ अनुमोदित योजना की लागत दिनांक 31.03.2016 तक नीचे दी गई है।

(करोड़ रुपये में)

मदें	अनुमोदित लागत	वास्तविक व्यय	उपयोग किया जाना है
वीआरएस	645.07	646.43	(1.36)
सांविधिक एवं अन्य बकाया	229.86	228.21	1.65
विविध ऋणदाता	92.20	84.44	7.76
नकद हानि	141.45	151.36	(9.91)
आरएंडएम सहित पूंजी व्यय डब्ल्यूसी	215.70	112.03	103.67
राज्य सरकार का बकाया	64.81	53.09	11.72
वर्ष 2006–07 से 2009–10 तक मजदूरी एवं प्रशासनिक व्यय	173.89	173.89	----
कुल	1562.98	1449.45	113.53

स्रोतः समकालीन ऑडिट रिपोर्ट 31.03.2016 तक

ख. वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक एनजेएमसी के कार्य निष्पादन की प्रवृत्तिः

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
	लाख रुपए में	लाख रुपए में	लाख रुपए में	लाख रुपए में	लाख रुपए में
आय					
प्रचालन से (I)	1,575.88	4,972.84	5,812.33	5,769.86	4,298.83
अन्य आय (II)	1,642.24	1,766.68	1,798.12	2,035.23	2,257.35
कुल राजस्व (I+II)	3,218.12	6,739.52	7,610.45	5,805.09	6,556.18
कुल व्यय	7,039.02	8,339.77	8,260.79	5,853.73	5,825.04
कुल;हानि) / लाभ(+)	-3,820.90	-1,600.25	-655.08	-48.64	731.14

संभावित क्रेताओं को शहरी भूमि परिवर्तन अधिनियम (यूएलसीए) और भूमि के बेहतर मूल्य के लिए भूमि के कन्वर्जन की छूट के साथ बिक्री की अनुमति प्राप्त करने के लिए पुनरुद्धार योजना को पश्चिम बंगाल सरकार के साथ आगे बढ़ाया जा रहा था। तत्कालीन माननीय वस्त्र राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने एनजेएमसी की तीन मिलों अर्थात नेशनल, एलेक्जेंड्रा और यूनियन मिल की भूमि की बिक्री की अनुमति प्रदान करने और भूमि के 'औद्योगिक से आवासीय / वाणिज्यिक' उपयोग के कन्वर्जन की सुविधा प्रदान करने के लिए भी पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था। तथापि, इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में एएसएंडएफए, वस्त्र मंत्रालय ने भी मुख्य सचिव (पश्चिम बंगाल) के साथ मुलाकात की थी और चर्चा की थी कि पश्चिम बंगाल सरकार सर्कल दर पर भूमि खरीदने पर विचार कर सकती है। भूमि की बिक्री और छूट के लिए स्वीकृति आदेश शीघ्र जारी करने के लिए सीएमडीए एनजेएमसी द्वारा भी पश्चिम बंगाल सरकार के प्रधान सचिव से अनुरोध किया गया था ताकि बीआईएफआर द्वारा परिकल्पित एनजेएमसी की पुनरुद्धार योजना क्रियान्वित की जा सके।

विभिन्न एनजेएमसी इकाइयों की भूमि का ब्यौरा

एनजेएमसी मिल	भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में		
	कुल	अधिक्रमण / भारग्रस्त	कुल (फ्री होल्ड)
किन्नीसन	52.63	2.43	50.20
खारदाह	86.56	23.62	62.94
आरबीएचएम	55.05	28.81	26.24
अलेक्जेन्ड्रा	53.61	0.93	52.68
नेशनल	65.04	2.59	62.45
यूनियन	14.21	2.31	11.90
सकल जोड़	327.10	60.69	266.41

उपर्युक्त भूमि में कालिमपोंग में गेस्ट हाउस और अलीपुर रोड, कोलकाता में भूमि और भवन शामिल हैं। सर्कल दरों पर भूमि का अनुमानित मूल्य 1498.53 करोड़ रुपए है।

ग. एनजेएमसी की वर्तमान स्थिति

(i) यह विचार करते हुए कि निजी क्षेत्र की पटसन मिलों सहित सभी पटसन मिलें, जेपीएम अधिनियम, 1987 के अंतर्गत जारी किए गए अनिवार्य पटसन पैकिंग दिशानिर्देशों के अंतर्गत सरकारी एजेंसियों को पटसन थैलों की आपूर्ति पर बहुत आश्रित हैं, यह चर्चा की गई थी कि एनजेएमसी की पटसन मिलों का प्रचालन जारी रखना विवेकपूर्ण नहीं है।

(ii) दूसरा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), एनजेएमसी को छोड़कर एनजेएमसी के पे–रोल पर कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी नहीं है क्योंकि शेष लोगों को एनजेएमसी की परिकल्पित पुनरुद्धार योजना के अंतर्गत वीआरएस दे दिया गया था इसलिए एनजेएमसी में कोई अपेक्षित प्रबंधकीय जनशक्ति नहीं है। सीएमडीए एनजेएमसी के अलावा मिलों का प्रबंधन, संविदा पर रखे गए कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

(iii) तीसरा, पुनरुद्धार योजना के अंतर्गत प्रचालनशील अवधि के दौरान नकद हानि को पूरा करने के लिए कंपनी को 141.50 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस राशि का उपयोग पहले ही कर लिया गया है।

(iv) एनजेएमसी की तीन मिलों अर्थात खारदाह, किन्नीसन और आरबीएचएम को लगातार हुई प्रचालनात्मक हानियों के उपर्युक्त अनुभवों के मद्देनजर नीति आयोग ने अनंतिम रूप से इसे बंद किए जाने के लिए चिन्हित किया है। फिलहाल इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

2.5.8.1 बड्र्स जूट एंड एक्सपोर्ट लि. (बीजेईएल), एनजेएमसी की एक सहायक कंपनी

बड्र्स जूट एंड एक्सपोर्ट लि. (बीजेईएल), पटसन फैब्रिक की एक संसाधन इकाई बड्र्स एंड कंपनी की एक सहायक कम्पनी थी जिसकी स्थापना 1904 में की गई थी। भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग लि. (बीपीएमईएल) ने 1980 में राष्ट्रीयकरण होने पर इन परिसम्पत्तियों को अपने अधिकार में ले लिया था और यह बीजेईएल के 58.94 प्रतिशत इक्विटी शेयरों की नियंत्रक बन गई। उसके बाद भारत सरकार ने 1986 में बीजेईएल शेयरों को एमजेएमसी में अंतरित करने का निर्णय लिया।

बीजेईएल ने पटसन तथा ब्लेंडेड फैब्रिक के विरंजन, रंगने और प्रिंटिंग के लिए प्रसंस्करण इकाई के रूप में कार्य किया। लगातार घाटे और नकारात्मक निवल पूंजी के कारण इसे वर्ष 1999 में रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम,1985 की धारा 3(1)(0) के तहत बीआईएफआर द्वारा रूग्ण घोषित कर दिया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 17(3) के तहत पुनर्वास योजना तैयार करने के लिए आईडीबीआई बैंक लि. को प्रचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था।

बीआईएफआर ने दिनांक 02.08.2012 को हुई अपनी बैठक में कुल 137.88 करोड़ रुपए की लागत से एक पुनरुद्धार योजना को अनुमोदित किया था। पुनरुद्धार योजना के मसौदे (डीआरएस) को बीआईएफआर द्वारा निम्नलिखित दो टिप्पणियों के साथ अनुमोदित किया गया थाः

i. परिसंपत्ति बिक्री समिति (एएससी) का गठन किया जाना था जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य थी।

ii. बीजेईएल को अपनी वर्तमान भूमि को 'औद्योगिक' से 'वाणिज्यिक' उपयोग में परिवर्तन करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से संपर्क करना था।

कोलकाता के एक प्रमुख स्थल पर कंपनी की लगभग 49 एकड़ की एक बड़ी भू–संपत्ति है। आरंभ में यह निर्णय लिया गया था कि कुल अधिशेष भूमि को बेच दिया जाएगा और इससे प्राप्त राजस्व का उपयोग संगठन के पुनरुद्धार के लिए किया जाएगा। तथापि,

बीआईएफआर ने इस विचार का विरोध किया और कंपनी को भूमि के न्यूनतम क्षेत्रफल की पहचान करने का निदेश दिया जो पुनरुद्धार के लिए अपेक्षित निधि (137.88 करोड़ रुपए) प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगी। विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात यह पाया गया कि केवल 8.2 एकड़ भूमि बेच कर पुनरुद्धार के लिए अपेक्षित निधि प्राप्त की जा सकती है बशर्ते भूमि के उपयोग को औद्योगिक से वाणिज्यिक भूमि के रूप में बदल दिया जाए। हालांकि, भूमि के परिवर्तित किए जाने का मसला अभी भी राज्य सरकार के पास लंबित है। कई अनुरोधों के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार ने बीजेईएल को अपनी भूमि का उपयोग बदलने की अनुमति प्रदान नहीं की है।

बीआईएफआर ने भी परिसंपत्ति बिक्री समिति गठित किए जाने का निदेश दिया था जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि की उपस्थिति होनी चाहिए। फिर भी राज्य सरकार द्वारा विलंब से नामांकन किए जाने के कारण परिसंपत्ति बिक्री समिति (एएससी) का गठन किए जाने में लगभग 3 वर्ष लग गए। परंतु 12 अक्तबर, 2015 के बाद से बीआईएफआर ने कोई सुनवाई नहीं की क्योंकि बीआईएफआर ने दिनांक 28 अक्तूबर, 2015 से कार्य करना बंद कर दिया है। इसके फलस्वरूप गैर–सेवा योग्य मशीन एवं स्क्रैप सहित कोई परिसंपत्ति बेची नहीं जा सकी जिसके परिणामस्वरूप उनके मूल्य में और गिरावट आ गई। बीजेईएल की स्क्रैप की चोरी और मिल परिसरों में भूमि का अतिक्रमण भी एक नियमित प्रक्रिया है। इन परिस्थितियों में बीजेईएल बोर्ड ने दिनांक 07.03.2016 को हुई पिछली बैठक में एमएसटीसी लिमिटेड (पूर्व में मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कारपोरेशन के रूप में विख्यात) के माध्यम से स्क्रैप बेचने का निर्णय लिया था।

कंपनी का उत्पादन कार्य अक्तूबर, 2002 से रोक दिया गया है और कंपनी ने वर्ष 2003 और 2004 में अपने सभी कर्मचारियों को वीआरएस दे दिया है। वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक का वित्तीय निष्पादन नीचे तालिका में दिया गया है:

भौतिक **उत्पादन** **वित्तीय परिणाम**	2013-14 -- (लाख रुपए में)	2014-15 -- (लाख रुपए में)	2015-16 -- (लाख रुपए में)
कुल आय (बिक्री एवं अन्य)	बिक्री–0 अन्य आय–8.78	–0 अन्य आय -8.89	बिक्री-12.95 अन्य आय-68.12
कुल	**8.78**	**8.89**	**81.07**
वेतन एवं मजदूरी	-	-	-
वीआरएस व्यय	-	-	-
प्रशासनिक और अन्य ऊपरी खर्च	80.61	139.93	119.67
भारत सरकार और एनजेएमसी के ऋण पर ब्याज	400.57	419.02	423.93
मूल्य ह्रास	1.01	4.07	1.77
कुल	**482.19**	**563.02**	**545.36**
कर पूर्व हानि	265.10	584.64	464.29

बीजेईएल की वर्तमान स्थितिः

(i) इस कंपनी की कोलकाता के एक प्रमुख स्थान पर लगभग 49 एकड़ की विशाल भू–संपत्ति है। जिस क्षेत्र में यह भूमि स्थिति है वहां समाज विरोधी तत्व रहते हैं और मिल की भूमि का अतिक्रमण एक नियमित प्रक्रिया है। स्थानीय नगरपालिका स्वयं सरकारी भूमि के अवैध अतिक्रमण की ऐसी गतिविधियों में लिप्त है।

(ii) कंपनी के रोल पर कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है। कंपनी ने स्वयं सहायता समूहों की ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 3 सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) चलाकर मार्च 2016 से ही पटसन विविधीकृत उत्पादों (जेडीपी) में सीमित विपणन क्रियाकलाप आरंभ किए हैं और पटसन उत्पादों की बिक्री के लिए सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि., जनपथ, नई दिल्ली के एम्पोरियम में पटसन काउंटर खोला है। बीजेईएल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपने आउटलेटों के माध्यम से पटसन थैलों की बिक्री के लिए मदर डेयरी, मिल्क डिवीजन और अपने फल और सब्जी डिवीजन के साथ करार किया है।

(iv) बीजेईएल का कोई कारखाना प्रचालनशील नहीं है और इसके रोल पर कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है। ऐसे परिदृश्य के कारण नीति आयोग ने 12 जुलाई, 2016 को इसे बंद किए जाने का प्रस्ताव अग्रेषित कर दिया।

2.6 वस्त्र अनुसंधान संघ

2.6.1 प्रौद्योगिकी की प्रगति में अनुसंधान और विकास तथा वस्त्र और अपैरल क्षेत्र में प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकारते हुए मंत्रालय वस्त्र अनुसंधान संघों को सक्रिय सहयोग प्रदान कर रहा है जिसमें इस क्षेत्र का समग्र क्रियाकलाप शामिल है। अनुसंधान और विकास कार्य में निम्नलिखित 8 टीआरए शामिल हैं:

(i) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन (अटीरा)

(ii) बम्बई टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (बिटरा)

(iii) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (सिटरा)

(iv) नार्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (निटरा)

(v) मेन–मेड टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (मंतरा)

(vi) सिंथैटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन (ससमीरा)

(vii) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन (इजिरा)

(viii) ऊन अनुसंधान संघ (डब्ल्यूआरए)

टीआरए की परियोजनाओं और पेटेंटों का विवरण

क्र.सं.	टीआरए का नाम	आरएंडी परियोजनाओं की संख्या	दर्ज/प्राप्त पेटेंटों की संख्या
1.	अटीरा	4	3
2.	बिटरा	10	6
3.	इजिरा	14	-
4.	मंतरा	3	1
5.	निटरा	9	4
6.	सिटरा	7	4
7.	ससमीरा	12	10
8.	डब्ल्यूआरए	17	6
	कुल	76	34

वस्त्र मंत्रालय के नियंत्रणाधीन संगठनों की सूची

श्रेणी	संगठन का नाम
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	बड्र्स जूट एक्सपोर्ट लि. (बीजेईएल), कोलकाता, सहायक कंपनियो के साथ ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन (बीआईसी), सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआईसी),नई दिल्ली, द कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआई) मुंबई, भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम (एचएचईसी) लि., नई दिल्ली, भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) लि., कोलकाता, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी), लखनऊ, राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम (एनजेएमसी)), कोलकाता, राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड (एनटीसी), नई दिल्ली।
वस्त्र अनुसंधान संघ	अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ (एटीआईआर अहमदाबाद, बंबई वस्त्र अनुसंधान संघ (बीटीआरए), मुंबई, भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (आईजेआईआरए), कोलकाता, मानव निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ (मंतरा), सूरत, उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (निटरा), गाजियाबाद, दक्षिण भारत वस्त्र अनुधान संघ (सिटरा), कोयंबटूर, सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स अनुसंधान संघ (ससमीरा), ऊन अनुसंधान संघ (डब्ल्यूआरए), ठाणे।
सांविधिक निकाय	केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी), बैंगलूरू, भुगतान आयुक्त, (कार्पोरेशन), नई दिल्ली राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, कोलकाता, वस्त्र समिति, मुंबई, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) नई दिल्ली
पंजीकृत समिति	केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी) जोधपुर, सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और प्रबंधन स्कूल (एसवीपीआईएसटीएम), कोयंबटूर
सलाहकार निकाय	अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, अखिल भारतीय विद्युतकरघा बोर्ड, वस्त्र अनुसंधान संघों के लिए समन्वय परिषद, कपास सलाहकार बोर्ड, पटसन सलाहकार बोर्ड

अध्याय–3
निर्यात संवर्धन

3.1 निर्यात

भारतीय वस्त्र उद्योग, दुनिया में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता और निर्यातक देश है। इस उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के कुल निर्यात में वस्त्र और क्लोदिंग (टीएंडसी) की हिस्सेदारी वर्ष 2017–18 (अप्रैल–नवम्बर) में 12.4% है जो काफी अधिक है। भारत की वस्त्र और अपैरल में वैश्विक व्यापार की हिस्सेदारी 5% की है। भारत हेतु प्रमुख वस्त्र तथा परिधान गंतव्य ईयू–28 और यूएसए है जिन्हें कुल वस्त्र तथा अपैरल का 47% निर्यात किया जाता है। यह उद्योग रोजगार के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह प्रत्यक्ष रूप से 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है और बड़ी संख्या में महिलाओं तथा ग्रामीण लोगों सहित संबद्ध क्षेत्रों में 6 करोड़ और लोगों को रोजगार देता है। सरकार की मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण युवा रोजगार की प्रमुख पहलों के साथ इस क्षेत्र का पूर्ण रूप से तालमेल बना हुआ है। वस्त्र और अपैरल का निर्यात ब्यौरा निम्नलिखित है:–

	2015–16 मिलियन अमरीकी डॉलर में	2016–17 मिलियन अमरीकी डॉलर में	2016 (अप्रैल–नवंबर) मिलियन अमरीकी डॉलर में	2017 (अप्रैल–नवंबर) मिलियन अमरीकी डॉलर में
भारतीय वस्त्र एवं अपैरल	36,257	36,007	22,201	23,030
हस्तशिल्प	3410	3,657	1,324	1,149
हस्तशिल्प सहित कुल वस्त्र एवं क्लोदिंग	39,667	39,664	23,525	24,224
भारत का समग्र निर्यात	262,290	276,280	175,411	194,971
समग्र निर्यात का % वस्त्र निर्यात	15.1	14.4	13.4	12.4

डाटा स्रोतः डीजीसीआईएण्डएस

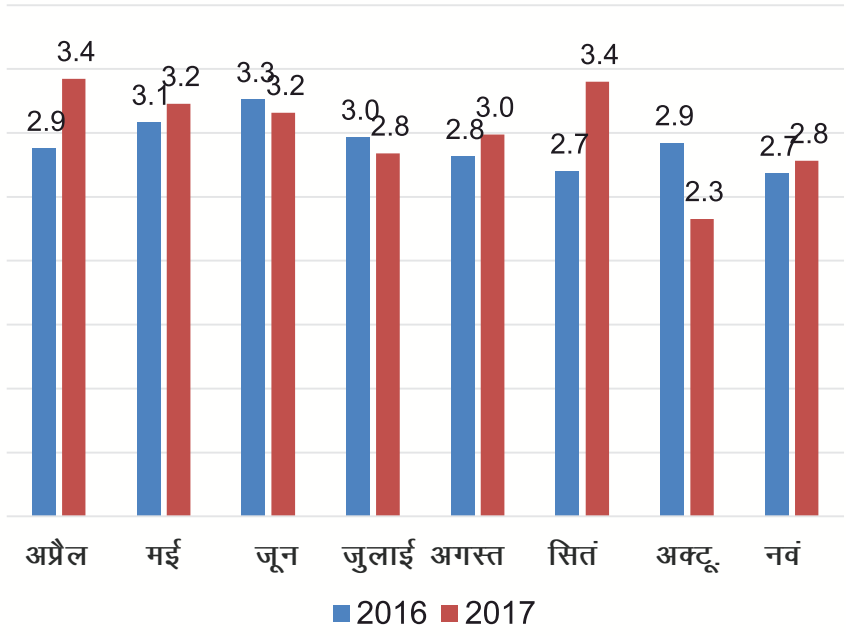

हस्तशिल्प सहित वस्त्र और परिधान निर्यात (बिलियन अमरीकी डालर)

- भारत से हस्तशिल्प सहित वस्त्र तथा अपैरल उत्पादों का निर्यात वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 के दौरान 39.7 बिलियन अमरीकी डालर बना रहा। तथापि, भारत की समग्र निर्यात बास्केट में इसका हिस्सा 2015–16 में 15.1 प्रतिशत से घटकर 2016–17 में 14.4 प्रतिशत हो गया है।
- वर्ष 2015–16 के दौरान सिलेसिलाए परिधानों (आरएमजी) का कुल वस्त्र निर्यात लगभग 41 प्रतिशत था, जबकि 2016–17 में आरएमजी का निर्यात बढ़कर कुल वस्त्र निर्यात का 43 प्रतिशत हो गया है।
- वर्ष 2016 (अप्रैल–नवम्बर) में भारत का कुल वस्त्र और कपड़ा निर्यात 23.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था जिसमें लगभग 175 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारत के समग्र निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 13.4 प्रतिशत थी। इसकी तुलना में वर्ष 2017 (अप्रैल–नवम्बर) में भारत का कुल वस्त्र एवं कपड़ा निर्यात 24. 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य का था और लगभग 195 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारत के समग्र निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 12.4 प्रतिशत थी।
- हथकरघा तथा हस्तशिल्प सहित भारतीय वस्त्र उत्पाद, 100 से अधिक देशों को निर्यात किए जाते हैं। यद्यपि, यूएसए तथा ईयू, भारत के वस्त्र और अपैरल निर्यात का लगभग आधा हिस्सा प्राप्त करते हैं। अन्य प्रमुख निर्यातक देशों में संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन, श्रीलंका, तुर्की, सऊदी अरब, कनाडा, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, हांगकांग, कनाडा तथा मिस्र शामिल हैं।

3.2 आयात

- भारत, वस्त्र तथा अपैरल का प्रमुख निर्यातक देश है और निर्यात, आयात से कहीं अधिक है। अधिकांश आयात पुनः निर्यात के लिए किया जाता है अथवा कच्चे माल की उद्योग की आवश्यकता के लिए किया जाता है।

- भारत में वस्त्र और अपैरल उत्पादों का आयात अप्रैल–नवम्बर 2016 के दौरान 4. 5 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर चालू राजकोषीय वर्ष की इसी अवधि के दौरान 4.9 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।

- भारत में वस्त्र और अपैरल उत्पादों का आयात वर्ष 2015–16 के दौरान 6 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2016–17 के दौरान 6.3 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।

	2015-16	2016-17	2016 (अप्रैल–नवंबर)	2017 (अप्रैल–नवंबर)
	मि.अ.डॉ. में	मि.अ.डॉ. में	मि.अ.डॉ. में	मि.अ.डॉ. में
कुल वस्त्र एवं परिधान आयात	6,025	6,312	4,470	4,918

डाटा स्रोतः डीजीसीआईएण्डएस

3.3. निर्यात में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदम

क. निर्यात बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2016 तथा दिसम्बर 2016 में क्रमशः परिधान और सिलेसिलाए वस्त्र क्षेत्र में रोजगार सृजन तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सुधारों को अनुमोदित किया। विशेष पैकेज का उद्देश्य रोजगार सृजन तथा निर्यात को बढ़ावा देना है। क्रियान्वयनाधीन विशेष पैकेज के घटक निम्नानुसार हैं :

- **संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ए–टीयूएफएस):** वस्त्र क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार वस्त्र तथा निर्माण इकाइयों हेतु एक 10 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी निवेश आर्थिक–सहायता (सीआईएस) मुहैया करवाती है जिन्होंने तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् अनुमानित उत्पादन तथा रोजगार की प्राप्ति अनुमानित के आधार पर एटीयूएफएस के अंतर्गत 15 प्रतिशत सीआईएस लाभ प्राप्त किया है। इसके क्रियान्वयन के प्रारंभ होने के पश्चात् से योजना ने 31.10.2017 तक 66,033 अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया है और इसे 688 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें 354,06 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता शामिल हैं।

- **प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमपीआरपीवाई)**– पीएमपीआरपीवाई भारत सरकार की सुधार पहलों का एक हिस्सा है जिसके अंतर्गत सरकार एक विशेष प्रोत्साहन के तौर पर परिधान तथा सिलेसिलाए वस्त्रों के क्षेत्रों हेतु नए कर्मचारियों के रोजगार के पहले तीन वर्षों हेतु नियोक्ता भविष्य निधि के नियोक्ता के 12 प्रतिशत के समूचे अंशदान को वहन करेगी। तैयार वस्त्र तथा अन्य क्षेत्रों में अर्धकुशल और अकुशल कामगारों के लक्षित समूह के प्रति इस पहल को चैनलबद्ध करने के लिए पीएमपीआरपीवाई के अंतर्गत लाभ केवल

15,000 रुपए प्रतिमाह तक की मजदूरी वाले कामगारों को ही उपलब्ध होंगे। वस्त्र मंत्रालय अगले तीन वर्षों तक नियोक्ता के अंशदान के अतिरिक्त 3.67 प्रतिशत को मुहैया करवाएगा। ईपीएफओ द्वारा मुहैया करवाई गई जानकारी के अनुसार 2.1.2018 तक पीएमपीआरपीवाई के अंतर्गत 10,38,60,414 रुपए की राशि संवितरित की जा चुकी है। 2.1.2018 तक इस योजना से 661 इकाइयां/ संस्थापनाएं तथा 1,57,398 कामगार लाभान्वित हुए हैं।

- 7 अक्तूबर, 2016 को परिधान क्षेत्र हेतु निश्चित अवधि का रोजगार प्रारंभ करके श्रम कानूनों का सरलीकरण।
- **परिधान तथा तैयार वस्त्रों के निर्यात पर वृद्धित शुल्क वापसी हेतु राज्य करों पर छूट (आरओएसएल) योजना** – रोजगार गहन वस्त्र तथा परिधान क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय ने अगस्त, 2016 में छूट के तंत्र के माध्यम से वस्त्रों के निर्यातों पर राज्य के करों की वापसी के प्रावधान हेतु आरओएसएल योजना प्रारंभ की थी। बाद में योजना का विस्तार तैयार वस्त्र क्षेत्र हेतु भी किया गया था और इस क्षेत्र हेतु आरओएसएल के लिए दिशा–निर्देशों को 2017 में अधिसूचित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2017–18 में निर्यातकों के दावों के संवितरण हेतु राजस्व विभाग को 1555 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और उनके द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31.12.2017 तक योजना के अंतर्गत 1540.92 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं।
- वर्द्धित शुल्क वापसी कवरेज– सभी उद्योग दर पर वापसी घरेलू शुल्क अदा किए गए आदानों हेतु दी जा रही है भले ही जब कपड़े को उन्नत प्राधिकार योजना के अंतर्गत आयात किया गया हो।

जून में परिधान हेतु विशेष पैकेज के अनुमोदन के पश्चात् जुलाई 2016 से जून 2017 तक की अवधि हेतु भारत के परिधान निर्यात में भारतीय रुपए में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में 11,333 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,19,452 करोड़ रुपए हो गया है।

इसी प्रकार दिसम्बर में तैयार वस्त्रों हेतु विशेष पैकेज के अनुमोदन के पश्चात् जनवरी, 2017 से सितम्बर, 2017 तक की अवधि हेतु भारत के तैयार वस्त्रों के निर्यात में भारतीय रुपए में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में 23,198 करोड़ रुपए से बढ़कर 24,817 करोड़ रुपए हो गया है।

ख. विशेष पैकेज के अतिरिक्त निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं–

- **भारत हेतु व्यापार माल निर्यात योजना (एमईआईएस):** इस योजना को विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के अंतर्गत भारत में उत्पादित/विनिर्मित की जाने वाली वस्तुओं/उत्पादों के निर्यात में शामिल होने वाली आधारभूत ढ़ाचागत अकुशलताओं और संबद्ध लागतों को निष्क्रिय करने के लिए प्रारंभ किया गया था और यह विशेष रूप से उच्च निर्यात गहनता, रोजगार संभाव्यता तथा भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए थी।

प्रोत्साहन का प्रतिशत उत्पाद दर उत्पाद भिन्न–भिन्न है और यह अधिकांश वस्तुओं हेतु 2.5 प्रतिशत के मध्य है। सरकार ने वस्त्र उद्योग के 2 उप क्षेत्रों जैसे तैयार वस्त्रों तथा मेडटस के लिए 01.11.2017 से 30.6.2018 तक एमईआईएस के अंतर्गत प्रोत्साहन हेतु दरों को दुगना करके निर्यात के मूल्य के 2 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक कर दिया है।

- **ब्याज दर आर्थिक सहायता** – वर्ष 2015 में शिपमेंट से पूर्व तथा पश्चात ऋण ब्याज दर छूट को तीन वर्षों के लिए बहाल किया गया है। इस कदम का उद्देश्य निर्यातकों को कच्चे माल की खरीद, उनके प्रसंस्करण तथा तैयार माल में बदलने और उनकी पैकेजिंग जैसे प्रयोजन हेतु बैंकों से ऋण पर ब्याज दरों के प्रति वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

  ब्याज समानीकरण की दर शिपमेंट पूर्व रुपए निर्यात ऋण तथा शिपमेंट पश्च रुपए निर्यात ऋण पर तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष की है। यह योजना एमएसएमई के सभी निर्यातों और 416 टैरिफ लाइनों (4 अंकों वाले एचएस कोड हेतु) के लिए उपलब्ध है जिसमें 94 वस्त्र तथा परिधान लाइनें शामिल हैं।

- **बाजार पहुंच पहल (एमएआई):** इस योजना का उद्देश्य सतत आधार पर भारत के निर्यातों को बढ़ावा देना है। इस योजना को बाजार अध्ययनों/सर्वेक्षण के माध्यम से विशिष्ट बाजार तथा विशिष्ट उत्पाद विकसित करने के लिए फोकस उत्पाद–फोकस देश पद्धति पर बनाया गया है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाकलाप वित्तीय सहायता हेतु पात्र हैं–
  - विदेशों में विपणन परियोजनाएं
  - क्षमता निर्माण
  - सांविधिक अनुपालनों हेतु सहायता
  - अध्ययन
  - परियोजना विकास
  - विदेश व्यापार सुविधा वेब पोर्टल विकसित करना
  - कुटीर और हस्तशिल्प इकाइयों को सहायता करना
- **टैक्सटाइल इंडिया 2017**

वस्त्र मंत्रालय ने महात्मा मंदिर, गांधी नगर, गुजरात में 30 जून से 2 जुलाई, 2017 तक टैक्सटाइल इंडिया 2017 नामक एक 3 दिवसीय भव्य वस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 30 जून, 2017 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। उक्त भव्य कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र के सभी खंड़ों को एक छत्र व्यापार कार्यक्रम में लाना और समूचे संसार को भारत के वस्त्र क्षेत्र की शक्ति का प्रदर्शन करना था। इस कार्यक्रम में 105 देशों से खरीददारों, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों तथा शिल्पकारों एवं बुनकरों ने प्रतिभागिता की थी। इस कार्यक्रम ने बी2बी चर्चाओं हेतु एक उत्कृष्ट मंच प्रदान किया और वस्त्र मूल्य श्रृंखला के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश तथा प्रौद्योगिकीय समझौतों के अवसर तलाशें। इस कार्यक्रम के दौरान विदेशी सरकार तथा कंपनियों और भारतीय निकायों सहित विभिन्न संगठनों के मध्य 65 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम के दौरान 3 कन्ट्री सेसन, 7 राज्य सत्र, 6 सम्मेलनों की अध्यक्षता माननीय केंद्रीय मंत्रियों द्वारा की गई, एसियान देशों के एक सम्मेलन तथा 26 गोलमेज सम्मेलनों तथा फैशन शो का आयोजन किया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनकारियों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए।

3.4 निर्यात संवर्धन परिषदें

वस्त्र एवं अपैरल क्षेत्र के सभी सेगमेंट अर्थात सिले–सिलाए परिधान, कपास, रेशम, पटसन, ऊन, विद्युतकरघा, हथकरघा, हस्तशिल्प और कालीन का प्रतिनिधित्व करने वाली ग्यारह वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) हैं। ये परिषदें वैश्विक बाजार में अपने संबंधित क्षेत्रों की वृद्धि और निर्यात का संवर्धन करने के लिए वस्त्र मंत्रालय और अन्य

मंत्रालयों के साथ निकट सहयोग से कार्य करती हैं। ये परिषदें, निर्यात बढ़ाने और नए बाजारों में पहुंच बनाने के लिए भारत और विदेशी बाजारों में वस्त्र एवं अपैरल मेलों तथा प्रदर्शनियों एवं एकल प्रदर्शनियों में भाग लेती हैं। वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत निर्यात संवर्धन परिषदों का विवरण निम्नलिखित हैं:

i) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद(एईपीसी)

ii) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टेक्सप्रोसिल)

iii) सिंथेटिक एवं रेयान वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (एसआरटीईपीसी)

iv) ऊन एवं ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (डब्ल्यू एंड डब्ल्यू ईपीसी)

v) ऊन उद्योग निर्यात संवर्धन संघ (वूल टेक्सप्रो)

vi) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद (आईएसईपीसी)

vii) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी)

viii) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच)

ix) विद्युतकरघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (पैडिक्सिल)

x) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी)

xi) पटसन उत्पाद विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (जेपीडीईपीसी)

3.5 प्रचार–प्रसार:

– संबंधित निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा न्यूज लेटर का प्रकाशन

– विभिन्न बाजारों, नीतिगत विकास, निर्यात संबंधी खबर, सरकारी अधिसूचना, निर्यात लक्ष्य, विदेशी व्यापार पूछताछ, फैशन एवं प्रौद्योगिकी विकास पर नवीन सूचना प्रदान करना।

अध्याय–4

कच्ची सामग्री सहायता

4.1 कपास

प्रस्तावना

4.1 कपास देश की प्रमुख फसलों में एक है और यह घरेलू वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री है। यह लाखों किसानों तथा कपास उद्योग में शामिल कामगारों को कपास के प्रसंस्करण से लेकर व्यापार तक आजीविका उपलब्ध कराता है। भारत में वस्त्र उद्योग में कच्चे माल खपत में कपास और मानव निर्मित रेशों तथा फिलामेंट यार्न का अनुपात 60:40 है।

परिदृश्य :

क. उत्पादन और खपत : भारत में कपास की खेती 3 भिन्न कृषि–पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में की जाती है, उत्तरी क्षेत्र जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य शामिल हैं, मध्य क्षेत्र जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा राज्य आते हैं और दक्षिणी क्षेत्र जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और तमिलनाडु आते हैं। कपास की खेती उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा जैसे गैर–परंपरागत राज्यों के छोटे क्षेत्रों में भी की जाती है। भारत ने आजादी के पश्चात से कपास के उत्पादन में एक गुणात्मक तथा गुणवत्तापूर्ण रूपांतरण किया है। पिछले दशकों के दौरान भारत में कपास का उत्पादन तथा उत्पादकता में काफी सुधार हुआ है। भारत विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत, कपास का एक अग्रणी उपभोक्ता भी है। पिछले 5 वर्षों के दौरान कपास के उत्पादन तथा खपत के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(प्रत्येक 170 किलोग्राम की गांठ लाख में)

वर्ष	उत्पादन	खपत
2012-13	370	283.16
2013-14	398	299.55
2014-15	386	309.44
2015-16	332	315.28
2016-17 (P)	345	306.36
2017-18 (E)*	377	334.00

स्रोत– कपास सलाहकार बोर्ड की बैठक दिनांक 18.08.17
पी–अनंतिम
(ई)*–व्यापार स्रोत तथा सीसीआई शाखाओं से प्राप्त फीडबैक से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुमानित

ख. क्षेत्रफल/उत्पादकता : भारत को कपास की खेती के अंतर्गत लगभग 122.35 लाख हेक्टेयर के कपास क्षेत्रफल के साथ विश्व में पहला स्थान प्राप्त हुआ है अर्थात 293.29 लाख हेक्टेयर के विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 42 प्रतिशत। लगभग 62 प्रतिशत भारतीय कपास वर्षा सिंचित क्षेत्रों और 38 प्रतिशत सिचिंत भूमियों पर उगाई जाती है। उत्पादकता के संदर्भ में भारत, अमरीका तथा चीन की तुलना में काफी पीछे है। व्यापार स्रोत और सीसीआई शाखाओं से प्राप्त फीडबैक के अनुसार वर्ष 2017–18 के दौरान यह प्रत्याशा है कि भारत की उत्पादकता लगभग 525 से 530 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर बनी रहेगी। गत 5 वर्ष हेतु कपास की उत्पादकता निम्नानुसार है :

(किलोग्राम प्रति हैक्टेयर में)

वर्ष	क्षेत्रफल	उत्पादन
2012-13	119.78	525
2013-14	119.60	566
2014-15	128.46	511
2015-16	122.92	459
2016-17 (पी)	108.45	541
2017-18 (ई)*	123.00	524

स्रोत– कपास सलाहकार बोर्ड की बैठक दिनांक 12.12.17

पी–अनंतिम

(ई)*–व्यापार स्रोत तथा सीसीआई शाखाओं से प्राप्त फीडबैक से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुमानित

ग. आयात/निर्यात : वर्तमान में कपास, भारत से मुक्त रूप से निर्यात योग्य वस्तु है। भारत प्रमुख रूप से बांग्लादेश, चीन, वियतनाम, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ताइवान, थाईलैंड आदि को कपास का निर्यात करता है। यद्यपि वर्ष 2013–14 तक चीन, भारतीय कपास फाइबर का सबसे बड़ा आयातक था परंतु वर्ष 2014–15 में बांग्लादेश, भारतीय कपास का सबसे बड़े आयातक बन जाने के बाद यह भारतीय कपास फाइबर का दूसरा सबसे बड़ा आयातक बन गया। यद्यपि भारत कपास फाइबर का सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक है परंतु कपास की लंबी फाइबर की किस्म का कम मात्रा में आयात किया जाता है जो देश में उपलब्ध नहीं है। निम्नलिखित तालिका में पिछले पांच वर्षों के आयात और निर्यात आंकड़े दिए गए हैं:

(प्रत्येक 170 किलोग्राम की गांठ लाख में)

वर्ष	आयात	निर्यात
2012-13	14.59	101.43
2013-14	11.51	116.96
2014-15	14.39	57.72
2015-16	22.79	69.07
2016-17 (पी)	30.94	58.21
2017-18 (ई)*	17.00	67.00

स्रोत– कपास सलाहकार बोर्ड की बैठक दिनांक 12.02.17
पी–अनंतिम
(ई)*–व्यापार स्रोत से प्राप्त फील्डबैक से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुमानित

घ. कपास का तुलन पत्रः कपास मौसम 2014–15, 2015–16, 2016–17 और 2017–18 (प्रत्याशित) लेन–देन नीचे दिया गया हैः

(प्रत्येक 170 किलोग्राम की गांठ लाख)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17(पी)	2017-18(ई)*
आपूर्ति				
प्रारंभिक स्टॉक	33.00	66.00	36.44	47.81
फसल आकार	386.00	332.00	345.00	377.00
आयात	14.39	22.79	30.94	17.00
कुल आपूर्ति	**433.39**	**420.79**	**412.38**	**441.81**
मांग				
मिल खपत	278.06	270.20	262.66	288.00
एसएसआई खपत	26.38	27.08	26.20	27.00
गैर वस्त्र खपत	5.00	18.00	17.50	19.00
कुल खपत	**309.44**	**315.28**	**306.36**	**334.00**
निर्यात	57.72	69.07	58.21	67.00
कुल मांग	**367.16**	**384.35**	**364.57**	**401.00**
अंतिम स्टॉक	**66.23**	**36.44**	**47.81**	**40.81**

स्रोत– कपास सलाहकार बोर्ड की बैठक दिनांक 12.12.17
पी–अनंतिम
(ई)*–व्यापार स्रोत प्राप्त सूचना के अनुसार अनुमानित

ड. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एसमएसपी) अभियानः–

कीमतें एमएसपी स्तर तक पहुंच जाने पर किसी मात्रात्मक सीमा के बगैर एमएसपी दरों पर विभिन्न एपीएमसी बाजार यार्डों में कपास किसानों द्वारा पेश की गई संपूर्ण मात्रा की खरीद करने के लिए एमएसपी अभियान चलाने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास निगम (सीसीआई) को नामित किया गया है।

प्रत्येक वर्ष कपास मौसम (अक्तूबर से सितम्बर) प्रारंभ होने से पूर्व कृषि मंत्रालय, भारत सरकार सलाहकार बोर्ड तथा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर देश में कपास किसानों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कपास के मध्यम लंबी स्टेपल किस्म (24.5 मिमि से 25.5 मिमि. स्टेपल लंबाई और 4. 3 से 5.1 माइक्रोनेयर मूल्य) तथा लंबी स्टेपल कपास (29.5 मिमि से 30.5 मिमि. स्टेपल लंबाई और 3.5 से 4.3 माइक्रोनेयर मूल्य) दो आधारभूत समूहों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करता है।

कपास मौसम 2017–18 के लिए कृषि मंत्रालय ने एफएक्यू ग्रेड की मध्यम स्टेपल हेतु 4020 रु./क्विंटल तथा लंबी स्टेपल कपास के लिए 4320 रूपए प्रति क्विंटल का एमएसपी निर्धारित किया है। कृषि मंत्रालय द्वारा पिछले कुछ वर्षों हेतु निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य नीचे दिया गया है :–

वर्ष	मध्यम स्टेपल (स्टेपल की लम्बाई 24.5 एमएम से 25.5 एमएम तथा माइक्रोनेयर मूल्य 4.3 से 5.1)	लंबी स्टेपल (स्टेपल की लम्बाई 29.5 से 30.5 एमएम और माइक्रोनेयर 3.5 से 4.3)
2012-13	3600	3900
2013-14	3700	4000
2014-15	3750	4050
2015-16	3800	4100
2016-17	3860	4160
2017-18	4020	4320

बीज कपास की इन दो आधारभूत किस्मों के समर्थन मूल्य और गुणवत्ता अंतर, सामान्य मूल्य अंतर और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) की बीज कपास की अन्य श्रेणियों हेतु एमएसपी भारत के वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत के वस्त्र आयुक्त द्वारा कपास मौसम 2017–18 (अक्तूबर–सितम्बर) के लिए कपास की अन्य किस्मों हेतु एमएसपी नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	कपास की श्रेणियों और व्यापार द्वारा प्रयुक्त निर्दिष्ट किस्मों के नाम	फाइबर गुणवत्ता मापदंड		न्यूनतम समर्थन मूल्य (एसएसपी) 2017–18 रुपए / क्विंटल
		मूल रेशा लंबाई एमएम में (2.5 प्रतिशत स्पैन लंबाई)	माइक्रोनेयर मान	
लघु स्टेपल (20.0 एमएम एवं इससे कम)				
1	असम कोमिला	--	7.0-8.0	3520
2	बंगाल देशी	--	6.8-7.2	3520
मध्यम स्टेपल (20.5 एमएम.24.5 एमएम)				
3	जयाधर	21.5-22.5	4.8-5.8	3770
4	वी-797/ जी.कॉट.13/ जी.कॉट.21	21.5-23.5	4.2-6.0	3820
5	एके/वाई-1(महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश)/एमसीयू-7 (तमिलनाडु)/ एसवीपीआर-2(तमिलनाडु)/पीसीओ-2 (आंध्र प्रदेश और कर्नाटक)/के-11(तमिलनाडु)	23.5-24.5	3.4-5.5	3870
मध्यम लंबी स्टेपल (25.0 एमएम – 27.0 एमएम)				
6	जे–34(राजस्थान)	24.5-25.5	4.3-5.1	4020
7	एलआरए-5166/ केसी-2 (तमिलनाडु)	26.0-26.5	3.4-4.9	4120
8	एफ-414/ एच-777/ ज-34 हाइब्रिड	26.5-27.0	3.8-4.8	4170
लंबी स्टेपल (27.5 एमएम – 32.0 एमएम)				
9	एफ-414/ एच-777/ J-34 हाइब्रिड	27.5-28.5	4.0-4.8	4220
10	एच-4/ एच-6/ मेक/ आरसीएच-2	27.5-28.5	3.5-4.7	4220
11	शंकर-6 /10	27.5-29.0	3.6-4.8	4270
12	बन्नी / ब्रहमा	29.5-30.5	3.5-4.3	4320
अत्यधिक लंबी स्टेपल (32.5 एमएम और अधिक)				
13	एमसीयू-5 / सुरभि	32.5-33.5	3.2-4.3	4520
14	डीसीएच-32	34.0-36.0	3.0-3.5	4720
15	सुविन	37.0-39.0	3.2-3.6	5520

च. वर्ष 2016–17 के दौरान कपास एमएसपी अभियानः–

कपास मौसम 01 अक्तूबर से अगले वर्ष के 30 सितम्बर तक चलता है। अंतर्राष्ट्रीय कपास मौसम 1 अगस्त से प्रारंभ होता है। इस मौसम की शुरूआत आवक की गति में वृद्धि के साथ होती है अर्थात नवम्बर से जनवरी माह तक। फिर यह फरवरी के

मध्य में स्थिरता पर पहुंचता है और फिर उसके बाद वाले महीनों में नीचे की ओर आता है।

कपास मौसम 2016–17 के दौरान एमएसपी प्रचालन लेने के लिए किसी आकस्मिकता से निपटने के लिए भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने 11 कपास उत्पादक राज्यों के 92 जिलों में तीन 341 से अधिक खरीद केंद्र खोले थे। कपास मौसम 2016–17 के दौरान विद्यमान कपास मूल्य एमएसपी के स्तर से काफी अधिक थे और समूचे मौसम के दौरान एमएसपी प्रचालन बिल्कुल भी संभव नहीं हुए थे। बाजार के रुझानों को देखते हुए सीसीआई ने एमएसएमई सहित घरेलू वस्त्र उद्योग की मंद मौसम की आवश्यकता हेतु गुणवत्ता वाली कपास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यवहार्य वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ किए। इस प्रकार सीसीआई 7 राज्यों के 30 जिलों में 60 केंद्रों पर ही प्रचालन कर सका था।

कपास मौसम 2016–17 के दौरान सीसीआई ने समूचे देश में वाणिज्यिक खरीद के अंतर्गत लगभग 293 करोड़ रुपए मूल्य की 1.25 लाख गाठों की खरीद की है। उक्त समूचे स्टॉक को ई–नीलामी के माध्यम से एमएसएमई यूनिट मिलों के साथ पंजीकृत खरीददारों को बेचा गया है।

छ. कपास एमएसपी अभियान 2017–18

कपास वर्ष 2017–18, 47.81 लाख गाठों के पिछले स्टॉक के साथ प्रारंभ हुआ इस वर्ष हेतु बुआई अप्रैल/मई, 2017 माह में प्रारंभ हुई। यह अनुमान लगाया गया है कि वृद्धित क्षेत्रों, प्रतिस्पर्धी फसलों की तुलना में कपास से बेहतर प्रतिफल की संभाव्यता और बेहतर मानसून के चलते इस मौसम में कपास उत्पादन में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। अतः मूल्य एमएसपी से कम हो जाएंगे जिसके चलते सीसीआई द्वारा मूल्य समर्थन अभियान की आवश्यकता होगी। इस परियोजना हेतु संभाव्य न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियानों के लिए तैयारियां शुरू की गई हैं। एमएसपी अभियानों को आगामी कपास मौसम में एक पारदर्शी तथा दक्ष तरीके से करने के लिए सचिव (वस्त्र) ने 2.8.2017 को सभी कपास उत्पादक राज्यों के साथ एक बैठक की थी। इसके अतिरिक्त, वस्त्र मंत्री ने भी सभी कपास उत्पादक राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निम्नलिखित सुझावों पर उनके समर्थन के लिए पत्र लिखे हैं :–

i. एपीएमसी में खरीद प्रणाली बाधारहित तरीके से वजन करने, त्वरित फोटोग्राफ के माध्यम से किसान की पहचान और उनके खाते में भुगतान के लिए संयोजित होनी चाहिए। ई–एनएएम लागू की गई एपीएमसी में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। अन्य एपीएमसी में भी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि संव्यवहार के इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण को सुकर बनाया जा सके।

ii. वास्तविक किसानों की पहचान के लिए कुछ राज्य सरकारों ने बार कोड वाले पहचान पत्र प्रारंभ किए हैं। ऐसा नहीं किए गए मामलों में ऐसे खरीद केंद्रों को स्थापित किए जाने की एक प्रणाली बनाई

जानी चाहिए जिसमें विक्रेताओं की स्पष्ट पहचान किसानों की एक इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस के आधार पर की जा सके जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ उनके चित्रए आधार विवरण, धारित भूमि, कपास उगाया जाने वाला क्षेत्र और बैंक खाता संख्या शामिल हों। खरीद के समय अर्थात् टाकपत्ती के निकाले जाने के समय किसानों का एक वेबकैम के माध्यम से चित्र लिया जाए और अपेक्षा होने पर आगे की जांच हेतु इस सूचना को एक डिजिटल डाटाबेस में रखा जाए।

iii. सीसीआई ने एमएसपी अभियानों हेतु पूर्व की आवश्यकता के आधार पर कुल 341 खरीद केंद्रों की अस्थाई रूप से पहचान की है। ये केंद्र अधिकांशतः एपीएमसी के बाजार यार्डों में अवस्थित हैं। तथापि किसानों के लिए यह सुविधाजनक होगा कि खरीद केंद्रों को गिनिंग तथा प्रेसिंग कारखानों में आवश्यक आधारभूत ढ़ांचा मुहैया करवाकर वहां प्रतिस्थापित किया जाए। इसके लिए एपीएमसी अधिनियम के अंतर्गत बाजार यार्ड के रूप में गिनिंग तथा प्रेसिंग कारखानों को अग्रिम रूप से अधिसूचित किए जाने की आवश्यकता होगी जिसमें एमएसपी खरीद के लिए उनसे संबद्ध गांवों तथा अपेक्षित सुविधाओं की स्थापनाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो।

iv. किसानों के मध्य जागरुकता अभियान चलाए जाए जिनमें उनसे अधिसूचित बाजार यार्डों पर संदूषण मुक्त, अच्छी गुणवत्ता वाली 8 प्रतिशत के नाममात्र नमी तत्व वाली कपास को लाने का आग्रह किया जाए जिसे उन्हें श्रेष्ठ मूल्य मिल सके। यद्यपि सीसीआई 8–12 प्रतिशत नमी वाली कपास की खरीद अनुपातिक रूप से कम मूल्य पर करेगा।

v. अधिकांश अन्य राज्यों ने एमएसपी अभियानों के दौरान एपीएमसी को अदा किए जाने वाले 2 प्रतिशत के कमीशन से सीसीआई को छूट प्रदान की है क्योंकि किसानों द्वारा मजबूरी में की जाने वाली ब्रिकी से बचने के लिए सीसीआई द्वारा सीधे खरीद की जाती है। ऐसे प्रचालन में वास्तव में कोई बोली नहीं लगाई जाती। अतः एपीएमसी को सीसीआई को किसी कमीशन एजेंट को शामिल किए बिना सीधा कपास के किसानों से खरीद करनी की अनुमति प्रदान कहने का परामर्श दिया जाता है। यह समूचे देश में एमएसपी खरीदों में समान प्रणाली को सुनिश्चित करेगा तथा एमएसपी अभियानों से होने वाली हानियों को भी कम करेगा।

दिनांक 02.01.2018 की स्थिति के अनुसार, वर्तमान कपास मौसम 2017–18 में कपास की 116.58 लाख गाठें प्राप्त हुई हैं जबकि पिछले मौसम की उसी अवधि में 97.56 लाख गाठें प्राप्त हुई थी। इसमें से भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने एमएसपी अभियानों के अंतर्गत 3.68 लाख गाठों की खरीद की थी।

4.2 पटसन एवं पटसन वस्त्र

प्रस्तावना

पटसन उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषकर पश्चिम बंगाल में

प्रमुख उद्योगों में से एक है। पटसन, गोल्डन फाइबर, सुरक्षित पैकेजिंग हेतु सभी मानकों को पूरा करने के लिए एक प्राकृतिक, नवीकरणीय, बायो डिग्रेडेबल तथा पर्यावरण अनुकूल उत्पाद है। यह अनुमान लगाया गया है कि पटसन उद्योग संगठित मिलों तथा तृतीय क्षेत्र और संबद्ध क्रियाकलापों सहित विविधीकृत इकाईयों में 0.37 मिलियन कामगारों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराता है तथा लगभग 4.0 मिलियन कृषकीय परिवारों को आजीविका में सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्तए पटसन के व्यापार में बड़ी संख्या में लोग संलग्न हैं।

क. कच्ची पटसन परिदृश्य

कच्ची पटसन की फसल किसानों हेतु एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। कच्ची पटसन की फसल की खेती न केवल आद्योगिक प्रयोग हेतु फाइबर उपलब्ध कराती है बल्कि पटसन की छड़ी भी उपलब्ध कराती है जिसका कृषक समुदाय द्वारा ईंधन तथा निर्माण सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में पटसन की खेती के अंतर्गत होने वाले क्षेत्र में सदैव बड़े उतार–चढ़ाव होते हैं। वर्ष–दर–वर्ष के उतार–चढ़ाव मुख्यतः तीन कारकों के चलते होते हैं, नामतः (1) बुवाई के मौसम के दौरान वर्षा में उतार–चढ़ाव, (2) पिछले पटसन मौसम के दौरान प्राप्त औसत कच्चे पटसन के मूल्य और (3) पिछले मौसम के दौरान प्रतिस्पर्धी फसलों से प्राप्त प्रतिफल। पटसन के अंतर्गत होने वाला एक बड़ा क्षेत्र उसी मौसम में धान के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। अतः वर्ष–दर–वर्ष पटसन के मूल्यों और धान के मूल्यों के संबंध में उतार–चढ़ाव से इन दोनों फसलों के मध्य भूमि का संबंधित आवंटन सामान्यतः प्रभावित होता है।

कच्ची पटसन का उत्पादन मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा तथा मेघालय में किया जाता है। निम्नलिखित तालिका में 2012–13 से 2017–18 (अनुमानित) की अवधि के लिए मेस्टा सहित कच्ची पटसन की आपूर्ति मांग की स्थिति दर्शायी गई है:

(मात्रा रू 180 कि.ग्रा. प्रत्येक गांठ लाख में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-2018 (अनुमानित)
(क) आपूर्ति						
i) प्रारंभिक स्टॉक	31.00	29.00	24.00	14.00	6.00	22.00
ii) पटसन एवं मेस्टा फसल	93.00	90.00	72.00	65.00	92.00	85.00
iii) आयात	9.00	1.00	1.00	6.00	4.00	5.00
कुल :	**133.00**	**120.00**	**97.00**	**85.00**	**102.00**	**112.00**

(मात्रा रू 180 कि.ग्रा. प्रत्येक गांठ लाख में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-2018 (अनुमानित)
(ख) वितरण						
iv) मिल खपत	94.00	86.00	70.00	70.00	70.00	75.00
v) घरेलू/औद्योगिक खपत	10.00	10.00	12.00	9.00	10.00	10.00
vi)निर्यात	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	104.00	96.00	82.00	79.00	80.00	85.00
(ग) अंतिम स्टॉक	**29.00**	**24.00**	**15.00**	**6.00**	**22.00**	**27.00**

स्रोतः पटसन सलाहकार बोर्ड

ख. कच्ची पटसन तथा मेस्टा हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

किसानों के हितों की रक्षा हेतु कच्ची पटसन तथा मेस्टा के लिए प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। विभिन्न ग्रेडों हेतु मूल्यों का निर्धारण करते समय, निम्न ग्रेड की पटसन के उत्पादन को हतोत्साहित करने तथा उच्च ग्रेड के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के मामले पर भी विचार किया जाता है ताकि किसानों को उच्च ग्रेड की पटसन के उत्पादन हेतु प्रेरित किया जा सके।

भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) पटसन हेतु भारत सरकार की मूल्य सहायता एजेंसी है। इसकी स्थापना अप्रैल, 1971 में मुख्यत समय–समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी के अंतर्गत कच्ची पटसन की खरीद के माध्यम से पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा करने तथा पटसन किसानों के लाभ के लिए कच्ची पटसन बाजार तथा समग्र रूप से पटसन अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए भी की गई थी। जेसीआई आवश्यकता पड़ने पर एमएसपी अभियान चलाता है। देश भर के 400–500 से अधिक केंद्रों पर कच्ची पटसन का लेन–देन किया जाता है। वर्तमान में, जेसीआई केवल 141 विभागीय खरीद केंद्रों पर कार्य कर रहा है। सहकारी संस्थाएं लगभग 40 केंद्रों पर कार्य कर रही हैं। जेसीआई बाद में इन सहकारी संस्थाओं द्वारा खरीदी गई पटसन की खरीद करता है।

ग. पटसन सामानों का उत्पादन

भारत विश्व में कच्ची पटसन तथा पटसन वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी देश है जो विश्व के अनुमानित उत्पादन के लगभग 50 प्रतिशत का उत्पादन करता है। विनिर्मित पटसन वस्तुओं की एक बड़ी मात्रा मुख्यतः घरेलू बाजार में पैकेजिंग प्रयोजनों में प्रयोग की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों और वर्तमान वर्ष में पटसन वस्तुओं के उत्पादन की प्रवृत्ति नीचे दी गई है :–

पटसन सामानों का उत्पादन						(लाख एमटी में)
वर्ष	सैकिंग	हैसियन	अन्य	कुल	निर्यात	बी–ट्विल
2010-11	10.77	2.44	2.45	15.66	1.99	9.06
2011-12	11.65	2.40	1.77	15.82	2.12	9.19
2012-13	12.18	2.10	1.63	15.91	1.83	10.17
2013-14	11.50	2.03	1.75	15.28	1.84	9.80
2014-15	9.02	2.11	1.54	12.67	1.16	7.74
2015-16	8.92	1.96	1.29	12.17	0.87	8.15
2016-17	8.72	1.79	0.91	11.42	0.82	8.23

स्रोत : पटसन तथा गनी सांख्यिकी का मासिक सार, मार्च 2017, आईजेएमए

घ. पटसन सामानों की घरेलू खपत

भारत विश्व में पटसन उत्पादों का प्रमुख उत्पादक है। पटसन वस्तुओं का औसत घरेलू उपभोग (पिछले 4 वर्ष का औसत) 1,033 हजार टन प्रति वर्ष रहा है जो कम्पोजिट पटसन मिलों (पिछले 4 वर्ष का औसत) में पटसन वस्तुओं के औसत उत्पादन का 74 प्रतिशत है। पिछले कुछ वर्षों तथा चालू वर्ष हेतु पटसन उत्पादों की घरेलू खपत का रुख निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:–

(मात्रा लाख मीट्रिक टन में)

वर्ष (अप्रैल–मार्च)	हैसियन	सैकिंग	अन्य	कुल
2010-11	1.83	10.30	1.34	13.47
2011-12	1.84	10.80	1.19	13.83
2012-13	1.65	11.19	1.14	13.98
2013-14	1.57	10.42	1.28	13.27
2014-15	1.72	8.70	1.12	11.54
2015-16	1.64	8.90	0.91	11.45
2016-17	1.41	8.55	0.79	10.75

स्रोत : पटसन तथा गनी सांख्यिकी का मासिक सार, मार्च 2017, आईजेएमए

i. निर्यात निष्पादन

वर्ष 2012.13 से 2016.17 के दौरान निर्यात रुझान इस प्रकार हैं:

(मात्रा हजार टन में, मूल्य करोड़ रु. में)

अप्रैल-मार्च	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17	
मद	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
हैसेन	66.2	903.28	50.1	861.03	29.7	769.58	30.1	827.32	27.1	930.18
सैकिंग	67.7	416.47	84.6	527	46.4	296.56	37.9	307.51	46.4	411.81
यार्न	43.8	221.16	25	143.58	23.6	138.73	16.9	118.56	9.3	72.76
सीबीसी	0	0.17	0	0.26	0	0.17	0	0.40	0	0.30
अन्य	7.7	450.72	6	590.08	7	608.77	5.3	638.54	3.8	659.16
कुल	185.4	1991.80	165.7	2121.95	106.7	1813.81	90.2	1892.34	86.6	2074.21

स्रोत : डीजीसीआई एण्ड एस

ii. कच्ची पटसन एवं पटसन सामानों का आयात

वर्ष 2012–13 से 2016–17 के दौरान आयात रुझान इस प्रकार हैं :

(मात्रा हजार टन में, मूल्य करोड़ रु. में)

अप्रैल-मार्च	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17	
मद	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
कच्ची पटसन	160.09	384.1	54.10	146.95	47.56	142.40	87.60	364.04	138.87	704.22
पटसन उत्पाद	141.87	655.5	99.63	453.53	130.69	561.48	158.08	933.36	129.05	931.61
कुल	301.96	1039.6	153.73	600.48	178.24	703.98	245.68	1297.40	267.92	1635.83

स्रोतः 2012–13 से 2015–16 – सीमा शुल्क आयुक्तए पेट्रापोल रोडए पश्चिम बंगाल
2016–17 – डीजीसीआई एण्ड एसए कोलकाता

ङ. पटसन क्षेत्र हेतु पहलें / प्रोत्साहन

i. पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम,1987

पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (जेपीएम अधिनियम) कच्ची पटसन के उत्पादन तथा पटसन पैकेजिंग सामग्री और इसके उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों के हितों में कतिपय वस्तुओं की आपूर्ति एवं वितरण में पटसन पैकेजिंग सामग्री के अनिवार्य प्रयोग करने के लिए लागू किया

गया है। पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 का खंड 4(1) केंद्र सरकार को ऐसे व्यक्तियों को शामिल करके स्थायी सलाहकार समिति के गठन का अधिकार देता है, जोकि सरकार की राय में,वस्तु निर्धारण अथवा वस्तुओं की श्रेणी अथवा पटसन पैकेजिंग सामग्री के संबंध में उनके प्रतिशत के मामले में, जिनकी पैकिंग हेतु पैकेजिंग सामग्री का प्रयोग किया जाना हो, परामर्श देने हेतु आवश्यक विशेषज्ञता रखते हों।

स्थायी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार पटसन पैकेजिंग सामग्री अथवा निश्चित वस्तु अथवा वस्तुओं की श्रेणी अथवा उनके प्रतिशत के अनिवार्य प्रयोग के लिए, यदि वह संतुष्ट है कि यह कच्चे पटसन के उत्पादन तथा पटसन पैकेजिंग सामग्री के हित में ऐसा करना आवश्यक है, जेपीएम एक्ट की धारा 3(1) के तहत समय–समय पर आदेश जारी कर सकती है। कच्चे पटसन और पटसन सामानों की मांग एवं आपूर्ति की स्थिति के आधार पर, सरकार पटसन में पैकिंग की जाने वाली वस्तुओं का आरक्षण निर्धारित करती है। सरकार वस्तुओं की आपूर्ति–वितरण श्रृंखला में बिना अवरोध के देश में उत्पादित पटसन फसल के उपयोग को यथा संभव आरक्षण प्रदान करने का प्रयास करती है।

वस्त्र मंत्रालय ने जेपीएम अधिनियम, 1987 के अंतर्गत 14.01.2016 को सा.आ.सं. 126(ई) जारी किया जोकि 30.06.2016 तक वैध था। इसका विवरण इस प्रकार है:

वस्तुएं	पटसन में पैकेजिंग हेतु आरक्षण के लिए न्यूनतम प्रतिशतता
खाद्यान्न	90%
चीनी	उत्पादन का 20%

* उक्त आदेश का विस्तार 31 मार्च, 2018 तक किया गया है।

पटसन वर्ष 2017–18 हेतु पटसन पैकेजिंग सामग्री में न्यूनतम 90 प्रतिशत अनाज तथा न्यूनतम 20 प्रतिशत चीनी को बाध्यकारी रूप से पैक किए जाने की शर्त संबंधी वस्त्र मंत्रालय के प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु 15.12.2017 को मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा गया था और इस संबंध में 3 जनवरीए 2018 को एक बैठक हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने पटसन वर्ष 2017–18 में पटसन सामाग्री में खाद्यानों तथा चीनी की बाध्यकारी पैकेजिंग हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया है। यह निर्णय पटसन क्षेत्र हेतु प्रमुख मांग को बनाए रखेगा और इस क्षेत्र पर निर्भर कामगारों तथा किसानों की आजीविका को समर्थन प्रदान करेगा।

- सीसीईए ने पटसन पैकेजिंग सामग्री (जेपीएम) अधिनियमए 1987 के अंतर्गत

बाध्यकारी पैकेजिंग मानदंडों का विस्तार किया है।

- अनुमोदन में यह अधिदेशित है कि 90 प्रतिशत खाद्यान और 20 प्रतिशत चीनी उत्पादों को बाध्यकारी रूप से पटसन के थैलों में पैक किया जाए।
- इस निर्णय में यह भी अधिदेशित है कि पहले मामलें में खाद्यानों की पैकिंग हेतु समूची आवश्यकता को पटसन की थैलो में रखा जाए जिससे पटसन के थैलों में 100 प्रतिशत खाद्यानों की पैकिंग हेतु प्रावधान किया जा सके जोकि आवश्यकता के अनुरूप पटसन उद्योग की क्षमता के अधीन होगा।

इस निर्णय से देश के पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय तथा त्रिपुरा में अवस्थित किसानों तथा कामगारों को लाभ होगा।

ii. जूट–स्मार्ट, सुशासन दिवस 2016 को माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री द्वारा प्रारंभ एक ई–शासन पहल बी–ट्विल बोरों की खरीद हेतु ई–शासन पहल एक स्मार्ट अस्त्र के रूप में।

जूट–स्मार्ट, का उद्देश्य सभी हितधारकों द्वारा उपयोग हेतु एक एकीकृत मंच मुहैया करवाने की मंशा रखता है जिससे सूचना पर आसान पहुंच, अधिक पारदर्शिता और पटसन क्षेत्र हेतु व्यापार करने की आसानी हो सके। बी–ट्विल आपूर्ति प्रबंधन तथा मांग अस्त्र, जिसे संक्षेप में जूट–स्मार्ट कहा जाता है, वास्तव में एक वेब आधारित एपलिकेशन है जिसे बी–ट्विल बोरे की खरीद से संबंधित सिरे से सिरे तक के संव्यवहारों को सुकर बनाने के लिए विकसित किया गया है। यह निम्नलिखित उद्देश्य हेतु बनाया गया है :

- पटसन आयुक्त के कार्यालय द्वारा उत्पादन नियंत्रण सह आपूर्ति आदेश (पीसीएसओ) का नियम आधारित आवंटन।
- पटसन मिलों द्वारा निरीक्षण अनुरोध उत्पन्न करना और निरीक्षण एजेंसियों द्वारा निरीक्षकों का आवंटन।
- निरीक्षणकर्ता एजेंसियों द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट को अपलोड करना।
- रेल/सड़क तथा कॉनकोर द्वारा परिवहन हेतु लोडरों/पटसन मिलों द्वारा प्रेषण सूचना को अपलोड करना।
- पटसन मिलों द्वारा बिल बनाना और अंततः पटसन मिलों को संबंधित बैंकों से इस कार्यालय द्वारा भुगतान जारी किया जाना।
- एसपीए द्वारा ऑनलाइन शिकायत यदि कोई होए करना।
- एसपीए द्वारा प्रेषित निधियों का वास्तिवक समय मिलान करना।

आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने राज्य खरीद एजेंसियों (एसपीए) द्वारा बी–ट्विल बोरे की खरीद तथा आपूर्ति के प्रचालन को आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डीजीएस एंड डी) से लेकर 1 नवम्बर, 2016 से पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता को

अंतरित करने का निर्णय लिया था। वार्षिक तौर पर भारतीय पटसन कामगारों तथा किसानों को समर्थन देने के लिए भारत सरकार द्वारा लगभग 5500 करोड़ रु. मूल्य की पटसन के बोरों की खरीद की जाती है।

तत्कालीन प्रणाली अधिकांशतः कागजों पर निर्भर थी और हितधारकों, मुख्यतः राज्य खरीद एजेंसियों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, पटसन मिलें, निरीक्षणकर्ता एजेंसियों, लोडर, प्रेषिति, वेतन एवं लेखा कार्यालय आदि के मध्य सूचना साझा करने में बाधाएं थी। चूंकि बी–ट्विल बोरी खाद्यानों की खरीद हेतु एक आधारभूत आवश्यकता है, अतः समूचे प्रचालन समयबद्ध हैं और इनकी निकट रूप से निगरानी किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, प्रणाली में राज्य खरीद एजेंसियों को उनकी निधि में ब्याज की कमी के कारण लागत कम करने के लिए बैंकों के माध्यम से स्वचालित लेन–देन के प्रावधान हैं।

एसपीए ने पहले ही अपने बैंकों तथा निरीक्षण एजेंसियों का चयन प्रस्तावों हेतु अनुरोध के प्रतिउत्तर के माध्यम से चयनित एजेंसियों में से कर लिया है। इस प्रणाली का उपयोग करने के लिए राज्य खरीद एजेंसियों, बैंकों, निरीक्षण एजेंसियो तथा आपूर्ति करने वाली पटसन मिलों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

वर्तमान में जूट–स्मार्ट सॉफ्टवेयर प्रचालनशील है और 2.7 हजार करोड़ रु. (लगभग) मूल्य की 10.8 लाख गाठों हेतु मांग पंजाबए हरियाणा, ओडिशा, आंध्र प्रदेशए तेलंगाना तथा बिहार से एसपीए द्वारा नवम्बर से मार्च 2017 तक के माह में पहले ही मांग पत्र द्वारा भेजी जा चुकी है और 7 राज्यों मे स्थित पटसन मिलों से इन गाठों हेतु पीसीएसओ किए गए हैं।

जूट–स्मार्ट एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर मंच है जो राज्य सरकारों तथा एफसीआई द्वारा बी–ट्विल की खरीद की प्रक्रिया को काफी आसानए इसे पूर्णतः पारदर्शी तथा नियम आधारित बनाएगा तथा एसपीए हेतु लागतों में भी कमी लाएगा।

iii. **इसरो के साथ भुवन जम्प परियोजना** – इसरो ने जेसीआई के परामर्श से पटसन फसल के आंकलन हेतु एक उपग्रह आधारित एप्लिकेशन विकसित किया है। इस प्रणाली में भू–संबंधित डाटा को एकत्र करने हेतु एक एनड्रोइड आधारति मोबाइल एप्लिकेशन शामिल हैं जो खेत से पटसन की फसल का चित्र तथा स्थिति दोनों लेता है और इस डाटा को राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) सर्वर पर अपलोड करता है। वर्तमान फसल मौसम 2016–17 में अद्यतन तिथि तक विभिन्न पटसन उत्पादक राज्यों से जेसीआई अधिकारियों द्वारा भेजे गए फील्ड डाटा के आधार पर इसरो सर्वर को 1811 फील्ड डाटा भेजे गए हैं। महालनोबीस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी)ए कृषिए सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने इसरो के साथ मिलकर कृषि मंत्रालय

के माध्यम से वर्ष 2016 हेतु पटसन फसल क्षेत्र 7.06 लाख हेक्टेयर बताया है और 15.7.2016 को की गई घोषणा के अनुसार 103 लाख गांठ पटसन का उत्पादन किया जाएगा। एनआरएससी–इसरोए हैदराबाद ने भी वर्तमान फसल मौसम हेतु उक्त डाटा की लगभग 75 प्रतिशत सटीकता की पुष्टि की है।

iv. **पटसन विविधिकृत उत्पादों का विकास तथा संवर्धन** : पटसन उद्योग मुख्यतः उद्योग के भविष्य हेतु पटसन के बोरों पर निर्भर है जोकि विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण के लंबे समय के अभाव से स्पष्ट होता है। विभिन्न अन्य विविधिकृत उत्पादों के विकास हेतु पटसन क्षेत्र को समर्थ बनाए जाने की आवश्यकता है। जहां वर्तमान वर्ष (दिसम्बर तक) के दौरान पटसन उत्पादों के समग्र निर्यात में 20 प्रतिशत की कमी हुई है, पटसन विविधीकृत उत्पादों (जेडीपी) में 28 प्रतिशत वृद्धि देखी गई है जो ऐसे उत्पादों हेतु एक बढ़ती हुई वैश्विक मांग को दर्शाता है। पटसन के खरीददारी वाले थैले, पटसन की फर्श कवरिंग, पटसन आधारित गृह साज–सज्जा तथा दीवार कवरिंग और पटसन आधारित हस्तशिल्पों जैसे विभिन्न जेडीपी का उत्पादन तथा विपणन आवश्यक हो जाता है। विविधीकरण का संवर्धन पटसन उद्योग को राज्य सहायता पर कम निर्भर बनाने में सहायता करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा की उद्योग प्रतिस्पर्धी तथा स्वतः धारणीय बने तांकि वैश्विक तथा घरेलू बाजारों में मौजूद अवसरों का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सके।

पटसन खेती में बेहतर कृषि–विज्ञान व्यवहारों को बढ़ावा देनेए पटसन विविधीकृत उत्पादों के संवर्धन तथा उनका विपणन, पटसन मिलों के प्रौद्योगिकीय उन्नयन हेतु सहायता आदि के लिए कदम उठाए गए हैं। डिजाइन, प्रशिक्षण, कच्चा माल तथा समान सुविधा आधारभूत ढ़ांचा जैसे अग्रगामी तथा पश्चगामी संयोजनों पर सहायता मुहैया करवाकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत ब्लैक स्तर पर महिला स्वयं–सहायता समूहों द्वारा प्रचालित जेडीपी क्लस्टरों को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। इसके अनुपालन में मंत्रालय ने पटसन विविधीकृत उत्पादों के डिजाइन को सुकर बनाने हेतु राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) के साथ एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में 5 स्थलों यथा पश्चिम बंगाल (3), असम (1) और बिहार (1) में प्रमुख पटसन उत्पादक जिलों में वस्त्र मंत्रालय द्वारा 5 सामान्य सुविधा केंद्र भी स्वीकृत किए गए हैं। सीएफसी के प्रचालन को उचित समय पर किसी सहकारी समिति या महिला स्वयं–सहायता समूह (डब्ल्यूएसएचजी) को अंतरित किया जाएगा।

v. **परियोजना जूट–आईकेयर (जूटः बेहतर खेती तथा उन्नत रेटिंग क्रिया)**

एनजेबी एक चरणबद्ध तरीके से पिछले 2 वर्षों से एक जूट–आईकेयर (जूटः बेहतर खेती तथा उन्नत रेटिंग क्रिया) परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना को एनजेबी द्वारा भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (जेसीआई) और केंद्रीय पटसन तथा संबद्ध रेशे अनुसंधान संस्थान (सीआरआईजेएएफ), कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2015 (आईकेयर–1), 2016 (आईकेयर–2) और 2017 में प्रस्तावित आईकेयर–3 (अनुमानित) हेतु जूट–आईकेयर परियोजना का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

विवरण	आईकेयर–I(2015)	आईकेयर–II(2016)	आईकेयर–III(2017)
कवर किए गए पटसन उत्पादक ब्लाक/राज्य की संख्या	**असम और पश्चिम बंगाल के अंतर्गत 4 ब्लाक**	**पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मेघालय के अंतर्गत 14 ब्लाक**	**पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, मेघालय के अंतर्गत 14 ब्लाक**
कवर की गई भूमि (हैक्टेयर)	12331	26264	68347
कवर किए गए किसानों की संख्या	21548	41616	120000
मुहैया करवाए गए प्रमाणित बीज (एमटी में)	64 एमटी	160 एमटी	500 एमटी
बीज ड्रिल मशीनों की संख्या		450	500
नेल वीडर मशीनों की संख्या		700	500
सीआरआईजेएएफ सोना	83 एमटी	273 एमटी	500 एमटी

इस पायलट परियोजना की सफलता से प्रोत्साहित होकर इस परियोजना का विस्तार 31 मार्च, 2020 तक किया गया है। मंत्रालय ने तीन वर्ष (2017–18 से 2019–20) की अवधि हेतु एनजेबी को कुल 45.35 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है।

(च) राष्ट्रीय पटसन बोर्ड

राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) का गठन राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) के अनुसार 1 अप्रैल, 2010 से की गई थी और तत्कालीन पटसन विनिर्माता विकास परिषद और राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केन्द्र का राष्ट्रीय पटसन बोर्ड में विलय किया गया था। एनजेबी अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान एनजेबी की विभिन्न योजनाओं की प्रगति निम्नानुसार है–

i. **कामगार कल्याण योजना (सुलभ शौचालय)** – 30 पटसन मिलों में 37 शौचालय ब्लाकों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

ii. **पटसन मिल की सफल बालिकाओं को प्रोत्साहन** – माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में सफल होने वाली पटसन मिल कामगारों की 2963 बालिकाओं को सहायता मुहैया करवाई गई।

iii. **समेकित पटसन मिलों की इंडेक्सिंग** – ध्वनि, धूल, प्रकाश तथा कामगार स्वास्थ्य निष्पादन के आधार पर उनके कार्य–निष्पादन का अध्ययन पूर्ण – मिलों को जानकारी का प्रसार किया गया।

iv. **जेटीएम के अंतर्गत ली गई 15 आर एण्ड डी परियोजनाओं के तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन** – अध्ययन पूरे किए गए। संदर्शी और विद्यमान उद्यमियों के समक्ष जानकारी प्रस्तुत की गई।

v. **सामान्य सुविधा केन्द्र योजना जो महिला स्व–सहायता समूह की सहायता हेतु है** – पहले चरण में 5 सीएफसी अनुमोदित किए गए, पश्चिम बंगाल में 3, असम तथा बिहार प्रत्येक में 1–1। 2 सीएफसी की भी घोषणा की गई है।

vi. **उन्नत खेती तथा उन्नत रेटिंग क्रिया (आईकेयर)** – आधुनिक कृषि संबंधी प्रक्रियाओं, खेती के औजारों और प्रमाणित बीजों के साथ छोटे तथा सीमांत पटसन उत्पादकों की सहायता करना ताकि उत्पादकों को नवीनतम प्रौद्योगिकियों के संबंध मं जानकारी हो और वे अच्छी गुणवत्ता वाले पटसन को उगाएं और अपने उत्पाद हेतु अधिक मूल्य प्राप्त करें। पश्चिम बंगाल के 2 जिलों और असम के एक जिले में पायलट आधार पर। इसके अतिरिक्त, सरकार पश्चिम बंगाल सहित 9 राज्यों में 2014–15 से घरेलू उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – वाणिज्यिक फसल (एनएफएसएम–सीसी) के अंतर्गत कृषि, सहकारिता एवं कृषि कल्याण मंत्रालय के माध्यम से पटसन विकास कार्यक्रम को भी क्रियान्वित कर रही है। इस पायलट परियोजना की सफलता से प्रोत्साहित होकर इस परियोजना का विस्तार 31 मार्च, 2020 तक किया गया है। मंत्रालय ने तीन वर्ष (2017–18 से 2019–20) की अवधि हेतु एनजेबी को कुल 45.35 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है।

vii. **चुनिंदा मशीनरी की खरीद हेतु प्रोत्साहन योजना**: पटसन मशीनरी की उत्पादकता में वृद्धि करना और पुरानी मशीनों को नई तथा प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत मशीनों से प्रतिस्थापित करके दक्ष बनाना। एनजेबी (तत्कालीन जेएमडीसी सहित) काफी लंबे समय से पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण हेतु योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। पटसन प्रौद्योगिकी मिशन (2007–2013) के दौरान इस योजना को संयंत्र तथा मशीनरी की खरीद (पूंजी सब्सिडी) के नाम से जाना जाता था और यह 500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्राप्त करने में समर्थ रही थी। जेटीएम योजना की सफलता को देखते हुए 2013 में जेटीएम अवधि में आईएसएपीएम योजना को प्रारंभ किया गया था। यह योजना अपने वर्तमान स्वरूप में 31 मार्च, 2020 तक वैध है। इस योजना हेतु राजस्व निधि के अंतर्गत 3 वर्षों (2017–18 से 2019–20) हेतु एनजेबी को वस्त्र मंत्रालय द्वारा 50 करोड़ रुपए की कुल निधि मुहैया करवाई गई है। इस योजना का उद्देश्य है–

क. विद्यमान तथा नई पटसन मिलों में आधुनिकीकरण को सुकर बनाना और विद्यमान पटसन मिलों में प्रौद्योगिकी

का उन्नयन।

ख. बड़ी संख्या में उद्यमियों को जैवअवक्रमणीय मूल्यवर्धित पटसन विविधिकृत उत्पादों के विनिर्माण तथा साथ ही साथ आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु सहायता मुहैया करवाना।

ग. पटसन मिलो द्वारा खरीद की गई मशीनरी की लागत के 20 प्रतिशत और एमएसएमई जेडीपी यूनिटों हेतु 30 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन मुहैया कराया जाता है। प्रत्येक यूनिट हेतु समग्र सीमा चार वर्षों में 2.50 करोड़ रु. है। प्रभावी निगरानी तथा दोहराव से बचने के लिए ऑनलाइन आई–टीयूएफ सॉफ्टवेयर के साथ वेब आधारित लिंकेज।

तीन वित्तीय वर्षों में वर्ष–वार वित्तीय परिव्यय तथा परिकल्पित निवेश नीचे दिया गया है:

		निवेश (लाख रूपए)			प्रोत्साहन (लाख रूपए)			कुल
	प्रोत्साहन का %	2017-18	2018-19	2019-20	2017-18	2018-19	2019-20	प्रोत्साहन (लाख रूपए)
पटसन मिलें	20	8500	6000	6000	1700	1200	1200	4100
एमएसएमई इकाइयां	30	1000	1000	1000	300	300	300	900
कुल		9500	7000	7000	2000	1500	1500	5000

viii. **निर्यात बाजार विकास सहायता योजना** – विदेशों में 46 मेलों में प्रतिभागिता हेतु 40 पंजीकृत निर्यातकों के 141 आवेदनों पर वर्ष 2014–15 में कार्रवाई की गई।

ix. **पटसन कच्चा सामग्री बैंक (जेआरएमबी) योजना**– यह एक नई योजना है जिसे जेटीएम अवधि (2007–13) के दौरान कार्यान्वित पिछली योजना से संशोधित किया गया है। योजना को वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप तथा देश में विकेंद्रीकृत जेडीपी क्षेत्र की धारणीयता के अनुसार संशोधित करके छोटा किया गया है। इस योजना का उद्देश्य देश में जेडीपी क्रियाकलापों की गति में तेजी लाना है। इन योजनाओं का फोकस पूरी तरह से पटसन के असंगठित क्षेत्र तथा उत्पादन इकाइयों पर ध्यान देने के लिए है ताकि उन्हें नियमित रूप से पटसन की कच्ची सामग्री की आपूर्ति होती रहे। इस योजना ने 2016–17 से कार्य करना प्रारंभ किया। जेआरएमबी को कलस्टरों और जेडीपी की उत्पादन यूनिटों के निकट स्थापित किया गया है ताकि उन्हें पटसन की कच्ची सामग्री की आपूर्ति नियमित रूप से मितव्ययी दरों पर की जाए अर्थात् मिल गेट मूल्य जमा वास्तविक परिवहन लागत, जिससे उन्हें घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों हेतु उच्च मूल्य वाले उत्पादों का विनिर्माण करने में सहायता हो। यह जेडीपी हेतु उत्पादन आधार में वृद्धि करने

हेतु एक सतत प्रक्रिया है और ग्रामीण जनता विशेष रूप से महिलाओं को रोजगार मुहैया करवाती है जिसके लिए पश्चगामी तथा अग्रगामी संयोजनों वाले सुस्थापित दक्ष संगठनों/एजेंसियों के साथ समझौता किया जाता है। जेआरएमबीए अपने संबंधित क्षेत्रों में नए डब्ल्यूएसएचजी, शिल्पकारों तथा उद्यमियों को विकसित करने में उसके द्वारा किए जा रहे प्रशिक्षण तथा कौशल विकास प्रयासों के सहायक के रूप में कार्य करता है तथा इसके अलावा विद्यमान डब्ल्यूएसएचजी, शिल्पकारों तथा उद्यमियों की सहायता करता है। मार्च, 2017 के अनुसार देश के विभिन्न भागों में 9 जेआरएमबी प्रचालनशील हैं। ऐसे ही 15 और जेआरएमबी के शीघ्र प्रचालन शील होने की संभावना है जिसके लिए अनुमोदन की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है।

x. **उद्देश्यः** उक्त योजनाओं हेतु निम्नलिखित उद्देश्य परिकल्पित है–

- विविधीकृत पटसन उत्पादों हेतु उत्पादन आधार का विस्तार करने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में पटसन के उपयोग हेतु अधिकाधिक उत्पादन यूनिटों को सहायता प्रदान करना।
- विकेंद्रीकृत क्षेत्र में पटसन विविधीकृत उत्पादों के उत्पादन हेतु कई विद्यमान कुशल जनशक्ति तथा नए शिल्पकारों /उद्यमियों/डब्ल्यूएसएचजी को उनके स्थानों पर पटसन कच्ची सामग्री मुहैया करवाकर सहायता प्रदान करना।
- नई स्थापित जेडीपी उत्पादन यूनिटों में ग्रामीण जनता हेतु रोजगार सृजन में सहायता करना।
- जेडीपी के उत्पादन हेतु कच्चे पटसन के उपभोग हेतु मांग में वृद्धि करना जिससे पटसन किसानों के उत्पाद हेतु सतत बाजार सुनिश्चित किया जा सके।
- उत्पादन इकाइयों को कच्ची पटसन सामग्री की निश्चित तथा सुचारू आपूर्ति हेतु आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना।
- जेडीपी के संवर्धन हेतु व्यापार चैनलों की स्थापना करना।

(xi) **पटसन एकीकृत विकास योजना (जेआईडीएस)** – देश भर में पटसन विविधीकरण का संवर्धन और प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण और उत्पादन सहायता, कच्ची सामग्री और विपणन सहायता के माध्यम से लघु तथा छोटी जेडीपी इकाइयों की क्षमता निर्माण में सुधार करने के लिए यह एक नई योजना है।

(xii) **पूर्वोत्तर राज्यों में जियो**–टेक्सटाइल्स को बढावा देने हेतु विशेष योजना प्रारंभ की गई जिसका परिव्यय 24.3.2015 को 427 करोड़ रूपये था।

(xiii) **पटसन विविधीकृत उत्पादों का खुदरा आउटलेट और थोक आपूर्ति योजना**– 5 राज्यों – कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 27 आउटलेटों को वित्तीय सहायता जारी की गई।

(xiv) **कौशल विकास कार्यक्रम** – तिहाड़ जेल, नई दिल्ली के बंदियों जैसे सुधार गृहों, दिल्ली पुलिस तथा अन्य संस्थानों के परिवारों/लाभग्राहियों को पटसन विविधीकृत उत्पादों के विनिर्माण संबंधी प्रशिक्षण को मुहैया करवाने के लिए विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। कई लाभग्राहियों ने एनजेबी की सहायता से पटसन उत्पादों के उत्पादन और वितरण को प्रारंभ किया है।

(xv) **सतत बाजार सहायता**–पटसन शिल्पकारों, उद्यमियों, बुनकरों, एनजीओ, महिला स्वयं–सहायता समूहों (डब्ल्यूएसएचजी) को भारत तथा विदेश में अपने उत्पादों की बिक्री, विपणन तथा संवर्धन हेतु मुहैया करवाया गया था। एनजेबी द्वारा आयोजित मेले लोगों के इन समूह हेतु आजीविका का साधन है। अन्यों में कुछ प्रमुख कार्यक्रम आईआईटीएफ, दिल्ली, सूरजकुण्ड मेला, टेक्सट्रेंड, दिल्ली, ताजमहोत्सव, लखनऊ महोत्सव, शिल्पग्राम उदयपुर, गिफ्टेक्स, मुम्बई, भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला, ग्रेटर नोएडा आदि थे।

4.3 रेशम और रेशम उत्पादन

प्रस्तावना

रेशम को विश्व में इसकी अद्वितीय शोभाएं प्राकृतिक चमक और रंगों के प्राकृतिक मेल, अधिक अवशोषण, हल्के वजन, मुलायम स्पर्श और टिकाऊपन के कारण सबसे सुरूचिपूर्ण माना जाता है। इन अद्वितीय गुणों के कारण रेशम को विश्व में 'वस्त्रों की रानी' के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर इसमें रोजगार की अत्यधिक संभावना होने, कम पूंजी आवश्यकता और इसके उत्पादन का लाभदायक स्वरूप होने के कारण यह लाखों लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान करता है।

4.3.1 भौतिक प्रगति

भारत में 30,348 मी.ट. रेशम का उत्पादन होने के कारण यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है। वर्ष 2016–17 में कच्ची रेशम के 30,348 मी.ट. उत्पादम में से रेशम की चार किश्मों में मलबरी का हिस्सा 70% (21,278 मी. ट), तसर का 10.77% (3,268 मी.ट.), एरी का 18.57% (5,637 मी.ट.) और मूगा का 0.56% (170 मी.ट.) रहा। आयात विकल्प बाइवोल्टाइन रेशम का उत्पादन वर्ष 2015–16 के 4,613 मी.ट. से 14.16% की वृद्धि से 5,266 मी.ट. हो गया। वान्या रेशम (एरी, मूगा और तसर) के उत्पादन में भी वर्ष 2016–17 के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वान्या रेशम का उत्पादन वर्ष 2015–16 के 8,045 मी.ट. से 12.80% की वृद्धि से 9,075 मी.ट. हो गया। मूगा रेशम का उत्पादन 170 मी.ट. हुआ है जो अब तक का सबसे अधिक उत्पादन है और इसने वृद्धि को नई गति प्रदान की है।

12वीं योजना (2012–17) और 2017–18 (अक्तूबर, 2017) के दौरान भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां:

12वीं योजना (2012–17) और 2017–2018 (दिसम्बर 2017 तक) के दौरान भौतिक लक्ष्य और प्राप्तियां

क्र. सं.	विवरण	लक्ष्य 12वीं योजना (2012-17)	वर्ष 2016–17 में प्राप्तियां (12वीं योजना के अंत में)	2017-18	
				लक्ष्य	प्राप्ति (अप्रैल से दिसम्बर–2017)
I	मलबरी पौधरोपण (लाख हेक्टेयर)	2.30	2.17	2.42	2.33
II	कच्ची रेशम का उत्पादन (मी.ट. में)				
क	**मलबरी**				
	बाइवोल्टाइन	5260	5266	6200	4241
	संकर नस्ल	17400	16007	17276	11927
	उप जोड़	**22660**	**21273**	**23476**	**16168**
ख	**वान्या**				
	तसर	3285	3268	3450	1825
	एरी	5835	5637	6675	4269
	मूगा	220	170	240	118
	उप जोड़	**9340**	**9075**	**10364**	**6216**
	सकल जोड (क+ख)	**32000**	**30348**	**33840**	**22380**
III	संचित रोजगार (लाख व्यक्ति)	92.42	85.1	87.98	जारी

स्रोतः राज्य रेशम उत्पादन विभागों से प्राप्त एमआईएस रिपोर्टों से संकलित

क. योजना और इसके संघटकः

''एकीकृत रेशम उद्योग विकास योजना'' नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना को विभिन्न राज्यों में सीएसबी की इकाइयों के माध्यम से निम्नलिखित चार संघटकों से क्रियान्वित किया जा रहा हैः

1. अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी और आई.टी. पहलों का अंतरण
2. बीज संगठन
3. समन्वय और बाजार विकास
4. गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली, निर्यात, ब्रांड संवर्धन और प्रौद्योगिकी उन्नयन

इस योजना का उद्देश्य वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और आर्थिक अनुसंधान कार्य करके, सहायता करके और प्रोत्साहित करके रेशम उद्योग का व्यापक और संपोषणीय विकास करना, होस्ट प्लांट कल्टिवेशन की उन्नत पद्धतियों के लिए माध्यम तैयार करना, रेशम कीट पालन,

अच्छी संकर नस्ल वाले स्वस्थ रेशम कीट बीजों का विकास और वितरण करना, रेशम की गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार करना, रेशम उद्योग के समग्र विकास के लिए उन राज्यों के साथ समन्वय करना जिन्हें अधिनियम के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड के कार्य सौंपे गए हैं।

ख. अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी और आईटी पहलों का अंतरण

i. अनुसंधान और विकास (आरएंडडी):

वर्ष 2017–18 के दौरान दिसम्बर, 2017 के अंत तक कुल 32 नई अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की गई हैं और सीएसबी की विभिन्न आरएंडडी संस्थाओं द्वारा 17 परियोजनाए पूरी की गई हैं और कुल 150 अनुसंधान परियोजनाएं प्रगति पर हैं जिनमें से 92 मलबर क्षेत्र, 41 वान्या क्षेत्र और 17 कोया पश्च क्षेत्र में हैं।

ii. होस्ट प्लांट में सुधार:

व्यावसायिक दृष्टि से लाभ प्राप्त करने के लिए एआईसीईएम के तहत तीन वर्षों के लिए समूचे देश के 18 परीक्षण केंद्रों में मलबरी की विभिन्न किस्मों का परीक्षण करके दक्षिण के लिए जी4ए पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए सी2038 और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए टीआर–23 किस्मों की पहचान की गई है। मलबरी की इन किस्मों में 55–60 एमटी/हेक्टेयर/वर्ष पत्ती उपज क्षमता है। इसके अलावा एजीबी–8ए पीपीआर–1 और सी1360 नामक अच्छी उपज देने वाली मलबरी किस्मों को विकसित किया गया है और अखिल भारतीय स्तर पर ये परीक्षण के लिए तैयार हैं।

इस क्षेत्र में तसर रेशम कीटों के लिए तेजी से बढ़ने और आसानी से पोषण किए जाने वाले होस्ट प्लांट के रूप में लेजरस्ट्रोएमिया स्पेसिओसी को लोकप्रिय बनाया गया था। इस क्षेत्र में लीफ स्पॉट रोग, लीफ ब्लाइट और रस्ट प्रतिरोधक क्षमता वाली दो सोम किस्मों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। 32 एमटी/हेक्टेयर/प्रतिवर्ष पत्ता उपज वाली ऐलेथस ग्रेंडिस (बारपट) को रेशम कीट के लिए वैकल्पिक होस्ट प्लांट के रूप में लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

विगत 10 वर्षों के दौरान वाणिज्यिक लाभ प्राप्त करने के लिए मलबरी की कुल 11 किस्में जारी की गई हैं। इसी प्रकार वाणिज्यिक लाभ प्राप्त करने के लिए चार नए वान्या होस्ट प्लांटों की सिफारिश की गई है।

iii. रेशम कीट नस्लों का विकास:

जी11Xजी19 और बी.कोन 1Xबी.कोन.4 नामक दो नई बाइवोल्टाइन संकर नस्ल और एम6डीपी(सी) X (एस के 6 X एस के 7) नामक एक क्रॉस नस्ल प्राधिकार के लिए तैयार है। एस8X सीएसआर 16, एसएसबीएस5 Xएसएसबीएस6, डी6पीएन Xएसके4सी नामक तीन बाइवोल्टाइन संकर नस्लों और एमवी 1 Xएस8, एम6डीपी (सी) X डी6पीएन और एम6डीपी (सी) X (डी6पीएन ग्एसके4सी) नामक तीन क्रॉस नस्लों को प्राधिकार परीक्षण के लिए चुना गया है। इनके अलावा, एमएएसएन4 Xसीएसआर4, एमएएसएन6 Xसीएसआर4 और एमएएसएन7 Xसीएसआर4, सीएसआर52एन Xसीएसआर26एन; (सीएसआर52एन Xएस8एन) Xसीएसआर16एन Xसीएसआर26एन) नामक एनपीजी के प्रति सहिष्णु पांच

बाइवोल्टाइन संकर नस्लों, उच्च तापमान के प्रति सहिष्णु एन3 Xएस8 और एचबी4 Xएस8 नामक दो संकर नस्लों को विकसित किया गया है और फील्ड में इनका परीक्षण किया जा रहा है।

इसी प्रकार वाईजेज Xवाईएस और जीबीएस Xजीबीजेड नामक एरी की दो संकर नस्लों को विकसित किया गया था और फील्ड में इनका परीक्षण किया जा रहा है। विगत 10 वर्षों में वाणिज्यिक लाभ प्राप्त करने के लिए 10 नई मलबरी रेशम कीट संकर नस्लों, 5 वान्या रेशमकीट नस्लों को जारी किया गया है।

वर्ष 2005–06 के दौरान 48 कि.ग्रा./100 डीएफएलएस की उपज में सुधार करके वर्ष 2017–18 के दौरान इसे 60 कि.ग्रा./100 डीएफएलएस करने में आरएंडडी के प्रयासों से सहायता मिली है।

iv. पश्च कोया प्रौद्योगिकी का विकासः

- मलबरी के लिए देशी स्वचालित रीलिंग इकाई और वान्या रेशम के लिए उन्नत रीलिंग और स्पिनिंग इकाई का विकास
- 'स्लग रिमूविंग के लिए स्लग कैचर' की विकसित प्रौद्योगिकी
- 'सीएसटीआरआई इको डिगमिंग मशीन का उपयोग करके यार्न डिगमिंग' की विकसित प्रौद्योगिकी
- हैंक यार्न रूप में विकसित रेशम यार्न से सेरिसिन के एचटीएचपी निष्कर्षण का प्रयोग करके एरी कोया डिगमिंग की प्रौद्योगिकी
- वर्टिकल रीलिंग मशीन को ठीक किया गया और अच्छी उत्पादकता के लिए तीन सिरे वाली मशीन बनाया गया
- फाइब्रोइन मैट्रिक्स से संपन्न मलबरी, तसर, मूगा और एरी रेशम फैब्रिक विकसित की गई।

v. उत्पाद डिजाइन विकास और विविधीकरण (पी3डी)

एनआईएफटीए एनआईएफटी–टीईए त्रिपुरा के साथ सहयोग वाली पी3डी और वीएसएमपीसी परियोजनाओं के तहत एआईएफडी ने निम्नलिखित विविधीकृत उत्पाद विकसित किए:

- एरी रेशम डेनिम फैब्रिक्स और परिधान
- इरोड और पूर्वोत्तर में एरी सिल्क हैंड वुवेन डेनिम
- एरी सिल्क निटवियरए थर्मल वियर एंड सॉक्स
- शुद्ध चंदेरी रेशमी साडियां और ड्रेस मटीरियल
- रेशम में कलस्टर आधारित उत्पाद (सुंदर कुशल केंद्र, चंदेरी और चिंतामणि में लेबनी कला)
- डिजाइनिंग में मूगा रेशम का प्रयोग करते हुए पोचमपल्ली कलस्टर में मलबरी साड़ी

इन उत्पादों को टेक्सटाइल इंडिया 2017, गांधीनगर, पूर्वोत्तर सम्मेलन, शिलांग, प्रवासी भारतीय प्रदर्शनी जो फ्रांस में नेक्स्ट है, सिल्क मार्क एक्सपो और प्रदर्शनी, मास्को में प्रदर्शित किया गया था। पी3डी और वीएसएमपीसी (वान्या सिल्क मार्केट प्रोमोशन काउंसिल) ने इन उत्पादों का वाणिज्यिक लाभ प्राप्त करने के लिए विनिर्माताओं की पहचान की है तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन विविधीकृत उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन उत्पादों का वाणिज्यिक लाभ प्राप्त करने के लिए विनिर्माताओं और निर्यातकों को नए डिजाइन और तकनीकी जानकारी प्रदान की जाती है। वान्या रेशम और उत्पादों का जैनरिक और ब्रांड संवर्धन करने के लिए परस्पर संवाद, उत्पाद लांच कार्यक्रम और एक्सपो आयोजित किए जा रहे हैं। उत्पाद डिजाइन, विकास और संवर्धन के क्षेत्रों में निफ्ट के विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

vi. वाणिज्यिकीकरण के लिए पेटेंट/प्रस्ताव करने हेतु दर्ज की गई प्रौद्योगिकी/उत्पाद:

- चालू वर्ष के दौरान ''रॉट फिक्स'' उत्पाद को पेटेंट करने और वाणिज्यिकीकरण के लिए आवेदन किया गया है।
- मिट्टी का उपजाऊपन और मलबरी पत्ती की उपज बढ़ाने के लिए ह्यूमी–लाइफ, डीआर सोइल और अंकुर सोइल के प्रयोग की वैधता और सिफारिश

ग. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण:

वर्ष 2017–18 के दौरान सीएसबी के आरएंडडी संस्थान के साथ क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रभाग ने उद्योग के हितधारकों का क्षमता निर्माण और विकास करना जारी रखा। सहभागियों को कई प्रकार के संरचित और आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से रेशम के सभी उप–क्षेत्रों (मलबरी, तसर, एरी और मूगा) को शामिल करते हुए रेशम क्षेत्र के लिए संस्तुत की गई विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी और हाल में हुए विकास के बारे में बताया गया।

'बीज बोने की कुशल प्रक्रिया' और 'कुशल विकास दृष्टिकोण' के माध्यम से कुल 16,690 व्यक्तियों को दिसम्बर, 2017 तक 11480 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

चार वित्त वर्ष (सितम्बर, 2017 तक) के दौरान 3 उपलब्धियों की विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

- वर्ष 2016–17 के दौरान स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत उन 31 उम्मीदवारों की तुलना में जो इस अक्तूबर पाठ्यक्रम पूरा करके उत्तीर्ण होंगे, वर्ष 2017–18 के दौरान कुल 36 विद्यार्थियों को पंजीकृत किया गया है (मलबरी में 20 और वान्या रेशम उत्पादन में 16 उम्मीदवार)। इनमें से अधिकांश उम्मीदवारों को पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों सहित रेशम उत्पादन करने वाले विभिन्न राज्यों द्वारा प्रायोजित किया गया है।
- एनईआरटीपीएस और रेशम उत्पादन की अन्य परियोजनाओं के तहत वर्ष 2016–17 के दौरान 6628 व्यक्तियों के अलावा 9145 किसानों/उद्योग के हितधारकों को रेशम उत्पादन प्रौद्योगिकी के बारे में बताया गया और 917 इन–हाउस मानव संसाधनों का कौशल उन्नयन किया गया। सितम्बर, 2017 तक वर्ष 2017–18 के दौरान वर्ष 2016–17 की तदनुरूप अवधि में शामिल किए गए 6236 लाभार्थियों की तुलना में 7461 व्यक्ति शामिल किए गए।
- अभी तक प्रमुख रेशम उत्पादन हब/कलस्टरों में कुल 15 रेशम उत्पादन संसाधन केंद्र (एसआरसी) स्थापित किए गए हैं और ये सभी कार्य कर रहे हैं। अपनी स्थापना से लेकर अब तक इन एसआरसी ने 1877 किसानों को शामिल किया है। इन एसआरसी का संचालन अभिजात किसानों द्वारा किया जाता है और वे 'सहकर्मियों से सीखने' के आधार पर काम करते हैं।
- केंद्रीय तसर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान सीएसबी, रांची के परिसर में सेरी–बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित करने की प्रक्रिया छः माह से एक वर्ष के लिए शुरू की गई है।

तसर सिल्क रीलिंग/पश्च कोया क्षेत्र में नवोदित उद्यामियों की सहायता करने के लिए 25.00 लाख रुपए की यूनिट लागत से।

यह आशा की जाती है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान वर्ष के अंत तक (मार्च, 2018) उद्योग के 15,270 हितधारकों को शामिल किए जाने का उल्लिखित लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।

घ. प्रौद्योगिकी का अंतरण (टीओटी):

पूरी हुई परियोजनाओं से प्राप्त प्रौद्योगिकी को कृषि मेलों, सामूहिक चर्चा प्रबोधन कार्यक्रमों, फील्ड डे, किसानों की बैठकों, दृश्य–श्रव्य कार्यक्रमों, प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन आदि जैसे संचार के विभिन्न माध्यमों से इस फील्ड में कारगर ढंग से अंतरित किए जा रहे हैं। वर्ष 2017–18 के दौरान (सितम्बर, 2017 के अंत तक) पूर्व–कोया क्षेत्र के तहत प्रयोक्ता स्तर के लिए कुल 1540 टीओटी कार्यक्रम आयोजित किए गए और 46 प्रौद्योगिकी अंतरित की गईं। इसके अलावा पश्च–कोया क्षेत्र में कुल 1306 फील्ड कार्यक्रम/प्रौद्योगिकी प्रदर्शनियां आयोजित की गईं और 76687 कोया और रेशम के नमूनों का परीक्षण किया गया जिनके अच्छे परिणाम निकले।

ङ कलस्टर संवर्धन कार्यक्रम (सीपीपी)

(i) बाइवोल्टाइन कलस्टर संवर्धन कार्यक्रम

12वीं योजना के दौरान देश में आयात विकल्प रेशम में वृद्धि करने और वर्ष 2012–13 में बाइवोल्टाइन के 1685 मी.ट. उत्पादन को वर्ष 2016–17 के अंत तक बढ़ाकर 5000 मी.ट. करने पर सर्वाधिक जोर दिया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड ने राज्य रेशम उत्पादन विभागों के साथ मिल कर शेष 1800 मी.ट. का उत्पादन करने के लिए गैर–उत्पादक (नॉन–कैप्टिव) क्षेत्रों पर ध्यान देने के अलावा कलस्टरों के माध्यम से 12वीं योजना अवधि के अंत तक 3200 मी.ट. बाइवोल्टाइन कच्ची रेशम का उत्पादन करने के लिए 174 बाइवोल्टाइन कलस्टरों को विकसित किया था। निदेशक, अनुसंधान संस्थान, सीएसआर एंड टीआई मैसूर/पैंपुर/बरहामपुर और एनएसएसओ, बंगलोर को संवर्धित राज्यों के रेशम उत्पादन विभागों के साथ निकट समन्वय करके उन कलस्टरों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने का काम सौंपा गया था।

वर्ष 2016–17 के दौरा बाइवोल्टाइन ग्रेडेबल कच्ची रेशम का 5266 मी.ट. का सबसे अधिक उत्पादन हुआ जो वर्ष 2011–12 (11वीं योजना अंत तक) के दौरान हुए 1685 मी.ट. के उत्पादन में 313% की वृद्धि दर्शाता है। विगत वर्ष (2016–17) के दौरान देश में बाइवोल्टाइन रेशम का 5260 मी.ट. के लक्ष्य की तुलना में 5266 मी.ट. (100%) का उत्पादन हुआ जिसमें 3400 मी.ट. रेशम (65%) का उत्पादन 174 कलस्टरों ने किया।

वर्ष 2016–17 और 2017–18 (दिसम्बर, 2017 तक) में बाइवोल्टाइन कच्ची रेशम का उत्पादन और इसमें कलस्टरों का योगदान नीचे सारणी में दिया गया है:–

वर्ष	कच्ची रेशम			
	लक्ष्य (एमटी)	प्राप्ति (एमटी)	प्राप्ति (%)	कलस्टरों में उत्पादन (एमटी)
2016-17	5260	5266	100 %	3400
2017-18	6200	4241	68%	2800

चालू वर्ष (2017–18) के दौरान देश के लिए 6200 मी.ट. बाइवोल्टाइन कच्ची रेशम के कुल लक्ष्य में से दिसम्बर, 2017 तक 4241 मी.ट. का उत्पादन हुआ। यह आशा की जाती है कि वर्ष 2017–18 के दौरान कलस्टरों से 4100 मी.ट. और नॉन–कैप्टिव क्षेत्रों से शेष 2100 मी.ट. का उत्पादन होगा।

(ii) गांव से जुड़े कार्यक्रम

प्रयोगशाला से भूमि तक प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से अंतरण करने और मॉडल रेशम उत्पादन गांव स्थापित करने के लिए सीएसबी ने वर्ष 2014–15 के दौरान अपने मुख्य आरएंडडी संस्थानों के माध्यम से गांव से जुड़े कार्यक्रम को क्रियान्वित किया। आईवीएलपी कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य नीचे दिए गए हैं:

- प्रौद्योगिकी आधारित पहल करना जिनमें

लघु कृषि उत्पादन प्रणाली की प्रभावकारिता के साथ स्थिरता और संपोषणीयता पर जोर दिया जाए।

- प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेपों को बनाए रखने के लिए उचित प्रौद्योगिकी शुरू करना और समेकित करना तथा पर्यावरण संबंधी मुद्रदों को ध्यान में रखते हुए उत्पादकता और लाभप्रदता को बनाए रखने के लिए उनका समेकन करना।
- अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि उत्पादोंए उप–उत्पादों और अपशिष्टों के उचित ऑन–फार्म मूल्य संवधन को अपनाने के लिए सुविधा प्रदान करना।
- किसान महिलाओं के कठोर परिश्रम को दूर करने, कार्यकुशलता बढ़ाने और आय में वृद्धि करने के लिए उचित प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए सुविधा प्रदान करना।
- प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के सामाजिक–आर्थिक प्रभाव पर नजर रखना।

ग्राम से जुड़े कार्यक्रम (आईवीएलबी) के तहत विभिन्न रेशम उत्पादन अंचलों में सीएसबी के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों ने 100ः प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए लगभग 5585 किसानों को शामिल करते हुए 51 ग्राम कलस्टरों को अपनाया है। इस कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए कुल 5585 किसानों में से 3573 किसानों की निगरानी 27 मलबरी कलस्टरों और 1712 किसानों की निगरानी 21 वान्या कलस्टरों में तथा 300 किसानों की निगरानी पश्य कोया क्षेत्रों में सीएसबी के संबंधित अनुसंधान संस्थानों द्वारा की जा रही है। उपर्युक्त कलस्टरों के परिणाम उत्साहवर्धक रहे जिनमें कम बेंच मार्क के उत्पादन स्तर की तुलना में बाइवोल्टाइन कोया की अधिक उपज हुई जिसने देश में कच्ची बाइवोल्टाइन रेशम उत्पादन बढ़ाने में भी अपना योगदान दिया। इस कार्यक्रम को वर्ष 2017–18 से 2019–20 की तीन वर्ष की अवधि के लिए जारी रखा जा रहा है। इस बारे में यह पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के लाभए आस–पास के गांवों के किसानों को इन अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे जिससे अंततः रेशम उत्पादन प्रौद्योगिकी का व्यापक पैमाने पर अंतरण होने में सहायता मिलेगी।

(iii) वान्या कलस्टर संवर्धन कार्यक्रम

सीएसबी ने वान्या रेशम को बढ़ावा देने के लिए 9 राज्यों में कलस्टर एप्रोच के माध्यम से राज्य सरकारों के सहयोग से 22 वान्या कलस्टर स्थापित किए हैं। वीसीपीपी के तहत कुल 1853 के लक्ष्य में से प्रौद्योगिकी अंतरण सेवा संबंधी क्षमता निर्माणए अनुभव दौरा, द्वार से द्वार सेवा और जागरूकता कार्यक्रम के तहत 1625 लाभार्थी शामिल किए गए। बीज फसल (पहली फसल) में अपनाए गए बीज उत्पादकों द्वारा कुल 1.79 लाख डीएफएलएस साफ किए गए और 54.71 लाख डीएफएल प्राप्त करने के लिए 125 प्राइवेट ग्रेनियर्स ने इनका प्रसंस्करण किया। इनमें से 4.37 लाख डीएफएलएस का पालन–पोषण कलस्टरों में दूसरी फसल (वाणिज्यिक) में 1905 वाणिज्यिक किसानों ने किया और वर्ष 2016–17 के

दौरान 173.56 लाख कोयों का उत्पादन किया। शेष 0.88 लाख बीजों की आपूर्ति कलस्टरों के बाहर वाणिज्यिक किसानों को की गई।

च. **आईटी पहलें:**

i. **एम किसान:** सीएसबी ने एम किसान वेब पोर्टल का प्रयोग करके अपने मोबाइल फोन के माध्यम से किसानों को वैज्ञानिक सलाह प्रदान करने के लिए सूचना का प्रसार करने हेतु वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की आउटरीच को व्यापक बना दिया है।

ii. किसानों और उद्योग के अन्य हितधारकों के उपयोग के लिए रेशम और कोया की बाजार की दैनिक दरों को मोबाइल फोन के माध्यम से '**एसएमएस सेवा**' पुश और पुल, दोनों एसएमएस सेवायें कार्य कर रही हैं। सभी 4581 पंजीकृत किसान दैनिक आधार पर एसएमएस संदेश प्राप्त कर रहे हैं।

iii. **डाटा वेयर हाउसिंग:** सीएसबी ने सभी मुख्य अनुसंधान संस्थानों के लिए वेब पोर्टल बनाने के कदम उठाए है जिनसे और अधिक कुशल और प्रभावी ढंग से सूचना भेजी जा सकती है। इसके अतिरिक्त डाटाबेश पैकेज से संगत आंकड़े एकत्र करने में सहायता मिलती है जिसे निर्णय लेने में इस्तेमाल किया जाएगा।

iv. **सिल्क पोर्टल:** उपग्रह के माध्यम से भौगोलिक तस्वीरें प्राप्त कर नार्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लिकेशन सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सहयोग से सेरिकल्चर इंफॉर्मेशन लिंकेजेज एंड नॉलेज सिस्टम पोर्टल विकसित किया गया है और उन क्षेत्रों में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए संभावित क्षेत्रों का विश्लेषण और चयन करने में इसका प्रयोग किया गया है। बहु–भाषा, अनेक जिलों के आंकड़ों को नियमित आधार पर अद्यतन किया जा रहा है।

v. **एसईआरआई–5** के डाडबेस का समूचे देश में किसानों के बाइवोल्टाइन कलस्टर के रखरखाव और प्रबंधन के लिए तैयार और विकसित किया गया है।

vi. किसानों और रीलरों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस राष्ट्रीय स्तर पर किसानों और रीलरों के डाटाबेस को तैयार और विकसित किया गया है जिससे नीति निर्माताओं को उचित सूचना मिलने पर प्रभावी निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। दिनांक 31 जनवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार डाटाबेस में राज्यों द्वारा 560532 किसानों और 7134 रीलरों के ब्यौरें दर्ज किए।

4.3.2 बीज संगठन–रेशमकीट बीज उत्पादन और आपूर्ति

बेंगलूरू में स्थित राष्ट्रीय रेशम कीट बीज संगठन (एनएसएसओ) के अधीन सीएसबी और राज्या विभागों के अंतर्गत कार्यरत बीज उत्पादन केंद्रों में वाणिज्यिक रेशम कीट बीज के उत्पादन हेतु मूल बीज का उत्पादन और आपूर्ति 19 मूल बीज फार्मों (बीएसएफ) का एक नेटवर्क करता है। इसके अलावा, उद्योग की सहायता करने के लिए अलग–अलग राज्यों में एनएसओ के अधीन 20 रेशम कीट बीज उत्पादन केंद्र (एसएसपीसी) कार्य कर रहे हैं। 19 एसएसपीसी में

आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन के अंतर्गत बीजोत्पादन में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली अपनाकर रोगमुक्त गुणवत्ता युक्त डीएफएलएस के उत्पादन की तरफ जोर दिया गया था।

बिलासपुर में स्थित आधारभूत तसर रेशम कीड़ा बीज संगठन (बीटीएसएसओ) के अंतर्गत देश में 21 आधारभूत बीज बढ़ोत्तरी तथा प्रशिक्षण केंद्र (बीएसएम एवं टीसी) और एक केंद्रीय तसर रेशम कीड़ा बीज स्टेशन (सीटीएसएसएस) कार्य कर रहा है। इन यूनिटों का मुख्य दायित्व बीज उत्पादन का व्यवस्थित प्रबंधन और देश में ट्रापिकल तसर बीज की आपूर्ति करना है। ओक तसर के संबंध में 2 क्षेत्रीय तसर अनुसंधान स्टेशन (अरटीआरएस), एक ओक तसर ग्रेनेज, 3 आरईसी और 2 आरईसी–सह–बीएसएम एवं टीसी ओक तसर बीज उत्पादन तथा आपूर्ति हेतु कार्य कर रहे हैं।

वर्ष 2016–17 और 2017–18 (दिसम्बर, 2017 तक) के दौरान सीएसबी बीज इकाइयों द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरे नीचे सारणी में दिया गया है:

(डीएफएलएस लाख में)

#	बीज की किस्म	2016-17		2017-18	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	**मलबरी**				
क	मूलबीज	12.74	11.52	9.94	6.77
ख	वाणिज्यिक बीज	450.00	430.37	440.00	237.98
2	**वान्या बीज**				
क	मूलबीज				
i	तसर (मूल और बीज केंद्र)	46.78	47.97	50.09	49.08
ii	ओक तसर	0.65	0.63	0.99	0.08
iii	मूगा	6.49	5.00	6.72	4.30
iv	एरी	0.65	0.87	0.60	0.84
ख	**वाणिज्यिक बीज**				
I	मूगा	1.64	1.87	1.35	1.27
ii	एरी	4.85	3.91	5.40	5.07

4.3.3 समन्वय और बाजार विकास:

सीएसबी का विजन 'भारत को वैश्विक सिल्क में उभरते अग्रणी देश के रूप में देखना' है और इस विजन के अनुरूप बोर्ड ने क) रेशमकीट बीज उत्पादन, ख) कृषि क्षेत्र/पूर्व कोया क्षेत्र और ग) उद्योग या पश्च–कोया क्षेत्र नामक सभी तीन विशिष्ट क्षेत्रों के लिए अपने कार्यक्रम और रणनीतियां तैयार की हैं। वर्ष 2017–18 के दौरान अन्य प्राथमिकताओं के

साथ–साथ रेशम उत्पादन क्षेत्र में अच्छी किस्म के बी वी मलवरी कच्ची रेशम के उत्पादन बढ़ाने पर था।

4.3.4 कच्ची सामग्री बैंक

सीएसबी ने प्राथमिक उत्पादों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चत करने के लिए कोया की कीमतों को स्थिर करने हेतु वान्या रेशम के लिए कच्ची सामग्री बैंक स्थापित किए हैं।

वर्ष 2016–17 और 2017–18 (दिसम्बर, 2017 तक) के दौरान आरएमबी/एमआरएमबी और इसके उप–डिपो द्वारा की गई तसर/मूगा कोया की खरीद और बिक्री का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) तसर कच्ची सामग्री बैंक, चाईबासा:

(इकाई: मात्रा लाख में और मूल्य लाख रुपए में)

वर्ष	खरीद		बिक्री	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2016-17	200.76	287.10	171.68	229.88
2017-18 (दिसम्बर, 2017 तक)	125.31	129.99	100.03	155.64

(ii) मूगा कच्ची सामग्री, बैंक, सिबसागर

(इकाई: मात्रा लाख में और मूल्य लाख रुपए में)

वर्ष	खरीद		बिक्री	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2016-17	1.55	2.77	1.55	2.92
2017-18 (दिसम्बर, 2017 तक)	1.5	2.20	1.5	2.31

4.3.5 गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली

गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली का एक मुख्य उद्देश्य 'गुणवत्ता आश्वासन' गुणवत्ता मूल्यांकन और गुणवत्ता प्रमाणन को सुदृढ़ बनाने के लिए उचित उपाय करना है। इस योजना के तहत 'कोया और कच्ची रेशम परीक्षण यूनिट' और 'सिल्क मार्क को बढ़ावा देने' के दो संघटकों को क्रियान्वित किया जा रहा है। कोया की किस्म, रीलिंग के दौरान कार्य निष्पादन और उत्पादन की गई कच्ची रेशम की किस्म को प्रभावित करती है। इस प्रकार कोया की अच्छी किस्म बनाए रखने के लिए सीडीपी की सहायता से विभिन्न राज्य विभागों के विभिन्न कोया बाजारों में 24 कोया परीक्षण केंद्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया है ताकि कोया

परीक्षण को सुकर बनाया जा सके। क्षेत्रीय कार्यालयों से जुड़े केंद्रीय रेशम बोर्ड के 8 प्रमाणन केंद्र, निर्यात किए जाने वाले रेशम सामान का स्वैच्छिक आधार पर लदान–पूर्व निरीक्षण करते हैं ताकि भारत से निर्यात किए जा रहे रेशम के सामान की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

इसके अलावा, केंद्रीय रेशम बोर्ड, बंगलोर में स्थित भारतीय सिल्क मार्क संगठन (एसएमओआई) के माध्यम से रेशम उत्पादों की शुद्धता के लिए 'सिल्क मार्क' को लोकप्रिय बना रहा है। 'सिल्क मार्क' आश्वासन प्रदान करने वाला लेबल है जो शुद्ध रेशम के नाम पर मिलावट वाले उत्पादों को बेच रहे व्यापारियों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है।

वर्ष 2016–17 और 2017–18 (दिसम्बर, 2017 तक) के दौरान 'सिल्क मार्क' योजना को बढ़ावा देने में हुई प्रगति नीचे दी गई है:

विवरण	2016-17		2017-18	
	लक्ष्य	मार्च, 2017 तक प्राप्ति	लक्ष्य	दिसम्बर, 2017 तक प्राप्ति
पंजीकृत कुल प्राधिकृत प्रयोक्ताओं की संख्या	250	254	250	219
बेचे गए कुल सिल्क मार्क लेवल (लाख में)	25.00	25.53	27.50	19.042
जागरूकता				
जागरूकता कार्यक्रम/प्रदर्शनियां मेले/कायशाला/सड़क/प्रदर्शन (सं.)	410	622	450	408
कोकोन परीक्षण केन्द्र (संख्या)	10	2	2	-
कच्ची रेशम परीक्षण (सं.)	6	3	1	-

4.3.6 सिल्क मार्क प्रदर्शनियां:

यह कि सिल्क मार्क की विश्वसनीयता और लोकप्रियता और बढ़ाना, सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समूचे देश में सिल्क मार्क के प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष रूप से सिल्क मार्क प्रदर्शनियां आयोजित की जा रही हैं। यह प्रदर्शनियां न केवल सिल्क मार्क को लोकप्रिय बनाने के लिए एक आदर्श मंच है बल्कि शुद्ध सिल्क उत्पादों को खरीदने और बेचने के लिए विनिर्माताओं और उपभोक्ताओं को एक मंच पर ला रही हैं। इस कार्यक्रम के दौरान एसएमओआई द्वारा व्यापक जागरूकता और प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

वर्ष 2017–18 (अप्रैल, 2017 से अक्तूबर, 2017 तक) के दौरान एसएमओआई ने

गुवाहाटी और चेन्नई में एक–एक और कुल दो सिल्क मार्क प्रदर्शनियां आयोजित कीं।

4.3.7 अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

रेशम उत्पादन क्षेत्र में सहयोग करने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड और गुवांगक्सी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, चीन के बीच गांधीनगर में 1 जुलाई, 2017 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। समझौता ज्ञापन में दो संस्थानों के बीच रेशमकीट बीजों की रोग प्रतिरोधक किस्में विकसित करने हेतु सहयोग की परिकल्पना की गई है। रेशम कीट प्रजनन और पश्च कोया प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नवम्बर, 2016 में केंद्रीय रेशम बोर्ड और इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रो–बायोलॉजिकल सांइसेज, नेशनल एग्री कल्चर एंड फूड रिसर्च आर्गनाइजेशन (एनएएफआरओ) के बीच समझौत ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

4.3.8 योजना स्कीमों के लिए बजट आवंटनः

वर्ष 2016–17 और 2017–18 (दिसम्बर, 2017 तक) के दौरान प्रमुख स्कीमों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए बजट आवंटन और व्यय नीचे दिया गया हैः

(करोड़ रुपये में)

सीएसबी के कार्यक्रम	**2016-17**		**2017-18**	
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय (दिसम्बर,17 तक)**
वस्त्र उद्योग की एकीकृत विकास योजना				
अनुसंधान, विकास प्रशिक्षण और आईटी पहलें	74.82	74.82		
बीज संगठन	34.83	34.83		
समन्वय और बाजार विकास (एचआरडी)	11.64	11.64	131.00	92.96
गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली और निर्यात/ ब्रांड संवर्धन और प्रौद्योगिकी उन्नयन	1.49	1.49		
एससीएसपी	22.73	22.73	23.00	20.11
टीएसपी	8.50	8.50	30.00	23.78
कुल योग	**154.01**	**154.01**	**184.00**	**136.85**

''एकीकृत रेशम उद्योग विकास योजना'' नामक युक्तिसंगत बनाई गई केंद्रीय क्षेत्र की इस समग्र चल रही योजना को 12वीं योजना के बाद तीन वर्ष के लिए अर्थात 2017–18 से 2019–20 तक क्रियान्वयन हेतु जारी रखे जाने का प्रस्ताव है

4.3.9 तसर विकास के लिए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी):

केंद्रीय रेशम बोर्ड, तसर रेशम उद्योग के विकास के लिए अक्तूबर, 2013 से झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, बिहार सरकार और प्रदान के साथ समन्वय करके बिहार में एमओआरडी (5366.15 लाख रुपए) तथा सीएसबी (1794.75 लाख रुपए) की हिस्सेदारी से 7160.90 लाख रुपए के परिव्यय से महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) के क्रियान्वयन का समन्वय कर रहा है। इस परियोजना में उपर्युक्त 8 राज्यों के चुने हुए 23 जिलों में, जो वामपंथी अलगाववाद से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं, गरीब परिवारों और विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आजीविका के 36,000 से अधिक संपोषणीय अवसरों का सृजन किए जाने की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना में तसर होस्ट प्लांट के ब्लॉक पौधारोपण को बढ़ाकर 3500 हेक्टेयर करने, प्राकृतिक वनस्पति की लगभग 1378 हेक्टेयर में पुनः करने, 6.75 लाख मूल डीएफएलएस बीजों, 59.35 लाख वाणिज्यिक बीजों, 16 करोड़ रीलिंग कोयों का उत्पादन करने के साथ–साथ 478 सामुदायिक संसाधन लोगों का पोषण करने की परिकल्पना की गई है।

परियोजना के तहत 800 औपचारिक उत्पादक समूहों में कुल 31210 किसानों को शामिल किया गया है। 2496 किसानों ने 1377.74 हेक्टेयर में तसर होस्ट प्लांट लगाए हैं। 1.13 लाख डीएफएलएस मूल बीज और 8.031 लाख डीएफएलएस बुनियादी बीजों का उत्पादन किया गया ताकि 51.92 लाख मूल और 230.75 लाख बुनियादी बीज कोयों का उत्पादन किया जा सके। 254 प्राइवेट ग्रेनियर ने 165.75 लाख बीज कोयों का संसाधन किया और 36.81 लाख वाणिज्यिक डीएफएलएस का उत्पादन किया। 12426 वाणिज्यिक

उत्पादकों ने 38.69 लाख डीएफएलएस ब्रश किए और 929.58 लाख रीलिंग कोयों का उत्पादन करने के साथ ही समूची तसर मूल्य श्रृंखला में विभिन्न क्षमता और संस्थागत निर्माण संबंधी क्रियान्वयन भी किए।

4.3.10एनआरएलएम सहायता संगठन (एनएसओ) के रूप में सीएसबी के साथ एमकेएसपी के तहत परियोजनाओं का स्तर बढ़ाना

सीएसबी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) होने के नाते एमओआरडी सहायता संगठन (एनएसओ) में तसर क्षेत्र में परियोजना के स्तर बढ़ाने की पहलों में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएसएम) का समर्थन कर रहा है।

एमओआरडी ने झारखंड (25000), ओडिशा (5220) और पश्चिम बंगाल (50000) राज्यों के लिए 63.34 करोड़ रुपए के परिव्यय से एमओआरडी द्वारा वित्तपोषित (60%) 35,220 महिला किसानों को शामिल करके तीन एमकेएसपी तसर परियोजनाएं अनुमोदित कर दी हैं।

4.4 ऊन एवं ऊनी वस्त्र

4.4.1 केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी), जोधपुर

एकीकृत विकास नीति के साथ ऊनी उद्योग के अलग–अलग क्षेत्रों में विभिन्न विविधीकृत हित में सामंजस्य बिठाने के उद्देश्य से केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी) का गठन वर्ष 1987 में किया गया था जिसका मुख्यालय जोधपुर, राजस्थान में है। सीडब्ल्यूडीबी को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। यह वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। बोर्ड ऊन क्षेत्र की वृद्धि और विकास से संबंधित मामलों पर वस्त्र मंत्रालय के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में भी कार्य करता है।

4.4.2 योजना बजट

वित्त वर्ष 2017–18 से 2019–20 के लिए कुल 112 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय में से वित्त वर्ष 2017–18 के लिए योजना आबंटन 32.00 करोड़ रुपए है।

क. क्रियान्वयनाधीन योजनाओं का ब्यौरा

(i) एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी)

ऊन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए वस्त्र मंत्रालय ने नया एकीकृत कार्यक्रम अर्थात एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) तैयार किया है जिसे स्थायी वित्त समिति की दिनांक 23.03.2017 को आयोजित इसकी बैठक में अनुमोदित किया गया है। एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम को दिनांक 04 दिसंबर, 2017 को माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा भी स्वीकृत/अनुमोदित किया गया है। इस कार्यक्रम को केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के माध्यम से आगामी तीन वर्षों अर्थात 2017–18 से 2019–20 में प्रमुख ऊन उत्पादक राज्यों में क्रियान्वित किया जाएगा। यह कार्यक्रम सभी हितधारकों जैसे ऊन उत्पादक को–आपरेटिव्स का

गठन, मशीन शीप शियरिंग, ऊन विपणन/ऊन प्रसंस्करण/ऊनी उत्पाद निर्माण सशक्तिकरण की अनिवार्य आवश्यकता सहित ऊन क्षेत्र के विकास के लिए बनाया गया है। अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप के माध्यम से प्रमाणन, लेबलिंग, पश्मीना ऊन की ब्रांडिंग और औद्योगिक उत्पादों में दक्कनी ऊन के उपयोग पर जोर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री ने 50 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ जम्मू एवं कश्मीर राज्य में पश्मीना क्षेत्र के विकास के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम को जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए पुर्निर्माण योजना के नाम से आईडब्ल्यूडीपी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। आईडब्ल्यूडीपी ऊन क्षेत्र की समग्र श्रृंखला अर्थात ऊन उत्पादक से अन्त्य उपयोगकर्ता तक सहायता प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी:

(ii) ऊन विपणन योजना

ऊन के उत्पादन के पश्चात एकमात्र सबसे कमजोर कड़ी ऊन का विपणन है। भारत में ऊन का विपणन अनिवार्य रूप से निजी ऊन व्यवसासियों और व्यापारियों के हाथ में है। ऊन उत्पादों को उचित लाभ प्रदान करने के लिए ऊन का कोई संगठित बाजार नहीं है। ऊन के मूल्यों में काफी ऊतार–चढ़ाव आता रहा है और वास्तव में पिछले दशक में ऊन के मूल्य में बहुत कोई वृद्धि नहीं हुई है।

देश में कच्ची ऊन के विपणन पर और जोर देने के लिए पारिश्रमिक मूल्य पर ऊन की अधिक खरीद, ऊन उत्पादक सोसाइटी का निर्माण, बेहतर सुविधाओं अर्थात (स्टोरेज हॉलए परीक्षण, प्लेटफार्म आदि) के लिए ऊन की मंडियों के सशक्तिकरण के लिए सहायताए बेहतर गुणवत्ता के साथ मशीन द्वारा शीप शियरिंग के लिए प्रोत्साहनए ऊन का संग्रह, ढुलाई और प्राथमिक ग्रेडिंग के लिए ऊन उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन के लिए ऊन मंडियों के सशक्तिकरण के लिए सहायता के लिए देश के सभी प्रमुख ऊन उत्पादक राज्यों में ऊन विपणन योजना (डब्ल्यूएमएस) नामक एक नई योजना लागू की गई है।

उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए आगामी तीन वर्षों के लिए 1,000 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। चालू वित्त वर्ष 2017 के दौरान इस योजनाके अंतर्गत 300 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

(iii) ऊन प्रसंस्करण योजना (डब्ल्यूपीएस)

ऊन उद्योग में अपर्याप्त और अप्रचलित प्रसंस्करण मशीनें हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए करघा–पूर्व और करघा–पश्च सुविधाओं को आधुनिकीकृत किए जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्यों हेतु यह योजना सभी किस्म के ऊन और ऊनी प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे ऊन स्कोरिंग, ड्राइंग, कार्डिंग डाइंग, निटिंग, विविंग, ऊन उत्पादन और ऊन व्यापार क्षेत्रों में फेल्टिंग/नॉन–वूवन के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना करने के लिए सहयोग प्रदान करेगी। यह नया पृथक कार्यक्रम फाइबर लेंथ और ऊन की मात्रा

में वृद्धि करने, गुणवत्ता वाले मानदंडों के परीक्षण उपकरणों, कम्प्यूटर सहायित डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर आदि के लिए मशीन शीप सियरिंग सहित सभी किस्म के ऊन और ऊनी प्रसंस्करण सुविधाओं का एक व्यापक सेवा पैकेज प्रदान करेगा। ऐसे संयंत्र/केंद्रों की स्थापना से ऊन प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि होगी और भारतीय ऊन उद्योग में और अधिक मूल्य वृद्धि होगी तथा इससे रोजगार का सृजन भी होगा। ऊन उत्पादों का निर्माण करने वाले छोटे औजारों जैसे निटिंग मशीन, चरखा आदि की खरीद और वितरण के लिए जरूरतमंद व्यक्तियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।

वित्त वर्ष 2017–18 से 2019–20 के लिए उपर्युक्त क्रियाकलापों के लिए 800 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। चालू वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 100 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

(iv) मानव संसाधन विकास एवं संवर्धनात्मक क्रियाकलाप (एचआरडी)

ऊन क्षेत्र मूल रूप से असंगठित और श्रम साध्य क्षेत्र है। ऊन क्षेत्र में इस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति अधिकतर निरक्षर, भूमिहीन और समुदाय के पिछड़े वर्ग और कमजोर वर्ग के होते हैं। ऊन उत्पादक जानवरों की रियरिंग प्रक्रिया अब भी बहुत पुरानी है। उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए भेड़ पालकों को वैज्ञानिक भेड़ पालन के पहलुओं की शिक्षा देने की आवश्यकता है। भेड़, अंगोरा एवं पश्मीना रियरिंग, मशीनों द्वारा शीप शियरिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, ऊन ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग, ऊन और ऊनी उत्पादों की प्राथमिक प्रोसेसिंग, ऊनी कारीगरों/बुनकरोंए कृत्रिम विलय आदि के लिए नवीनतम विविंग और डिजाइनिंग तकनीक के लिए फार्म प्रबंधन जैसे विभिन्न विख्यात संगठनों/संस्थाओं/विभागों के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए कुछ क्षेत्रों की पहचान की गई है।

इसके अलावा, प्रमाणन, लेबलिंग, पश्मीना ऊन के लिए ब्रांडिंग, औद्योगिक उत्पादों दक्कनी ऊन का उपयोग, विविधीकृत पश्मीना उत्पादों का विकास, नई प्रक्रिया का विकास उत्पाद, मशीनों के संशोधन के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं चलाई जाएंगी। इस क्षेत्र की अडचनों को दूर करने और विकसित की गई नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए संगोष्ठी/कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कालीन के लिए एक ऊन नवाचार केंद्र की शुरूआत की जाएगी। ऊन उद्योग को ऊन परीक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए बीकानेर में ऊन परीक्षण केंद्र को संचालित करना जारी रखा जाएगी। स्वच्छता पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2017–18 से 2019–20 के लिए 400 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। चालू वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 105 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

(v) अंगोरा ऊन विकास योजना (एडब्ल्यूडीएस)

यह योजना आवश्यक प्रशिक्षण, आहार एवं पोषाहार सहायता, दवाइयों की आपूर्ति आदि के साथ–साथ फाउण्डेशन स्टॉक के रूप में किसानों अंगोरा खरगोश के वितरण द्वारा किसानों में अंगोरा पालन कार्यकलाप में सहायता करने के लिए देश के पहाड़ी क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के दो संघटक अर्थात लघु अंगोरा खरगोश फार्म की स्थापना, अंगोरा खरगोश जर्म प्लाज्म की स्थापना है।

वित्त वर्ष 2017–18 से 2019–20 के लिए 200 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। चालू वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 105 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

(v) ऊन विकास योजना (डब्ल्यूडीएस)

वस्त्र मंत्रालय ने 12वीं योजना की स्वास्थ्य देखभाल, नस्ल सुधार, आहारपूरक जैसे संघटक के साथ भेड़ एवं ऊन सुधार योजना (एसडब्ल्यूआईएस) की चल रही परियोजनाओं को जारी रखने का निर्णय लिया है। चल रही परियोजनाओं के लिए दायित्व को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2017–18 से 2019–20 में 14 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

चालू वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 700 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

(vi) भेड़ पालक सामाजिक सुरक्षा योजना

यह योजना भेड़ पालकों को बीमा सुरक्षा प्रदान करके भेड़ पालकों की सहायता करती है। भेड़ पालकों को दो आयु समूहों विभाजित किया गया है अर्थात सामाजिक सुरक्षा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (एसएसपीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत 18–50 वर्ष के आयु समूह को और संशोधित आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) के अंतर्गत 51–59 वर्ष के आयु समूह को शामिल किया जाएगा।

इस योजना की मूल संरचना निम्नानुसार है:

सामाजिक सुरक्षा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना(एसएसपीएमजेजेबीवाई)

अर्हता आयु: 18–50 वर्ष। आयु के मापदंड मौजूदा पीएमजेजेबीवाई योजना के अनुसार हैं।

एसएसपीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत प्रीमियम का विभाजन निम्नानुसार है:

क्र. सं.	प्रति सदस्य प्रति वर्ष प्रीमियम	एसएसपीएम–जेजेबीवाई
1	एलआईसी यूनिट स्तर पर संग्रह किये जाने वाला प्रीमियम (सदस्यों की हिस्सेदारी) (रुपए)	80
2.	केंद्रीय स्थल पर एलआईसी कंपनी स्तर पर संग्रह किया जाने वाली मंत्रालय की हिस्सेदारी (रुपए)	162
3.	एसएसएफ से प्रीमियम (रुपए)	100
4.	कुल (रू.)	342*

- इस योजना के अंतर्गत बीमित राशि 2.0 लाख रुपए है। प्राकृतिक मृत्यु के मामले में 2.00 लाख रुपए और दुर्घटनावश मृत्यु के मामले में 4.00 लाख रुपए दिए जाएंगे।

- सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत तीन लाख भेड़ पालकों को लाभांवित करने के लिए वित्त वर्ष 2017–18 से 2019–20 में 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

viii) पश्मीना ऊन विकास हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए पुर्निनिर्माण योजना

माननीय प्रधानमंत्री ने 50 करोड़ रुपए के बजट आबंटन के साथ पश्मीना ऊन के विकास के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की है। वस्त्र मंत्रालय ने सभी स्टेकहोल्डरों जैसे एलएएचडीसी लेह/कारगिल, शिल्प विकास संस्थान, श्रीनगर, शेर–ए कश्मीर विश्वविद्यालय, उद्योग विकास विभाग के परामर्श से जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई परियोजना को अनुमोदित किया है। इस परियोजना में कच्ची पश्मीना के उत्पादन से लेकर पश्मीना उत्पादों के विपणन तक संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला का उर्ध्वाधर एकीकरण करके पश्मीना शिल्प का समग्र विकास करने की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना का विशिष्ट उद्देश्य पश्मीना को वैश्विक तौर पर प्रसिद्ध ब्रांड के रूप में स्थापित करते समय उत्पादकता में सुधार, विविधीकरण, उत्पाद गुणवत्ता, विपणन स्थल और प्लेटफार्म द्वारा राज्य में पश्मीना शिल्प से संबंधित मानव संसाधन के लिए आय और नौकरी के अवसरों में वृद्धि करना है।

- इस योजना के अंतर्गत पश्मीना क्षेत्र के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए निम्नलिखित संघटकों को निम्नानुसार क्रियान्वित किया जाएगाः
- कच्ची पश्मीना के उत्पादन में वृद्धि चांगड़ा बकरी के पोषण की स्थिति में सुधार करके, गांव/ब्लॉक और जिला स्तर पर पशुओं के स्वास्थ्य देखभाल की डिलवरी प्रणाली को मजबूत बनाकर चयनित बकरी पालन, पहचान किए गए गैर–परंपरागत क्षेत्रों में पश्मीना बकरी इकाइयों की स्थापना और मौजूदा पश्मीना बकरी फार्म का उन्नयन।
- उत्पादन क्षेत्र के मॉडल की स्थापना डिजाइन कौशल और क्षमता उन्नयन, उपकरण और प्रौद्योगिकी का उन्नयन, पश्मीना ऊन के प्रसंस्करण के लिए सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) का निर्माण और कच्ची सामग्री बैंक की स्थापना के माध्यम से।
- पश्मीना संसाधन केंद्र की स्थापना पश्मीना क्षेत्र के मसलों का निवारण करने के लिए।
- संवर्धन और जागरूकता प्रचार प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से, वीडियो फिल्म और पश्मीना शिल्प के लिए समर्पित वेब डोमैन की स्थापना के माध्यम से।
- व्यवसाय और विपणन अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विपणन कार्यक्रमों में भागीदारी और मौजूदा विपणन आउटलेटों के सशक्तिकरण तथा ई–वाणिज्य के साथ लिंकेज।

8.4 निर्यात रुझान

डीजीसीआईएंडएसए कोलकाता द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार ऊन और

ऊनी मिश्रित उत्पादों के निर्यात ने वर्ष 2016–17 की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 (2017–18) के दौरान रुपए के संदर्भ में 17.10% की कमी देखी गई है वर्ष 2016–17 और 2017–18 (अगस्त, 2017 तक) के दौरान ऊनी उत्पादों के निर्यात निष्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:

उत्पाद	2016-17	अप्रैल,16 से अगस्त, 16 (2016-17)	अप्रैल,17 से अगस्त, 17 (2017-18)
	करोड़ रुपए में	करोड़ रुपए में	करोड़ रुपए में
आरएमजी ऊन	1443.26	699.15	524.95
ऊनी यार्न, फैब्रिक, मेड अप्स आदि	1180.24	483.42	454.52
कच्ची ऊन	1.50	0.67	1.43
कुल	2625.00	1183.24	980.90
वृद्धि			-17.10

4.5 आयात रुझान

घरेलू उद्योग अपैरल श्रेणी के ऊन के आयात पर अधिक आश्रित है। यह घरेलू उद्योग को आयात पर आश्रित बनाता है। भारत कई देशों से कच्ची ऊन का आयात कर रहा है। आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, मिस्र, इटली, पाकिस्तान, सीरिया, सउदी अरब, यूके, रुस आदि प्रमुख आयात बाजार हैं। वर्ष 2016–17 और 2017–18 (अगस्त, 2017 तक) के दौरान कच्ची ऊन, ऊनी यार्न, फैब्रिक और सिलेसिलाए परिधान का आयात नीचे दिया गया है।

कच्ची ऊन का आयात

2016-17 (अप्रैल,16 से अगस्त,16)		2017-18 (अगस्त,17 तक)	
मात्रा मिलियन किग्रा में	मूल्य करोड़ रुपए में	मात्रा मिलियन किग्रा में	मूल्य करोड़ रुपए में
35.84	797.94	35.32	883.04

ऊनी यार्न, फैब्रिक और मेडअप्स आदि का आयात

2016-17 (अप्रैल,16 से अगस्त,16)	2017-18 (अगस्त,17 तक)
मूल्य करोड़ रुपए में	मूल्य करोड़ रुपए में
110.57	155.84

आरएमजी ऊन का आयात

2016-17 (अप्रैल,16 से अगस्त,16)	2017-18 (अगस्त,17 तक)
मूल्य करोड़ रुपए में	**मूल्य करोड़ रुपए में**
30.34	29.77

अध्याय–5

प्रौद्योगिकी उन्नयन

प्रस्तावना:

5.1 वस्त्र क्षेत्र में उत्पादकता, गुणवत्ता, निवेश और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से मंत्रालय 1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) क्रियान्वित कर रहा है। टीयूएफएस एक ऋण संबद्ध योजना है जिसका क्रियान्वयन पात्र निवेशों पर सब्सिडी दावों की प्रतिपूर्ति द्वारा अधिसूचित ऋणप्रदाता एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।

5.2 यह योजना आरंभ में अप्रैल, 1999 में 31 मार्च, 2004 तक अनुमोदित की गई थी और इसके पश्चात 2004 से 2007 तक इसका विस्तार किया गया था। वर्ष 2007 में स्कीम को तकनीकी वस्त्र और गारमेंट के सेगमेंटों के लिए 10% की अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी (सीएस) जैसे संशोधनों के साथ आगे बढ़ाई गई थी और जिसे संशोधित टीयूएफएस (एमटीयूएफएस) के रूप में जाना जाता है। यह योजना 29.06.2010 से 27.04.2011 के दौरान स्थगित रही जिसे 'ब्लैक आउट अवधि' के रूप में जाना जाता है। स्कीम को पुनर्गठित किया गया था और पुनर्गठित टीयूएफ योजना (आरटीयूएफएस) 28.04.2011 से 31.03.2012 तक क्रियान्वित की गई।

5.3 यह योजना आगे 01.04.2012 से संशोधित पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (आरआरटीयूएफएस) के रूप में संशोधित की गई थी और 11 जुलाई, 2016 तक क्रियान्वित की गई थी। 53805.49 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से आरआरटीयूएफएस के अंतर्गत कुल 10766 यूआईडी जारी किए गए और 7113.04 करोड़ रुपए मूल्य की सब्सिडी जारी की गई।

5.4 संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस):

5.4.1 एटीयूएफएस पात्र बेंचमार्क मशीनरी के लिए एकमुश्त पूंजी सब्सिडी के साथ 13 जनवरी, 2016 को आरआरटीयूएफएस के स्थान पर शुरू की गई थी। ऐसे सेगमेंट जहां रोजगार और निर्यात की संभावना अधिक है जैसे गारमेंट और तकनीकी वस्त्र 30 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन 15% की दर पर पूंजी सब्सिडी के पात्र हैं। नए शटलरहित करघे (विविंग प्रीपेरेटरी और निटिंग सहित) के लिए विविंग, प्रोसेसिंग, पटसन, रेशम और हथकरघा जैसे सेगमेंट 20 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन 10% की दर पर सब्सिडी प्राप्त करेंगे। एटीयूएफएस के अंतर्गत विभिन्न सेगमेंटों की सब्सिडी की दरें और सीमा नीचे दी गई है:–

क्र. सं.	क्षेत्र	पूंजी निवेश सब्सिडी की दरें (सीआईएस)	अलग–अलग इकाई के अनुसार सीआईएस
1.	परिधान, तकनीकी वस्त्र	पात्र मशीनों पर 15%	30 करोड़ रु.*
2.	नए शटल–रहित करघों के लिए बुनाई (प्रीपेरेटरी बुनाई एवं निटिंग सहित), प्रसंस्करण, पटसन, रेशम तथा हथकरघा	पात्र मशीनों पर 10%	20 करोड़ रु.*
3(क)	मिश्रित इकाई/मल्टीपल क्षेत्र.यदि परिधान एवं तकनीकी वस्त्र श्रेणी के संबंध में पात्र पूंजी निवेश पात्र परियोजना लागत से 50% अधिक है।	पात्र मशीनों पर 15%	30 करोड़ रु.*
3(ख)	मिश्रित इकाई/मल्टीपल क्षेत्र.यदि परिधान एवं तकनीकी वस्त्र श्रेणी के संबंध में पात्र पूंजी निवेश 50% से कम है।	पात्र मशीनों पर 10%	20 करोड़ रु.*

*यदि आवेदक ने आरआरटफ्स के अंतर्गत पहले ही सब्सिडी का लाभ उठा लिया था तो वह एक व्यक्तिगत इकाई के लिए निर्धारित समग्र सीमा के भीतर शेष राशि के लिए ही पात्र होगा। एटीयूएफएस के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाई द्वारा समग्र निवेश के लिए अधिकतम सब्सिडी संबंधित क्षेत्रों के लिए ऊपर उल्लेख किए अनुसार सीमित होगी।

5.4.2 एटीयूएफएस के अंतर्गत 12671 करोड़ रुपए की प्रतिबद्ध देयताओं और नए मामलों के लिए 5151 रुपए को पूरा करने के लिए 2015–16 से 2021–22 तक सात वर्षों के लिए 17822 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान अनुमोदित किया गया है। यह आशा की जाती है कि इससे एक लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा और 35.62 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा होगा।

5.4.3 यह योजना एक वेब आधारित एप्लीकेशन– 'आईटफ्स' के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। सब्सिडी जारी करने से पूर्व परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन अनिवार्य है। सब्सिडी इकाइयों के खाते में सीधे हस्तांतरित की जाती है।

5.4.4 एटीयूएफएस के अंतर्गत 30.01.2018 तक 15371.12 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से 4254 यूआईडी जारी किए गए और 1166.82 करोड़ रुपए मूल्य की सब्सिडी स्वीकृत की गई। एटीयूएफएस की सेगमेंट–वार प्रगति नीचे दी गई है:–

क्र. सं	सेगमेंट का नाम	प्राप्त किए गए आवेदनों की संख्या	जारी किए गए यूआईडी संख्या	कुल परियोजना लागत* (रूपये करोड़)	नए रोजगार	मौजूदा रोजगार	कुल	सब्सिडी धनराशि* (रूपये करोड़)
1	गारमेंटिंग (15%सीआईएस)	776	613	1083.17	44204	111511	155715	122.10
2	हथकरघा (10% सीआईएस)	62	56	35.63	274	80	354	3.14
3	पटसन (10% सीआईएस)	7	5	1.23	15	35	50	0.11
4	बहु–गतिविधि (10% सीआईएस/ 15%सीआईएस)	1074	888	7454.00	42754	145485	188239	511.74
5	प्रसंस्करण (10% सीआईएस)	557	454	1903.55	10257	50442	60699	134.71
6	रेशम (10% सीआईएस)	34	27	26.86	290	466	756	2.16
7	तकनीकी वस्त्र (15% सीआईएस)	182	144	938.35	2344	3720	6064	83.63
8	विविंग (10% सीआईएस)	2438	2067	3928.35	16407	18159	34566	309.22
	कुल	**5130**	**4254**	**15371.12**	**116545**	**329898**	**446443**	**1166.82**

* जारी यूआईडी के संबंध में

5.5 टीयूएफएस के अंतर्गत बजट आवंटन और व्ययः

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
2014-15	2300.00	1885.02	1884.31
2015-16	1520.00	1413.68	1393.19
2016-17	1480.00	2610	2621.98
2017-18*	2013	1925.42	1426.27

* 31.01.2018 के अनुसार

5.6 टीयूएफएस के अंतर्गत समग्र प्राप्तिः

5.6.1 निवेश– वर्ष 1999 में इसके आरंभ से लेकर अब तक 312176.06 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।

5.6.2 सब्सिडी– वर्ष 1999 में इसके आरंभ से लेकर अब तक ब्याज प्रतिपूर्ति (आईआर) और पूंजी सब्सिडी के रूप में 25905.86 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

5.6.3 अभी तक कुल 47.65 लाख रोजगार का सृजन किया गया है।

5.6.4 स्पिनिंग में प्रौद्योगिकी उन्नयन– स्पिनिंग में क्षमता के वांछित स्तर को प्राप्त कर लिया है। इस योजना के अंतर्गत यह क्षेत्र सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक है। वस्त्र क्षेत्र के स्पिनिंग और मिश्रित क्षेत्रों ने अधिकतम लाभ उठाया है।

5.6.7 परिधान इकाइयों के लिए उत्पादन एवं रोजगार संबद्ध सहायता योजना (एसपीईएलएसजीयू)

मंत्रालय ने दिनांक 25.07.2016 के संकल्प के माध्यम से परिधान क्षेत्र में उत्पादन और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत परिधान इकाइयों के लिए उत्पादन एवं रोजगार संबद्ध सहायता योजना (एसपीईएलएसजीयू) को भी अधिसूचित किया है। निर्धारित पात्रता वाली मशीनों की स्थापना के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत 15% पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) प्राप्त करने वाली परिधान इकाइयों को 3 वर्ष के पश्चात 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इसलिए परिधान इकाइयों ने पात्र मशीनों के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत पूंजी निवेश सब्सिडी की सीमा को 30 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए तक कर दिया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में इकाई द्वारा उल्लिखित अनुमानित उत्पादन और रोजगार सृजन की प्राप्ति पर 10% की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अनुमानित उत्पादन और रोजगार की प्राप्ति के आधार पर एटीयूएफएस के अंतर्गत एसपीईएलएसजीयू की भांति मेडअप्स इकाइयों की सीमा को 50 करोड़ रुपए तक बढ़ाते हुए उन्हें 10% अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।

अध्याय–6

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए सहायता

6.1 एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस) का 15 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से 1900 करोड़ रुपए के आबंटन से 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्तर बढ़ाया गया है। आईएसडीएस का उद्देश्य उद्योग उन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से वस्त्र उद्योग में कुशल श्रमशक्ति की काफी कमी को पूरा करना है। इसका क्रियान्वयन तीन संघटकों के माध्यम से किया जाता है जहां पीपीपी मोड पर विशेष बल दिया जाता है जिसमें मांग आधारित कौशल पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए उद्योग के साथ की गई एक साझेदारी विकसित हो गई है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक कुल 11.04 लाख लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है जिसमें से 10.29 लाख लोगों का मूल्यांकन किया जा चुका है और 8.24 लाख लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान 70% की अनिवार्य प्लेसमेंट की तुलना में 75% से अधिक प्रशिक्षुओं को प्लेसमेंट उपलब्ध कराई गई है। यह योजना व्यापक रूप से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सामान्य मानकों के अनुरूप है।

योजना के उद्देश्य :

(i) वस्त्र और संबद्ध भागों की प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्योग की आवश्यकताओं के आधार पर प्रशिक्षण के सुसंगत तथा एकीकृत फ्रेमवर्क विकसित करना। विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था में इस उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए इस आवश्यकता को पूरा करना महत्वपूर्ण है।

(ii) उपर्युक्त सेगमेंट में कौशल मुहैया कराते हुए लक्षित क्षेत्रों के निवासियों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना।

योजना का कार्यक्षेत्र : आईएसडीएस का मांग आधारित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। ये पाठ्यक्रम हैं: प्रवेश स्तर का प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रति अभिरुचि तथा प्रबंधकीय कौशल। योजना में तीन संघटकों के माध्यम से कार्यान्वयन की योजना बनाई गयी है: संघटक I: वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत संस्थान/टीआरए, संघटक II: पीपीपी मोड के माध्यम से निजी उद्योग के भागीदार, संघटक III: राज्य सरकारों की एजेंसियों, प्रत्येक संघटक हेतु पांच लाख लोगों के प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वित्त पोषण का पैटर्न : इस योजना के अंतर्गत प्रति प्रशिक्षु, जो सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करता है और प्रमाणपत्र प्राप्त करता है, के लिए 10000/– रुपये की समग्र सीमा के भीतर परियोजना की कुल लागत के 75% तक की सहायता प्रदान की जाती है। शेष 25% क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा वहन किए जाने की योजना है।

वर्ष 2017–18 के लिए भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां

संघटक	भौतिक उपलब्धियां (व्यक्ति)		वित्तीय उपलब्धियां (रुपये करोड़ में)	रोजगार प्रदान किए गए (वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान प्रशिक्षत लोगों में से)
संघटक-I	10533	1400	7.99	8781
संघटक-II	86414	0	58.17	54056
संघटक-III	11108	284	11.51	6305
कुल	**108055**	**1684**	**77.67**	**69142**

योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रणाली:

वस्त्र समिति (संसाधन सहायता एजेंसी): संसाधन सहायता एजेंसी (आरएसए), प्रशिक्षण के बेंचमार्क के लिए आईएसडीएस के अंतर्गत परिकल्पित एक महत्वपूर्ण संस्थागत प्रणाली है। आरएसए के क्रियाकलापों में कौशल की कमी का मूल्यांकन करना, पाठ्यक्रमों का विकास तथा मानकीकरण करना और मूल्यांकन एजेंसियों को पैनलबद्ध करना शामिल है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की निगरानी एवं नियंत्रण के लिए तंत्र: मंत्रालय द्वारा इस योजना के प्रत्येक संघटक के अंतर्गत मंजूर की गई परियोजनाओं का समवर्ती मूल्यांकन और निगरानी का कार्य प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) के द्वारा किया जा रहा है जिसे योजना की समग्र अवधारणा के लिए नियुक्त किया गया है। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा मंजूर की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के सभी पहलुओं की निगरानी के लिए एक वेब–आधारित केंद्रीकृत प्रबंधन सूचना तंत्र (एमआईएस) को प्रचालित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को अनिवार्य कर दिया गया है जिसे सम्पूर्ण कार्यक्रम की वास्तविक समय में निगरानी के लिए ऑनलाइन एमआईएस से जोड़ा गया है।

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय: वस्त्र आयुक्त के फील्ड कार्यालयए लाईव प्रशिक्षिण केंद्रों का एकाएक वास्तविक सत्यापन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्तए वस्त्र आयुक्त का कार्यालय भी पैनलबद्ध किए जाने से पूर्व प्रशिक्षण भागीदारों की संस्थागत क्षमता का निरीक्षण कर रहा है।

थर्ड पार्टी मूल्यांकनः वर्ष 2014–15 के दौरान आईसीआरए मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज लि. द्वारा थर्ड पार्टी मूल्यांकन किया गया था। अध्ययन के आधार पर मार्च, 2015 में अधिकार प्राप्त समिति द्वारा निम्नलिखित मध्य पाठ्यक्रम के संशोधन अनुमोदित किए गए थे।

क. आईएसडीएस को मांग आधारित बनाने के लिए उद्योग की सीधी भागीदारी।

ख. प्लेसमेंट के मामले में परिणाम उन्मुखी (70% अनिवार्यता)

ग. गैर–कामगार को कामगार बनाने के उद्देश्य से संघटित वस्त्र उद्योग में कौशल विकास को वरीयता।

घ. सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सभी स्तरों पर अनिवार्य एमआईएस इंटरफेस

ड. ऑनलाइन सत्यापन के प्रावधान के साथ वेब आधारित क्यूआर कोड समर्थित प्रमाणन प्रणाली

च. अनिवार्य आधार आधारित पंजीकरण

आईएसडीएस के अंतर्गत प्रमुख पहलें तथा उपलब्धियांः

(i) अभी तक वर्ष 2017–18 में लगभग कुल 99,188 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है तथा 11,076 और लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(ii) 2016–17 में 4.01 लाख लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था जिसमें से 70% से अधिक महिलाएं हैं।

(iii) 70% प्लेसमेंट के अनिवार्य के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2016–17 के दौरान लगभग 76% प्रशिक्षुओं को मजदूरीपरक रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

(iv) इस योजना को कौशल विकास एवं उद्यमियता मंत्रालय द्वारा कौशल विकास के लिए अपनाई गई समग्र रूपरेखा के अनुरूप बनाया गया है। आईएसडीएस के अंतर्गत अपनाए गए कुल 62 पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय कौशल पात्रता रूपरेखा (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप बनाया गया है।

(v) डिजिटीकरण के लिए सभी स्टेकहोल्डरों को इंटरफेस उपलब्ध कराने वाली एक वेब आधारित केंद्रीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और मानीटरिंग किया जा सके।

(vi) प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षुओं की उपस्थिति को दर्ज करने के लिए बायोमीट्रिक हाजिरी प्रणाली की शुरूआत की गई है और उपस्थिति के आंकडे एमआईएस पर साथ–साथ जारी किया जाता है।

(vii) पंजीकरण में दोहराव से बचने के लिए प्रशिक्षुओं की पहचान हेतु एमआईएस में आधार प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है।

(viii) पूरी योजना में प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षुओं का थर्ड पार्टी मूल्यांकन अनिवार्य बनाया गया है।

(ix) वस्त्र आयुक्त के फील्ड कार्यालयों के माध्यम से लाइव प्रशिक्षण केंद्रों का एकाएक भौतिक सत्यापन शुरू किया गया है। भौतिक सत्यापन हेतु एमआईएस में एक अलग मोड्यूल शुरू किया गया है।

(x) क्यूआर कोड स्कैनर का प्रयोग करके प्रशिक्षुओं के विवरणों के सत्यापन को

सुकर बनाने के लिए प्रशिक्षुओं के लिए क्यूआर कोड समर्थित ई–प्रमाणपत्र शुरू किए गए हैं।

(xi) 'सुशासन दिवस' के भाग के रूप में वस्त्र मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से रियलटाइम स्कीम सूचना को सार्वजनिक किया गया।

(xii) मुख्य धारा के क्षेत्र में सेगमेंट–वार कौशल की कमी के मूल्यांकन के लिए संसाधन सहायता एजेंसी (आरएसए) के माध्यम से कौशल कमी अध्ययन किया गया है।

(xiii) विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिए जाने वाले प्रशिक्षण केंद्रों के फोटो नीचे दिए गए हैं।

'वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना (एससीबीटीएस)' नामक नई कौशल विकास योजना

एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस) के अनुभवों के आधार पर मंत्रालय ने संगठित क्षेत्र में स्पिनिंग एवं विविंग को छोड़कर वस्त्र क्षेत्र की समग्र मूल्य श्रृंखला को शामिल करते हुए 1300 करोड़ रुपए के परिव्यय से वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक ष्वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना (एससीबीटीएस)' नामक एक नई कौशल विकास योजना को शुरू किया है। इस योजना में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सामान्य मानकों के अनुसार वित्त पोषण के मानदंडों के साथ राष्ट्रीय कौशल पात्रता रुपरेखा (एनएसक्यूएफ) का अनुपालन करने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल होंगे। इस योजना के अंतर्गत वस्त्र क्षेत्र विभिन्न सेगमेंट में 10 लाख लोगों का कौशल विकास एवं प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाने की आशा है। जिसमें से 1 लाख व्यक्ति परम्परागत क्षेत्र के होंगे।

6.2 राष्ट्रीय फैशन टैक्नालॉजी संस्थान (निफ्ट)

राष्ट्रीय फैशन टैक्नालॉजी संस्थान (निफ्ट) फैशन शिक्षा, एकीकृत ज्ञान, अकादमिक स्वतंत्रता, आलोचनात्मक स्वतंत्रता और रचनात्मक सोच वाला एक अग्रणी संस्थान है। पिछले तीन दशकों में संस्थान की मजबूत उपस्थिति इसके सिद्धांतों की गवाह है जहां अकादमिक उत्कृष्टता इसके केंद्र में मौजूद है। यह संस्थान गंभीर और महत्वपूर्ण कार्यों के मार्गदर्शक तथा सक्षम पेशेवर लोगों के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में मौजूद है।

1986 में स्थापित निफ्ट हमारे देश में फैशन शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान है और वस्त्र एवं अपैरल उद्योग को पेशेवर मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाले अग्रणी संस्थानों में से एक रहा है। इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 2006 में एक सांविधिक संस्थान बनाया गया। पेशेवर रूप से प्रबंधित इसके 16 परिसरों के माध्यम से एक रूपरेखा उपलब्ध कराता है जो यह सुनिश्चित करती है कि देश के विभिन्न भागों से भावी विद्यार्थी उपलब्ध कराए जाने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी उच्चतम क्षमता को प्राप्त कर सकें। इसकी स्थापना के शुरूआती वर्षों से संस्थान का डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में फैशन शिक्षा में मजबूत आधार है। तभी से निफ्ट ने उच्च अकादमिक मानक प्राप्त किए हैं। संस्थान के शिक्षक अग्रणी पेशेवरों, शिक्षाविदों, उद्यमियों, रचनात्मक विचारकों, अनुसंधानकर्ताओं और विश्लेषणकर्ताओं के एक समुदाय के रूप में उभर कर सामने आए हैं।

अपनी इस यात्रा में निफ्ट ने अपनी

अकादमिक रणनीति को सुदृढ़ बनाया है। वैचारिक नेतृत्व, अनुसंधान को उत्प्रेरित करने वाले, उद्योग केंद्रित, रचनात्मक उद्यम और सहयोगियों से सीखने को प्रेरित करने के संस्थान के अकादमिक आधार को और मजबूत बनाया है। रचनात्मक विचारकों की एक नई पीढ़ी का पोषण करने वाला संस्थान, स्नातक, स्नात्कोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रमों में डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकार प्राप्त है। विश्वस्तरीय सीखने की प्रक्रियाओं के विचार को प्रस्तुत करते हुए इस संस्थान ने अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ रणनीतिक भागीदारी की है।

कन्वर्ज

विभिन्न निफ्ट परिसरों के विद्यार्थियों में संवाद के एक अवसर प्रदान करने के साथ सुनियोजित चहुमुखी समग्र विकास के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में अंतर–परिसर सांस्कृतिक एवं खेल प्रतिस्पर्धायें आयोजित की जाती हैं। प्रत्येक निफ्ट परिसर में प्रारंभिक चयन सुनिश्चित करते हैं कि इस प्रतिस्पर्धा में हर परिसर के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। सभी निफ्ट केन्द्रों के के विद्यार्थियों ने मुंबई में आयोजित कन्वर्ज 2017 में भाग लिया। यह कार्यक्रम निफ्ट के सभी केन्द्रों में विद्यार्थियों में 'एक' मातृ संस्था की भावना का विकास करने में एक प्रमुख कदम है।

दीक्षांत समारोह 2017

प्रत्येक अकादमिक वर्ष में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाता है। वर्ष 2017 में अलग–अलग परिसरों ने मई–अक्तूबर, 2017 के दौरान दीक्षांत समारोह आयोजित किए। ये दीक्षांत समारोह अकादमिक वर्ष के दौरान ही संपन्न किए गए ताकि निरंतरता और उत्तीर्ण होने वाले बैच की बेहतर प्रतिभागिता को बनाए रखा जा सके।

वर्ष 2017 में 2783 स्नातकों ने उपाधियां प्राप्त की। परिसर–वार तथा कार्यक्रम–वार विवरण तालिका–। में दिया गया है।

तालिका–1 : दीक्षांत समारोह 2017 परिसर–वार तथा कार्यक्रम–वार स्नातक विद्यार्थियों का विवरण

विभाग	बेंगलुरु	भोपाल	भुवनेश्वर	चेन्नई	गांधीनगर	हैदराबाद	जोधपुर	कांगड़ा	कोलकाता	कन्नूर	मुंबई	नई दिल्ली	पटना	रायबरेली	शिलांग	कुल
एडी	38	29	27	27	44	32		38	26		32	32		34	15	374
एफसी	33			24	29	35		32	28	33	36	33				283
एफडी	34		29	32	59	33		34	41	30	37	35	34	29	34	461
केडी	34			27		36			30	30	31	34				222
एलडी				28					32			34		30		124
टीडी	33	34	31	31	29	29		41	35	33	45	32	37			410
बीएफटी	35			27	25	28	33	30	28	29	28	39	32			334
एमडीईएस										31	33	34				98
एमएफएम	35	26	23	35	31	33	28		35	23	33	36	29	20	11	398
एमएफटी	18			19	19							23				79
कुल	260	89	110	250	236	226	61	175	255	209	275	332	132	113	60	2783

उपर्युक्त के अतिरिक्त निफ्ट, दिल्ली परिसर के दीक्षांत समारोह 2017 में 6 विद्यार्थियों को डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) की उपाधियां प्रदान की गईं। निफ्ट द्वारा शुरू की गई परामर्शदात्री परियोजनाएं।

निफ्ट द्वारा चलाई जा रही परामर्शी परियोजनाएं

निफ्ट विभिन्न सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों के साथ परामर्शी परियोजनाओं पर कार्य करता है। ये परियोजनायें अध्यापक–वर्ग को एक्सपोज़र और विद्यार्थियों को अनुभवात्क सीख देती हैं। इससे तकनीकी कौशल उन्नयन और डिजाइन मूल्य संवर्धन से विभिन्न स्टेकहोल्डर लाभान्वित होते हैं। निफ्ट द्वारा हाल ही में अपने हाथों में ली गई 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य की कुछ प्रमुख परामर्शी परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :

- रेडी टू वियर परिधानों की बेहतर फिटिंग के लिए भारतीय लोगों की शारीरिक माप के आधार पर साइज चार्ट को विकसित करने के लिए वस्त्र मंत्रालय की अनुसंधान एवं विकास योजना के अंतर्गत नेशनल साइजिंग सर्वे ऑफ इंडिया परियोजना। परियोजना लागत 31 करोड़ रू. है।
- निफ्ट (एनआईएफटी) "विकास हेतु परंपरागत कलाओं/शिल्पों में कौशल उन्नयन तथा प्रशिक्षण" (उस्ताद) योजना के अंतर्गत एक ज्ञान भागीदार है जिसमें डिजाइन हस्तक्षेप, उत्पाद श्रृंखला विस्तार, पैकेजिंग/प्रदर्शनी, फैशन शो तथा मीडिया के माध्यम से प्रचार, ई–विपणन पोर्टलों के साथ समझौते और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, हेतु ब्रॉण्ड निर्माण के कार्य किए जाते हैं। इस परियोजना लागत 12.79 करोड़ रुपए की है
- फैशन डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी विषयों हेतु ई–सामग्री का विकास – मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की "सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मिशन" (एनएमईआईसीटी) के अंतर्गत 17 विषयों हेतु चरण–II। परियोजना की लागत 1.16 करोड़ रुपए है
- वस्त्र मंत्रालय, की व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना के अंतर्गत 'भागलपुर मेगा हैंडलूम कलस्टर के एकीकृत एवं समग्र विकास हेतु परियोजना' के लिए निफ्ट को एक कलस्टर प्रबंधन एवं तकनीकी एजेंसी के रूप में बेसलाइन सर्वेक्षण, नैदानिक अध्ययन, डीपीआर को तैयार करने, क्रियान्वयन में सहायता और परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिए शामिल किया गया है। परियोजना की लागत 62. 57 लाख रुपए है।
- मूल्यवर्धित खादी अपैरलों की डाइंग एवं प्रींटिंग के विकास, डिजाइन विकास, क्षमता निर्माण, उत्पादन तथा निफ्ट के माध्यम से बिहार खादी की ब्रांडिंग के लिए खादी बोर्ड, बिहार सरकार की व्यापक, डिजाइन हस्तक्षेप, पोजीशनिंग और ब्रांडिंग। परियोजना की लागत 80 लाख रुपए है ।
- कर्नाटक राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के लिए केएसकेएंडवीआईबी इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट मैपिंग, डिजाइन इंटरवेंशन, उत्पाद विविधीकरण तथा विकास, प्रशिक्षण एवं विपणन कार्यकलापों के माध्यम से मजबूत किया जाना। परियोजना की लागत 3.50 करोड़ रुपए है ।
- जोधपुर मेगा क्लस्टर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), के लिए व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर योजना के अंतर्गत प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट एण्ड इनोवेशन सेंटर की स्थापना। परियोजना की लागत 4.47 करोड़ रुपए है।
- राष्ट्रीय पटसन बोर्ड के लिए पटसन पर एकीकृत कौशल उन्नयन, डिजाइन विकास एवं उत्पाद विविधीकरण। परियोजना की लागत 1.21 करोड़ रुपए है।

- इथोपिया सरकार ने इथोपियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (ईटीआईडीआई) की स्थापना की है जिसके निवेश से लेकर विपणन तक की पूरी मूल्य श्रृंखला में टेक्सटाइल एवं अपैरल क्षेत्र को सहायता प्रदान किए जाने की आशा है। ईटीआईडीआई और निफ्ट ने ईटीआईडीआई की क्षमता निर्माण करने तथा इथोपिया में परिधान क्षेत्र के हितों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान एवं विपणन के क्षेत्रों में टीआईडीआई को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तकनीकी रूप से परिवर्तित करने की दोहरी व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की है। इस दोहरी व्यवस्था पर दोनों संस्थानों के बीच मार्च, 2013 में करार पर हस्ताक्षर किए गए।

  इस दोहरी व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य इथोपियाई अपैरल उद्योग के लिए प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान तथा विपणन सहायता प्रदान करने हेतु ईटीआईडीआई की क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना है। इस दोहरे करार के अंतर्गत निफ्ट ने अभी तक टीओटी तथा एमडीपी सहित विभिन्न अल्प अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ईटीआईडीआई और इथोपियाई परिधान उद्योग के 500 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है। एक हैंड–होल्डिंग प्रक्रिया के रूप में इथोपियाई उद्योगों में मध्यम से उच्च स्तर के पेशेवरों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण मैन्युअल के साथ–साथ 40 विभिन्न पाठ्यक्रमों को विकसित किया गया है। परियोजना का पहला चरण अप्रैल, 2018 में समाप्त होगा। पहले चरण के फीडबैक के आधार पर, ईटीआईडीआई ने कुछ नए उद्देश्यों के साथ परियोजना के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए निफ्ट से संपर्क किया है।

जारी शिक्षा कार्यक्रम

वस्त्र क्षेत्र में वृद्धि की तीव्र गति के साथ उद्योग के उभरते हुए तथा कार्यशील पेशेवरों की शिक्षा जारी रखना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मुख्यालय में जारी शिक्षा कार्यक्रम (सीईपी) की स्थापना उद्योग की जनशक्ति प्रशिक्षण तथा ज्ञान उन्नयन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई है।

सीईपी द्वारा पेशकश किए जा रहे कार्यक्रम, पेशेवरों तथा उभरते हुए लोगों की शिक्षा जारी रखने की आवश्यकताओं के एक व्यापक क्षितिज की पूर्ति कर रहे हैं और यह देश के भीतर अपैरल क्षेत्र हेतु शिक्षा जारी रखने का प्राथमिकता वाला केन्द्र है।

निफ्ट द्वारा पेशकश किए जाने वाले सीईपी ने अपैरल उद्योग में डिजाइन, प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन के विद्यार्थियों से संबंधित प्रशिक्षण तथा ज्ञान के प्रसार के उद्देश्यों को बढ़ावा देना जारी रखा है।

प्रयोगशोला में कार्य कर रहे विद्यार्थी

वर्ष 2016–17 के दौरान 11 निफ्ट परिसरों में शिक्षा जारी रखने के 46 पाठ्यक्रम मुहैया कराए गए थे जिसमें 8,29,06,83/–रुपये का कुल राजस्व सृजित हुआ जो वर्ष 2015–16 के 7,28,66,450/–रुपये के राजस्व से 13% अधिक है।

वर्ष 2017–18 के दौरान सभी 12 निफ्ट परिसरों में 75 पाठ्यक्रम मुहैया कराने का प्रस्ताव है जिनसे कुल 15,21,30,000/– रुपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है, इस प्रकार वर्ष 2016–17 में शिक्षा जारी रखने के कार्यक्रमों से सृजित राजस्व की तुलना में 83% की वृद्धि होने का अनुमान है।

मुहैया कराए जाने वाले इन शिक्षा जारी रखने के कार्यक्रमों के अतिरिक्त निफ्ट ने शैक्षिक वर्ष 2014 में डिप्लोमा कार्यक्रम आरम्भ किए थे जिनका उद्देश्य परिसरों को इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए वित्तीय रुप में व्यवहार्य बनाना है।

डिप्लोमा कार्यक्रमों का उद्देश्य उस राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को मूल्य वर्धित कार्यक्रम मुहैया कराना है जहां नये निफ्ट कैम्पस स्थापित हैं और साथ ही निफ्ट के मौजूदा डिग्री कार्यक्रमों के लिए लेटरल एंट्री सरल बनाना है। वर्ष 2016–17 के दौरान 2 निफ्ट कैम्पसों में 4 डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए गए थे और उनसे 2,17,50,000/– रूपए का कुल राजस्व प्राप्त हुआ। दो निफ्ट कैम्पसों में वर्ष 2017–18 के दौरान 5 डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

उद्योग एवं पूर्व छात्र मामले– निफ्ट कैम्पस प्लेसमेंट

निफ्ट कैम्पस प्लेसमेंट – 2017, निफ्ट के 07 परिसरों अर्थात नई दिल्ली, मुम्बई, बैंगलूरू, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, हैदराबाद में 24 अप्रैल, 2017 से 5 मई, 2017 के दौरान आयोजित किया गया। कैम्पस प्लेसमेंट के लिए पंजीकृत कुल 433 कम्पनियों ने विभिन्न कार्यक्रमों/ कैम्पसों में 2112 नौकरियों की पेशकश की थी।

इन प्लेसमेंट स्थलों पर प्लेसमेंट के लिए 2386 विद्यार्थी उपस्थित थे जिनमें से 1645 विद्यार्थियों को प्लेसमेंट मिली जो

पंजीकृत प्लेसमेंट के लिए पंजीकृत किए गए विद्यार्थियों का 69% है। वर्ष 2017 की नियुक्तियों का कार्यक्रम–वार विश्लेषण नीचे चार्ट में दर्शाया गया है।

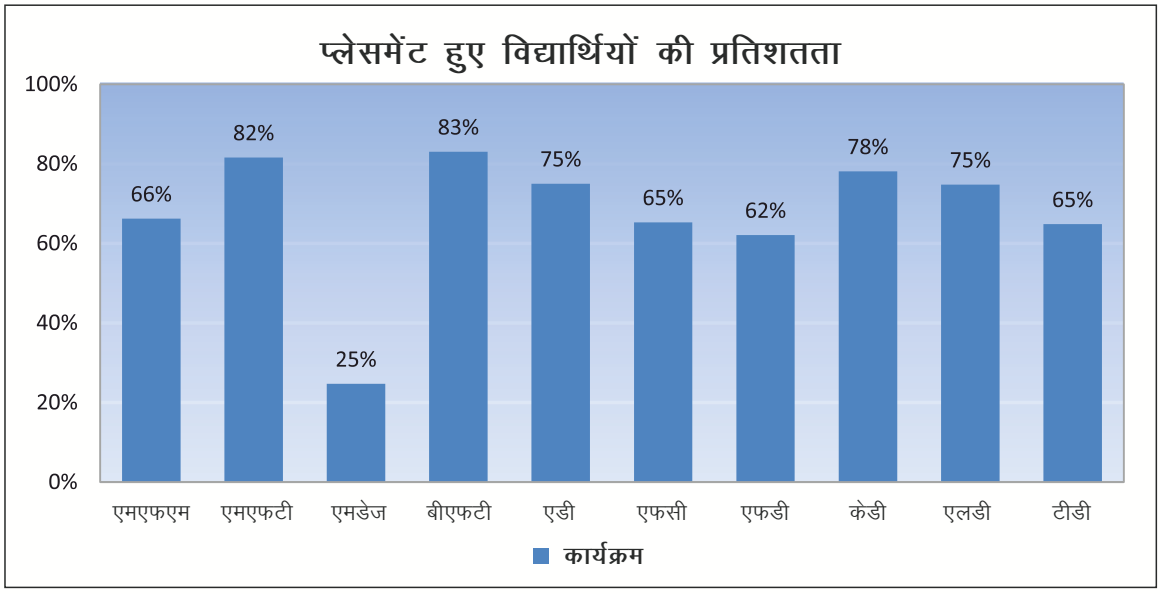

कैम्पस प्लेसमेंट 2017 के दौरान मास्टर्स कार्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए औसतन वार्षिक वेतन 4.62 लाख रुपये प्रति वर्ष रहा जबकि स्नातक कार्यक्रम के लिए 3.87 लाख रुपये प्रति वर्ष रहा।

भर्ती करने वाली कम्पनियां विभिन्न सेग्मेंट्स जैसे डिज़ाइनर्स, मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर्स, बायिंग एजेंसीज़, कंसल्टेंट्स, रिटेलर्स, फैशन ब्रांड्स, ई–रिटेलर्स, होम फर्निशिंग्स, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रदाता से थीं, इनके साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स भी आये हुए थे।

अंग्रेजी वर्णक्रमानुसार प्रमुख कम्पनियां हैं :

- आदित्य बिड़ला फैशन और रिटेल लिमिटेड – मदुरा क्लोदिंग
- एएमपीएम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
- अरविंद लाइफस्टाइल ब्रांड्स लिमिटेड
- अगस्त ज्वैलरी (मेलोरा)
- एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड (डी–मार्ट)
- बांसवाड़ा गारमेंट्स
- बेस्टसेलर
- बिड़ला सेल्युलोज– ग्रासिम इंडस्ट्रीज
- ब्लैकबेरी
- डोरलिंग किंडर्सले पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड
- जेनेसिस कलर्स लिमिटेड
- जिनी एंड जोनी
- इंटेलोसोल सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- के. मोहन एंड कंपनी (एक्सपोर्ट्स) प्राइवेट लिमिटेड
- लगुना क्लोदिंग प्राइवेट लिमिटेड

- ललित डालमिया
- लाइफस्टाइल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
- महारानी ऑफ इंडिया
- मंगलम आर्ट्स
- मेथड अपैरल कंसल्टेंसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- मोंटे कार्लो फैशंस लिमिटेड
- मस्ट गारमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
- नंदन डेनिम लिमिटेड
- ओरिएंट क्राफ्ट लिमिटेड (निट्स डिवीजन)
- प्यूमा स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- रेमंड लिमिटेड
- रिलायंस ब्रांड लिमिटेड
- सब्यसाची कोट्यूर
- शाही एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
- शांतनु एंड निखिल
- सिल्वर स्पार्क अपैरल लिमिटेड (रेमंड ग्रुप की एक पहल)
- टीसीएनएस क्लोदिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (डब्ल्यू फॉर वूमन)
- वजीर एडवाइज़र्स

अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू संपर्कअंतर्राष्ट्रीय संपर्कनिफ्ट की शैक्षिक नीति अंतर्राष्ट्रीयता को समाहित किए हुए है। संस्थान के प्रमुख क्रियाकलापों ने अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि और समझ को बढ़ाया है। निफ्ट का उन 33 अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय फैशन संस्थानों एवं संगठनों के साथ नीतिगत करार और भागीदारी है जिनकी शैक्षिक दिशा एक जैसी है। इससे निफ्ट के विद्यार्थी, फैशन की वैश्विक मुख्य धारा से जुड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदान–प्रदान के कार्यक्रमों की सहायता से विद्यार्थियों को 'स्टडी अब्रॉड' के विकल्प का अनुभव लेने का अवसर प्रदान करता है।

काम कर रहे अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी

इस पहल से आदान–प्रदान कार्यक्रम के लिए चुने गए निफ्ट विद्यार्थियों को विभिन्न भौगोलिक स्थानों के विद्यार्थियों के साथ सम्पर्क करने का उत्कृष्ट अवसर प्राप्त होता है जिससे वे अपनी सोच, अपने लक्ष्य को व्यापक बना पाते हैं और विभिन्न संस्कृतियों को समझ पाते हैं। 'स्टडी अब्रॉड'का विकल्प सभी निफ्ट कैंपसों के विद्यार्थियों और सभी विषयों के लिए उपलब्ध है।

शैक्षिक प्रवणता मुहैया कराने के प्रयोजन से संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं/

संगोष्ठियों/अनुसंधान एवं अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति देते हैं। नीतिगत गठबंधन, फैकल्टी स्तर पर भी अकादमिक वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। फैकल्टी आदान–प्रदान और संयुक्त अनुसंधान पहले यह सुनिश्चित करती हैं कि संस्थान की अध्यापन विधियां और सुविधाएं विश्व के श्रेष्ठ संस्थानों के समकक्ष हैं और उन्हें निरंतर रूप से अद्यतन किया जाता है।

अध्यापन शिक्षा शास्त्र, अवधारणों तथा व्यावसायिक विचारों के आदान–प्रदान को सरल बनाने के लिए निफ्ट की फैकल्टी शैक्षिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों, संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों, सम्मेलनों और ट्रेड शो में भाग लेती हैं जिससे उनका पर्याप्त अनुभव विद्यार्थियों को प्राप्त हो सके तथा निफ्ट कानॉलेज पूल समृद्ध हो सके।

कुछ महत्वपूर्ण संस्थान जिनसे निफ्ट का सम्बंध है वे हैं क्वीन्सलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलोजी, आस्ट्रेलिया, दि मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी, यूके, ग्लास्गो स्कूल ऑफ आर्ट्स, यूके; स्विस टेक्सटाइल कॉलेज, स्विटज़रलैंड; एनसेट, फ्रांस; एनएबीए, इटली; द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयार्क कॉलेज, बफेलो, यूएसए; मैनचेस्टर मेट्रोपोलिटन यूनिवर्सिटी, यूकेय ईएसएमओडी, जर्मनीय सेक्सियॉन यूनिवर्सिटी ऑफएप्लाइड साइंसेस, नीदरलैंड्स; एम्सटर्डम फैशन इंस्टीट्यूट, नीदरलैंड्स; बुनका गौकन यूनिवर्सिटी, जापान; डोंगहुआ यूनिवर्सिटी, चीन; एकोले ड्यूपेरे, फ्रांस; यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थम्प्टन, यू.के.; पोलिटेक्निको दि मिलानो, इटली; शेनकर कॉलेज ऑफ़ एन्जीनियरिंग एन्ड डिज़ाइन एन्ड आर्ट, इज़राइल; के.ई.ए. कोपेनहेगन स्कूल ऑफ डिजाइन एंड टैक्नोलॉजी, डेनमार्क; नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सटी यूएसए।

पार्टनर संस्थानों से विद्यार्थियों का निरंतर आदान–प्रदान होता रहता है। जुलाई–दिसंबर, 2017 के दौरान निफ्ट के 6 विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर एक्सचेंज में भाग ले रहे हैं और निफ्ट के 31 विद्यार्थियों का चयन जनवरी–जून, 2018 के अकादमिक सत्र के लिए सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम/ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट/रिसर्च प्रोजेक्ट हेतु इन्सेट, फ्रांस; क्वींसलेंड यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्नोलॉजी, आस्ट्रेलिया; स्विस टैक्सटाइल कॉलेज, स्विजरलैंड; डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी, यूके; सेक्सियॉन यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेस, नीदरलैंड्स; एनएबीए, इटली; पोलीटेक्नीको डि मिलानो, इटली; बुनका गौकन यूनिवर्सिटी, जापान; केईए – कोपनहेगन स्कूल ऑफ डिजाइन एण्ड टेक्नोलॉजी, डेनमार्क जैसे संस्थानों के लिए किया गया है। अतंर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का एक छात्र जुलाई–दिसंबर, 2017 के अकादमिक सत्र में निफ्ट में भाग लिया और जनवरी–जून, 2018 के अकादमिक सत्र के लिए सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम हेतु 16 विद्यार्थियों का चयन किया गया है।

निफ्ट के सभी परिसरों के विद्यार्थियों को अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों और प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विद्यार्थियों ने वूलमार्क 2017, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टैक्नालॉजी (बीआईएफटी), बीजिंग चीन गणराज्य द्वारा आयोजित डिजाइन प्रतियोगिता, फैशन वीक 2017 पेरिस, स्वीडिश

दूतावास द्वारा आयोजित स्वीडन इंडिया नोवेल मेमोरियल वॉल पेंटिंग, न्यूजीलैंड दूतावास द्वारा आयोजित न्यूजीलैंड रनवे जैसी कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है।

संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को भी आकर्षित करता है जो यहाँ आकर अकादमिक और सांस्कृतिक समृद्धि का अनुभव करते हैं। आदान–प्रदान करने वाले अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विदेशी संस्थानों के विद्यार्थी केवल भारतीय संस्कृति, कला और शिल्प से जुड़ा अमूल्य ज्ञान अर्जित करते है बल्कि भारत के बाज़ार और इसकी व्यापकता को समझते हैं। प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी के विद्यार्थियों को प्रोडक्शन तकनीकों से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होती है जो वैश्विक बाज़ार की उच्च फैशन मांगों को पूरा करती है।

दोहरी डिग्री अवसर

निफ्ट – फैशन इंस्टिट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी (एफआईटी), न्यूयॉर्क, यूएसए, रणनीतिक साझेदारी से निफ्ट के चुनिंदा प्रतिभागशली विद्यार्थियों को निफ्ट और एफआईटी दोनों से दोहरी डिग्री प्राप्त करने का अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। निफ्ट के विद्यार्थी गृह संस्थान में दो वर्षों के लिए अध्ययन करते हैं। उसके बाद एक साल के लिए उन्हें एफआईटी में पढ़ाई करने का मौका मिलता है। तत्पश्चात विद्यार्थी निफ्ट में वापस अध्ययन जारी रखते हैं जिससे उन्हें दोनों संस्थानों से डिग्री मिलती है। विगत चार वर्षों के दौरान 45 विद्यार्थियों ने दोहरी डिग्री कार्यक्रम पूरा किया है और 2016–17 के दौरान विभिन्न विषयों से संबंधित 6 विद्यार्थी एफआईटी में दोहरी डिग्री के अवसर का लाभ उठा रहे हैं।

घरेलू संपर्क

निफ्ट, भारत में डिजाइन शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए कटिबद्ध है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए निफ्ट, विभिन्न महत्वपूर्ण संगठनों/संस्थाओं से जुडा हुआ है।निफ्ट का निम्नलिखित संगठनों/संस्थानों के साथ एमओयू है:

- **नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन (एनआईडी),** अहमदाबाद –ज्यूरीज़ के लिए पैनलिस्ट और पीएचडी कार्यक्रमों के लिए गाइड्स के रुप में शिक्षण फैकल्टी शेयरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, ज्वाइंट स्टूडेंट्स फील्ड ट्रिप्स, डिजाइन एजुकेशन एंड प्रमोशन के क्षेत्रों में दो संस्थाओं के बीच सहयोग।
- फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट (एफडीडीआई) – निफ्ट ने एफडीडीआई, दिल्ली के साथ दिसम्बर, 2013 में एमओयू पर हस्ताक्षर किए।दोनों संस्थानों ने ज्यूरीज़ के लिए पैनलिस्ट और पीएचडी कार्यक्रमों के लिए गाइड, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, ज्वाइंट स्टूडेंट्स फील्ड ट्रिप्स, डिजाइन एजुकेशन एंड प्रमोशन के क्षेत्रों में सहयोग स्थापित किया है।
- **सेन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईसी)** : निफ्ट ने सीसीआईसी, दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों संस्थानों के बीच निम्नलिखित प्रकार का सहयोग है:

(क) निफ्ट, नई डिजाइनों तथा उत्पाद विकास की तकनीकों पर कार्य करेगा और उन्हें सीसीआई को भेजेगा और फिर निफ्ट और

सीसीआईसी उन डिजाइनों का प्रयोग करते हुए नमूने तैयार करेंगे।

(ख) फिर सीसीआईसी उन नमूनों को अपने ऑर्डर बुक करने के उद्देश्य से अपने शोरूमों में रखेगा, विभिन्न प्रदर्शनियों में प्रदर्शित करेगा और इस आधार पर ऑर्डर के रूप में अलग–अलग क्लस्टरों में रखेंगे।

नए टाई–अप

हाल ही में वस्त्र मंत्रालय द्वारा जून–जुलाई 2017 में गांधीनगर में टेक्सटाइल इंडिया 2017 नामक एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उस कार्यक्रम के दौरान निफ्ट ने निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के साथ एमओयू संपन्न किए हैं:

- **बांग्लादेश फैशन एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (बीयूएफटी), बांग्लादेश:** बांग्लादेश फैशन एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (बीयूएफटी) की स्थापना 2012 में की गई थी। बीयूएफटी बांग्लादेश सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत अनुमोदित एक अलाभकारी निजी विश्वविद्यालय है। यह अपैरल विनिर्माण और प्रौद्योगिकी, फैशन डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी, निटवियर विनिर्माण एवं प्रौद्योगिकी, वस्त्र प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन, वस्त्र इंजीनियरिंग के क्षेत्र में स्नातक कार्यक्रम और अपैरल मर्चेंडाइजिंग में व्यवसायिक प्रशासन में परास्नातक कार्यक्रम की पेशकश करता है।

  बीयूएफटी के साथ एमओयू में संकाय विकास कार्यक्रम को शामिल किया गया है जिसमें निफ्ट संकाय, बीयूएफटी संकाय, छात्र एक्सचेंज, सेमेस्टर एक्सचेंज और इंटर्नशिप के लिए निफ्ट के बीयूएफटी विद्यार्थियों और निफ्ट के विद्यार्थियों के लिए बांग्लादेश अपैरल उद्योग में स्नातक परियोजनाओं, छात्र समूहों–अल्पावधि दौरा (कार्यशाला, प्रदर्शनी आदि पर पृथक करार में बातचीत की जा सकती है) संयुक्त औद्योगिक परियोजना/अनुसंधान कार्य में प्रशिक्षित कर सकता है।

- **खादी और ग्राम उद्योग आयोग (केवीआईसी):**

  खादी और ग्राम उद्योग आयोग (केवीआईसी), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन है। खादी विरासत में प्राप्त एक फैब्रिक है और खादी कार्यक्रम को खादी संस्थाओं के माध्यम से चलाया जाता है और यह ग्रामीण कारीगरों, स्पिनरों और बुनकरों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। यह सहयोग निम्नलिखित क्षेत्रों पर प्रमुख रूप से जोर देते हुए परियोजना आधार पर है;

(क) निफ्ट, केवीआईसी द्वारा पहचान किए गए खादी संस्थाओं के साथ डिजाइन के विकास और प्रशिक्षण पर कार्य करेगा और खादी फैब्रिक तथा सिलेसिलाए परिधानों के उत्पादन में गुणवत्ता नियंत्रण एवं मानकीकरण तथा डिजाइन इनपुट लाने में सक्षम बनाएगा।

(ख) निफ्ट अपने विद्यार्थियों को ग्रीष्म इंटर्नशिप तथा विजुवल मर्चेंडाइजिंग, डिजाइन विकास, इंटीरियर की योजना आदि के लिए खादी बिक्री वाले आउटलेटों एवं खादी संस्थाओं में काम करने के लिए भी परियोजना आधार मुहैया कराएगा।

(ग) निफ्ट, सॉफ्ट और हार्ड कॉपी में

विशिष्टताओं के साथ खादी डिजाइन की निर्देशिका विकसित और तैयार करेगा।

(घ) निफ्ट, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुकूल डिजाइन इनपुट और उत्पाद विकास के लिए एसएफयूआरटीआई कलस्टरों में केवीआईसी को सहायता प्रदान करेगा।

- **भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान (ईडीआईआई):**

भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान (ईडीआईआई), एक स्वायत्तशासी और गैर–लाभकारी संस्थान है जिसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी। निफ्ट परियोजना की नीति के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ इस करार को आगे बढ़ाया गया है:

1. विद्यार्थियों और संकाय के सदस्यों की अकादमिक रूचि में संस्थाओं के बीच ज्ञान और संसाधनों का साझा करना।
2. देश और विदेश में डिजाइन और उद्यमशीलता शिक्षा का संवर्धन।
3. भाषण, कार्यशाला और प्रदर्शनियों का संवर्धन।
4. सूचना और अकादमिक प्रचार सामग्री का आदान–प्रदान।

- **निफ्ट के विद्यार्थियों के लिए स्टार्टअप प्रतियोगिता (व्यवसायिक योजना प्रतियोगिता) की घोषणा।**

निफ्ट और हरीश गुप्ता, अनुसंधान परामर्शदाता, विभिन्न स्टार्टअप के संरक्षक और निफ्ट के भूतपूर्व छात्र (एएमएम, 91) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। हरीश गुप्ता ने अपनी मातृ संस्था और अपनी सहयोगी कंपनियों में उद्यमशीलता का संवर्धन और उत्साहवर्धन करने के लिए नकद पुरस्कारए संरक्षण एवं नेटवर्किंग सहायता और अपनी सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से व्यवहार्य बिजनेस के लिए शुरूआती वित्त पोषण के साथ निफ्ट के विद्यार्थियों के लिए व्यवसायगत योजना की प्रतियोगिता की शुरूआत करने की पेशकश की है। निफ्ट द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया है और एमओयू पर हस्ताक्षर करके छात्र की प्रतियोगिता के लिए ढांचा/प्रपत्र के माध्यम से इसे औपचारिक रूप दिया गया है। एमओयू में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) स्टार्टअप प्रतियोगिता के आयोजन में निफ्ट को सुविधा प्रदान करना।

(ख) आगामी तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए निफ्ट में स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र (अथवा टीम) के लिए स्टार्टअप प्रतियोगिता पुरस्कार की सुविधा प्रदान करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. संबंधित वर्ष की टीमों में विजेता प्रथम, द्वितीय, तृतीय और रनर–अप टीमों के लिए क्रमशः 30000 रुपए, 20000 रुपए, 15000 रुपए और 10000 रुपए का नकद पुरस्कार।
2. संबंधित वर्ष की विजेता टीम को स्टार्ट अप के विकास के लिए 6 माह की निशुल्क मेंटरशिप।
3. विजेता टीम के स्टार्टअप उद्यमी को प्रायोजक संस्था द्वारा 1.0 मिलियन रुपए शीड फंडिंग (प्रायोजक संस्था के व्यवसाय मानदंड को पूरा करने की शर्त पर)। 'संसाधन संस्था' के समन्वय से विजेताओं को मेंटरिंग सहायता की सुविधा।

फैकल्टी ओरिएंटेशन प्रशिक्षण एवं विकास

तेजी से बदलते फैशन बिज़नेस शिक्षा के प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण और गतिशीलता

में विश्व में श्रेष्ठ की तुलना में सर्वोत्तम शैक्षणिक एवं व्यावसायिक मानकों की आवश्यकता है।

आगे बने रहने के लिए, आवश्यक क्षमताओं को संस्थागत मेकेनिज़्म और प्रक्रिया द्वारा निरंतर विकसित एवं अपग्रेड करने की आवश्यकता है।

ख) विभिन्न कैंपसों से कार्यशाला में भाग लेती निफ्ट की फैकल्टी

प्रशिक्षण में मानव संसाधन विकास का एक महत्वपूर्ण तत्व शामिल है जो निफ्ट के विभिन्न विभागों और कैम्पसों में अंतर एवं अंतर–विभागीय नेटवर्क तथा लिंकेजे उपलब्ध कराके शैक्षणिक कार्मिकों का वैयक्तिक/संस्थागत विकास तथा सशक्तिकरण को सुकर बनाता है। यह निफ्ट परिवार में एक दृष्टि तथा एक लक्ष्य की भावना को भी समाहित करता है। अकादमिक मानकों में समानता लाने के लिए प्रशिक्षण और अन्य कार्यक्रमों के लिए नए कैंपसों को प्राथमिकता दी जाती है। पहचान किए गए कैंपस कांगड़ा, कन्नूर, जोधपुर, शिलांग, रायबरेली, पटना, भुवनेश्वर और भोपाल हैं।

फैकल्टी के लिए ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर (टीओटी) कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य, किसी सेमेस्टर के आरंभ होने से पहले कैम्पसों को आत्मनिर्भर बनाना और बाहरी स्रोतों पर न्यूनतम निर्भरता सुनिश्चित करना है। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर, (टीओटी) सामान्यतः निफ्ट पाठ्यक्रम से संबंधित विषय होते हैं। टीओटी आवश्यकता पर आधारित होते हैं और कमी वाले क्षेत्र से संबंधित होते हैं। उन्हें पाठ्यक्रम समन्वयकों के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा व्यापक रूप से तैयार किया जाता है। 5 से 6 दिनों की अवधि वाले 7 ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर कार्यक्रम जून–जुलाई, 2017 के दौरान संचालित किए गए। 73 फैकल्टी सदस्यों ने इसका लाभ उठाया।

कवर होने वाले मुख्य क्षेत्रों में शामिल हैं – मेन्स वियर डिजाइन एवं विकास, ग्रेडिंग मेनुअल एवं सीएडी, फैशन संचार के लिए विजुअल मर्चेंडाइजिंग, प्रचार डिजाइन, 3डी मैक्स, अनुसंधान पद्धति,

एसपीएसएस, व्यवसाय विश्लेषण और वैश्विक विपणन।

निफ्ट फैकल्टी को माइक्रो लेवल पर उद्योग की कार्यप्रणाली से अद्यतन करने या उद्योग की होलिस्टिक समझ रखने और उनके अंतर–संबंध को सक्षम बनाने के उद्देश्य से फैकल्टी उद्योग अटेचमेंट्स को सरल बनाया जाता है जो फैकल्टी को नवीनतम पद्धतियों की जानकारी देता है ताकि उक्त जानकारी को क्लास रूम में बताया जा सके। जून–जुलाई 2017 के दौरान कुल 36 फैकल्टी सदस्य मदुरा फैशन एवं लाइफ स्टाइल, बेंगलुरू, टाइटन कंपनी लि., बेंगलुरू सेलीब्रिशंस अपैरल लि., बेंगलुरू, शाही एक्सपोर्ट्स प्रा.लि., गाजियाबाद, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्रा. लि., बेंगलुरू, एडोब सिस्टम्स, नोएडा, बेस्ट सेलर, मुंबई, रिलायंस कारपोरेट पार्क, ठाणे, प्रोट्रेड गारमेंट्स कंपनी लि., बिन्ह दुआंग, वियतनाम आदि जैसे प्रतिष्ठित संगठनों/कंपनियों के साथ औद्योगिक रूप से जुड़े।

फैकल्टी के तीन सदस्य, सूक्ष्म स्तर पर उद्योग के बारे में अपने ज्ञान अथवा अंतर्राष्ट्रीय उद्योग की सर्वांगीण समझ को अद्यतन करने के लिए जून–जुलाई, 2017 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक कंपनियों के साथ जुड़े।

घरेलू प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत फैकल्टी के 4 सदस्यों ने 15–19 मई, 2017 दौरान माटुंगा, मुंबई में 'क्लोदिंग कम्फर्ट का यांत्रिक मूल्यांकन (सीआईआरसीओटी)' पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया।

10 जुलाई से 14 जुलाई, 2017 दौरान निफ्ट, दिल्ली कैंपस में राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली के सरकारी विद्यालयों के व्यवसायिक अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया। 160 अध्यापकों ने इसका लाभ उठाया।

एक कार्यशाला में भाग लेती निफ्ट फैकल्टी

दिल्ली और मुंबई केंद्रों में 7–19 अगस्त, 2017 तक पोर्टफोलियो विकास कार्यशाला का संचालन करने के लिए एफआईटी के एक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ प्रोफेसर स्टीवन कटिंग को आमंत्रित किया गया था। सभी निफ्ट कैंपसों के 54 फैकल्टी सदस्यों ने इसका लाभ उठाया।

यूनिवर्सल ट्रेनिंग नामक प्रशिक्षण के एक नए संघटक की पहल की गई है जो फैकल्टी को अपना व्यक्तिगत विकास करने और जीवन कौशल में प्रशिक्षण लेते समय संस्थागत विजन और लक्ष्यों के लिए बेहतर भाईचारे और फिटमेंट में उन्हें सक्षम बनाएगा। यूनिवर्सल ट्रेनिंग प्रोग्राम का पहला चरण 29 नवम्बर से 3 दिसंबर, 2017 तक आयोजित किया गया। जिसमें 140 फैकल्टी सदस्य लाभांवित हुए थे।

निफ्ट में शामिल होने पर फैकल्टी के प्रत्येक नए बैच के लिए एफओटीडी द्वारा ओरियंटेशन एवं इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। एफओटीडी का विभाग का एक अभिमुखी कार्यक्रम किए जाने की योजना है जिसमें सामान्यतया निफ्ट के समग्र विचार, मुख्य धारा की फैशन उद्योग की समझ, शिक्षण पद्धतियों को अपनाना, मूल्यांकन पद्धति तथा छात्र और उद्योग के विचार विमर्श को व्यापक रूप से शामिल किया जाएगा।

क्राफ्ट कलस्टर

ज़री धागा का प्रयोग करके कढ़ाई

टिन्सेल (टिल्ला) कार्य

भारत में फैशन शिक्षा के अग्रणी के रूप में निफ्ट अपने सामाजिक दायित्व के महत्व को समझता है और आधारभूत डिजाइनरों, जो भारत के विभिन्न शिल्प को समझने और संवर्धन करने में समर्थ हैं, को तैयार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। कई शैक्षणिक क्रियाकलाप, शिल्प क्षेत्र की वास्तविकता के प्रति विद्यार्थियों को संवेदी बनाने और क्षेत्रीय समझ के बारे में उनको अवगत कराने में सहायता प्रदान करते हैं। निफ्ट में शिल्प कलस्टर की पहल को शिल्प क्षेत्र की वास्तविकता के बारे में विद्यार्थियों को संवेदी बनाने और उन्हें मूल कलस्टर स्तर अनुभव को साझा करने के अवसर प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इस पहल के माध्यम

से निफ्ट, शिल्प को फैशन में और फैशन को शिल्प में मिलाने में व्यापक जागरूकता तथा संवेदनशीलता का निर्माण करने में सफल रहा है। शिल्प कलस्टर पहल कार्यक्रम, निफ्ट के विद्यार्थियों को विविध तरीके से समृद्ध और भारत के अद्वितीय हथकरघा और हस्तशिल्प के बारे में प्रत्येक वर्ष व्यवस्थित, सतत और नियमित ज्ञान प्रदान करता है। इस विशिष्टता के अनुसार विद्यार्थी डिजाइन, आसूचना, डिजाइन अभिनव, उत्पाद विकास, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, ब्रांड प्रबंधन, खुदरा उद्यमशीलता, संघटनात्मक विकास और सिस्टम डिजाइन और विकास जैसे कलस्टरों के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान करते हैं। विद्यार्थी प्रक्रिया के अभिनव, उत्पादन की आयोजना तथा अनुसंधान आधारित सुधार और गुणवत्ता प्रबंधन के क्षेत्रों में भी योगदान करते हैं। विद्यार्थी पोस्टरों, ब्रोसरों और कटलॉग जैसे लोगो, संवर्धनात्मक सामग्रियों के माध्यम से हथकरघा और हस्तशिल्प कलस्टरों की विशिष्ट पहचान विकसित करने के लिए कारीगरों और बुनकरों की सहायता करते हैं।

प्रत्येक कैंपस ने 5 वर्ष की अवधि के लिए 2–5 शिल्प कलस्टरों को अपनाया है। इस पहल के अंतर्गत शामिल किए गए क्रियाकलापों की सूची तालिका–1 में दी गई है।

तालिका 2: विभिन्न विभागों द्वारा शुरू किए गए क्रियाकलापों की सूची

क्र.सं.	क्रियाकलाप	क्रियाकलाप की प्रकृति
1.	विद्यार्थी कैंपस के निकट शिल्प वातावरण में जाते हैं।	1–5 दिन की अवधि के लिए निकट के शिल्प कलस्टरों में जाकर शिल्पियों से बातचीत करके शिल्प और उनकी चुनौतियों को समझना
2.	निफ्ट कैंपस में कारीगरों द्वारा शिल्प का प्रदर्शन	विद्यार्थियों के सामने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शहरी शिल्प कलस्टरों अथवा पहचान किए गए शिल्प कलस्टरों के कारीगरों को कैंपस के आसपास आमंत्रित किया जाता है।
3.	शिल्प अध्ययन एवं संगोष्ठी	उद्योग, सरकारी एजेंसियों और शिल्प क्षेत्र के पेशेवरों सहित स्रोताओं को चयनित कागजात प्रस्तुत करने के लिए एक संगोष्ठी आयोजित की जाती है।

क्र.सं.	क्रियाकलाप	क्रियाकलाप की प्रकृति
4.	शिल्प अनुसंधान और प्रलेखीकरण	देश की ग्रामीण साज–सज्जा, गांव की सांस्कृतिक और सामाजिक समझ के बारे में अवगत कराने के लिए दो सप्ताह का शिल्प कलस्टर दौरा; शिल्प प्रलेखन में प्रक्रिया प्रलेखन और नैदानिक अध्ययन शामिल है।
5.	शिल्पियों के साथ उत्पाद विकास	सेमेस्टर VII के विद्यार्थियों द्वारा शुरू किया गया यह एक इन–फील्ड क्रियाकलाप है जिसका उद्देश्य फील्ड में उत्पादों का विकास करना है।
6.	कारीगरों और बुनकरों के लिए जागरूकता कार्यशालाएं	इस पहल के अंतर्गत प्रत्येक विभाग द्वारा शामिल किए जा रहे शिल्प कलस्टरों के लिए वर्ष में एक बार जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। इन कार्यशालाओं का आयोजन शहरी बाजारों के बारे में उनकी समझ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। वे ट्रेंड के बारे में ज्ञान को साझा करने और बाजार की मांग को समझने के लिए निफ्ट की फैकल्टी और विद्यार्थियों के साथ बातचीत करते हैं।

विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित किए गए कैंपस–वार शिल्प क्रियाकलाप तालिका–3 में दिए गए हैं।

तालिका 3:एनआईएफटी कैंपस द्वारा हथकरघा कलस्टर में क्रियाकलापों का विवरण

क्र. सं.	कैंपस	शामिल किए गए क्रियाकलाप और शिल्प	विद्यार्थियों की संख्या	शिल्पकारों की संख्या	भौतिक लक्ष्य
1.	बेंगलुरु	शिल्प अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण:बुनकर सोसाइटी, येलहांका; बुनकर सोसाइटी, अनेकल, बेंगलुरु	67	31	दस्तावेज़ीकरण
		कारीगर जागरूकता कार्यशाला: इलकल हैंडलूम, सारील सागर, चिंतामणी हथकरघा	87	37	दस्तावेज़ीकरण और फिल्म

क्र. सं.	कैंपस	शामिल किए गए क्रियाकलाप और शिल्प	विद्यार्थियों की संख्या	शिल्पकारों की संख्या	भौतिक लक्ष्य
2.	भोपाल	शिल्प अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण: हौशंगाबाद सिल्क रियरिंग कलस्टर चंदेरी साड़ी बुनकर कलस्टर महेश्वर हथकरघा साड़ी विविंग कलस्टर	128	5	दस्तावेज़ीकरण और तस्वीरें
		कारीगर जागरूकता कार्यशाला: चंदेरी साड़ी बुनाई कलस्टर			
		शिल्प अनुसंधान एवं दस्तावेज़ीकरण: महेश्वर हथकरघा साड़ी विविंग कलस्टर			
3.	भुवनेश्वर	शिल्प अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण: तसर विविंग, गोपालपुर, ओडिशा नुआपटना हैंडलूम कलस्टर, कटक	158	9	दस्तावेजीकरण
		शिल्प अनुसंधान एवं दस्तावेज़ीकरण: सोनपुर हैंडलूम विविंग कलस्टर	11	4	दस्तावेजीकरण
4.	चेन्नई	शिल्प कलस्टर का फील्ड दौरा: बुनकर सेवा केंद्र, कांचीपुरम	38	5	दस्तावेजीकरण
5.	गांधीनगर	शिल्प अनुसंधान एवं दस्तावेज़ीकरण: ब्रोकेड, गुजरात	33	4	दस्तावेजीकरण
		फील्ड अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण: पटोला और मशरु, पाटन	31	2	दस्तावेजीकरण

क्र. सं.	कैंपस	शामिल किए गए क्रियाकलाप और शिल्प	विद्यार्थियों की संख्या	शिल्पकारों की संख्या	भौतिक लक्ष्य
6.	हैदराबाद	फील्ड अध्ययन और शिल्प संवेदीकरणः शिल्परामम शिल्प बाज़ार का दौरा	161	10	दस्तावेज़ीकरण
		शिल्प कलस्टर का फील्ड दौराः पोचमपल्ली इकाट, नालगोंडा, तेलंगाना; येलमुला टेक्सटाइल्स, वारंगल, तेलंगाना	218	45	दस्तावेज़ीकरण
		कारीगर जागरूकता कार्यशालाः दरी, वारंगल; पोचमपल्ली इकाट, नालगोंडा, तेलंगाना	87	12	दस्तावेज़ीकरण और फिल्म
		शिल्प अनुसंधान एवं दस्तावेज़ीकरणः मंगलगिरी हथकरघा, गुंटूर	30	10	दस्तावेज़ीकरण
		शिल्प संवर्धन और ब्रांड पहचानः महादेवपुर टेक्सटाइल, वारंगल, तेलंगाना	30		कोलेटरल और दस्तावेज़ीकरण
		कारीगरों द्वारा इंडिगो वार्ता और शिल्प प्रदर्शन	105		फिल्में
7.	जोधपुर	शिल्प कलस्टर का फील्ड दौराः सलावास के हथकरघा	90	12	दस्तावेज़ीकरण
8.	कांगड़ा	शिल्प अध्ययन और शिल्प संवेदीकरणः तिब्बती कालीन; पट्टू विविंग	77		दस्तावेज़ीकरण
		शिल्प कलस्टर का फील्ड दौराः नूरपुर सिल्क मिल्स	107		दस्तावेज़ीकरण

क्र. सं.	कैंपस	शामिल किए गए क्रियाकलाप और शिल्प	विद्यार्थियों की संख्या	शिल्पकारों की संख्या	भौतिक लक्ष्य
9.	कन्नूर	कारीगर जागरूकता कार्यशाला: मोराजा हथकरघा	18	8	दस्तावेज़ीकरण और फिल्म
		शिल्प अनुसंधान एव दस्तावेज़ीकरण: मोराजा हथकरघा	30	12	दस्तावेज़ीकरणं
		शिल्प संवर्धन और ब्रांड पहचान: मोराजा हथकरघा	20	1	कोलेटरल और दस्तावेज़ीकरण
10.	कोलकाता	शिल्प कलस्टर का फील्ड दौरा: हथकरघा विविंग (फुलिया, नाडिया, पश्चिम बंगाल); जामदानी (कलना / समुद्रदढ़ और धतरीग्राम, बर्दवान, पश्चिम बंगाल); हथकरघा विविंग (बेगमंपूर, हुगली पश्चिम बंगाल), हथकरघा विविंग (लावपुर, बीरभूम, पश्चिम बंगाल)	135	73	दस्तावेज़ीकरण
		कारीगर जागरूकता कार्यशाला: हथकरघा बुनना (बेगमंपुर, हुगली, पश्चिम बंगाल);जामदानी (कलना / समुद्रदढ़ और धतिरी ग्राम, बर्दवान, पश्चिम बंगाल); बालुचरी (विष्णुपुर, बांकुरा, पश्चिम बंगाल);हथकरघा विविंग (लावपुर, बीरभूम, पश्चिम बंगाल)	102	20	कार्य और दस्तावेज़ीकरण
		शिल्प अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण: हथकरघा विविंग (शांतिपुर, फुलिया, पश्चिम बंगाल)	29	75	
		शिल्प संवर्धन और ब्रांड पहचान: जामदानी (कलना / समुद्रगढ़ और धतरीग्राम, बर्दवान, पश्चिम बंगाल); बालुचरी (विष्णुपुर, बांकुरा, पश्चिम बंगाल)	28	8	कोलेटरल

क्र. सं.	कैंपस	शामिल किए गए क्रियाकलाप और शिल्प	विद्यार्थियों की संख्या	शिल्पकारों की संख्या	भौतिक लक्ष्य
11.	मुंबई	महाराष्ट्र और गुजरात के हथकरघा, पैथानी और पटोला	48	शून्य	दस्तावेज़ीकरण
12.	नई दिल्ली	कारीगर जागरूकता कार्यशाला: ब्रोकेड विनिंग, मुबारकपुर (यूपी); / दरी बुनाई, अजमेर (राजस्थान)	178	12	कार्य और दस्तावेज़ीकरण
		शिल्प अनुसंधान, एवं दस्तावेजीकरण / दरी विनिंग, अजमेर (राजस्थान)	5	10	दस्तावेज़ीकरण
		कारीगरों द्वारा इंडिगो वार्ता और शिल्प प्रदर्शन	60		
13.	पटना	फील्ड अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण: पालीगंग, बिहार में हथकरघा कपास उत्पाद	33		दस्तावेज़ीकरण
		शिल्प कलस्टर का फील्ड दौरा: उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना; बसवन बीघा, नालंदा, बिहार में बावनबूटी शिल्प कलस्टर	97		दस्तावेज़ीकरण, प्रस्तुति
		शिल्प अनुसंधान एवं दस्तावेज़ीकरण: भागलपुर के हथकरघा	28	45	दस्तावेज़ीकरण, प्रस्तुति
		कारीगरों द्वारा इंडिगो वार्ता और शिल्प प्रदर्शन	62		प्रदर्शनी
14.	रायबरेली	शिल्प कलस्टर का फील्ड दौरा: बनारस के हथकरघा	58		दस्तावेज़ीकरण
		कारीगर जागरूकता कार्यशाला: वाराणसी में बर्जरदीहा बुनकर	32	10	दस्तावेज़ीकरण, प्रस्तुति
		शिल्प अनुसंधान एवं दस्तावेज़ीकरण: बनारस ब्रोकेड	28	17	दस्तावेज़ीकरण, प्रस्तुति

क्र. सं.	कैंपस	शामिल किए गए क्रियाकलाप और शिल्प	विद्यार्थियों की संख्या	शिल्पकारों की संख्या	भौतिक लक्ष्य
15.	शिलांग	फील्ड अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण: मार्नगर, उम्डेन, इपंगार, रीहोई जिला, मेघालय और लार्नेई, पश्चिम जयंतिया हिल्स जिला, मेघालय चंद्रपुर कलस्टर, कामरूप जिला, असम	129	05	दस्तावेज़ीकरण
		कारीगर जागरूकता कार्यशाला: प्राकृतिक डाई, उम्डेन, रीभोई जिला	25	11	दस्तावेज़ीकरण, प्रस्तुति
		शिल्प अनुसंधान एवं दस्तावेज़ीकरण: एरी, कपास, एक्रिलिक यार्न: माजुली कलस्टर, असम	22	12	दस्तावेज़ीकरण, प्रस्तुति
		प्रोटोटाइप विकास: एरी, पॉलिएस्टर, कपास, एक्रिलिक यार्न, चंद्रपुर कलस्टर, कामरूप जिला, असम में फ्लाइ शटल	25	75	प्रोटोटाइप विकास

तालिका 4: निफ्ट कैंपसों द्वारा हस्तशिल्प कलस्टर में क्रियाकलापों का विवरण

क्र. सं.	कैंपस	शामिल किए गए क्रियाकलाप और शिल्प	विद्यार्थियों की संख्या	शिल्पकारों की संख्या	भौतिक लक्ष्य
1.	बेंगलुरु	फील्ड अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण: • लकड़ी के लकरवेयर, चन्नापट्टना • पोटरी, पोटरी टाउन, बेंगलुरु • पत्थर पर नक्काशी शिल्प, शिवारापट्टनम, कोलार • केन और टोकरी बुनाई, ऑडुगोडी और बनशंकरी • नारियल शैल आभूषण • बांस क्राफ्ट	394	70	दस्तावेज़ीकरण

क्र. सं.	कैंपस	शामिल किए गए क्रियाकलाप और शिल्प	विद्यार्थियों की संख्या	शिल्पकारों की संख्या	भौतिक लक्ष्य
		• कारीगर जागरूकता कार्यशाला: • टेराकोटा क्राफ्ट, कौदिचार, पुत्तूर; मैंगलोर जिला, कर्नाटक • लकड़ी के लेकरवेयर, चन्नापटना • लम्बनी, कढ़ाई, हम्पी • पत्थर पर नक्काशी, शिवरापटना • मैसूर रोज वुड इनले क्राफ्ट, मैसूर • कसूती कढ़ाई, धारवाड़ • लकड़ी के लकरवेयर खिलौने, चन्नापटना	256	65	दस्तावेज़ीकरण
		शिल्प कलस्टर का फील्ड दौरा: • कर्नाटक का फूलों की माला बनाने का का शिल्प • ज़ारदोज़ी कढ़ाई • बर्तनों का क्राफ्ट • बांस क्राफ्ट • पीपल लीफ आर्ट • केले रेशे के क्राफ्ट	56	18	दस्तावेज़ीकरण
		• कारीगरों द्वारा शिल्प प्रदर्शन: • कसूती कढ़ाई, धारवाड़ • मैसूर रोज वुड इनले क्राफ्ट, मैसूर	101	33	दस्तावेज़ीकरण
2.	भोपाल	• फील्ड अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण: • ब्लॉक प्रिंटिंग, भोपाल • कढ़ाई और ज़री का काम, भोपाल	100	10	दस्तावेज़ीकरण
		कारीगरों द्वारा शिल्प प्रदर्शन: • बेल मेटल (डोक्रा, क्राफ्ट, बैतुल, महा शक्ति केंद्र	28	4	कारीगरों द्वारा प्रदर्शन और दस्तावेजीकरण

क्र. सं.	कैंपस	शामिल किए गए क्रियाकलाप और शिल्प	विद्यार्थियों की संख्या	शिल्पकारों की संख्या	भौतिक लक्ष्य
3.	भुवनेश्वर	फील्ड अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण: • पिपली क्राफ्ट, रघुराजपुर और बालाकाटी • पेपियरमाचे और पट्टचित्र, रघुराजपुर • बेल मेटल क्राफ्ट, बालकाटी	492	14	दस्तावेज़ीकरण
		शिल्प कलस्टर का फील्ड दौरा: • पट्टचित्र क्राफ्ट, रघुराजपुर • ब्लॉक प्रिंटिंग, गोपालपुर • अपलिक, अरोही कलस्टर, खंडागिरी	105	21	कारीगरों द्वारा प्रदर्शन और दस्तावेजीकरण
		शिल्प अनुसंधान एवं दस्तावेज़ीकरण: • जनजातीय गहने, कार्मुल, ढेंकनाल • डोक्रा कास्टिंग, सदेबरीनी • सबाई घास, बारीपाड़ा सोनीपुर	16	8	दस्तावेज़ीकरण
4.	चेन्नई	फील्ड अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण: पत्थर पर नक्काशी, महाबलीपुरम मंदिर छाता शिल्प, चमड़ा क्राफ्ट, सिंगपेरुमल कोई पाम पत्ती शिल्प सॉफ्ट डॉल मेकिंग पीपल लीफ पेंटिंग, तिरुवन्नामलाई प्राकृतिक रेशा वस्त्र, अनकापुधुर हाथ कढ़ाई और स्क्रीन प्रिंटिंग विडिंग क्राफ्ट, चिन्तापादिपेट, त्रिप्लिकान और रोयापेटाह आरी कढ़ाई, गुम्मीदी पूंदी	232	35	दस्तावेज़ीकरण

क्र. सं.	कैंपस	शामिल किए गए क्रियाकलाप और शिल्प	विद्यार्थियों की संख्या	शिल्पकारों की संख्या	भौतिक लक्ष्य
		कारीगर जागरूकता कार्यशाला: • हाथ बुनाई	29	6	दस्तावेज़ीकरण
		शिल्प कलस्टर का फील्ड दौरा: • लकड़ी नक्काशी, कोट्टिवाकम • सागर शैल क्राफ्ट, त्रिप्लिकैन • मिट्टी के बर्तनों, दक्षिणचित्रा • बांस ब्लाइंड्स वीविंग, तिरुवनम्यूर • पाम पत्ती टोकरी, पुलिकट • मंदिर छाता, चिंदाट्रीपेट • पत्थर नक्काशी, महाबलीपुरम • केन फर्नीचर, तिरुवनमीयर • ईचन बास्केट, चेटपेट	83	32	दस्तावेज़ीकरण
		शिल्प संवर्धन और ब्रांड पहचान: चमड़े की कठपुतली, सलनगई मेकिंग केन फर्नीचर, तंजौर पेंटिंग्स, वाद्ययंत्र, फेब्रिक आभूषण, टेरा कोटा मोती आभूषण, अथांगुडी टाइलें, लकड़ी की नक्काशी, पेपर उत्पाद, अगरबत्ती बनाने, चंदन की फीता माला, कोकोनट शैल क्राफ्ट, पिथ क्राफ्ट, समुद्री शैल शिल्प, कोरा चटाई, ग्रेनाइट पत्थर पर नक्काशी, मारापछी गुड़िया, जूट बैग, तंजावुर थालायती बोम्मई, मंदिर छाता	30	35	कोलेटरल और दस्तावेज़ीकरण
		कारीगरों द्वारा क्राफ्ट प्रदर्शन: • कलमकारी • टेराकोटा शिल्प, पांडिचेरी • पेपियरमाचे, तिरूक्कानुर • पत्थर पर नक्काशी, महाबलीपुरम	125	22	कारीगरों द्वारा प्रदर्शन और दस्तावेजीकरण

क्र. सं.	कैंपस	शामिल किए गए क्रियाकलाप और शिल्प	विद्यार्थियों की संख्या	शिल्पकारों की संख्या	भौतिक लक्ष्य
3.	गांधीनगर	फील्ड अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण: • गांव: लोदरा • लकड़ी पर नक्काशी • कंठी माला मेकिंग • अगरबत्ती बनाना • लकड़ी का काम, • कृषि के उपकरण (ब्लैक स्मिथिंग) • खाट मेकिंग • मखमल पेंसिल मेकिंग • ईंट मेकिंग • मिट्टी के बर्तन • आभूषण बनाना • क्विल्ट और गद्दा बनाना • क्रोचेट गांव: पेठापुर • ब्लॉक बनाना	174	28	दस्तावेज़ीकरण
		शिल्प कलस्टर का फील्ड दौरा: • पत्थर नक्काशी, पाटन / हिम्मतनगर • मनका कार्य, बापू नगर और जुनावदेज, अहमदाबाद • टेराकोटा, वडू गांव,अहमदाबाद • कढ़ाई, एप्लिक और पैचवर्क, अहमदाबाद • ब्लॉक प्रिंटिंग, अहमदाबाद	230	26	दस्तावेज़ीकरण
		शिल्प अनुसंधान एवं दस्तावेज़ीकरण: • एप्लिक • माता नी पचेडी • ब्लॉक बनाना और ब्लॉक प्रिंटिंग	33		दस्तावेज़ीकरण

क्र. सं.	कैंपस	शामिल किए गए क्रियाकलाप और शिल्प	विद्यार्थियों की संख्या	शिल्पकारों की संख्या	भौतिक लक्ष्य
		शिल्प संवर्धन और ब्रांड पहचानः अहमदाबादः • कठपुतली बनाना • पतंग बनाना • ब्लॉक प्रिंटिंग • एप्लिक • कागज उत्पाद • पेपियर माचे • जरदोजी • प्लास्टर ऑफ पेरिस	37	21	कोलेटरल और दस्तावेज़ीकरण
		कारीगरों द्वारा शिल्प प्रदर्शनः • लकड़ी की पत्रा मेकिंग, अहमदाबाद और राजकोट • टेराकोटा और ब्लैक पॉटरी, बड़ौदा • बीडवर्क, वडोदरा	35		कारीगरों द्वारा प्रदर्शन और दस्तावेजीकरण
6.	हैदराबाद	कारीगर जागरूकता कार्यशालाः • सिल्वर फिलीग्री, करीमनगर • पेम्बर्ती ब्रासवेयर, वारंगल • चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग, वारंगल • क्रोचेट फीता, नरसपुर • कलमकारी, श्रीकलाहस्ती • बंजारा कढ़ाई, येल्लामा थांडा	111	20	दस्तावेज़ीकरण और फिल्म
		शिल्प कलस्टर का फील्ड दौराः • चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग, वारंगल पेम्बर्ती ब्रासवेयर, वारंगल	37	5	दस्तावेज़ीकरण
		शिल्प संवर्धन और ब्रांड पहचानः • सिल्वर फिलीग्री, करीमनगर	30	—	कोलेटरल और दस्तावेज़ीकरण
		कारीगरों द्वारा क्राफ्ट प्रदर्शनः • पीतल की चादर का काम	29	2	कारीगरों द्वारा प्रदर्शन और दस्तावेजीकरण

क्र. सं.	कैंपस	शामिल किए गए क्रियाकलाप और शिल्प	विद्यार्थियों की संख्या	शिल्पकारों की संख्या	भौतिक लक्ष्य
7.	जोधपुर	फील्ड अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण: • लकड़ी क्राफ्ट, जोधपुर; • बोन एंड हॉर्न, प्रताप नगर, शिवांची गेट, जोधपुर • मोजड़ी कलस्टर, शिवांची गेट, जोधपुर	88	6	दस्तावेज़ीकरण
		शिल्प अनुसंधान एवं दस्तावेज़ीकरण: • हड्डी और सींग • चमड़ा शिल्प • लकड़ी और लोहा शिल्प	29	29	दस्तावेज़ीकरण
7.	कांगड़ा	फील्ड अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण: • थांगका और कांगड़ा चित्र	231	6	दस्तावेज़ीकरण
		शिल्प कलस्टर का फील्ड दौरा: • बांस क्राफ्ट, रय्यत, कांगड़ा पेपर क्राफ्ट, धर्मशाला	154	7	दस्तावेज़ीकरण
		शिल्प संवर्धन और ब्रांड पहचान: • तिब्बती शिल्प, मैकलोडगंज, कांगड़ा • बांस क्राफ्ट, रय्यट, कांगड़ा • पेपर क्राफ्ट, धर्मशाला	30	2	कोलेटरल और दस्तावेज़ीकरण
		कारीगरों द्वारा शिल्प प्रदर्शन: • बांस शिल्प, पालमपुर • पाइन नीडल, कांगड़ा • वुड इनले होशियारपुर			

क्र. सं.	कैंपस	शामिल किए गए क्रियाकलाप और शिल्प	विद्यार्थियों की संख्या	शिल्पकारों की संख्या	भौतिक लक्ष्य
9.	कन्नूर	फील्ड अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण: • उरुवू बांस कलस्टर	88	6	दस्तावेज़ीकरण
		शिल्प कलस्टर का फील्ड दौरा: • स्क्रू पाइन क्राफ्ट, थालायोलाप्रम्बु, कोट्टायम • पय्यानूर बेल मेटल क्राफ्ट और संबद्ध मेटल क्राफ्ट	33	5	दस्तावेज़ीकरण
		कारीगर जागरूकता कार्यशाला: • कोरा ग्रास मैट, चित्तूर, पलक्कड़ • स्क्रू पाइन क्राफ्ट, थालायोलाप्रम्बु, कोट्टायम	147	46	दस्तावेज़ीकरण और फिल्म
		शिल्प संवर्धन और ब्रांड पहचान: • पय्यानूर बेल मेटल क्राफ्ट • स्क्रू पाइन क्राफ्ट, थालायोलाप्रम्बु, कोट्टायम	1	40	कोलेटरल और दस्तावेज़ीकरण
10.	कोलकाता	फील्ड अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण: • कांथा – काजीपारा, 24 परगना (उत्तर), पश्चिम बंगाल • कांथा – गूमा, 24 परगना (उत्तर), पश्चिम बंगाल • जरी – बौरिया, हावड़ा, पश्चिम बंगाल • टेराकोटा – म्यना, 24 परगना (उत्तर), पश्चिम बंगाल	159	48	दस्तावेज़ीकरण

क्र. सं.	कैंपस	शामिल किए गए क्रियाकलाप और शिल्प	विद्यार्थियों की संख्या	शिल्पकारों की संख्या	भौतिक लक्ष्य
		शिल्प कलस्टर का फील्ड दौराः • पटचित्र – पिंगला, पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल • कांथा – बारासात, 24 परगना (उत्तर), पश्चिम बंगाल • चमड़ा क्राफ्ट, सोडेपुर और गारिया	130	26	दस्तावेज़ीकरण
		कारीगर जागरूकता कार्यशालाः • कांथा, बोलपुर, ननूर, बीरभूम, पश्चिम बंगाल • पटचित्र, पिंगला, पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल • टेराकोटा, पंचमूरा, बांकुरा, पश्चिम बंगाल • चमड़ा क्राफ्ट, सोडेपुर और गारिया • कांथा, बारासत • हस्त पेंटिंग	191	61	दस्तावेज़ीकरण और फिल्म
		शिल्प संवर्धन और ब्रांड पहचानः • कांथा, बोलपुर, पश्चिम बंगाल • पट्टचित्र, पिंगला, पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल • टेराकोटा, पंचमूरा, बांकुरा, पश्चिम बंगाल कारीगरों द्वारा क्राफ्ट प्रदर्शनः • कांथा, बरासत • मिट्टी के बर्तनों • सबाई घास • मिट्टी के पात्र • टेराकोटा	28	2	कोलेटरल और दस्तावेज़ीकरण

क्र. सं.	कैंपस	शामिल किए गए क्रियाकलाप और शिल्प	विद्यार्थियों की संख्या	शिल्पकारों की संख्या	भौतिक लक्ष्य
11.	मुंबई	फील्ड अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण: • गणेश मूर्ति मेकिंग, पेन, पतवा, धारावी • बांस और केन, माहिम और बांद्रा • चमड़ा शिल्प, धारावी • ज़ारदोजी, चीता कैंप मानखुर्द, बैंगनवाड़ी गोवंडी • टेराकोटा, धारावी • लकड़ी पर नक्काशी, माहिम, मुंबई	246	14	दस्तावेज़ीकरण
		कारीगर जागरूकता कार्यशाला: लातूर पालघर	30	20	दस्तावेज़ीकरण और फिल्म
		शिल्प कलस्टर का फील्ड दौरा: • फूल शिल्प, दादर • गोधादी शिल्प, नेरुल, • कुंभरवाड़ा पोट्री क्राफ्ट, धारावी • वर्ली क्राफ्ट, धारावी • पटसन शिल्प • चमड़ा शिल्प • पटवा शिल्प, मुम्बादेवी • बांस और केन शिल्प	1059	45	दस्तावेज़
		शिल्प संवर्धन और ब्रांड पहचान: • कॅयर, सिंधुदुर्ग • टेराकोटा, धारावी • चित्रकथी, पिंगुली • कोल्हापुर चप्पलें • गनीफा, सावंतवाडी • संगीत उपकरण, मिराज	99	2	कोलेटरल और दस्तावेज़ीकरण

क्र. सं.	कैंपस	शामिल किए गए क्रियाकलाप और शिल्प	विद्यार्थियों की संख्या	शिल्पकारों की संख्या	भौतिक लक्ष्य
12.	नई दिल्ली	शिल्प अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण: • ब्लॉक प्रिंटिंगः ओखला (जाकिर नगर) • धातु का कामः मालवीय नगर/साकेत • पोटरी/लोंगपीः साकेत • कढ़ाईः शाहपुर जाट • कढ़ाईः खानपुर • पोटरीः उत्तम नगर • पोटरी/बर्तनः चिराग दिल्ली	235	–	दस्तावेज़ीकरण
		शिल्प अनुसंधान एवं दस्तावेज़ीकरण: • चमड़ा शिल्प, अजमेर (राजस्थान) • लघु चित्रकारी • ब्लॉक प्रिंटिंग, टाइ एंड डाई एंड सिल्वर आभूषण, उदयपुर, राजस्थान	26	–	
		कारीगरों द्वारा क्राफ्ट प्रदर्शनः • ब्लैक पोटरीः निजामाबाद, आजमगढ़, यूपी • चमड़ा शिल्प, अजमेर, राजस्थान			
13.	पटना	फील्ड अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण: • जरदोजी • लकड़ी के शिल्प • बल्व बनाना • पतंग बनाना • सूजिनी • मधुबनी • एप्लिक • केन और बांस • पीतल के बर्तनों			दस्तावेज़ीकरण

क्र. सं.	कैंपस	शामिल किए गए क्रियाकलाप और शिल्प	विद्यार्थियों की संख्या	शिल्पकारों की संख्या	भौतिक लक्ष्य
		शिल्प कलस्टर का फील्ड दौराः सुजिनी शिल्प कलस्टर, भुसरा गांव, मुजफ्फरपुर	64	3	दस्तावेज़ीकरण
		शिल्प संवर्धन और ब्रांड पहचानः कारीगरों द्वारा क्राफ्ट प्रदर्शनः टिकुली, केन एवं बांस और पेपियर माचे, पटना	26	1	कालेटरल और दस्तावेज़ीकरण
14.	रायबरेली	फील्ड अध्ययन और शिल्प संवेदीकरणः टेराकोटा, स्टोन का काम, मेटल वर्क, बांस बास्केट्स दालुवा, केंस घास बास्केट वर्क्स, देहरा मऊ, दिघिया, सैंडिनगिन, गेरबुझा, मेनूपुर, टकिया, मुसहा, खासपाड़ी और मुंसीगंज में सूप बनाना	111		
		शिल्प कलस्टर का फील्ड दौराः बोन शिल्प, लखनऊ, लाख के खिलौने, वाराणसी, टाई और डाई कार्यशाला, बाटिक कार्यशाला, चमड़ा एम्बॉसिंग कार्यशाला	261	14	दस्तावेज़ीकरण
		शिल्प अनुसंधान एवं दस्तावेज़ीकरणः • लकड़ी टर्निंग लाख खिलौने, वाराणसी • बोन नक्काशी, लखनऊ			दस्तावेज़ीकरण
		कारीगरों द्वारा क्राफ्ट प्रदर्शनः • लकड़ी टर्निंग लाख खिलौने, वाराणसी • बोन नक्काशी, लखनऊ • टाई एंड डाई, जयपुर, राजस्थान			

क्र. सं.	कैंपस	शामिल किए गए क्रियाकलाप और शिल्प	विद्यार्थियों की संख्या	शिल्पकारों की संख्या	भौतिक लक्ष्य
15.	शिलांग	शिल्प अध्ययन और शिल्प संवेदीकरणः मार्नगर, उम्डेन, इपंगार, रीभोई जिला, मेघालय और लार्नेईए पश्चिम जयंतिया हिल्स जिला, मेघालय	61	6	दस्तावेज़ीकरण
		कारीगरों द्वारा क्राफ्ट प्रदर्शनः • ब्लैक पोटरी • लॉनईए पश्चिम जयंतिया हिल्स जिला, मेघालय	128	5	दस्तावेज़ीकरण

चंपारण शताब्दी महोत्सव सप्ताह

चंपारण आंदोलन के संबंध में जागरूकता लाने, स्वदेशी के महत्व और भारतीय हथकरघा ब्रांड के महत्व पर प्रकाश डालने, प्राकृतिक रंगों, विशेष रूप से नील के उपयोग के प्रति ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से सभी निफ्ट कैंपसों में 'इंडिको टॉक' – विषय पर भाषणों की श्रृंखला का आयोजन किया गया। नैतिक कार्य के आयाम, शिल्पियों के प्रति संवेदनशीलता, आर्थिक संपोषणीयता और प्राकृतिक रंगों का प्रचार, चर्चा के विषय थे। सुश्री रितु सेठी, सुश्री रीता कपूर चिश्ती, सुश्री आरती कावला, सुश्री पद्मिनी तोलत बलराम, श्री जेसस क्रिजिया आदि जैसे विशेषज्ञ चर्चा के लिए आमंत्रित किए गए थे।

इतिहास पर प्रकाश डालने और प्राकृतिक रंग के रूप में नील के उपयोग पर एक चित्र प्रदर्शनी और चंपारण आंदोलन को डिजाइन किया गया था। विद्यार्थियों और एल्युमिनी द्वारा बनाए गए परिधानों और नील तथा अन्य प्राकृतिक रंगों से रंगे हुए नमूनों को प्रदर्शित करने के लिए निफ्ट के कुछ कैंपसों में नील प्रदर्शनी आयोजित की गई थी।

निफ्ट विद्यार्थियों के साथ चम्पारण कार्यशाला

शिल्प आधारित स्नातक पाठ्यक्रम

निफ्ट कैंपसों से 9 विद्यार्थियों द्वारा 4 हथकरघा कलस्टर आधारित और 5 हस्तशिल्प कलस्टर आधारित स्नातक पाठ्यक्रम की शुरूआत की गई। स्नातक करने वाले विद्यार्थियों ने मिजोरम हथकरघा, वाराणसी कलस्टर में ईआरपी समाधान को क्रियान्वित करने की संभावना, महेश्वरी कलस्टर में डिजाइन पहल, उत्तर प्रदेश के हथकरघे, बेल मेटल क्राफ्ट के संवर्धन के लिए संचार उपकरणों का विकास, मिजोरम ज्वैलरी में नवोन्मेश, चमड़े के खिलौने में पहल, पोंदूरुखादी की निडिल क्राफ्ट और अमूर्त विरासत का संग्रह और केरल में हथकरघे का पुनरुद्धार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में शिल्प आधारित पाठ्यक्रम की शुरूआत की। इन सभी पाठ्यक्रमों को विकास आयुक्त (हथकरघा) और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा प्रायोजित किया गया।

शिल्प संबंधी क्रियाकलापों के लिए भावी रूपरेखा में शिल्प बाजार और प्रदर्शनी का आयोजन करना शामिल है जो शहरी बाजारों और उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए एक प्रत्यक्ष प्लेटफॉर्म का काम करेगा। पहचान किए गए शिल्प कलस्टरों के शिल्पियों और बुनकरों को अपने उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए निफ्ट कैंपसों में आमंत्रित किया जाएगा। शिल्पी और बुनकर शिल्प विशेषज्ञों से बातचीत भी करेंगे और अपने भावी संग्रहों की अवधाराण के लिए ज्ञान प्राप्त करेंगे।

पीएचडी एवं अनुसंधान

निफ्ट, वस्त्र, फैशन और लाइफस्टाइल तथा उद्योग के अपैरल क्षेत्रों में विस्तृत संदर्भ के साथ अनुप्रयोग के रूप में डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में पीएचडी कराता है। यह कार्यक्रम काफी हद तक अकादमी और उद्योग के उपयोग के लिए मूल ज्ञान का सृजन करने के लिए टेक्सटाइल, फैशन और

पीएचडी अभ्यार्थियों द्वारा कार्यशाला का आयोजन

अपैरल क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एक निकाय का सृजन करने के लिए तैयार किया गया था।

पीएचडी कार्यक्रम के लिए प्रवेश की प्रक्रिया आमतौर पर परिणामों की घोषणा और जुलाई माह के दौरान पंजीकरण के साथ प्रत्येक वर्ष अप्रैल के महीने में शुरू होती है। पीएचडी कार्यक्रम के लिए प्रवेश की अर्हक पात्रता पीएचडी की डिग्री के दिशानिर्देशों में दी गई है।

पीएचडी कार्यक्रम 7 विद्यार्थियों के साथ वर्ष 2009 में शुरू किया गया था और वर्तमान में निफ्ट से 28 विद्यार्थी पीएचडी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की समय–सीमा को देखते हुए यह आशा की जाती है कि विद्यार्थी बढ़ाने के लिए जिन विद्यार्थियों द्वारा पर्यवेक्षण अध्ययन 5 वर्ष के भीतर पूरा कर देंगे, जिसे निफ्ट के महानिदेशक के विशेष अनुमोदन से बढ़ाकर अधिकतम 7 वर्ष कर दिया गया है। आज की तारीख तक 15 विद्वानों को पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई है।

6.3 सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल्स एंड मैनेजमेंट

सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल्स एंड मैनेजमेंट (एसवीपीआईएसटीएम), वस्त्र और प्रबंधन शिक्षा प्रदान करती है। यह संस्थान प्रबंधन परास्नातक डिग्री (पीजीडीएम) अर्थात (i) वस्त्र प्रबंधन (ii) अपैरल प्रबंधन और (iii) खुदरा प्रबंधन की पेशकश करता है। वस्त्र प्रबंधन में एमबीएए अपैरल प्रबंधन में एमबी, और कास्ट्यूम डिजाइन एवं फैशन में बी.एससी की पेशकश करने हेतु एसवीपीआईएसटीएम और सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु (सीयूटीएन) के मध्य एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है।

6.4 उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमः

सरकार पहली पीढ़ी के उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बना–बनाया एकीकृत कार्यस्थल और आवश्यक ईको प्रणाली प्रदान कर रही है। ऐसी निम्नलिखित तीन परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं:

i) **पूर्वोत्तर में अपैरल एवं परिधान निर्माण परियोजनाः** प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में 18.18 करोड़ रुपए प्रति केंद्र की दर से प्लग एंड प्ले सेंटर (कारखानों) की स्थापना की गई है। प्रत्येक केंद्र से प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के 1200 अवसरों के सृजन होने का अनुमान है। 7 केंद्रों का उद्घाटन कर दिया गया है और राज्य एजेंसियों को सौंप दिया गया है।

ii) **तकनीकी वस्त्र फोकस उद्भवन केंद्र (एफआईसी):** भावी उद्यमियों को तकनीकी वस्त्र व्यवसाय शुरू करने में सहायता करने के लिए प्लग एंड प्ले मॉडल पर 59.35 करोड़ रुपए की लागत से वस्त्र अनुसंधान संघों (टीआरए) और आईआईटी (दिल्ली, मुम्बई, कानपुर एवं खड़कपुर) में 11 फोकस उद्भवन केंद्रों (एफआईसी) की स्थापना की जा रही है।

(iii) **अपैरल विनिर्माण उद्भवन योजना (एसआईएएम):** हरियाणा, ओडिशा और मध्य प्रदेश में 12.93 करोड़ रुपए प्रति केंद्र की दर से तीन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

अध्याय–7

अवसंरचना सहायता

7.1 वस्त्र मंत्रालय निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से वस्त्र उद्योग को अवसंरचना संबंधी सहायता प्रदान कर रहा है:

क. एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस): एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) का उद्देश्य अपेक्षित पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन के साथ लघु एवं मध्यम श्रेणी के वस्त्र प्रसंस्करण इकाइयों की सहायता करना है। यह योजना उपयुक्त प्रौद्योगिकी के साथ सामान्य बहिस्राव उपचार संयंत्र (सीईटीपी) की स्थापना करने/उन्नयन करने के लिए 12वीं योजना में 500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ क्रियान्वित की गई थी। योजना के अंतर्गत भारत सरकार जीरो लिक्विड डिस्चार्ज परियोजना अथवा मरीन डिस्चार्ज योजना के लिए 75 करोड़ रुपए और परम्परागत सीईटीपी के लिए 10 करोड़ रुपए की सीमा के साथ पात्र परियोजना लागत का 50% प्रदान करती है। राज्य सरकार की परियोजना लागत में 25% हिस्सेदारी होती है। यह परियोजना प्रसंस्करण संघों/इकाइयों द्वारा गठित विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) द्वारा क्रियान्वित की जाती है। अभी तक राजस्थान और तमिलनाडु राज्य के प्रसंस्करण कलस्टरों में आईपीडीएस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित 7 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं:–

i. राजस्थान में बालोतरा में बालोतरा जल प्रदूषण नियंत्रण उपचार एवं रिवर्स ऑस्मोसिस प्रा. लि. द्वारा 18 एमएलडी सीईटीपी को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) में उन्नयन।

ii. पाली, राजस्थान में पाली जल प्रदूषण नियंत्रण उपचार एवं अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा 12 एमएलडी सीईटीपी को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) में उन्नयन।

iii. जसोल, राजस्थान में जसोल जल प्रदूषण नियंत्रण उपचार एवं रिवर्स ऑस्मोसिस प्रा. लि. द्वारा 2.5 एमएलडी सीईटीपी को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) में उन्नयन।

iv. सांगानेर, राजस्थान में सांगानेर एन्वायरो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट द्वारा 12.3 एमएलडी जेडएलडी परियोजना की स्थापना।

v. विरूद्धनगर, तमिलनाडु में सदर्न डिस्ट्रिक्ट टेक्सटाइल प्रोसेसिंग कलस्टर (प्रा.) लि. द्वारा 6 एमएलडी जेडएलडी की स्थापना।

vi. भवानी, इरोड, तमिलनाडु में कदयमपट्टी कॉमन इफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट (भवानी) प्रा. लि. द्वारा 8 एमएलडी जेडएलडी की स्थापना।

vii. भवानी तालुक, इरोड जिला, तमिलनाडु में

श्री भवानी कॉमन इफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा 4 एमएलडी जेडएलडी की स्थापना।

योजना के अंतर्गत 55.31 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। यह योजना 3 वर्ष की अवधि अर्थात 01.04.2017 से 31.03.2020 तक जारी रखने के लिए अनुमोदित की गई है।

ख. एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी): एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) 10वीं पंचवर्षीय योजना से क्रियान्वयनाधीन है। यह योजना पीपीपी मोड के अंतर्गत क्रियान्वित की जाती है जहां भारत सरकार वस्त्र विनिर्माण इकाइयों के लिए सामान्य अवसंरचना और सामान्य सुविधाओं के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत का 40% तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तथापि भारत सरकार अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में पहली दो परियोजनाओं के लिए 40 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत का 90% तक की सहायता प्रदान की जाती है। फिलहाल 66 वस्त्र पार्क क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

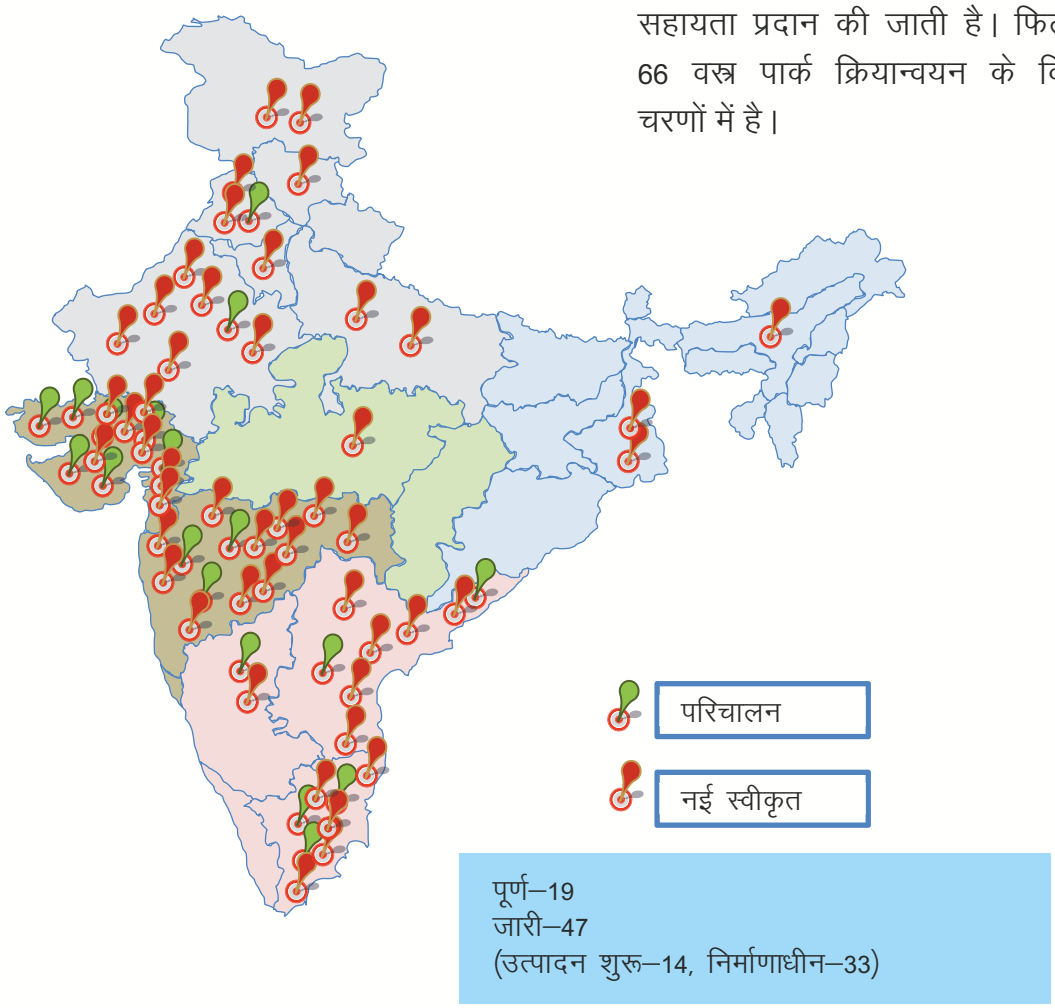

राज्य	परिचालन	क्रियान्वयन अधीन	कुल
अरुणाचल प्रदेश	3	3	6
असम	.	1	1
गुजरात	8	6	14
हरियाणा	.	1	1
हिमाचल प्रदेश	1	.	1
जम्मू और कश्मीर	1	1	2
कर्नाटक	1	1	2
मध्य प्रदेश	.	1	1
महाराष्ट्र	7	7	14
पंजाब	3	.	3
राजस्थान	4	3	7
तमिलनाडु	4	4	8
तेलंगाना	1	1	2
पश्चिम बंगाल	.	2	2
उत्तर प्रदेश	.	2	2
कुल	**33**	**33**	**66**

एसआईटीपी के अंतर्गत अपैरल विनिर्माण इकाइयों के लिए अतिरिक्त अनुदान

अपैरल विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और अतिरिक्त रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से विशेष रूप से महिलाओं के लिए, मंत्रालय प्रायोगिक आधार पर इस योजना को क्रियान्वित कर रहा था। योजना के अंतर्गत सरकार वस्त्र पार्कों में नई/अतिरिक्त अपैरल इकाइयों की स्थापना के लिए एसआईटीपी के अंतर्गत पूर्ण परियोजनाओं को 10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है। योजना के अंतर्गत एक परियोजना पल्लाडम हाई–टेक विविंग पार्क, तमिलनाडु को स्वीकृत की गई थी।

ग. **अपैरल विनिर्माण उद्भवन योजना (एसआईएएम):** 12.93 करोड़ रुपए प्रति उद्भवन केंद्र की दर से 3 उद्भवन केंद्रों की स्थापना के लिए 38.80 करोड़ रुपए के आरंभिक परिव्यय से वर्ष 2014 में अपैरल विनिर्माण उद्भवन योजना (एसआईएएम) शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य नए व्यवसाय की स्थापना में निहित समय, लागत और प्रयासों को कम करने के लिए

संपूर्ण इको सिस्टम के साथ उन्हें एकीकृत प्लग एंड प्ले कार्यस्थल प्रदान करके अपैरल विनिर्माण में नए उद्यमियों को बढ़ावा देना है। योजना के अंतर्गत हरियाणा में एचएसआईआईडीसी, ओडिशा में स्पिनफैड और मध्य प्रदेश में आईआईडीसी के लिए प्रत्येक में एक सहित तीन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

घ. **वस्त्र उद्योग कामगार आवास योजनाः** वस्त्र उद्योग कामगार आवास योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए 45 करोड़ रुपए के परिव्यय से वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य वस्त्र और अपैरल उद्योग के उच्च संकेंद्रीत क्षेत्रों के आसपास वस्त्र और अपैरल उद्योग के कामगारों के लिए सुरक्षित, पर्याप्त और आरामदायक आवास प्रदान करना है। ऐसी दो परियोजनाएं अक्तूबर, 2014 में स्वीकृत की गई थी अर्थात गुजरात में गुजरात इको–टेक्सटाइल्स पार्क प्रा. लि. और तमिलनाडु में पल्लाडम हाई–टेक विविंग पार्क प्रा. लि. जो फिलहाल क्रियान्वयन के अधीन है।

अध्याय–8

अनुसंधान और विकास एवं वस्त्र क्षेत्र

8.1 अनुसंधान और विकास योजना: अनुसंधान और विकास योजना को 149 करोड़ रुपए के परिव्यय से वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना में अनुमोदित किया गया था। इस योजना को निम्नलिखित प्रमुख संघटकों के साथ तैयार किया गया है:

संघटक-I:

वस्त्र और संबद्ध क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़े वस्त्र अनुसंधान संघों सहित प्रतिष्ठित अनुसंधान एजेंसियों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, उद्योग संघों आदि द्वारा अनुसंधान और विकास परियोजनाएं चलाई जाएंगी (कुल परिव्यय – 50 करोड़ रुपये)।

उद्देश्य :

- संविदा अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से उद्योगों के साथ सहयोग करके बाजार प्रेरित अनुसंधान को सुनिश्चित करना।
- नए उत्पादों और नई प्रक्रियाओं का विकास।
- अनुसंधान और विकास का क्षेत्र वस्त्र श्रृंखला के सभी क्षेत्रों और विशेषकर तकनीक जैसे अग्रणी क्षेत्रों में बुनियादी और प्रायोगिक अनुसंधान को शामिल करेगा।
- उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नए कारोबारी अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए बाजार में नए उत्पादों/प्रक्रियाओं को लाने के उद्देश्य से विकसित प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने/बाजारीकरण की भी इस संघटक में परिकल्पना की गई है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का वाणिज्यीकरण करना कि आर एंड डी प्रयास उस प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए लक्षित हो जो इस सेक्टर और उद्योग के विकास के लिए आवश्यक और प्रासंगिक हो।

संघटक-II:

पटसन क्षेत्र में आर एंड डी का प्रोत्साहन; पटसन क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों का अंतरण और प्रसार के क्रियाकलाप (कुल परिव्यय–80 करोड़ रुपये)।

उद्देश्य:

- पटसन का उपयोग और विविध कार्यों में बढ़ाने के लिए आर एंड डी प्रयासों को प्रोत्साहित करना, विशेष रूप से जहां पटसन का उपयोग भारी मात्रा में होता हो।
- वर्ष 2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान आर एंड डी प्रयासों

का जोर पटसन का उपयोग पटसन–जियो––टेक्सटाइल, पटसन–एग्रोटेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल, पेपर की लुगदी का निर्माण, ऑटोमोबाइल और अन्य क्षेत्रों में पटसन मिश्रित चीजों का उपयोग करने में होगा।

- अन्य टेक्सटाइल प्रयोगों में पहले से हासिल की गई प्रौद्योगिकी को (वुलेनाइजेशन, बलेंड्स, महीन धागा, सुगंधित कपड़े, अग्निरोधी और जलरोधी कपड़ा इत्यादि) पटसन में प्रयोग के लिए और आर एंड डी के माध्यम से सुग्राह्य बनाना।
- विकसित प्रौद्योगिकियों का अंतरण और प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए औद्योगिक/क्षेत्रीय प्रदर्शन।

संघटक-III:

मानकीकरण संबंधी अध्ययन, ज्ञान का प्रसार और आर एंड डी के माध्यम से हरित प्रयासों को प्रोत्साहित करना (कुल परिव्यय–15 करोड़ रुपये)।

उद्देश्य:

- औद्योगिक मानक और मानकीकरण तैयार करने के लिए अनुसंधान अध्ययन चलाना और उचित मानकीकरण हासिल करने के लिए चरणों की पहचान करना और उन्हें प्रलेखित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि उद्योग हरित प्रयासों को कार्यान्वित कर सकें।
- इस प्रकार तैयार किए गए मानकीकरणों का प्रसार और इकाइयों को सजग करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना; और
- इस मानकीकरण को हासिल करने वाली इकाइयों को प्रत्यायन में सहयोग देना और बेहतर राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता के लिए प्रतिस्पर्धी बनने में सहायता देना।

8.2 पात्र एजेंसियां:

वस्त्र अनुसंधान संगठनों सहित प्रतिष्ठित अनुसंधान एजेंसियां, विश्वविद्यालय, उद्योग संघ, सरकार अनुमोदित अनुसंधान केंद्र जैसे आईआईटी/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाएं/मान्यता प्राप्त इंजिनियरिंग कॉलेज/डीएसटी/डीएसआईआर आदि से अनुमोदित संस्थान परियोजना प्रस्ताव देने के लिए पात्र होंगे।

8.3 कार्यान्वयन एजेंसी और नोडल अधिकारी:

(i) संघटक I और III के लिए वस्त्र आयुक्त का कार्यालय कार्यान्वयन एजेंसी होगा और संघटक II के लिए पटसन आयुक्त का कार्यालय कार्यान्वयन एजेंसी होगा।

(ii) भारत सरकार का अपर सचिव/संयुक्त सचिव रैंक का वस्त्र आयुक्त संघटक i और iii के सभी आर एंड डी क्रियाकलापों हेतु प्रत्यक्ष रूप से नोडल अधिकारी होगा और संघटक II के तहत सभी पटसन संबंधी आर एंड डी क्रियाकलापों के लिए भारत सरकार का संयुक्त सचिव रैंक का पटसन आयुक्त नोडल अधिकारी होगा। परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन पीएएमसी करेगा और

अपनी सिफारिशों को पीएसी को भेजेगा।

8.4 पात्र निधि सहायता:

(i) व्यावहारिक अनुसंधान से जुड़ी परियोजनाओं के मामलों में, परियोजना लागत की अधिकतम 70 प्रतिशत राशि का सहयोग दिया जाएगा और शेष राशि का प्रबंध संबंधित परियोजना अधिशासी एजेंसी/संस्थान द्वारा उद्योग से अथवा स्वयं के स्रोतों से किया जाएगा; जिसका ब्यौरा परियोजना प्रस्ताव जमा कराते समय दिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अनुसंधान उद्योग की जरूरत के अनुसार होगा। यदि एजेंसी का पूर्ण या आंशिक योगदान सेवाओं के रूप में होगा तो इसका मूल्य निर्धारित करके परियोजना लागत में जोड़ा जाएगा।

(ii) बुनियादी अनुसंधान से जुड़ी परियोजनाओं के लिए पीएएमसी 100 प्रतिशत निधि तक की सिफारिश पुरजोर तर्क सहित केस–वार आधार पर कर सकती है।

वर्तमान में टीआरए/अनुसंधान एजेंसियों द्वारा प्रायोजित 101 चल रही परियोजनाएं हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क्र. सं.	अनुसंधान एजेंसी	परियोजनाओं की संख्या	कुल परियोजना लागत (रुपए लाख में)	कुल सरकारी हिस्सा (रुपए लाख में)	जारी की गई निधि (रुपए लाख में)
1.	अटीरा	4	869.64	547.88	239.43
2.	बिटरा	10	702.54	548.43	220.84
3.	सिटरा	7	332.43	230.11	108.60
4.	निटरा	9	815.09	691.91	295.91
5.	ससमीरा	13	744.40	526.92	254.30
6.	मंतरा	3	94.17	69.20	26.57
7.	डब्ल्यूआरए	17	712.59	531.55	249.08
8.	इजिरा	14	1203.63	824.39	347.76
9.	डीजेएफटी	10	804.06	573.74	227.80
10.	डीकेटीई	5	103.91	72.74	32.09
11.	आईसीटी	2	63.07	44.15	16.69
12.	पीएसजी कॉलेज	1	19.96	19.96	6.99
13.	निरजफ्ट	1	74.04	74.04	40.81
14.	आईआईईएसटी	1	78.20	54.74	21.89

क्र. सं.	अनुसंधान एजेंसी	परियोजनाओं की संख्या	कुल परियोजना लागत (रुपए लाख में)	कुल सरकारी हिस्सा (रुपए लाख में)	जारी की गई निधि (रुपए लाख में)
15.	निफ्ट	1	3100	2170	300.00
16.	इंप्रिंट(एमएचआरडी)	1	250.00	125.00	37.00
17.	यूएवाई(एमएचआरडी)	1	160	40.13	19.17
18.	केंद्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान	1	8.74	8.74	3.50
	कुल	**101**	**10136.47**	**7028.63**	**2448.43**

8.5 मंत्रालय आरएंडडी योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों को यूएवाई योजना के अंतर्गत 25% की दर से और इंप्रिंट योजना के अंतर्गत 50% की दर से निधि प्रदान करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय की उच्चतर आविष्कार योजना (यूएवाई) और इंप्रिंट योजना का भी समर्थन कर रहा है।

8.6 वस्त्र अनुसंधान संघ

वस्त्र और अपैरल क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं की उन्नति में अनुसंधान एवं विकास की महत्वपूर्ण भूमिका को मानते हुए मंत्रालय ने वस्त्र अनुसंधान संघों को सक्रिय रूप से समर्थन दिया है जिसमें वस्त्र क्षेत्र की समग्र श्रृंखला कवर होती है। अनुसंधान और विकास के कार्य में 8 वस्त्र अनुसंधान संघ कार्य कर रही है:

अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ (एटीआईआरए)

बॉम्बे वस्त्र अनुसंधान संघ (बीटीआरए)

दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (एसआईटीआरए)

उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (एनआईटीआरए)

मानव निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ (एमएएनटीआरए)

सिंथेटिक एवं आर्ट रेशम मिल्स अनुसंधान संघ (एसएएसएमआईआरए)

भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (आईजेआईआरए)

ऊन अनुसंधान संघ (डब्ल्यूआरए)

टीआरए की परियोजनाएं और पेटेंट का ब्यौरा

क्र. सं.	टीआरए का नाम	आरएंडडी परियो–जनाओं की संख्या	दर्ज और प्राप्त पेटेंटों की संख्या
1.	अटीरा	4	3
2.	बिटरा	10	6
3.	इजिरा	14	-
4.	मंतरा	3	1
5.	निटरा	9	4
6.	सिटरा	7	4
7.	ससमीरा	12	10
8.	डब्ल्यूआरए	17	6
	कुल	**76**	**34**

अध्याय–9

तकनीकी वस्त्र

9.1 तकनीकी वस्त्र, वस्त्र उद्योग के आधुनिकतम उत्पाद हैं, जो अपने तकनीकी कार्य निष्पादन कार्यात्मक गुणों के लिए जाने जाते हैं। इनके उत्पाद सुरक्षात्मक क्लोदिंग, कृषि, निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन, पैकेजिंग, खेलकूद, पर्यावरण संरक्षण और विभिन्न उद्योगों में बढ़ती संख्या में प्रयोग हो रहे हैं। तकनीकी वस्त्रों की सफलता मुख्य रूप से उपयोगकर्ताओं की बड़ी रेंज के साथ–साथ फाइबर, यार्न, और वूवन/निटेड/नॉन–वूवन फैब्रिकों की सृजनशीलता, नवीनता तथा बहु–आयामिता के कारण हैं। तकनीकी वस्त्रों की क्षमता दूसरे उत्पादों के साथ मिश्रण और वृद्धि के असीमित अवसर पेश करती है।

तकनीकी वस्त्रों की भारत में भारी संभावना है और निःसंदेश यह एक उभरता हुआ क्षेत्र है। भारत में तकनीकी वस्त्र का उत्पादन 90,000 मीट्रिक टन है, जो कुल विश्व उत्पादन का 3% है। चीन और यूरोप तकनीकी वस्त्र के अग्रणी विनिर्माता हैं जो तकनीकी वस्त्र का 75% से अधिक का उत्पादन करते है। जबकि यूरोप और चीन तकनीकी वस्त्रों के सबसे बड़े निर्यातक देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप तकनीकी वस्त्रों के सबसे बड़े आयातक देश हैं। भारत वैश्विक तकनीकी वस्त्र का 4% निर्यात करता है और 3% आयात करता है। भारत में वर्ष 2017–18 में तकनीकी वस्त्र उद्योग 1,16,217 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। भारत का घरेलू तकनीकी वस्त्र बाजार 20% के सीएजीआर के साथ वर्ष 2020–21 तक 2,00,823 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। तकनीकी वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय ने कई योजनाएं शुरू की हैं और इनका बयौरा इस अध्याय में दिया गया है।

9.2 तकनीकी वस्त्र प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमटीटी):

तकनीकी वस्त्र प्रौद्योगिकी मिशन को 200 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान दो लघु मिशनों के साथ शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य घरेलू तथा निर्यात बाजार में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश में तकनीकी वस्त्र उत्पादन में रूकावट डालने वाली बाधाओं का निस्तारण करना था। टीएमटीटी को 200 करोड़ रुपए के समग्र परिव्यय के अंदर ही दो और वर्षों (2015–16 से 2016–17) तक बढ़ा दिया गया। टीएमटीटी के विस्तार के अंतर्गत फोकस इन्क्यूबेशन सेंटर (एफआईसी), भारत में एग्रो टेक्सटाइल्स प्रयोग के संवर्धन हेतु योजना (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर) योजना को

शुरू किया गया था। योजना विवरण/उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:–

9.3 टीएमटीटी का लघु मिशन– I

उद्देश्य: मानकीकरण, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन वाली सामान्य परीक्षण सुविधाओं का सृजन, प्रोटोटाइप का घरेलू विकास तथा आईटी अवसंरचना के साथ संसाधन केंद्र।

पहलें:

क. तकनीकी वस्त्रों के विनिर्माताओं की सुविधा हेतु एक स्थान पर अवसंरचना सहायता उपलबध कराने के लिए चार नए उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना।

विभिन्न क्षेत्रों के तकनीकी वस्त्रों के विनिर्माताओं की सहायता के उद्देश्य से नॉन–वूवन्स, कंपोजिट्स, इंडुटेक एंड स्पोर्टेक के क्षेत्रों में चार नए सीओई स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, तकनीकी वस्त्र वृद्धि एवं विकास योजना (एसजीडीटीटी) के अंतर्गत एग्रोटेक (ससमीरा), ज्योटेक (बीटीआरए), प्रोटेक (निटरा) तथा मेडीटेक (सिटरा) के अंतर्गत चार मौजूदा सीओई को उनके प्रत्येक के उन्नयन के लिए 14 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। सभी आठ उत्कृष्टता केंद्रों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	सीओई का नाम	उत्कृष्टता केंद्र का क्षेत्र	राज्य	नया/उन्नत
i	एक अग्रणी भागीदार बीटीआरए के साथ द बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (बीटीआरए) मुंबई एवं अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन (अटीरा), अहमदाबाद।	जियोटेक	महाराष्ट्र	उन्नत
ii	एक अग्रणी भागीदार के रूप में ससमीरा के साथ एक नॉलेज पार्टनर के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली के साथ सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन (ससमीरा), मुंबई तथा मैन–मेड टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (मंतरा), सूरत तथा नवसारी एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी ।	एग्रोटेक	महाराष्ट्र	उन्नत
iii	एक अग्रणी भागीदार के रूप में निटरा के साथ नॉर्दन इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (निटरा), गाजियाबाद तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली।	प्रोटेक	उत्तर प्रदेश	उन्नत

क्र. सं.	सीओई का नाम	उत्कृष्टता केंद्र का क्षेत्र	राज्य	नया/उन्नत
iv	एक अग्रणी भागीदार के रूप में सिटरा के साथ साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (सिटरा), कोयम्बटूर तथा एसी कॉलेज ऑफ टेक्नालॉजी, चैन्नई।	मेडीटेक	तमिलनाडु	उन्नत
v	डीकेटीई सोसाइटीस टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, इचलकरांजी, महाराष्ट्र	नॉन–वूवन्स	महाराष्ट्र	नया
vi	पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नालॉजी, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	मेडीटेक	तमिलनाड	उन्नत
vii	अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन (अटीरा), अहमदाबाद, गुजरात	नॉन–वूवन्स	महाराष्ट्र	नया
viii	वूल रिसर्च एसोसिएशन (डब्ल्यूआरए), थाणे	स्पोर्टेक	महाराष्ट्र	नया

उत्कृष्टता केंद्रों में सृजित आवश्यक सुविधाएं इस प्रकार हैं:

i. विदेशी संस्थानों/प्रयोगशालाओं के साथ समन्वय और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन के साथ तकनीकी वस्त्रों के अभिज्ञात सेगमेंट के उत्पादों के परीक्षण और मूल्यांकन हेतु सुविधाएं।

ii. आईटी अवसंरचना सहित संसाधन केंद्र।

iii. प्रोटोटाइप के घरेलू विकास हेतु सुविधाएं।

iv. केंद्रक कार्मिकों के प्रशिक्षण तथा तकनीकी वस्त्र उद्योग के कार्मिकों के नियमित प्रशिक्षण हेतु सुविधाएं।

v. स्टेकहोल्डरों के साथ जानकारी बांटना।

vi. इन्क्यूबेशन सेंटर।

vii. वैश्विक स्तर के समकक्ष मानकों की स्थापना।

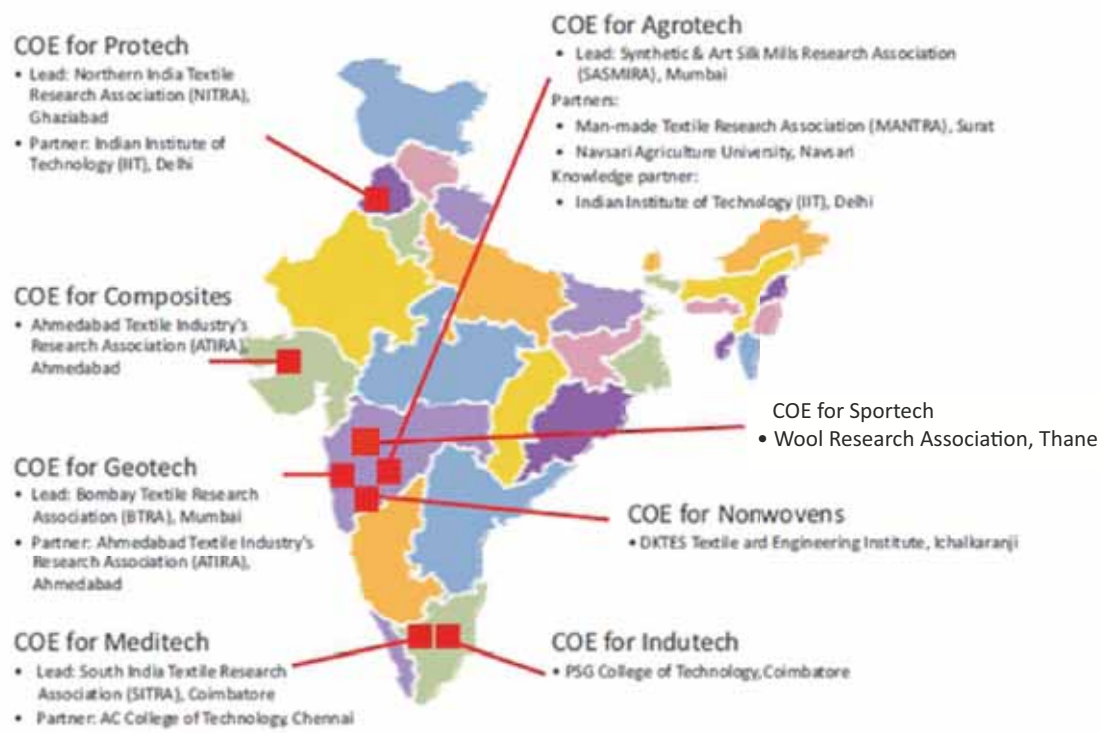

इन आठ उत्कृष्टता केंद्रों के लिए 139 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं तथा इन सीओई द्वारा प्राप्त की गई प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

- सीओई को शुरू करने से कुल सृजित राजस्व 23.15 करोड़ रुपए है।
- 530 प्रोटोटाइप नमूने विकसित किए गए हैं।
- उद्योग के लिए 22147 लोगों को प्रशिक्षित किया गया।
- बीआईएस को 142 मानक प्रस्तुत किए गए।
- 360 तकनीकी परामर्शी कार्य किए गए हैं।
- तकनीकी वस्त्र इकाइयां स्थापित करने के लिए 105 डीपीआर तैयार की गई हैं।
- 654 प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमीनार/सम्मेलन आयोजित किए गए।

9.4 लघु मिशन–II

उद्देश्य: तकनीकी वस्त्रों के घरेलू तथा निर्यात बाजार विकास के लिए सहायता।

पहलें:

क) बिजनेस स्टार्ट–अप के लिए सहायता

- तकनीकी वस्त्र एक नया क्षेत्र है तथा विशेष रूप से एसएमई क्षेत्र के उद्यमी तकनीकी वस्त्र पर परियोजना को शुरू करने में कठिनाई महसूस करते हैं। वस्त्र मंत्रालय/वस्त्र आयुकत का कार्यालय द्वारा सीओई तथा अन्य संगठनों/संस्थानों/स्वतंत्र प्रतिष्ठित परामर्शदाताओं को पैनलबद्ध किया गया है जो परियोना रिपोर्ट तैयार करेंगे और परियोजना की समाप्ति तक संभावनाशील उद्यमियों का हाथ थामे रखेंगे। ये परामर्शदाता उत्पाद चयन, प्रौद्योगिकी की परिभाषा और खरीद, बाजार आकलन, वाणिज्यिकीकरण और विपणन सहायता सहित संभावनाशील निवेशकों को शुरू से अंत तक सेवा उपलब्ध करायेंगे।
- टीएमटीटी के अंतर्गत बिजनेस स्टार्ट–अप के लिए 6 परामर्शदाताओं को पैनलबद्ध किया

गया है। अभी तक, इस संघटक के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए 27 इकाइयों को पंजीकृत किया गया है तथा 6 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

ख) कार्यशालाओं के आयोजन के लिए निधि सहायता उपलब्ध कराना:

- विदेशो में बसे प्रवासी भारतीय सहित प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को संगोष्ठी, कार्यशाला तथा लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है जिनमें न्यूनतम प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं, बाजार विवरण, वैश्विक परिदृश्य आदि के संबंध में जानकारी साझा की जा रही है।
- इस योजना के शुरूआत से अब तक 75 कार्यशालएं/संगोष्ठियां आयोजित की गई हैं। इन कार्यक्रमों को सभी स्टेकहोल्डरों से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

ग) मानकीकरण, नियामक उपायों के माध्यम से सामाजिक अनुपालन:

- तकनीकी वस्त्रों के कुछ क्षेत्रों को प्रयोक्ता उद्योगों/मंत्रालयों द्वारा प्रयोग के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है और कुछ क्षेत्रों को अनिवार्य आदेश की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ प्रक्रियाओं के साथ–साथ आवश्यक नियामक परिवर्तनों की पहचान तथा नियमों तथा विनियमों में ऐसे परिवर्तनों को सुकर बनाने की रणनीति के लिए भी परामर्शदाता की सेवाएं ली गई हैं।
- इस पहल के अंतर्गत, टीएमटीटी के अंतर्गत 'भारत में ज्योटेक के प्रयोग के संवर्धन के लिए विनियामक उपाय' तथा 'भारत के एग्रोटेक के प्रयोग के संवर्धन के लिए विनियामक उपाय' पर अध्ययन किए गए हैं। अंतिम रिपोर्ट वेबसाइट www.technotex.gov.inपर उपलब्ध है। घ) थोक एवं संस्थागत खरीदारों को विपणन सहायता के लिए बाजार विकास सहायता:
- इस पहल के अंतर्गत देश भर में क्रेता–विक्रेता बैठक आयोजित की जा रही है जिनमें घरेलू विनिर्माता अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर सकते हैं। संस्थागत ग्राहकों, सरकारी अधिकारियों, प्रयोक्ताओं को खरीदारों के साथ अपनी आवश्यकताओं को साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। क्रेता–विक्रेता बैठकों के दौरान बी2बी बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं।
- इस संघटक के अंतर्गत 18 क्रेता–विक्रेता बैठकें आयोजित की गई हैं जिनमें से 5 अंतर्राष्ट्रीय क्रेता–विक्रेता बैठकें 'टेक्नोटेक्स इंडिया 2011', 'टेक्नोटेक्स 2013', 'टेक्नोटेक्स 2014', 'टेक्नोटेक्स 2015', 'टेक्नोटेक्स 2016' तथा 'टेक्नोटेक्स 2017' जैसे ब्रांड नेम के अंतर्गत आयोजित की गई हैं जिनमें विभिन्न देशों से स्टेकहोल्डरों ने भाग लिया। 'टेक्नोटेक्स 2014' तथा 'टेक्नोटेक्स 2017' को छोड़कर सभी टेक्नोंटेक्स इंडिया का उद्घाटन माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा किया गया।

घ) निर्यात बिक्री हेतु बाजार विकास सहायता:

- विदेश में कई प्रतिष्ठित तकनीकी वस्त्र मेले आयोजित किए गए। इन मेलों में प्रतिभागिता घरेलू विनिर्माताओं की निर्यात क्षमता में सुधार करेगी। कुछ तकनीकी वस्त्र इकाइयां भी एप्लीकेशन आधारित मेलों की प्रदर्शनी में भाग ले रही हैं। भारतीय तकनीकी वस्त्र विनिर्माताओं को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए तकनीकी वस्त्र मेलों/एप्लीकेशन आधारित मेलों में प्रतिभागिता

सहायता के अंतर्गत शामिल है। इकोनॉमी श्रेणी शुल्क में हवाई यात्रा व्यय तथा तैयार स्टॉल के शुल्क को 5 लाख रुपए प्रति दौरे की वित्तीय सीमा के साथ 50: की सीमा तक सहायता अनुमेय है।

- निर्यात बिक्री के लिए बाजार विकास सहायता के अंतर्गत 77 दावों का निपटान किया गया है।

च) आईआईटी/टीआरए/तकनीकी संस्थानों के माध्यम से संविदा अनुसंधान एवं विकास:

- तकनीकी वस्त्र एक उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र है जहां अधिकांश नई सामग्री, उच्च स्तरीय परिवर्तित उत्पादों का आयात किया जाता है, उत्पादों के घरेलू विकास की सख्त आवश्यकता है जिसके लिए आरएंडडी सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए संविदा अनुसंधान को इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है। संविदा अनुसंधान प्रस्ताव के लिए एकल इकाई अथवा दो या अधिक इकाइयां आ सकती हैं। इस योजना के अंतर्गत अनुदान 20.00 लाख रुपए प्रति परियोजना की सिफारिश की गई सीमा के अध्यधीन भूमि तथा भवन की लागत को छोड़कर 60: तक होगी। यह एक प्रारंभिक सीमा है और गुण–दोष के आधार पर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा छूट दी जा सकती है।
- इस संघटक के अंतर्गत निम्न 5 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया तथा सभी परियोजाएं पूरी हो गई हैं।

क्र. सं.	परियोजना का विषय	अनुसंधान संगठन	उद्योग साझीदार
1.	नॉन–वूवन और वूवन संरचना का प्रयोग करके मॉपिंग पैड का विकास	सिटरा	मैसर्स केयर मेड सर्जिकल
2.	हार्निया मेश पर कॉलेजन कॉटेड का विकास	सिटरा	मैसर्स कॉलोजेनेसिस हेल्थ केयर प्रा.लि.
3.	स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के लिए नॉन टॉक्सिक एक्सरे रेजिस्टेंट प्रोटेक्टिव एप्रन	श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रीयल रिसर्च	मैसर्स आरएमजी पॉलीविनाइल इंडिया लि.
4.	विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए कोटेड जूट फैब्रिक पर आधारित तकनीकी वस्त्रों का विकास	इंस्टीट्यूट आफ जूट टैक्नालॉजी	मैसर्स रोहन अल्ट्रा टेक, मैसर्स त्रिमूर्ति इंडस्ट्रीज लि.
5.	पादप वृद्धि और उपज पर रंगहीन शेड जालों के अंतर्गत सृजित की गई विभिन्न लाइट स्पेक्ट्रम स्थितियों के प्रभाव पर अध्ययन	ससमीरा	मैसर्स गारवेयर वॉल रॉप्स लि.

छ) फोकस इन्क्यूबेशन सेंटर (एफआईसी):

- क्षमतावान निवेशकों को तकनीकी वस्त्र सेगमेंट में प्रवेश करने में सहायता के उद्देश्य से वस्त्र मंत्रालय प्लग एंड प्ले मॉडल पर टीएमटीटी के अंतर्गत स्थापित सीओई में फोकस इन्क्यूबेशन सेंटर (एफआईसी) स्थापना कर रहा है। 5 सीओई के लिए 14.45 करोड़ रुपए तथा 6 एफआईसी की स्थापना के लिए 4 आईआईटी हेतु 44.90 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 5 एफआईसी का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	सीओई / एफआईसी का नाम	एफआईसी में स्थापित की जा रही विनिर्माण सुविधाएं	स्वीकृत निधि (करोड़ रुपए में)
1.	अटीरा	पोर्टा केबिन का विनिर्माण	3.42
2.	डीकेटीई	वूवन, निटेड एवं नॉन–वूवन फैब्रिक की कोटिंग	2.70
3.	निटरा	सिलाई मशीन सेट–अप	2.87
4.	पीएसटी टेक	i. फिल्टर कन्वर्टिंग मशीन ii. अल्टरा सोनिक बॉडिंग मशीन iii. कटिंग मशीन iv. रेस्पीरेटर कन्वर्टिंग मशीन v. हॉट प्रेस मशीन / ओवन	2.85
5.	सिटरा	कन्वर्जन फेसेलिटी एंड सेम्पल डेवलेपमेंट विविंग	2.61
		कुल	**14.45**

बाद में, अधिकार प्राप्त समिति ने दिनांक 19.12.2016 को संपन्न हुई अपनी बैठक में प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) यथा आईआईटी खड़गपुर, मुंबई, दिल्ली और कानपुर में 44.90 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ 6 फोकस इन्क्यूबेशन केंद्रों को अनुमोदित कर दिया है। विवरण इस प्रकार है:–

क्र. सं.	आईआईटी का नाम	एफआईसी में स्थापित किया जा रहा विनिर्माण सेट–अप	स्वीकृत निधियां (करोड़ रुपए में)
1.	आईआईटी खड़गपुर	प्रयोक्ता उद्योगों / उद्यमियों के लिए तकनीकी वस्त्र विनिर्माण हेतु अवसंरचना	6.98
2.		तकनीकी वस्त्रों हेतु अवसंरचना: रक्षा, वायुयान तथा प्रदूषण–नियंत्रण संबंधी उत्पादों का विनिर्माण	5.12

क्र. सं.	आईआईटी का नाम	एफआईसी में स्थापित किया जा रहा विनिर्माण सेट–अप	स्वीकृत निधियां (करोड़ रुपए में)
3.	आईआईटी मुंबई	आईआईटी में तकनीकी वस्त्र	6.96
4.		एंडवांस्ड फाइबर रि–इन्फोर्सड पॉलीमर कंपोजिट डेवलपमेंट सेंटर	9.00
5.	आईआईटी दिल्ली	हरित तथा अवशिष्ट कंपोजिट सहित स्ट्रक्चरल कंपोजिट्स के विकास हेतु एडवांस्ड टेक्सटाइल्स स्ट्रक्चर्स के लिए एक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म	9.83
6.	आईआईटी कानपुर	आईआईटी, कानपुर में तकनीकी वस्त्र फोकस इन्क्यूबेशन सेंटर	7.01
		कुल	**44.90**

उपर्युक्त एफआईसी को निम्न लक्ष्यों तथा दायित्वों को सौंपा गया है:

i. संभावनाशील उद्यमियों को उत्पादन को वाणिज्यक स्तर पर करने के लिए उनकी इकाइयों की स्थापना हेतु आधारभूत अवसंरचना सहित औद्योगिक शेड/आधारभूत मशीनरी उपलब्ध कराई जाएगी।

ii. नए उद्यमियों को 'प्लग एंड प्ले मॉडल' के आधार पर एफआईसी उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें वाणिज्यिक स्तर पर नवाचार शुरू करने के लिए संबद्ध सीओई द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा।

iii. एक बार स्थापित हो जाने के उपरांत वे अपने भवनों में स्थानांतरित हो जाएंगे और केंद्र नए उद्यमियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

iv. सीओई को अपने क्षेत्र में 6 माह की अवधि के दौरान एफआईसी की स्थापना करनी है।

v. प्रत्येक उद्यमी के लिए उपकरणों की अलग श्रृंखला होगी।

vi. एफआईसी का संचालन उद्यमियों द्वारा किया जाएगा न कि सीओई द्वारा।

vii. कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, सड़क परिवहन तथा राज्य मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की सरकारी प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए तकनीकी वस्त्रों के वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन के लिए प्लग एंड प्ले प्रणाली में नए स्टार्ट–अप उद्यमियों को मशीनों के साथ औद्योगिक शेड वाली आधारभूत अवसंरचना उपलब्ध कराई जाएगी। सीओई ऐसे नए उद्यमियों का हाथ

थामते हैं और उन्हें आवश्यक सहायता तथा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

9.5 भारत में एग्रोटेक्सटाइल के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु योजना (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर):

पूर्वोत्तर राज्यों में जियोटेक्सटाइल्स और एग्रोटेक्सटाइल्स के प्रयोग को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया को देखते हुए 'भारत में एग्रोटेक्सटाइल के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु योजना (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर)' को 10.00 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ तकनीकी वस्त्र प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमटीटी) के अंतर्गत 2 वर्षों की अवधि (2015–16 एवं 2016–17) के लिए शुरू एवं वित्त पोषित किया गया है।

इस योजना के अंतर्गत, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल तथा जम्मू एवं कश्मीर जैसे 6 राज्यों में 10 प्रदर्शन केंद्र स्थापित किए गए हैं। सभी 10 प्रदर्शन केंद्र प्रचालनशील है। इसके अतिरिक्त किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के उपरांत स्थापित प्रदर्शन केंद्रों के निकट किसानों को 180 एग्रोटेक्सटाइल्स किट्स का वितरण किया गया है। जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र के किसानों के लिए 20 एग्रोटेक्सटाइल्स किट्स का अनुमोदन किया गया है।

राज्य का नाम	एग्रोटेक्सटाइल्स प्रदर्शन केंद्र		प्रशिक्षण पूर्ण	एग्रो–किट्स वितरित	
	स्वीकृत डेमों केंद्र	पूर्ण		लक्ष्य	वितरित
महाराष्ट्र	2	2	50	40	40
राजस्थान	3	3	75	60	60
पश्चिम बंगाल	2	2	76	40	40
गुजरात	1	1	26	20	20
तमिलनाडु	1	1	30	20	20
जेएंडके	1	1	28	20	वितरण किया जा रहा है
कुल	**10**	**10**	**285**	**200**	**180**

किसानों को योजना से अत्यधिक लाभ प्राप्त हो रहा है; एग्रोटेक्सटाइल्स का प्रयोग किसानों को उनकी आय में वृद्धि करने में सहायता प्रदान कर रहा है और इस प्रकार 'किसानों की आय को दोगुना करने' के प्रधानमंत्री के मिशन में सहायता प्रदान कर रहा है। इस योजना की कृषि विश्वविद्यालयों, किसानों के क्लब तथा केवीके आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रशंसा की गई है और प्रत्येक क्षेत्र में आवंटन के लिए किट्स की संख्या बढ़ाने का परामर्श दिया गया है।

9.6. पूर्वोत्तर क्षेत्र में एग्रो टेक्सटाइल्स के उपयोग के संवर्धन संबंधी योजना: वस्त्र

मंत्रालय, भारत सरकार ने 55 करोड़ रुपये के कुल निधि परिव्यय से 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में एग्रोटेक्सटाइल्स के प्रयोग हेतु एक योजना की शुरूआत की है। इस योजना को दिसम्बर, 2012 में अनुमोदित किया गया तथा जून, 2013 में प्रचालनशील बनाया गया। इस योजना का उद्देश्य जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि, बागवानी, पुष्पोत्पादन और रेशम उत्पादन के उत्पादों में सुधार लाने हेतु एग्रो टेक्सटाइल्स के उपयोग को प्रोत्साहन देना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रयोग के लिए ग्राहक अनुकूल एग्रो टेक्सटाइल्स उत्पादों का विकास करना, क्षेत्र के लिए उपयोगी एग्रो टेक्सटाइल्स उत्पादों के प्रयोग–लाभों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी–सेटअप तैयार करना है। इसके अतिरिक्त योजना के अंतर्गत एग्रोटेक्सटाइल्स उत्पादों आदि का प्रयोग करने के लिए एग्रोटेक्सटाइल्स सामग्री, दिशानिर्देशों, उचित पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं सहित किसानों को एग्रोटेक्सटाइल्स– किट्स उपलब्ध कराई जा रही हैं। एग्रोटेक्सटाइल्स की बढ़ती स्वीकार्यता को देखते हुए उद्यमियों से देश में और विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में एग्रोटेक्सटाइल्स उत्पादन इकाइयों को स्थापित करने की आशा है।

अभी तक 44 प्रदर्शन केंद्र स्वीकृत किए गए हैं तथा यह सभी केंद्र प्रचालनशील हो गए हैं। 6 पूर्वोत्तर राज्यों में 742 एग्रोटेक्सटाइल्स किट्स वितरित की गई हैं। प्रगति को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है:–

राज्य	डेमो केंद्र	प्रशिक्षण लक्ष्य	पूर्ण प्रशिक्षण	एग्रो–किट लक्ष्य	एग्रो–किट वितरण
मणिपुर	4	200	386	172	172
मिजोरम	7	200	275	175	91
असम	4	200	688	216	216
मेघालय	6	300	899	120	84
अरुणाचल प्रदेश	6	250	374	120	86
त्रिपुरा	5	200	80	120	--
सिक्किम	7	200	215	150	--
नागालैंड	5	200	168	150	93
कुल	**44**	**1750**	**3085**	**1223**	**742**

योजना की वित्तीय प्रगतिः (करोड़ रुपए में)

योजना का नाम	वित्तीय वर्ष	निधि आवंटन	व्यय*
पूर्वोत्तर क्षेत्र में एग्रो टेक्सटाइल्स के उपयोग के संवर्धन संबंधी योजना	2012-13	0.32	0.32
	2013-14	RE - Nil	Nil
	2014-15	9.00	9.00
	2015-16	15.00	10.00
	2016-17	14.99	14.99
	2017-18	9.99	3.40
	कुल	**49.30**	**37.71**

9.7 पूर्वोत्तर में जियो टेक्निकल टेक्सटाइल्स के प्रयोग के संवर्धन के लिए योजनाः

इस योजना को 427 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 5 वर्ष की अवधि (2014–15 से 2018–19) के लिए 24.03. 2015 को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य सड़क, पहाड़ी/ढलान सुरक्षा तथा जलाशयों की मौजूदा/नई परियोजनाओं में जियो टेक्सटाइल्स के प्रयोग के कारण अतिरिक्ल लागतों, यदि कोई हों, को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकीय एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर पूर्वोत्तर राज्यों में अवसंरचना के विकास में जियो टेक्सटाइल्स को बढ़ावा देना और प्रयोग करना है। इन परियोजनाओं को राज्य सरकारों तथा संबंधित स्टेकहोल्डर एजेंसियों के साथ परामर्श द्वारा पहचाना गया है।

इस योजना में निम्नलिखित तीन संघटक हैं:–

संघटक– I: 374 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ जियो टेक्निकल टेक्सटाइल्स सॉल्यूशन (हार्ड इन्टरवेंशन)

संघटक– II: 43 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ साइट का निरीक्षण तथा प्रौद्यो–आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन, डिजाइन समाधान और डीपीआर तैयार करना, ऑन–साइट निगरानी एवं परीक्षण, विशेषताओं को तैयार करना, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, जागरूकता अभियान, बाजार विकास सहायता और मूल्यांकन अध्ययन जैसे सॉफ्ट इन्टरवेंशन।

संघटक– III: 10 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ प्रशासनिक व्यय।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अुनमोदित लागत (राशि रुपए में)	अनुमोदन की तिथि
मणिपुर			
सड़क परियोजनाएं			
(i)	इम्फाल एयरपोर्ट सड़क	14500000	09.06.2015
(ii)	बिशनुपुर–नुंगबा सड़क (विभिन्न लंबाई के सड़क के 7 हिस्से,ढलान स्थिरीकरण के लिए 26 हिस्से तथा मिट्टी का एक कठोर ढ़ांचा)	168220000	24.6.2016
(iii)	बिशनुपुर जिले में मोईरंग कुंबी सड़क से कुंबी कांग्जेईबंग तक सड़क का निर्माण	1718750	
(iv)	थोउआल जिले में नोंगांगखोंग (एनएच–39 अरोंगथोंग) से केईबुंग तक सड़क का निर्माण	7053750	
(v)	बिशनुपुर जिलें में कुंबीरोड से तेराखोंगसांग्बी तक सड़क का निर्माण	4228125	
(vi)	इम्फाल जिलें में खुदराकपाम से ताओरेम तक सड़क का निर्माण	5623311	
(vii)	इम्फाल पश्चिम जिले में नगाईरांगबाम से तानाओखुल तक सड़क का निर्माण	3732300	
(viii)	थोउबाल जिले में एनएच–39 से लोउखामायोन तक सड़क का निर्माण	1658800	
(ix)	इम्फाल पश्चिम जिले में टी04 से लामसांग खूनोउ तक सड़क का निर्माण	2076250	
(x)	इम्फाल पश्चिम जिले हाओरांगसोबेल से हारांगकेईरेल तक सड़क का निर्माण	2378750	
(xi)	इम्फाल पूर्व जिले में टी07/0.7 से सीईडीटी एवं सीएचसी तक सड़क का निर्माण	2902900	
	उप–योग	**214092936**	

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अुनमोदित लागत (राशि रुपए में)	अनुमोदन की तिथि
जलाशय			
(xii)	सैक्रेड हर्ट स्कूल	1398500	
(xiii)	शोकवाओ गांव	1455000	
(xiv)	बिशनुपुर जिला, मणिपुर के ओकसोंगबुंग में जलाशय में सुधार	1425000	
(xv)	एंड्रो माखा लेईकाई, इम्फाल पूर्वी जिला, मणिपुर में जलाशय में सुधार	2790600	
(xvi)	इम्फाल पूर्वी जिला, मणिपुर में लेईशांगथेम पूर्व में जलाशय में सुधार	2394000	
(xvii)	इम्फाल पूर्वी जिला,मणिपुर में कादांगबंद पार्ट–II में जलाशय में सुधार	3044685	
(xviii)	कोनपुई,छुराछंदपुर जिला, मणिपुर में जलाशय में सुधार	1453500	
(xix)	लांगोई खुनफी लोउकोल, चंदेल जिला, मणिपुर में जलाशय में सुधार	1254000	
(xx)	कासा लुई,उखरुल जिला, मणिपुरमें जलाशय में सुधार	1254000	
(xxi)	बंगती,सेनापती जिला, मणिपुर में जलाशय में सुधार	1767000	
(xxii)	लेंगलौंग, तामेंगलौंग जिला, मणिपुर मेंजलाशय में सुधार	712500	
	उप–योग	**18948785**	

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अुनमोदित लागत (राशि रुपए में)	अनुमोदन की तिथि
ढ़लान स्थिरीकरण			
(xxiii)	कांग्ला आउटरमोट,खोंगजाम में पटसन जियो–टेक्सटाइल्स के साथ ढलान स्थिरीकरण	454500	39.12.2015
(xxiv)	टूरिस्ट सर्किट मणिपुर–इम्फाल–मोईरांग–खोंगजाम–मोरेह (कनाल/जजलाशय)	14707500	24.06.2016
(xxv)	थाउबाल,खुनाव में 400 केवी सब–स्टेशन में पटसनजियोटेक्सटाइल्स के साथ ढलान स्थिरीकरण	1236500	25.05.2016
	उप–योग	**16398500**	
	कुल–मणिपुर	**249440221**	
त्रिपुरा			
सड़क परियोजना			
(xxvi)	मोहनपुर डिवीजन के अंतर्गत तालाब बाजार से होकर खोलाबारी से झारानतिल्ला तक सड़क	2139250	30.12.2015
	उप–योग	**2139250**	
जलाशय			
(xxvii)	अगरतला में भगतसिंह हॉस्टल में जलाशय	2819700	24.06.2016
(xxviii)	अरारतला में महिला महाविद्यालय में जलाशय	3770000	24.06.2016
	उप–योग	**6589700**	
	कुल–त्रिपुरा	**8728950**	
अरुणाचल प्रदेश			
(xxix)	एनआईटी, जोटे में रिटेनिंग वॉल का निर्माण	9672000	25.05.2016
	कुल–अरुणाचल प्रदेश	**9672000**	

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (राशि रुपए में)	अनुमोदन की तिथि
मेघालय			
(xxx)	शिलांग – नोंगस्टोईन सड़क	49532000	24.06.2016
(xxxi)	प्रस्तावित बॉर्डर हॉट, मेवसिनराम प्रभाग मेघालय की ओर जाने वाली बलत–बगली सड़क के सुधार, मेटलिंग और ब्लैक टापिंग (3.682 किमी)	19050000	19.12.2016
	उप–योग	**68582000**	
इजिरा के माध्यम से पटसन आयुक्त का कार्यालय द्वारा चलाई गई जियो टेक्निकल टेक्सटाइल्स परियोजना			
(xxxii)	एनएच शिलांग बाईपास डिवीजन, लोक कार्य विभाग, मेघालय सरकार के अंतर्गत परियोजना संख्या 5 'जोंगशॉ–खारांग–डिएंगलिएंट– नॉगरियोंग सड़क का उन्नयन (लंबाई–10 कि.मी.)' में ढलान स्थिरीकरण	2210000	5th AMC 27.06.2016
(xxxiii)	एनएच शिलांग बाईपास डिवीजन, लोक कार्य विभाग, मेघालय सरकार के अंतर्गत परियोजना संख्या 6 'एसटी सड़क एनएच–40 से मावान की 12 मील के लिए कमजोर पगडंडी के सुदृढ़ीकरण सहित सुधार' में ढलान स्थिरीकरण	176000	27.06.2017
(xxxiv)	नॉगस्टोइन डिवीजन, लोक कार्य विभाग, मेघालय सरकार के अंतर्गत परियोजना संख्या 7 'राजय राज्य मार्गों तथा प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के अंतर्गत मॉशिनरुत–हाशिम सड़क के उन्नयन हेतु संशोधित प्राक्कलन (37.365 कि.मी.)' में ढलान स्थिरीकरण	5759700	27.06.2016

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (राशि रुपए में)	अनुमोदन की तिथि
(xxxv)	नॉगस्टोइन डिवीजन, लोक कार्य विभाग, मेघालय सरकार के अंतर्गत परियोजना संख्या 8 'रिवयांग–लांगिया लांगपीह सड़क (32 कि.मी.) की ब्लैक टॉपिंग से मेटलिंग सहित सुधार' में ढलान स्थिरीकरण	380000	27.06.2016
(xxxvi)	जोवाई डिवीजन, लोक कार्य विभाग, मेघालय सरकार के अंतर्गत परियोजना संख्या 9 'रेलियांग में आंतरिक ग्रामीण सड़कों की मेटलिंग एंड टॉपिंग सहित निर्माण–3 कि.मी.' में ढलान स्थिरीकरण	1144000	27.06.2017
(xxxvii)	एनईसी डिवीजन, जोवाई, लोक कार्य विभाग, मेघालय सरकार के अंतर्गत परियोजना संख्या 10 'वाकुंग सोहकाइमफोर से बाइरवाई सड़क का एमबीटी सहित निर्माण एवं सुधार' में ढलान स्थिरीकरण	194000	27.06.2016
	उप योग	**9863700**	
	कुल मेघालय	**78445700**	
मिजोरम			
(xxxviii)	पीडब्ल्यूडी, मिजोरम के अंतर्गत छुमखुम से चांग्टे (0+000 से 41+530 किमी तक) सड़क का सुधार और उन्नयन	256500000	19.12.2016
(xxxix)	पीडब्ल्यूडी, मिजोरम के अंतर्गत सेरचिप से सियालशुक (0+000 से 15+000 किमी तक) और सेरचिप से बोरपुई (0+000 से 40+000 किमी तक) सड़क का सुधार और उन्नयन	208820000	
(xl)	य्द्दर्धृदृंह्ठ०ञड्ड ञ्ड्डु सड़क, पीडब्ल्यूडी मिजोरम का सुधार और उन्नयन	194860000	
	कुल–मिजोरम	**660180000**	
	कुल अनुमोदित राशि	**100,64,66,871**	

वित्तीय प्रगतिः

(करोड़ रुपए में)

योजना का नाम	वित्तीय वर्ष	निधि आवंटन	व्यय
पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव तकनीकी वस्त्र के उपयोग के संवर्धन संबंधी योजना	2014-15	4.00	4.00
	2015-16	15.00	3.63
	2016-17	19.99	17.24
	2017-18	14.99	11.99
Total		**53.98**	**36.86**

9.8 टेक्नोटेक्स 2017: तकनीकी वस्त्र पर 'टेक्नोटेक्स 2017' पर छठवां अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन बॉम्बे एग्जिबिशन सेंटर, गोरेगांव, मुंबई में 12–14 अप्रैल, 2017 के दौरान आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र मेजबान राज्य था और गुजरात, झारखंड और कर्नाटक राज्यों ने साझीदार राज्य के रूप में भाग लिया। टेक्नोटेक्स 2017 के दौरान प्रमुख तकनीकी वस्त्र उद्योगों के साथ एक सीईओ फोरम भी आयोजित किया गया था। तकनीकी वस्त्र उद्योगों के लिए समर्पित पवेलियन में 22 देशों जैसे चीन, ताइवान, अमरीका, जापान, फ्रांस, घाना, इंडोनेशिया, बांग्लादेश आदि देशों ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया।

अध्याय–10

क्षेत्र–वार योजनाएं

10.1 विद्युतकरघा क्षेत्र

10.1.1 विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र फैब्रिक उत्पादन एवं रोजगार सृजन के संदर्भ में वस्त्र उद्योग के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। वर्ष 2013 के दौरान किए गए मैसर्स नीलसन बेसलाइन पावरलूम सर्वेक्षण के अनुसार यह विकेंद्रीकृत क्षेत्र में 44.18 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है एवं देश के कुल कपड़ा उत्पादन में 57% का योगदान करता है। निर्यात होने वाले फैब्रिक में से 60% से अधिक विद्युतकरघा क्षेत्र से आता है। रेडीमेड गारमेंट एवं घरेलू वस्त्र क्षेत्र अपनी फैब्रिक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुख्यतया विद्युतकरघा क्षेत्र पर निर्भर हैं।

दिनांक 31 अक्तूबर, 2017 की स्थिति के अनुसार लगभग 27.01 लाख विद्युतकरघें हैं। इस क्षेत्र की प्रौद्योगिकी का स्तर सामान्य करघों से लेकर उच्च तकनीक वाले शटल रहित करघों तक है। इस क्षेत्र में लगभग 1.50 लाख शटलरहित करघे मौजूद हैं। यह अनुमान है कि शटल वाले करघों में से 75% से अधिक अप्रचलित एवं 15 वर्ष पुराने हैं तथा उनके साथ कोई प्रसंस्करण अथवा गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण/संलग्नक नहीं जुड़े हुए हैं। तथापि, पिछले 7–8 वर्षों के दौरान विद्युतकरघा क्षेत्र की प्रौद्योगिकी के स्तर में महत्वपूर्ण उन्नयन हुआ है।

10.1.2 विद्युतकरघा क्षेत्र में वृद्धि :

स्थापित किये गये करघों की संख्या में वर्ष–वार वृद्धि का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

वर्ष	विद्युतकरघों की संख्या	वृद्धि की प्रतिशतता
2006-07	19,90,308	-
2007-08	21,06,370	5.8%
2008-09	22,05,352	4.7%
2009-10	22,46,474	1.9%
2010-11	22,82,744	1.61%
2011-12	22,98,377	0.68%
2012-13	23,47,249	2.12%
2013-14	23,67,594	0.86%
2014-15	24,47,837	3.39%
2015-16	25,22,477	3.05%
2016-17	26,29,269	4.23%
2017-18 (अक्तूबर, 2017 तक)	27,01,771	---

कपड़ा उत्पादन (मिलियन वर्ग मीटर में) :

पिछले पांच वर्षों के दौरान विद्युतकरघा क्षेत्र द्वारा उत्पादन की तुलना में कुल कपड़ा उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है।

वर्ष	कुल उत्पादन	विद्युतकरघा उत्पादन	कुल कपड़ा उत्पादन की तुलना में विद्युतकरघा का %
2008-09	54,966	33,648	61.22%
2009-10	60,333	36,997	61.29%
2010-11	62,559	38,015	60.77%
2011-12	60,453	37,445	61.94%
2012-13	62,792	38,038	60.57%
2013-14	63,500	36,790	57.93%
2014-15	65,276	37,749	57.83%
2015–16	65,505	36,984	56.78%
2016-17	64,421	35,672	55.37%
2017-18(अप्रैल-अगस्त-पी)	27,789	16,119	--

विद्युतकरघा सेवा केन्द्र का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण :

वस्त्र आयुक्त तथा अन्य एजेंसियों के अंतर्गत 47 विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों (पीएससी) में से 43 विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों (पीएससी) को आधुनिक मशीनों और प्रोजेक्टाइल, रेपियर, एयरजैट, ऑटोमेटिक, कॉप चैंजिंग करघों, ड्राप बॉक्स करघों, तीन वाइंडर, कॉन वाइंडर, सेक्सनल वार्पिंग मशीन, डीजीसेट आदि किस्म के शटल रहित करघों जैसे उपकरण के साथ आधुनिकीकृत किया गया है। 47 पीएससी में से 15 पीएससी वस्त्र आयुक्त के अधीन हैं, 26 पीएससी विभिन्न वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा चलाए जाते हैं, 4 पीएससी कर्नाटक विद्युतकरघा राज्य विकास निगम (केएसटीआईडीसी), बैंगलोर के अधीन हैं तथा एक–एक पीएससी क्रमशः मध्य प्रदेश सरकार और मणिपुर सरकार द्वारा चलाया जाता है।

विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों का निष्पादन

दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 31.08.2017 तक की अवधि के लिए पीएससी की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:–

प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	:	3822
परीक्षित नमूनोंकी संख्या	:	20127
विकसित डिजाइनों की संख्याः		448
परामर्श/समस्या निदान की संख्या	:	1284
कुल राजस्व	:	73.93 लाख रु.

10.1.3 विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं :

क. विद्युतकरघा कामगार समूह बीमा योजना (जीआईएस): सरकार ने समूह बीमा योजना वर्ष 2003–04 से शुरू की है और यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के सहयोग से वस्त्र आयुक्त का कार्यालय के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। विद्युतकरघा

बनुकरों/कामगारों को एक वर्ष के लिए इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया जाना है जिसे वर्ष–दर–वर्ष आधार पर पुनः नया बनाया जाता है। आरंभ में एलआईसी द्वारा प्रति कामगार/बुनकर वसूली गई प्रीमियम अगस्त 2012 तक 330 रुपए थी जिसमें से भारत सरकार का शेयर 150 रुपए था जबकि 100 रुपए का भुगतान एलआईसी की सामाजिक सुरक्षा निधि से और 80 रुपए का भुगतान लाभार्थी द्वारा किया जाता था। तथापि, सितम्बर 2012 से एलआईसी ने प्रीमियम को बढ़ाकर 470 रुपए कर दिया है और इसलिए प्रीमियम में भारत सरकार का शेयर प्रति कामगार 290 रुपए तक पहुंच गया है।

गत तीन वर्षों हेतु योजना के अंतर्गत पंजीकृत विद्युतकरघा कामगारों की संख्या का ब्यौरा

वर्ष	पंजीकृत विद्युतकरघा कामगारों की संख्या	रीलिज किया गया भारत सरकार का अंशदान (करोड़ रुपए में)
2014-15	125104	3.90
2015-16	111441	6.62
2016-17	131921	2.00

ख. समन्वित समूह बीमा योजनाः इसके अतिरिक्त, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय विद्युतकरघा क्षेत्र के सभी कामगारों को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की बीमा योजनाओं के अंतर्गत बीमित करने का इच्छुक है और इसे 18 से 50 वर्ष की आयु समूह हेतु प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) तथा 51 से 59 वर्ष की आयु समूह हेतु आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) को एकत्र करके एक समन्वित समूह बीमा योजना के अंतर्गत बनाया गया है।

उक्त बीमा योजना एक जून, 2017 से लागू है और यह तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 31.3.2020 तक वैध रहेगी। योजना को विद्युतकरघा बुनकरों/कामगारों हेतु समन्वित समूह बीमा योजना के रूप में जाना जाएगा।

उद्देश्य

इस योजना का आधारभूत उद्देश्य प्राकृतिक मृत्यु, दुर्घटनावश मृत्यु और दुर्घटना के कारण आंशिक तथा स्थाई निःशक्तता के मामले में बीमा कवर मुहैया करवाना है।

पात्रता

i. विद्युतकरघा बुनकर/कामगार जो पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई हेतु 18 से 50 वर्ष के आयु समूह के मध्य आते हैं।

ii. विद्युतकरघा बुनकर/कामगार जो आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) हेतु 51 से 59 वर्ष के आयु समूह के मध्य आते हैं।

iii. यह योजना बीपीएल/एपीएल श्रेणियों के संबंध में विद्युतकरघा बुनकरों/बुनकरों की स्थिति का ध्यान दिए बिना उनके लिए सार्वभौमिक रूप से लागू होगी।

iv. यह योजना विद्युतकरघों पर बुनाई और ट्विस्टिंग, वाइंडिंग, वार्पिंग और साइजिंग जैसे संबद्ध बुनाई पूर्व/प्रीपेट्री कार्यकलापों

में लगे विद्युतकरघा कामगारों के परिवारों के लिए लागू है। अधिकतम 4 करघों के स्वामित्व वाले स्वनियोजित बुनकर परिवार भी पात्र होंगे।

v. इस योजना के उद्देश्य हेतु परिवार लाभार्थी होंगे और उनके पति/पत्नी और उनमें से केवल एक समन्वित बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने का पात्र होगा।

योजना की मुख्य विशेषताएं

विद्युतकरघा बुनकरों/कामगारों हेतु समन्वित समूह बीमा योजना में 2 घटक होंगे, योजना के अंतर्गत प्रीमियम तथा लाभ निम्नानुसार होंगे।

प्रीमियम और लाभ

सामाजिक सुरक्षा पीएमजेजेबीवाई योजना के अंतर्गत प्रीमियम तथा लाभ ढांचा (पीएमएसबीवाई के प्रीमियम सहित) निम्नानुसार है:

आयु समूह	प्रीमियम ढ़ांचा	लाभ
18 से 50 वर्ष	वस्त्र मंत्रालय का अंशदान 162/- रूपए	पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत किसी भी कारण से मृत्यु पर 200000/- रूपए
	सदस्य का अंशदान 80/- रूपए	दुर्घटना के कारण मृत्यु पर 400000/- रूपए (पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत 200000/- रूपए और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत 200000/- रूपए)
	सामाजिक सुरक्षा निधि 100/- रूपए	स्थायी पूर्ण निःशक्तता पर 200000/- रूपए
	कुल 342/- रूपए	स्थायी आंशिक निःशक्तता पर 100000/- रूपए

संशोधित एएबीवाई योजना केवल नवीकरण आधार पर उन विद्यमान विद्युतकरघा बुनकरों हेतु लागू हैं जो जून, 2016 से मई, 2017 के दौरान तत्कालीन जीआईएस में पहले से पंजीकृत हैं। एएबीवाई योजना के अंतर्गत किसी नए विद्युतकरघा बुनकर को पंजीकृत नहीं किया जाएगा। जीआईएस के विद्यमान सदस्यों हेतु संशोधित एएबीवाई योजना के अंतर्गत प्रीमियम तथा लाभ ढांचा निम्नानुसार है:

आयु समूह	प्रीमियम ढांचा	लाभ
51 से 59 वर्ष	वस्त्र मंत्रालय का अंशदान 290/– रूपए	प्राकृतिक मृत्यु पर 60000/– रूपए
	सदस्य का अंशदान 290/– रूपए	दुर्घटना के कारण मृत्यु पर 150000/– रूपए
	सामाजिक सुरक्षा निधि 100/–रू.	स्थायी पूर्ण निःशक्तता पर 150000/– रूपए
	कुल 470/– रूपए	स्थायी आंशिक निःशक्तता पर 75000/– रूपए

अतिरिक्त लाभ :

उपर्युक्त के अलावा, इस योजना के अंतर्गत नामांकित बुनकर/लाभगार अधिकतम 4 वर्षों की अवधि के लिए कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत दो बच्चों के लिए प्रति बच्चा/प्रति छमाही 600 रुपए के शैक्षिक अनुदान के पात्र भी होंगे।

समन्वित बीमा योजना सहित समूह बीमा योजना के अंतर्गत दिनांक 01.04.2017 से 30.9.2017 की अवधि हेतु 56363 विद्युतकरघा कामगारों का बीमा किया गया है।

10.1.4पावरटेक्स इंडिया

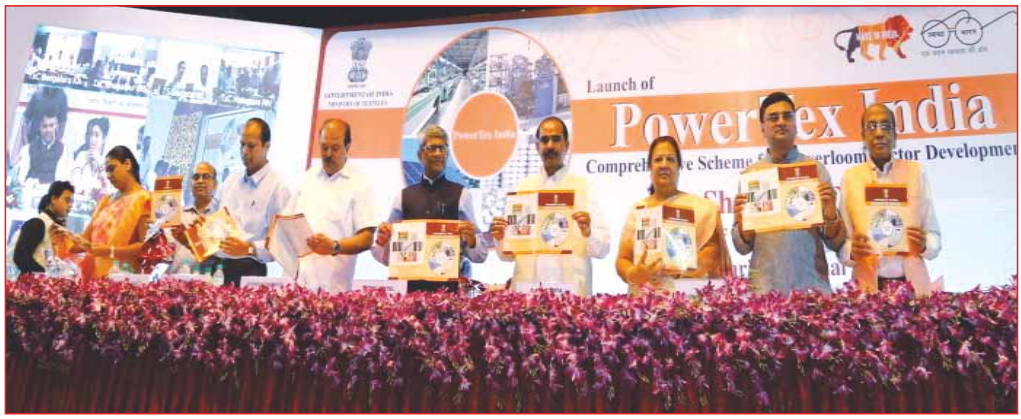

विद्युतकरघा क्षेत्र की लंबे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता पर ध्यान देने और प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विद्यमान विद्युतकरघा क्षेत्र का पुनरूद्धार नए घटकों यथा सौर उर्जा योजना और विद्युतकरघा बुनकरों हेतु प्रधानमंत्री ऋण योजना, प्रचार, सूचना प्रौद्योगिकी को शामिल करके और विद्यमान योजनाओं यथा समूह कार्य शेड योजना, समान सुविधा केंद्र योजना, यार्न बैंक योजना, साधारण विद्युतकरघा स्व–स्थाने उन्नयन योजना आदि के युक्तिकरण/उन्नयन द्वारा किया गया है। इस योजना को अब पावरटेक्स इंडिया के नाम से प्रारंभ किया गया है और यह दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 031.3.2020 तक लागू है।

योजना के अंतर्गत संघटक :

क. साधारण विद्युतकरघों का स्व–स्थाने उन्नयन

- इस योजना का उद्देश्य कतिपय अतिरिक्त संलग्नकों के साथ सादे विद्युतकरघों का उन्नयन करके उत्पादन किए जा रहे फैब्रिक की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करना है जिससे वे स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा का सामना करने में समर्थ होंगे। इसका उद्देश्य 3 वर्षों (2017–18 से 2019–20) में 1,25,000 करघों को शामिल करना है।
- यह योजना लघु विद्युतकरघा बुनकरों के लिए है जिनके पास 8 तक करघे हों। 4 से कम करघों वाली इकाइयों को वरीयता दी जाएगी। भारत सरकार सामान्य, एससी और एसटी श्रेणी के आवेदकों के लिए क्रमशः 45,000 रुपए, 67,500 रुपए और 81,000 रुपए प्रति विद्युतकरघा अधिकतम सब्सिडी तक उन्नयन की लागत का 50%, 75% और 90% की सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- भारत सरकार की सब्सिडी के अलावा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य सरकारें भी प्रति विद्युतकरघा 10 हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं और बिहार राज्य सरकार भी अपने संबंधित कलस्टरों में अतिरिक्त सब्सिडी के रूप में 12,000 रुपए प्रदान कर रही है।
- अप्रैल 2017 से 30.11.2017 तक की अवधि के दौरान 47,282 करघों का उन्नयन किया गया है जिसके लिए दिनांक 30.11.2017 की स्थिति के अनुसार 61.68 करोड़ रुपए की भारत सरकार की सब्सिडी जारी की गई है।

ख. समूह वर्क शेड योजना (जीडब्ल्यूएस)

इस योजना का उद्देश्य विद्युतकरघों हेतु आधुनिक बुनाई मशीनरी के साथ आधारभूत ढ़ांचे की स्थापना करना है ताकि वैश्विक बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि की जा सके। संशोधित योजना के अनुसार वर्क शेड के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता निर्माण की इकाई लागत के 40 प्रतिशत तक सीमित होगी जो कि अधिकतम 400 रु. प्रति वर्ग फुट इनमें से जो भी कम हो, की सीमा के अध्यधीन होगा। सामान्यतः एकल चौड़ाई (230 सेटींमीटर तक) के 24 आधुनिक करघे वाले न्यूनतम 4 बुनकरों का समूह अथवा 16 अधिक चौड़ाई वाले करघों (230 सेंटीमीटर तथा उससे अधिक) वाले प्रत्येक लाभग्राही के पास कम से कम चार करघे वाले बुनकरों का समूह बनेगा।

शयनगृह/कामगारों के आवास के निर्माण हेतु अतिरिक्त आर्थिक सहायता में न्यूनतम 1.25 व्यक्ति प्रति विद्युतकरघे के आवास हेतु 125 वर्ग फुट प्रति व्यक्ति का पर्याप्त स्वच्छता पूर्ण शौचालय तथा स्नानागार (वैकल्पिक तौर पर भंडार कक्ष के साथ रसोई तथा भोजन कक्ष शामिल किया जा सकता है) के साथ आवास मुहैया करवाया जाएगा। शयनगृह/कामगार आवास हेतु प्रतिवर्ग फुट आर्थिक सहायता की दर समूह कार्य शेड के लिए लागू प्रति वर्ग फुट आर्थिक सहायता की दर के समान होगी।

प्रारंभ से, अभी तक 256 परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है और भारत सरकार की 81.08 करोड़ रु. की आर्थिक सहायता जारी की जा चुकी है।

ग. यार्न बैंक के लिए कार्पस

विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी)/कंसोर्टियम को थोक मूल्य की दर पर यार्न की खरीद हेतु उन्हें समर्थ बनाने के लिए ब्याज मुक्त स्थायी निधि प्रदान करने और विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र में लघु बुनकरों को उचित दर पर ब्याज प्रदान करना। यार्न की बिक्री पर बिचौलिए/स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं की आढ़ती प्रभार को दूर करना। प्रति यार्न बैंक अधिकतम 200 लाख रुपए की ब्याज मुक्त कार्पस निधि।

प्रारंभ सेए अब तक 41 यार्न बैंक परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है और भारत सरकार की 17.343 करोड़ रु. की आर्थिक सहायता जारी की जा चुकी है।

घ. सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी)

एक समूह में संबद्ध और सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना करने के इच्छुक विद्युतकरघा बुनकरों को अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करना। कलस्टर की आवश्यकता के अनुसार पिछड़ी और अग्रणी एकीकरण के लिए पीपीपी पद्धति वाली परियोजनाओं के अंतर्गत इसमें हाऊस डिजाइन केन्द्र/स्टूडियो, परीक्षण सुविधाओं, प्रशिक्षण केन्द्र, सूचना एवं व्यापार केन्द्र तथा सामान्य कच्ची सामग्री/यार्न/बिक्री डिपो, औद्योगिक उद्योग के लिए जल शोधन संयंत्र और सामान्य बुनाई पूर्व सुविधाएं अर्थात वार्पिंग, साइजिंग आदि शामिल हैं।

भारत सरकार का अधिकतम शेयर प्रति सीएफसी 200 लाख रुपए है।

विद्युतकरघा कलस्टरों की ग्रेडिंग के आधार पर भारत सरकार की सहायता के स्तर हैं:

- ग्रेड 'ए'–परियोजना लागत के 60% तक।
- ग्रेड 'बी' – परियोजना लागत के 70% तक।
- ग्रेड 'सी' – परियोजना लागत के 80% तक।
- ग्रेड 'डी' और पूर्वोत्तर क्षेत्र/जम्मू एवं कश्मीर के कलस्टरों में परियोजना लागत के 90% तक।

प्रारंभ से, अब तक 14 परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है और भारत सरकार की 0.42 करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता जारी की जा चुकी है।

ङ. विद्युतकरघा क्षेत्र हेतु सौर उर्जा योजना

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य देश में विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा ईकाइयों द्वारा सामना की जा रही विद्युत की कटौती/कमी की समस्या को दूर करना है ताकि उपयोगता दक्षता, उत्पादकता आदि में सुधार किया जा सके और सौर फोटो वोल्टिक (एसपीवी) संयंत्र की स्थापना हेतु छोटी विद्युतकरघा यूनिटों को वित्तीय सहायता/पूंजीगत आर्थिक सहायता मुहैया करवाकर घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पार्धात्मक रूप से सामना किए जाने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

प्रस्तावित सौर फोटो वोल्टिक (एसपीवी) संयंत्र को 2 माध्यम में कार्यान्वित किया जाना है– (i) ऑन–ग्रिड सौर विद्युत संयंत्र और (ii) ऑफ–ग्रिड सौर विद्युत संयंत्र।

ऑन–ग्रिड सौर विद्युत संयंत्र ऐसे क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है जहां विद्युत कटौती/कमी नगण्य होती है तथा विद्युत टैरिफ अधिक है जबकि ऑफ–ग्रिड सौर विद्युत संयंत्र ऐसे क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है जहां विद्युत की कमी अधिक है तथा ऑन–ग्रिड विद्युत लगातार उपलब्ध नहीं होती जिसके लिए बैटरी बैक–अप के माध्यम से स्टोरेज की आवश्यकता होती है।

ऑन–ग्रिड सौर विद्युत संयंत्र में स्थापित खंबों के साथ सौर फोटो वोल्टिक पैनल तथा समान क्षमता वाले इनवर्टर/पीसीयू शामिल होते हैं जबकि ऑफ–ग्रिड सौर विद्युत संयंत्र में स्थापित खंभों, समान क्षमता वाले इनवर्टर/पीसीयू तथा न्यूनतम 03 घंटे की बैक–अप क्षमता वाली बैटरी के साथ सौर फोटो वोल्टिक पैनल शामिल होते हैं।

यथा लागू संगत प्राधिकरण के साथ पंजीकृत विद्युतकरघा इकाइयों और जिनमें विकेंद्रीकृत एमएसएमई क्षेत्र में 8 करघें तक हों, आवेदक इकाई के पक्ष में बिजली बिल या यथा लागू विद्युत (बिजली) साझा किए जाने वाले उचित दस्तावेजों के साथ आवेदन करेंगी। इन इकाइयों के पास छाया मुक्त छत/क्षेत्र होना चाहिए।

भारत सरकार निम्नलिखित के अनुसार आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा के अधीन सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए सौर उर्जा संयंत्र की आधारभूत लागत (सौर पैनल की लागत + इनवर्टर + बैटरी) के क्रमशः 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत तथा 90 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता/पूंजीगत आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी–

किलोवाट पीक (केडब्ल्यूपी) के रूप मेंक्षमता	आर्थिक सहायता हेतु पात्र उपकरण तथा घटक की अधिकतम लागत		अधिकतम आर्थिक सहायता रूपए में	
	ऑन–ग्रिड सौर संयंत्र हेतु	ऑफ–ग्रिड सौर संयंत्र हेतु	ऑन–ग्रिड सौर संयंत्र हेतु	ऑफ–ग्रिड सौर संयंत्र हेतु
4 केडब्ल्यूपी (आमतौर पर 04 करघों के लिए उपयुक्त)				
सामान्य @ 50%	4,50,000/-	5,50,000/-	2,25,000/-	2,75,000/-
अनु.जा. @ 75%			3,37,500/-	4,12,500/-
अनु.ज.जा. @ 90%			4,05,000/-	4,95,000/-
6 केडब्ल्यूपी (आमतौर पर 06 करघों के लिए उपयुक्त)				
सामान्य @ 50%	6,00,000/-	7,50,000/-	3,00,000/-	3,75,000/-
अनु.जा. @ 75%			4,50,000/-	5,62,500/-
अनु.ज.जा. @ 90%			5,40,000/-	6,75,000/-
8 केडब्ल्यूपी (आमतैर पर 08 करघों के लिए उपयुक्त)				
सामान्य @ 50%	7,50,000/-	9,50,000/-	3,75,000/-	4,75,000/-
अनु.जा. @ 75%			5,62,500/-	7,12,500/-
अनु.ज.जा. @ 90%			6,75,000/-	8,55,000/-

इस योजना को 01.04.2017 से कार्यान्वित किया गया है।

च. विद्युतकरघा बुनकरों हेतु प्रधानमंत्री ऋण योजना

विद्युतकरघा बुनकरों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने, निवेश आवश्यकताओं (सावधि ऋण) तथा साथ ही साथ कार्यशील पूंजी हेतु एक लोचशील एवं लागत प्रभावी तरीके से पर्याप्त एवं समय पर वित्तीय सहायता मुहैया करवाना।

योजना में दो संघटक हैं अर्थात् प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत श्रेणी–1 और स्टैंड–अप इंडिया योजना के अंतर्गत श्रेणी–2। वस्त्र आयुक्त का कार्यालय इस योजना के प्रचालन हेतु ऋणदाता एजेंसियों को सूचीबद्ध करता है।

इन संघटकों के अंतर्गत पात्रता, आवेदन के तरीके तथा उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा योजना दिशानिर्देशों में दिया गया है। यह योजना 01.04.2017 से कार्यान्वित की गई है।

छ. सहायता अनुदान और विद्युतकरघा सेवा केंद्रों का आधुनिकीकरण/उन्नयन

वस्त्र आयुक्त का कार्यलय के अंतर्गत 15 विद्युतकरघा सेवा केंद्र, वस्त्र अनुसंधान संघों के अंतर्गत 26 तथा राज्य सरकारों के अंतर्गत 6 कार्य कर रहे हैं। पीएससी सरकार की ओर से विद्युतकरघा क्षेत्र को प्रशिक्षण,

नमूना परीक्षण, डिजाइन विकास, परामर्श, संगोष्ठी/कार्यशाला आदि जैसी विभिन्न सेवा की पेशकश कर रहे हैं।

टीआरए/राज्य सरकार की एजेंसियों की पीएससी को मुहैया करवाया गया सहायता अनुदान मुख्यतः विद्युतकरघा क्षेत्र को सेवाएं मुहैया कराने के लिए पीएससी के चालन हेतु आवृत्त व्यय हेतु है। टीआरए/राज्य सरकार की एजेंसियों के पीएससी को सहायता अनुदान की स्वीकृति वस्त्र आयुक्त द्वारा मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

विद्युतकरघा सेवा केंद्रों के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन हेतु भारत सरकार की सहायता क्लस्टर में अपेक्षित होने वाली सुविधाओं हेतु प्रदान की जाती है। इसमें परीक्षण सुविधाओं में सुधार और उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकी के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने क लिए आधुनिक करघों की स्थापना तथा प्रशिक्षण प्रदान किया जाना भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, विद्युतकरघा सेवा केंद्रों को प्रारंभिक मशीनें, परीक्षण उपकरण, वस्त्र तथा परिधान हेतु सिलाई मशीनें, कढ़ाई मशीनें, डिजाइन विकास सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाएंगी।

ज. टेक्स–वेंचर पूंजी निधि की योजना

विद्युतकरघा उद्योग में प्राथमिक रूप से निर्माण और सेवा कार्यकलापों में लगी कंपनियों में निवेश करने के लिए 35 करोड़ रुपए के कार्पस वाली एक समर्पित निधि, टेक्स फंड शुरू की गई है।

टेक्स–वेंचर पूंजी निधि के लिए भारत सरकार ने 24.50 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं और सिडबी द्वारा 11.50 करोड़ रुपए प्रदान करने का वचन दिया है।

टेक्स–वेंचर निधि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में परिभाषित अनुसार और समय–समय पर संशोधित अनुसार इक्विटी शेयर और/अथवा वस्त्र सुक्ष्म और लघु उपक्रम की इक्विटी में कन्वर्टिवल इन्स्ट्रूमेंट्स में निवेश करेगा। इस निधि का संचालन भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के वैकल्पिक निवेश निधि विनियमन 2012 (सेबी का एआईएफ विनियमन 2012) के तहत होगा।

निधि का प्राथमिक निवेश उद्देश्य आरंभिक अथवा विकास स्तर पूंजी निवेश आवश्यकता के लिए गैर सूचीबद्ध कंपनियों में निजी सौदेबाजी इक्विटी/इक्विटी से संबंधित और/अथवा परिवर्तनीय/गैर–परिवर्तनीय ऋण साधनों में निवेश के माध्यम से दीर्घकालीन पूंजी वृद्धि के माध्यम से आकर्षित जोखिम समायोजित आय है।

लाभ :

योजना के अंतर्गत कंपनियों की इक्विटी में निवेश से उनकी निवल मूल्य, वाणिज्यिक बैंक ऋण वृद्धि, उनकी विनिर्माण क्षमता में सुधार और बिक्री कारोबार, प्रतिस्पर्धात्मकता और लाभप्रदता बढ़ाने में मदद करेगा। निधि से निवेशकों की कंपनियों में सुधार, आंतरिक प्रणाली और कार्यविधि, प्रबंधन क्षमता और कारपोरेट गर्वनेंस के लिए अग्रणी होने की भी प्रत्याशा है।

भारत सरकार और सिडबी के बीच दिनांक 03.10.2014 को अंशदान करार पर हस्ताक्षर किया गया है और वर्ष 2014–15 के लिए आबंटित 11.50 करोड़ रुपए की राशि सिडबी वेंचर पूंजी लि. (एसवीसीएल) को नवम्बर,

2014 में जारी की गई है।

इस संघटक के अंतर्गत कुल 13.43 करोड़ रुपए के निवेश के लिए पांच मामलों को अनुमोदित किया गया है।

i. **विद्युतकरघों हेतु सुविधाएं उपलब्ध करवाना, सूचना प्रौद्योगिकी, जागरूकता, बाजार विकास और प्रचारः** विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र कपड़ा उत्पादन तथा रोजगार सृजन के तौर पर वस्त्र उद्योग के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। डब्ल्यूटीओ समझौते के अंतर्गत बाजार के एकीकरण के साथ विद्युतकरघा क्षेत्र चुनौतियों का सामना कर रहा है। संगठित मिल क्षेत्र द्वारा दी जा रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के मध्य नजर अपनी घरेलू बाजार हिस्सेदारी को बनाए रखने के अतिरिक्त इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी हिस्सेदारी का विस्तार करन है। घरेलू उत्पादन तथा विपणन और साथ ही साथ विद्युतकरघा बुनकरों द्वारा निर्यात ने वृद्धि करने के लिए वर्ष 2007–08 से विद्युतकरघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण, सम्पर्क दौरे, क्रेता–विक्रेता बैठके, क्लस्टर विकास क्रियाकलाप, कौशलों के विकास/उन्नयन आदि के साथ एकीकृत योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।

उक्त के मद्देनजर, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रोत्साहन योजनाओं की अनूठी तथा विशिष्ट विशेषताओं और उत्पादों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना अत्यधिक आवश्यक है। यह उपयुक्त रणनीतियों के माध्यम से विकास प्रक्रिया को सुकर बनाने में केंद्र सरकार की भूमिका को दर्शाने का भी प्रयास करती है। इस योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सभी प्रोत्साहन योजनाओं की कार्यान्वयन प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करना है।

- वस्त्र आयुक्त, मुंबई के कार्यालय के कार्यालय द्वारा चलाई जा रही विद्युतकरघा योजनाओं, कार्यक्रमों की इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, फिल्म मीडियाए मल्टीमीडिया के माध्यम से कार्यक्रम आधारित प्रचार आदि सहित व्यापक प्रचार करना।
- प्रचार हेतु एक समर्थकारी परिवेश तैयार करना।
- वस्त्र आयुक्त कार्यालय, मुंबई द्वारा चलाई जा रही योजनाओंए कार्यक्रमों के तरीकों तथा लाभों के संबंध में सूचना का प्रसार करना।
- विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र के विकासात्मक माध्यम के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देना तथा इसे प्रारंभ करना।
- वस्त्र आयुक्त कार्यालय, मुंबई द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्वेच्छिक कार्रवाई हेतु प्रोत्साहित करना।
- वस्त्र आयुक्त कार्यालय, मुंबई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों हेतु वित्तीय सहायता का विस्तार करना।

सुविधा सेवाओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी के संघटकः

(क) सुविधा सेवाएं

- **हेल्पलाइनः** निशुल्क कॉल द्वारा विद्युतकरघा बुनकरों को आवश्यक सहायता/परामर्श/जानकारी प्रदान करने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन (1800222017) स्थापित की गई है।
- **विद्युतकरघा बुनकरों तथा इकाइयों की पीएससी के साथ पंजीकरण की**

सुविधाः विद्युतकरघा बुनकरों तथा विद्युतकरघा इकाइयों की विद्युतकरघा सेवा केंद्र में पंजीकरण की एक प्रणाली होगी ताकि पीएससी सरकार की योजनाओं की जानकारी के प्रसार हेतु इन बुनकरों तथा इकाइयों तक पहुंच सकें। यह इंटरफेस पीएससी में उपलब्ध सुविधाओं को बुनकरों तथा इकाइयों द्वारा समझे जाने तथा उनके लाभ को लेने में समर्थ बनाएगा।

- **एसएमएस अलर्टः** एक प्रणाली विकसित की गई है ताकि जिससे विद्युतकरघा संबंधित विषयों पर नए घटनाक्रम/ पहलों के संबंध में विद्युतकरघा बुनकरों को एसएमएस अलर्ट भेजे जा सके।
- **बैंक सहायताः** अग्रणी बैंक तथा प्रमुख बैंकों की सेवाएं विद्युतकरघा क्लस्टरों में विद्युतकरघा सेवा केंद्रों के माध्यम से मुहैया करवाई जाएंगी ताकि विद्युतकरघा बुनकरों को आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके और विद्युतकरघा इकाइयां बैंकों से ऋण सुविधाएं तथा मुद्रा ऋण प्राप्त कर सकें।
- **उद्यमी प्रकोष्ठः** विभिन्न सरकारी योजनाओं पर जानकारी का प्रसार करने के लिए प्रत्येक विद्युतकरघा सेवा केंद्र में एक उद्यमी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।
- **डिजाइन तथा तकनीकी विकासः** पीएससी विद्युतकरघा बुनकरों हेतु उपयुक्त रूप से ढांचाबद्ध डिजाइनिंग सुविधाएं तथा अपेक्षित तकनीकी प्रशिक्षण मुहैया करवाएंगे।

अन्य सुविधा सेवाएं।

(ख)सूचना प्रौद्योगिकी–भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के संबंध में ऑनलाइन पोर्टल/मोबाइल एप्लीकेशन का विकास।

भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और पात्र लाभार्थियों, लाभों के प्रकार, योजना विवरण आदि सहित उनके विभिन्न पहलुओं के संबंध में जानकारी के लिए एक आसान तथा एकल बिंदु पहुंच मुहैया करवाने में ऑनलाइन पोर्टल का विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

इसके अतिरिक्त, मोबाइल एप एक अधिक तीव्र विकल्प मुहैया करवाते हैं क्योंकि किसी मोबाइल एप को चालू करने में कुछ सेंकेंड लगते हैं जोकि अधिकांश सूचना के एप्लीकेशन में ही रखे जाने के चलते होता है जो इसके ऑफलाइन कार्य करने को संभव बनाता है। यह सूचना के साथ जुड़ने को सुकर बनाकर अंत उपयोगकर्ताओं के साथ संबंध बनाने मे सहायता करता है। किसी मोबाइल एप्लीकेशन का लाभ अंतिम उपयोगकर्ताओं के साथ बाधारहित तरीके से जुड़ना तथा परस्पर चर्चा करना हैं, जो इसे भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं पर पहुंच हेतु एक मूल्यवान साधन बना देता है, और परिणामस्वरूप सूचना अनुरोध तथा टेलीफोन कॉल द्वारा होने वाले कर्मचारियों के कार्य के भार को कम कर देता है।

जागरूकता और बाजार विकास कार्यक्रमः

(i) संगोष्ठियां/कार्यशालाएंः विद्युतकरघा बुनकरों/कामगारों के लाभ हेतु सरकारी योजनाओं के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने, नई प्रौद्योगिकी/सेवाओं के संबंध में

जानकारी का प्रसार करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों, वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के विद्युतकरघा सेवा केंद्रों और साथ ही साथ विद्युतकरघा विकास तथा निर्यात संवर्धन परिषद, टीआर, आदि जैसे अन्य संगठनों द्वारा कार्यशालाओं / संगोष्ठियों / जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

(ii) क्रेता विक्रेता बैठकें: प्रदर्शनी / मेला और क्रेता–विक्रेता बैठकें जैसे बाजार विकास क्रियाकलापों का आयोजन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्युतकरघा बुनकरों हेतु उनके उत्पादों के विपणन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत प्रदर्शनियों के आयोजन, आधारभूत ढांचा सपोर्ट, स्टॉल किराए, स्टॉल साज–सज्जा, विद्युत प्रभार, प्रचार, बैक–अप सेवाओं तथा प्रशासनिक व्ययों हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है।

(iii)विपरीत क्रेता विक्रेता बैठकों जैसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम: विपरीत क्रेता–विक्रेता बैठक जैसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन भारत में पीडीईएक्ससीआईएल के साथ मिलकर विदेशों से संभाव्य क्रेताओं तथा आयातकों को आमंत्रित करके किया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों में प्रमुख भारतीय कंपनियां विद्युतकरघा कपड़े, कृत्रिम वस्त्रों और घरेलू वस्त्रों यथा शर्टिंग, सूटिंग, साड़ी, ड्रेस सामग्री, डेनीम, बिस्तर संबंधी कपड़ा, रसोई के कपड़ें, स्नानागार के कपड़े, बैठक तथा भोजनकक्ष से संबंधित कपड़ें और तकनीकी वस्त्रों आदि का प्रदर्शन आगन्तुक विदेशी खरीददारों के सम्मुख किया जाता है ताकि प्रतिभागी सदस्य अपने निर्यात व्यापार को विकसित करने / उसका विस्तार करने में समर्थ हो सकें। इस प्रकार आगन्तुक क्रेता के पास एक ही स्थान पर अग्रणी वस्त्र कंपनियों के नवीनतम उत्पादों को देखने, प्रतिभागी कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने और लाभप्रद व्यापार सौदों को अंतिम रूप देने का एक अनूठा अवसर होता है।

(iv)विद्युतकरघा उत्पादों के विपणन हेतु ई–प्लेटफार्म: ई–कॉमर्स के माध्यम से विद्युतकरघा उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देना वस्त्र मंत्रालय की प्राथमिकताओं मे से एक है। विद्युतकरघा उत्पादों के ई–विपणन को एक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी तथा प्रभावी तरीके से बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत वस्त्र आयुक्त का कार्यालय विद्युतकरघा उत्पादों के ऑनलाइन विपणन में प्रतिभागिता हेतु अच्छे ट्रैक रिकार्ड वाले किसी इच्छुक ई–कॉमर्स प्लेटफार्म की सहायता प्राप्त करेगा।

(v)बुनकरों का ज्ञान दौरा: विद्युतकरघा बुनकरों / उद्यमियों के ज्ञान दौरों की व्यवस्था बेहतर प्रौद्योगिकी, उत्पाद आदि को समझने की दृष्टि से की जाती है। प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर वाले कलस्टरों के विद्युतकरघा बुनकरों / उद्यमियां को बेहतर प्रौद्योगिकी / विनिर्माण वाले विकसित क्लस्तरों के संपर्क में लाया जाना अपेक्षित होता है ताकि वे प्रौद्योगिकी को अपनाने और उत्पादों के विविधिकरण के लिए प्रेरित हो सके।

प्रत्येक बुनकर हेतु अनुशंगिक व्यय के प्रति 5000 रुपए की दर से वित्तीय सहायता और शयनयान श्रेणी के किराए तक सीमित आने तथा जाने का रेलगाड़ी किराया भारत सरकार द्वारा मुहैया करवाया जाता है।

(vi) **अध्ययन, सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन कार्यक्रमों का आयोजन/विशेष आवश्यकताओं संबंधी योजनाएं:** विश्लेषणात्मक अध्ययनों तथा सर्वेक्षणों के परिणाम सरकार द्वारा स्वयं या सार्वजनिक निजी भागीदारी माध्यम से हस्तक्षेप के लिए उचित रणनीतियों को बनाने तथा उपायों को करने, विद्युतकरघा बुनकरों की चुनौतियों से निपटने में सहायता करने तथा उन्हें समर्थ बनाने और अपनी दक्षता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए अवसरों का उपयोग करने और सतत रोजगार के सृजन में विस्तार करने में भी सहायता करते हैं। इन अध्ययनों से निकाले गए निष्कर्ष योजनाओं में परिवर्तनों को सुझाने में सहायता करेंगे ताकि वे अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर सकें।

योजनाओं की निगरानी/मूल्यांकन (i) इनके निष्पादन (ii) संसाधनों का व्यय किस प्रकार किया गया (iii) योजनाओं को जारी रखे जाने की विश्वसनीयता पर फीडबैक प्राप्त करने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त, योजनाओं का मूल्यांकन समस्याजनक मुद्दों यथा (i) क्रियान्वित परियोजना के गुण तथा कमियां (ii) कार्यान्वयन समस्याएं (iii) सफलता और विफलता सूचक तथा (iv) अच्छे व्यवहार मुद्दों पर ध्यान देन में सहायता करता है।

अन्य जागरूकता तथा बाजार विकास कार्यक्रम

उदाहरण के लिए अधिकतम जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, होर्डिंग, मोबाइल प्रचार गाड़ी, विभिन्न आईसीटी माध्यमों को अपनाना।

इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया में प्रचार:

किसी भी मीडिया का मुख्य उद्देश्य जनता तक जानकारी पहुंचाना होता है। इलेक्टॉनिक मीडिया एक अधिक उन्नत रूप है और यह इंटरनेट, टेलीविजन आदि हो सकता है जिससे विभिन्न चैनलों, साइट आदि के माध्यम से तेजी से पहुंचा जा सकता है। प्रिंट मीडिया में आमतौर पर समाचार पत्र, लेख तथा पत्रिकाएं आदि शामिल होती हैं जो उपयोगकर्ता को किसी भी समय तथा कहीं पर भी पढ़ने का अवसर प्रदान करती है। चाहे यह इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया हो, हितधारकों/विद्युतकरघा बुनकरों की आवश्यकताओं पर इन माध्यमों द्वारा ध्यान इन साधनों के उपयोग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी से विभिन्न विद्युतकरघा क्षेत्र योजनाओं के प्रचार तथा जागरूकता उत्पन्न करने में सहायता द्वारा किया जा सकता है।

10.1.5. व्यापक विद्युतकरघा कलस्टर विकास योजना

भिवंडी (महाराष्ट्र) तथा इरोड़ (तमिलनाडु) में विद्युतकरघा मेगाकलस्टर का विकास करने के लिए वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2008–09 में उनके बजट भाषण में की गई घोषणा का कार्यान्वयन करने के लिए वर्ष 2008–09 में व्यापक विद्युतकरघा कलस्टर विकास योजना तैयार की गई थी। तत्पश्चात वित्त मंत्री ने 2009–10, 2012–13 और 2014–15 के बजट भाषणों में क्रमशः भीलवाड़ा (राजस्थान), इचलकरंजी (महाराष्ट्र) और सूरत (गुजरात) में विद्युतकरघा मेगाकलस्टरों के विकास करने की घोषणा की है। कलस्टरों के डिजायन में निहित मार्गदर्शी सिद्धांतों का उद्देश्य विश्वस्तरीय आधारभूत ढ़ांचे का सृजन करना है तथा उत्पादन श्रृंखला को इस ढंग से एकीकृत करना है जिससे उत्पादन

और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय छोटे और मध्यम उद्यम (एसएमई) की व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। कलस्टर दृष्टिकोण योजना का मुख्य उद्देश्य बढ़ते बाजार शेयर के अनुसार कलस्टरों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाना तथा उत्पादों का उच्च इकाई मूल्य प्राप्त करके उत्पादकता को बढ़ाना है। योजना में पर्याप्त आधारभूत ढ़ांचा, प्रौद्योगिकी, उत्पाद विविधिकरण, डिजाइन विकास, कच्ची सामग्री बैंकों, विपणन और संवर्धन, क्रेडिट, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य घटकों के अनुसार अपेक्षित सहायता/संपर्क उपलब्ध कराया जाता है जो विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र में कार्यरत बुनकरों की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।

संशोधित व्यापक विद्युतकरघा कलस्टर विकास योजना (सीपीसीडीएस) को 110 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय से 12वीं योजना अवधि के दौरान क्रियान्वयन के लिए अक्तूबर 2013 में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित किया गया था। संशोधित योजना के कलस्टर के लिए सरकार की सहायता अधिकतम 50 करोड़ रुपए के अध्यधीन परियोजना लागत के 60 प्रतिशत तक सीमित है। इस योजना के अंतर्गत पांच विद्युतकरघा मेगाकलस्टर की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

(i) विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, इरोड़ (तमिलनाडु):

बजट 2008–09 में इरोड में विद्युतकरघा मेगाकलस्टर की घोषणा की गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत, दो मुख्य घटकों नामतः थोक बाजार परिसर (दैनिक बाजार) और साप्ताहिक वस्त्र सैंडी मार्केट वाले एक एकीकृत वस्त्र बाजार परिसर अनुमोदित किए गए थे। साप्ताहिक बाजार और दैनिक बाजार का निर्माण पूरा हो गया है जबकि प्रदर्शनी कक्ष के निर्माण से संबंधित कार्य अभी प्रारंभ किया जाना है।

(ii) विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, सोलापुर (महाराष्ट्र):

विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, भिवंडी की घोषणा बजट 2008–09 में की गई थी। भूमि की अनुपलब्धता और भिवंडी में परियोजना के विकास में भाग लेने के लिए स्टेकहोल्डरों में अनिच्छा के कारण महाराष्ट्र सरकार ने भिवंडी के स्थान पर सोलापुर में विद्युतकरघा मेगाकलस्टर की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव किया है। तदनुसार, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से स्थान में परिवर्तन किया गया है मैसर्स ग्रैंड थार्टन एलएलपी, गुडगांव को सीएमटीए के रूप में नियुक्त किया गया है। सीएमटीए और भारत सरकार के बीच करार पर हस्ताक्षर किया गया है। सीएमटीए को डीपीआर प्रस्तुत कर दिया है। पीएएमसी ने सीएमटीए ने पुनः सर्वेक्षण करने का निदेश दिया है जिसमें सभी इकाइयों को प्रश्नावली के वितरण के माध्यम से डाटा एकत्रीकरण, सभी के उचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना, विशेष रूप से जरूरतमंद उद्यमियों और उसके पश्चात् क्लस्टर की आवश्यकताओं की पहचान करना शामिल हैं।

(iii) विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, करनपुरा (राजस्थान)

विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, भीलवाड़ा की घोषणा बजट 2009–10 में की गई थी। भीलवाडा में भूमि की अनुपलब्धता के कारण भीलवाड़ा जिले में करनपुरा में परियोजना को पुनः स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया। राजस्थान सरकार ने इस परियोजना के लिए करनपुरा गांव में 30 एकड़ भूमि

आबंटित की है। पीएएमसी ने पाया की सीएमटीए द्वारा पिछले 8 वर्षों में कोई प्रगति नहीं हुई है। पीएएमसी ने पाया की सीएमटीए द्वारा पिछले 8 वर्षों में कोई प्रगति नहीं हुई है। अतः परियोजना को और आगे चलाना संभव नहीं होगा। पीएएमसी ने सीएमटीए को निरस्त करने का निर्णय लिया और वस्त्र आयुक्त को दिशानिर्देशों के अनुरूप परियोजना हेतु नए सीएमटीए के चयन हेतु आरईपी को पुनः निकालने का परामर्श दिया।

(iv) विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, इचलकरंजी (महाराष्ट्र)

विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, इचलकरंजी की घोषणा 2012–13 के बजट में की गई थी। विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, इचलकरंजी के डीपीआर को अनुमोदित कर दिया गया है और प्रथम किस्त के पहले भाग के रूप में 14.11 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सीएमटीए/एसपीवी ने परियोजना को संशोधित किया है और तदनुसार संशोधित डीपीआर प्रस्तुत कर दिया गया है जिसे पीएएमसी द्वारा अनुमोदित किया गया है। संशोधित डीपीआर के अनुसार कार्य प्रगति पर है।

(v) विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, सूरत (गुजरात)

विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, सूरत की घोषणा 2014–15 के बजट में की गई थी। सीएमटीए के रूप में आई एल एंड एफ एस का चयन किया गया है। सीएमटीए और भारत सरकार के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किया गया है। सीएमटीए को डीपीआर प्रस्तुत करना है। पीएएमसी ने 13 सितम्बर, 2017 को हुई अपनी बैठक में सीएमटीए को संशोधित डीपीआर प्रस्तुत करने के निदेश दिया है।

10.2. हथकरघा

10.2.1. प्रस्तावना

हथकरघा बुनाई कृषि के बाद सबसे बड़ा आर्थिक क्रियाकलापों में से एक है जो 43 लाख से अधिक बुनकरों और संबद्ध कामगारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर रहा है। देश में वस्त्र उत्पादन में इस क्षेत्र का लगभग 15% योगदान है और यह देश की निर्यात आय में भी योगदान देता है। विश्व का 95% हाथ से बुना कपड़ा भारत से आता है।

हथकरघा क्षेत्र का हमारी अर्थव्यवस्था में एक अद्वितीय स्थान है। इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कौशलों के हस्तांतरण द्वारा कायम रहा है। इस क्षेत्र की ताकत इसकी अद्वितीयता, उत्पादन में लचीलेपन, नवाचारों में खुलापन, आपूर्तिकर्ता की जरुरत के अनुसार अनुकूलन क्षमता और इसकी परंपरा की दौलत में निहित है। तथापि, आधुनिक तकनीकों के अंगीकरण और आर्थिक उदारीकरण ने हथकरघा क्षेत्र में गहरी पैठ बना ली है। विद्युतकरघा और मिल क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा,सस्ते आयातित फैब्रिक की उपलब्धता, उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताएं और वैकल्पिक रोजगार के अवसरों ने हथकरघा क्षेत्र की जीवंतता को चुनौती दी है।

भारत सरकार अनेक कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से हथकरघा क्षेत्र के संवर्धन और प्रोत्साहन की नीति का अनुसरण कर रही है। विभिन्न नीति संबंधी पहलों और योजना संबंधी हस्तक्षेपों यथा क्लस्टर एप्रोच, आक्रामक विपणन प्रयास और समाज कल्याण उपायों के कारण हथकरघा क्षेत्र ने सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है। वर्ष 2010–11 से 2017–18 तक हथकरघा क्षेत्र का उत्पादन नीचे तालिका में दिया गया है :

वर्ष	कुल वस्त्र उत्पादन*	हथकरघा क्षेत्र द्वारा वस्त्र उत्पादन	कुल वस्त्र उत्पादन में हथकरघा का हिस्सा	हथकरघा से विद्युतकरघा तक का अनुपात (वस्त्र के संबंध में)
2010-11	61761	6907	11.18	1:5.5
2011-12	59605	6901	11.57	1:5.42
2012-13	61949	6952	11.22	1:5.47
2013-14	62624	7104	11.34	1:5.18
2014-15	64332	7203	11.19	1:5.24
2015-16	64584	7638	11.82	1:4.82
2016-17	63480	8007	12.61	1:4.45
2017-18 नवम्बर 17 तक)	43520 (अनंतिम)	5134 (अनंतिम)	11.8	1:4.92

**हथकरघा क्षेत्र द्वारा वस्त्र उत्पादन (मिलियन वर्ग मीटर में)

* कुल वस्त्र उत्पादन में हौजरी, खादी, ऊन और रेशमी वस्त्रों को छोड़कर हथकरघा, विद्युतकरघा और मिल क्षेत्र का कुल वस्त्र उत्पादन सम्मिलित है।

10.2.2. हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने और संरक्षण प्रदान करने के लिए विकास आयुक्त हथकरघा का कार्यालय निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है :

क. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम : यह कार्यक्रम हथकरघों के एकीकृत और समावेशी विकास तथा हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए आवश्यकता आधारित संकल्पना का अनुसरण करता है। यह बुनकरों को स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों आदि सहित सहकारिता के दायरे के अन्दर और बाहर दोनों तरह से क्रेडिट, डिजाइन इनपुट, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन सहायता कौशल उन्नयन इत्यादि के लिए सहायता प्रदान करता है।

योजना के मुख्य संघटक इस प्रकार हैं :–

i. रियायती ऋण

ii. ब्लॉक स्तरीय कलस्टर परियोजनाएं

iii. विपणन सहायता

iv. हथकरघा संगणना

v. हथकरघा पार्क

i. हथकरघा क्षेत्र के लिए रियायती ऋणः बुनकर मुद्रा योजनाः–

बुनकर मुद्रा योजना सितम्बर, 2015 में आरंभ की गई थी। योजना के तहत तीन वर्ष की अवधि के लिए 6% की रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जा रहा है। प्रति बुनकर अधिकतम 10,000 रुपए की मार्जिन मनी सहायता और तीन वर्ष की अवधि के लिए ऋण गारंटी भी प्रदान की जा रही है। ब्याज सब्सिडी, क्रेडिट गारंटी और मार्जिन मनी के संबंध में वित्तीय सहायता के दावों को इलैक्ट्रानिक माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से ''हथकरघा बुनकर मुद्रा पोर्टल' भी विकसित किया गया है। मार्जिन मनी बुनकर के ऋण

खाते में सीधे स्थानांतरित की जाती है और ब्याज आर्थिक सहायता तथा ऋण गारंटी शुल्क इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से बैंकों को स्थानांतरित की जाती है। अब तक बुनकर मुद्रा योजना के तहत 52059 बुनकरों को योजना से लाभन्वित किया गया है और 271.62 करोड़ रुपए की स्वीकृति राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

ii. **ब्लॉक स्तरीय कलस्टर परियोजनाएं** : सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी), वस्त्र डिजाइनर एवं विपणन कार्यकारी की तैनाती (सीडीई), सामान्य और व्यक्तिगत वर्कशेड का निर्माण, क्लस्टर विकास कार्यकारी की तैनाती, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल उन्नयन इत्यादि सहित सुविधा केंद्र (सीएफसी) के लिए ब्लॉक में एक कलस्टर 2.00 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इसके अलावा, जिला स्तर पर डाई हाउस की स्थापना के लिए 50.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध है। वर्ष 2017–18 के दौरान (31.12.2017 तक) निम्नलिखित राज्यों के लिए 43 ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं:

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत ब्लॉक क्लस्टरों की संख्या	जारी राशि (लाख रुपए में) 31.12.2017 तक	शामिल लाभार्थियों की संख्या
	एनएचडीपी – ब्लॉक स्तरीय कलस्टर			
1.	आंध्र प्रदेश	3	141.27	665
2.	बिहार	2	100.91	701
3.	छत्तीसगढ़	2	52.40	529
4.	हिमाचल प्रदेश	1	31.20	200
5.	केरल	1	35.20	450
6.	मध्य प्रदेश	1	156.44	9603
7.	जम्मू व कश्मीर	1	39.10	205
8	कर्नाटक	1	28.13	386
9	तमिलनाडु	4	128.86	1473
10	उत्तर प्रदेश	4	133.49	952
	कुल (सामान्य)	**20**	**847.00**	**15164**
	पूर्वोत्तर			
11.	अरुणाचल प्रदेश	2	69.50	1154
12.	असम	21	1370.95	19022
	कुल (पूर्वोत्तर)	**23**	**1440.45**	**20176**
	उप जोड़ (सामान्य+पूर्वोत्तर)	**43**	**2287.45**	**35300**

iii. **विपणन प्रोत्साहन :** हथकरघा उत्पादों के विपणन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए राज्य हथकरघा निगमों, शीर्ष सहकारी सोसाइटियों, प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी सोसाइटियों एवं राष्ट्र स्तरीय हथकरघा संगठनों को विपणन सहायता दी जाती है। सहायता केवल ऐसी एजेंसियों को जारी की जाती है जिन्हें विपणन सहायता की वास्तव में जरुरत हो और जिनका वार्षिक कारोबार 30 लाख रुपए से अधिक न हो। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान 40.96 करोड़ रुपए जारी किए गए।

हथकरघा विपणन सहायता : हथकरघा विपणन सहायता का उद्देश्य बुनकरों एवं हथकरघा संगठनों को अपना उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए विपणन मंच प्रदान करना है। वर्ष 2017–18 के दौरान 31.12.17 तक 126 घरेलू विपणन कार्यक्रम स्वीकृत किए गए हैं।

ई– कामर्स : हथकरघा बुनकरों/कारीगरों को प्रत्यक्ष विपणन मंच प्रदान करने के लिए 21 प्रमुख ई–कामर्स कंपनियों को हथकरघा उत्पादों के ऑनलाइन विपणन के लिए तैनात किया गया है। दिनांक 30.9.2017 तक ई–विपणन के माध्यम से 12.79 करोड़ रुपए की बिक्री की गयी है।

दीनदयाल हस्तकला संकुल (व्यापार केंद्र एवं संग्रहालय), वाराणसीः

1. वर्ष 2014–15 के बजट भाषण में, माननीय वित्त मंत्री ने हथकरघा उत्पादों के विकास और संवर्धन तथा वाराणसी की समृद्ध हथकरघा परंपरा को बढ़ाने के लिए वाराणसी में व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय (टीएफसी एंड सीएम), वाराणसी की स्थापना की घोषणा की। यह 7.93 एकड़ की समीपवर्ती भूमि पर जिसमें 45,450 वर्ग मीटर का निर्माण क्षेत्रफल शामिल है, पर बनाया गया है।
2. व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय, वाराणसी का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 22 सितम्बर, 2017 को किया गया था और इसे दीन दयाल हस्तकला संकुल (व्यापार केंद्र और संग्रहालय), वाराणसी के रूप में लोगों को समर्पित किया गया।
3. संकुल में विभिन्न सुविधाएं जैसे 28 दुकानें, 51 बाजार, फूडकोर्ट, 2 रेस्त्रां, विदेशी मुद्रा विनिमय सेवा और एटीएम सहित बैंक, सरकारी कार्यालयों के लिए जगह, 1200 लोगों की क्षमता वाला कन्वेंशन हॉल, 81 शायिकाओं की कुल क्षमता वाला 15 डॉरमेटरी कमरें, 18 दो बेड वाले अतिथि कमरें, शिल्प संग्रहालय, स्मारिका दुकान, एम्फीथियेटर और 500 से अधिक कारों के लिए पार्किंग की जगह शामिल है। यह संग्रहालय पहले ही जनता के लिए खोल दिया गया है जो रोजाना बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित कर रहा है।

इंडिया हैंडलूम ब्रांड (आईएचबी) का संवर्धन: प्रीमियम हथकरघा उत्पादों के लिए एक विशिष्ट बाजार तैयार करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 7 अगस्त, 2015 को प्रथम हथकरघा दिवस के अवसर पर 'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड (आईएसबी)का शुभारंभ किया गया था। 'इंडिया हैंडलूम ब्रांड' केवल प्रीमियम और प्रामाणिक हथकरघा उत्पादों के लिए प्रदान किया जाता है। दिनांक 30.12.2017 तक 113 उत्पादों के लिए कुल 1007 पंजीकरण जारी किए गए हैं। इसकी शुरुआत से 30.12.2017 तक इंडिया हैंडलूम ब्रांड उत्पादों की बिक्री करीब 296.69 करोड़ रुपए रही। इंडिया हैंडलूम ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

(i) एक व्यापक जागरूकता और ब्रांड निर्माण अभियान

(ii) ई–विपणन के लिए ई–कॉमर्स कंपनियों के लिए एक खुली नीति

(iii) समग्र भारत आधार खुदरा बिक्री केन्द्रों से भागीदारी जिनमें ये केन्द्र अपने स्टोर में इंडिया हैंडलूम ब्रांड वाले उत्पादों के लिए स्थान आरक्षित रखेंगे। 100 खुदरा केन्द्रों के साथ भागीदारी की गई जिनमें 25 स्टोरों में इंडिया हैंडलूम ब्रांड उत्पादों की बिक्री शुरु हो चुकी है।

(iv) आधुनिक खुदरा केन्द्रों के तहत 3 खुदरा केन्द्र पीटर इंग्लैंड, बीबा और ओनाया ने इंडिया हैंडलूम ब्रांड उत्पादों की बिक्री शुरु कर दी है।

हैण्डलूम मार्क : खरीददारों को हाथ से बुने हुए वास्तविक उत्पाद की गारंटी देने के लिए हैण्डलूम मार्क शुरु किया गया था। वस्त्र समिति हैण्डलूम मार्क के संवर्धन के लिए क्रियान्वयन एजेंसी है। सितम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार कुल 9.85 करोड़ (संचयी) हैण्डलूम मार्क लेबल बेचे गए हैं और 19963 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

ख. यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस) : भारत सरकार द्वारा मिल गेट कीमत पर हथकरघा बुनकरों को हर प्रकार का यार्न प्रदान करने के उद्देश्य से देश भर में यार्न आपूर्ति योजना कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना भारत सरकार के एक उपक्रम, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) लखनऊ के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत ढुलाई व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है और डिपो संचालन एजेंसियों को 2% की दर से डिपो संचालन प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जाती है। मालभाडा प्रतिपूर्ति की दर, डिपो संचालन व्यय तथा एनएचडीसी के सेवा प्रभार इस प्रकार है:

क्षेत्र	माल भाड़ा			डिपो	सेवा
	सिल्क/जूट के अलावा	सिल्क यार्न	जूट/जूट मिश्रित यार्न	प्रचालन प्रभार	एनएचडीसी को प्रभार
मैदानी क्षेत्रों में	2.5%	1%	10%	2.0%	2.0%
पहाड़ी/दूरस्थ क्षेत्र	2.5%	1.25%	10%	2.0%	1.5%
पूर्वोत्तर क्षेत्र	5%	1.50%	10%	2.0%	1.25%

(आपूर्त यार्न के मूल्य का %)

इसके अलावा, हैंक यार्न पर 10% कीमत सब्सिडी भी उपलब्ध है जिसके तहत मात्रात्मक सीमा के साथ सूती, घरेलू रेशमी और ऊनी यार्न पर 10% सब्सिडी लागू है। 10% सब्सिडी घटक के तहत विभिन्न प्रकार के यार्न के लिए पात्रता इस प्रकार है :–

कॉटन और घरेलू रेशमी यार्न के लिए

1. 40 संख्यांक तक 40 संख्यांक सहित) – 30 किलोग्राम/करघा/ माह
2. 40 संख्यांक से अधिक – 10 किलोग्राम/करघा/माह
3. घरेलू सिल्क के लिए – 4 किलोग्राम/करघा/माह

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने एक नए प्रयास के रुप में 10 नए डिपो एवं वेयरहाउस खोले हैं ताकि ऐसे व्यक्तिगत बुनकरों को ध्यान में रखते हुए जिन्हें कम मात्रा में यार्न की जरुरत पड़ती है, उन्हें नकद आधार पर समय पर आपूर्ति मिल सके। ये वेयरहाउस सीतापुर व मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश), गुवाहाटी (असम), समुद्रगढ़ (पश्चिम बंगाल), कन्नूर (केरल), चिराला व करीमनगर (आंध्र प्रदेश), अगरतला (त्रिपुरा), भुवनेश्वर (उड़ीसा) तथा रांची/ गोंडा (झारखंड) में हैं।

वर्ष 2014–15 से यार्न आपूर्ति योजना के तहत की गई यार्न आपूर्ति इस प्रकार है :–

वर्ष	मात्रा (लाख किलो ग्राम में)	कीमत (करोड़ रुपये में)
2014-15	1484.300	216077.51
2015-16	1725.00	235686.00
2016-17	1791.20	292621.54
2017-18 (दिसम्बर, 2017 तक)	931.471	151425.67

वर्ष 2014–15 से यार्न आपूर्ति योजना के 10% कीमत सब्सिडी घटक के तहत की गई यार्न आपूर्ति इस प्रकार है :–

वर्ष	मात्रा (लाख किलो ग्राम में)	कीमत (लाख रुपये में
2014-15	286.34	102683.50
2015-16	257.077	92777.460
2016-17	306.30	134601.15
2017-18 (दिसम्बर, 2017 तक)	159.49	63235.89

वर्ष 2014–15 के बाद से यार्न आपूर्ति योजना के तहत जारी की गई धनराशि इस प्रकार है :–

वर्ष	जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपए में)
2014-15	127.81
2015-16	321.96
2016-17	261.35
2017-18(दिसम्बर, 2017 तक)	162.07

ईआरपी और ई–धागा ऐप: एनएचडीसी ने यार्न आपूर्ति में सेवा प्रदान करने में दक्षता लाने के लिए दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 को उद्यम संसाधन नियोजन प्रणाली (ईआरपी) और ई–धागा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। अब बुनकर इस ऐप के माध्यम से किसी भी समय, कहीं भी कारोबार कर सकते हैं और अपने इंडेंट और भुगतान ऑनलाइन भेज सकते हैं । बुनकर भेजी गई सामग्री के शिपमेंट की स्थिति भी प्राप्त कर सकते हैं जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। यह ऐप 10 भाषाओं– हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, उड़िया, कन्नड़, तमिल, तेलगु और मलयालम, उर्दू एवं बंगला में उपलब्ध है।

ग. कल्याणकारी उपाय

I. हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना

- **महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई)**

महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई) का उद्देश्य मौजूदा हथकरघा बुनकरों को दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाने और पूर्णतया व आंशिक रुप से दिव्यांग हो जाने पर भी बीमा कवर प्रदान करना है। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के तहत लाभों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

क्र. सं.	विवरण	लाभ
(i)	प्राकृतिक मृत्यु	60,000 रुपये
(ii)	दुर्घटना से मृत्यु	1,50,000 रुपये
(iii)	पूर्ण दिव्यांगता	1,50,000 रुपये
(iv)	आंशिक दिव्यांगता	75,000 रुपये

प्रति बुनकर 470/– प्रति वर्ष प्रीमियम की हिस्सेदारी निम्नानुसार है:–

प्रीमियम :

क्र. सं.	हिस्सेदारी	राशि
(i)	भारत सरकार का अंशदान	290/– रुपये
(ii)	बुनकर का अंशदान	80/– रुपये
(iii)	एलआईसी का अंशदान	100 रुपये
	कुल प्रीमियम	**470/– रुपये**

उपरोक्त के अलावा, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए चार वर्षों के लिए अथवा 12वीं कक्षा पास करने तक, जो भी पहले हो, 300/– रुपये प्रति तिमाही प्रति विद्यार्थी की छात्रवृत्ति भी उपलब्ध है। यह लाभ शामिल किए गए सदस्य के दो बच्चों तक सीमित है।

31 मार्च, 2017 तक महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के तहत हथकरघा बुनकरों को जीवन एवं दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया गया था। वित्तीय सेवाएं, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में 18 से 50 वर्ष तक की आयु वाले हथकरघा बुनकरों को दिनांक 1 जून, 2017 से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) में कवर किया गया है। तथापि, 51 से 59 वर्ष तक की आयु वाले मौजूदा बुनकर (एमजीजीबीवाई योजना के तहत लाभ प्राप्त करते रहेंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत लाभ इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	विवरण	लाभ
(i)	प्राकृतिक मृत्यु	2,00,000 रुपये
(ii)	दुर्घटना से मृत्यु	4,00,000 रुपये
(iii)	पूर्ण दिव्यांगता	2,00,000 रुपये
(iv)	आंशिक दिव्यांगता	1,00,000 रुपये

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत प्रति बुनकर 342/– रुपए के वार्षिक प्रीमियम में हिस्सेदारी इस प्रकार है :

प्रीमियम :

क्र. सं.	हिस्सेदारी	राशि
(i)	भारत सरकार का अंशदान	162/– रुपये
(ii)	बुनकर का अंशदान	80/– रुपये
(iii)	एलआईसी का अंशदान	100/– रुपये
	कुल प्रीमियम	**342/– रुपये**

वर्ष 2014–15 के दौरान एमजीबीबीवाई के तहत 5.75 लाख बुनकरों का पंजीयन वर्ष 2015–16 के दौरान 5.84 लाख और 2016–17 के दौरान 5. 32 लाख किया गया था।

वर्ष 2014–15 के दौरान छात्रवृति के रुप में 9.26 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया जिसमें 1.37 लाख लाभार्थियों को शामिल किया गया था। 2015–16 के दौरान 8.80 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया जिसमें 1.39 लाख लाभार्थियों को शामिल किया गया था और 2016–17 के दौरान 10.99 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया जिसमें 1.66 लाख लाभार्थियों को शामिल किया गया था।

- **स्वास्थ्य बीमा योजना (एचआईएस):** योजना को वर्ष 2016–17 से आरएसबीवाई के अंतर्गत मिला दिया गया है। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार एचआईएस को तमिलनाडु राज्य में (जो कि आरएसबीवाई का गैर प्रतिभागी राज्य है) आरएसबीवाई के पैटर्न पर भारत सरकार की सहायता से 37,500 रुपये (आई पी और ओपी उपचार के लिए क्रमशः 30,000 रुपये और 7,500 रुपये) के कुल लाभ के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। दिनांक 1.10.2014 से 30.9.2015 तक की अवधि के दौरान 1,44,294 बुनकरों के पंजीयन के लिए 1.94 करोड़ रुपए और दिनांक 1.10.2015 से 30.9.2016 तक की अवधि के दौरान 1.94 करोड़ रुपए और दिनांक 1.12.2016 से 31.3.2017 तक की अवधि के दौरान 1,44,294 बुनकरों के पंजीयन के लिए 0.52 करोड़ रुपए की राशि तमिलनाडु राज्य के लिए जारी की गई थी।

II. **हथकरघा बुनकरों के बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं:** बुनकरों को अनुकूल शिक्षा सेवा प्रदान करने के लिए इग्नू और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था जिसके लिए मंत्रालय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, बीपीएल और महिला बुनकर परिवारों के लिए 75% शुल्क प्रदान करता है।

III. बुनकरों के लिए आउटरीच कार्यक्रमः

मैसर्स सीएससी ई–गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन : वस्त्र मंत्रालय ने बुनकरों के लिए आवश्यक जनोपयोगी सेवाएं, सामाजिक कल्याण योजनाएं, स्वास्थ्य देख–रेख, वित्तीय, शैक्षणिक सेवाएं, प्रदर्शनी और विपणन सहायता प्रदान करने के लिए बुनकर सेवा केन्द्रों और हथकरघा क्लस्टरों में सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) स्थापित करने के लिए दिनांक 7 अगस्त, 2017 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

हस्तकला सहयोग शिविरः पहली बार बुनकरों और कारीगरों के लिए हस्तकला सहयोग शिविरों के माध्यम से बड़े पैमाने पर एक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया था। देश भर में 247 जिलों में दिनांक 7–17 अक्तूबर, 2017 तक ऐसे 394 शिविर आयोजित किए गए थे। इन शिविरों में लगभग 94000 बुनकरों और कारीगरों ने भाग लिया। कई केन्द्रीय मंत्रियों राज्य मंत्रियों सांसदो और विधायकों ने भी इन शिविरों में भाग लिया। शिविरों में बुनकरों और कारीगरों को मुद्रा ऋण, करघों, सहायक पुर्जों और टूल किट की आपूर्ति, पहचान पत्र (आई कार्ड), यार्न पास बुक, एनआईओएस और इग्नू के माध्यम से औपचारिक शिक्षा के लिए उनके बच्चों के पंजीयन के लिए सहायता प्रदान की गई।

बुनकर मित्र हैल्पलाइन : हथकरघा बुनकरों को उनकी व्यावसायिक पूछताछ के लिए सम्पर्क करने के लिए एक सिंगल प्वाइंट प्रदान करने के लिए दिनांक 4.1.2017 को ''बुनकर मित्र'' हैल्पलाइन 18002089988 शुरु की गई थी। यह सेवा सप्ताह के सभी सातों दिन प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक 7 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलगु, बंगाली, कन्नड और असमिया में उपलब्ध है।

IV. व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना

व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना को मेगा हथकरघा कलस्टरों (न्यूनतम 15000 हथकरघो) के विकास के लिए 40.00 करोड़ रुपए की भारत सरकार की सहायता के साथ वर्ष 2019–20 तक कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदित किया गया है। वर्ष 2017–18 के दौरान (दिनांक 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार) विभिन्न हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के लिए मेगा हथकरघा क्लस्टरों के लिए 28.45 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

10.2.3.हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन

हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का उद्देश्य हथकरघा बुनकरों की आजीविका तथा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर विद्युतकरघा तथा मिल क्षेत्र द्वारा अतिक्रमण से उन्हें संरक्षण प्रदान करना है। इस समय दिनांक 3.9.2008 के सा.आ.सं. 2160 के तहत इस अधिनियम के अंतर्गत केवल हथकरघों पर उत्पादन के लिए तकरनीकी विनिर्देशों के साथ 11 प्रकार की वस्त्र मदें आरक्षित हैं। विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा (दिसम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार) किए गए विद्युत करघा निरीक्षणों की वास्तविक प्रगति का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:–

क्र. सं.	वास्तविक प्रगति	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (दिसंबर, 2017 तक)
1.	विद्युतकरघा निरीक्षणों का लक्ष्य	2,72,013	2,90,420	3,08,888	3,21,452	3,34,468	3,51,572
2.	निरीक्षित विद्युतकरघों की संख्या	2,76,011	2,90,773	3,09,817	3,32,327	3,47,468	2,17,450
3.	दर्ज एफआईआर की संख्या	97	113	88	140	64	65
4.	दोषसिद्धि	39	37	66	120	25	58

दिल्ली, चेन्नै और अहमदाबाद स्थित तीन प्रवर्तन कार्यालय हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का पालन सुनिश्चित करते हैं। आशा है कि प्रवर्तन तंत्र द्वारा मार्च, 2018 तक 3,51,572 विद्युतकरघों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। भारत सरकार, ''हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन'' योजना के तहत प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने हेतु राज्यों को केन्द्रीय सहायता देती है। विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को जारी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा अग्रपृष्ठ की तालिका में दिया गया है:–

क्र. सं.	राज्य का नाम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 दिसम्बर, 2017 तक
1.	आन्ध्र प्रदेश	63.08	69.61	-	-	41.22	-
2.	पश्चिम बंगाल	19.78	15.57	14.83	3.79	14.67	-
3.	गुजरात	27.99	30.92	38.42	10.12	11.37	15.73
4.	राजस्थान	13.03	-	-	-	-	30.80
5.	मध्य प्रदेश	16.15	-	21.17	-	28.86	4.41
6.	हरियाणा	-	16.89	-	-	-	-
7.	तमिलनाडु	116.20	93.80	63.28	108.95	72.44	93.08
8.	उत्तर प्रदेश	-	87.23	41.06	8.24	12.71	83.45
9.	केरल	14.29	14.06	14.38	7.78	5.63	10.88
10	तेलंगाना	-	-	-	11.36	47.40	-
	कुल	**270.52**	**328.08**	**193.14**	**150.24**	**234.30**	**238.35**

10.2.4.पुरस्कार और सम्मान:

- **संत कबीर पुरस्कार (एसकेए):** संत कबीर पुरस्कार ऐसे उत्कृष्ट हथकरघा बुनकरों को प्रदान किया जाता है जो इस परम्परा को आगे बढ़ा रहे हैं और जिन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोई भी हथकरघा बुनकर जिसे राष्ट्रीय या राज्य पुरस्कार,राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र मिला है अथवा असाधारण कौशल वाला कोई हथकरघा बुनकर जिसने बुनाई परम्परा के संवर्धन, विकास और संरक्षण तथा बुनकर समुदाय के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है और पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। इस पुरस्कार में 3 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, स्वर्ण से मढ़ा हुआ एक सिक्का, एक ताम्रपत्र, एक शॉल, एक स्मार्ट फोन और प्रमाण पत्र शामिल होगा।
- **राष्ट्रीय पुरस्कार (एनए):** राष्ट्रीय पुरस्कार हथकरघा बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट कारीगरी में योगदान और हथकरघा बुनाई के विकास में पहचान के लिए प्रदान किया जाता है। यह पहचान उन्हें और अधिक उत्साहवर्धक और उत्पादनकारी तरीके से काम करना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी और अन्य को भी उनका अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस पुरस्कार में 1.50 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, एक ताम्रपत्र, एक शॉल, एक स्मार्ट फोन तथा एक प्रमाण पत्र शामिल होगा।
- **राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र (एनएमसी):** राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र (एनएमसी) ऐसे उत्कृष्ट एवं हुनरमंद हथकरघा बुनकरों को प्रदान किया जाता है जिसने हथकरघा उत्पाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र में 0.75 लाख रुपये का एक नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र

शामिल होगा ।

वर्ष 2015 से निम्नलिखित क्षेत्रों में दो नए पुरस्कारों की भी शुरुआत की गई है :

- हथकरघा उत्पादों के संवर्धन के लिए डिजाइन विकास
- हथकरघा उत्पादों का विपणन

इसके अलावा वर्ष 2016 से विशेष रुप से महिला हथकरघा बुनकरों के लिए दो संत कबीर पुरस्कार, चार राष्ट्रीय पुरस्कार और चार राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाणपत्र भी शुरु किए गए हैं। महिला हथकरघा बुनकरों को यह विशेष पुरस्कार ''कमलादेवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार'' है।

क्र. सं.	पुरस्कार का नाम	श्रेणी	पुरस्कारों की कुल संख्या			सकल योग
			सामान्य	विशेष रुप से महिलाओं के लिए	कुल	
01	संत कबीर पुरस्कार (एसकेए)	बुनाई	10	02	12	12
02	राष्ट्रीय पुरस्कार (एनए)	बुनाई	20	04	24	32
		हथकरघा उत्पादों के संवर्धन के लिए डिजाइन विकास	03	-	03	
		हथकरघा उत्पादों का विपणन	05	-	05	
03	राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार (एनएमसी)	बुनाई	20	04	24	40
		हथकरघा उत्पादों के संवर्धन के लिए डिजाइन विकास	06	-	06	
		हथकरघा उत्पादों का विपणन	10	-	10	
	कुल		**74**	**10**	**84**	**84**

10.2.5. निर्यात संवर्धनः हथकरघा निर्यात संवर्धन का उद्देश्य हथकरघा सहकारी सोसाइटियों, निगमों/शीर्ष और हथकरघा निर्यातकों की सहायता करना है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों, क्रेता–विक्रेता बैठकों आदि में भाग ले सकें और उन्हें अद्यतन डिजाइन, ट्रेंड, रंगों का पूर्वानुमान आदि उपलब्ध कराना है। इस घटक के तहत (i) निर्यात परियोजनाओं (ii) अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने और (iii) डिजाइन स्टुडियो स्थापित करने के लिए सहायता दी जाती है।

वर्ष 2016–17 के दौरान विभिन्न

हथकरघा एजेंसियों ने एनएचडीपी के तहत सहायता से 18 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया। वर्ष 2016–17 के दौरान हथकरघा वस्तुओं का निर्यात 2392.21 करोड़ रुपये और वर्ष 2017–18 के दौरान सितम्बर, 2017 तक 1242.51 करोड़ रुपए था।

10.2.6. वस्तुओं का भौगोलिक संकेतन : वस्तुओं का भौगोलिक संकेतन (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 में वस्तुओं के भौगोलिक संकेतन आदि को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाता है और दूसरों द्वारा इनका अनधिकृत प्रयोग किए जाने से रोका जाता है। जीआई अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए विभिन्न राज्यों/एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। अब तक जीआई अधिनियम के तहत 57 हथकरघा उत्पादों को पंजीकृत किया गया है।

10.2.7. हथकरघा संगठन/संस्थान

क. बुनकर सेवा केन्द्र (डब्ल्यू एस सी) इस समय देश के विभिन्न भागों में 28 बुनकर सेवा केन्द्र (डब्ल्यू एस सी) कार्य कर रहे हैं। ये बुनकर सेवा केन्द्र, बुनकरों की उत्पादकता और आय में सुधार करने के लिए बुनकरों का कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे ऐसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं जिसमें डिजाइन का अंतरण, कौशल और प्रौद्योगिकी बुनकरों को अंतरित करना शामिल है, विभिन्न मेलों, प्रदर्शनियों आदि में बुनकरों को प्रायोजित कर प्रत्यक्ष विपणन संपर्क प्रदान करना है। वर्ष 2017–18 के दौरान दिसं, 2017 तक 35.00 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान की तुलना में 45.00 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।

ख. भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएचटी): भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएचटी), हथकरघा क्षेत्र को व्यावसायिक दृष्टि से अर्हताप्राप्त और प्रशिक्षित श्रमशक्ति प्रदान करता है और हथकरघा उद्योग के सभी पहलुओं पर प्रायोगिक और अनुसंधान कार्यक्रम चलाते हैं । इस समय केन्द्रीय क्षेत्र में 6 आईआईएचटी, वाराणसी (उत्तर प्रदेश), सेलम (तमिलनाडु), जोधपुर (राजस्थान), गुवाहाटी (असम) , बारगढ़ (ओडिशा) और फुलिया–शांतिपुर (पश्चिमी बंगाल) में काम कर रहे हैं। हर वर्ष इन सभी 6 आईआईएचटी में हथकरघा और वस्त्र प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रत्येक वर्ष 315 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। आईआईएचटी, सेलम और आईआईएचटी, वाराणसी भी वस्त्र प्रसंस्करण में डेढ़ वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाता है।

शैक्षिक वर्ष 2015–16 से आईआईएचटी, सेलम में हथकरघा एवं वस्त्र प्रौद्योगिकी में बी.टेक (डिग्री पाठ्यक्रम) शुरू किया गया है।

केन्द्रीय क्षेत्र के उक्त आईआईएचटी के अलावा राज्य क्षेत्र में वेंकटगिरि (आंध्र

प्रदेश), गड़ग (कर्नाटक), चंपा (छत्तीसगढ़) और कन्नूर (केरल) में भी आईआईएचटी संचालित किए जा रहे हैं।

ग. राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र (एनसीटीडी)

परम्परागत और समसामयिक डिजाइनों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2001 में राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र (एनसीटीडी) की स्थापना की गई है ताकि तेजी से बदलती बाजार की मांग के अनुरुप हथकरघा क्षेत्र को बनाया जा सके। इस समय राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र (एनसीटीडी) दिल्ली स्थित बुनकर सेवा केन्द्र के परिसर से कार्य कर रहा है। एनसीटीडी का मुख्य उद्देश्य बुनकरों, कामगारों और डिजाइनरों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रचार–प्रसार करना और यहां तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र अपनी वेबसाइट www.designdiary.nic.inके माध्यम से बुनकरों, डिजाइनरों, निर्यातकों इत्यादि को अपनी सेवाएं प्रदान करता है।

घ. हथकरघा निगमों तथा शीर्षस्थ समितियों का संघ (आकाश)

हथकरघा निगमों तथा शीर्षस्थ समितियों का संघ (आकाश), राष्ट्र स्तरीय, राज्य स्तरीय और अंतर–राज्य स्तरीय हथकरघा विकास निगमों और शीर्ष हथकरघा सहकारी समितियों का राष्ट्र–स्तरीय शीर्ष संगठन है। हथकरघा क्षेत्र में विपणन का समन्वय और संवर्धन करने के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत आकाश का पंजीकरण जून, 1984 में किया था। एकल निविदा प्रणाली के अंतर्गत केन्द्र सरकार के विभागों/अभिकरणों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा खरीदे जाने वाले हथकरघा सामानों की आपूर्ति के लिए भारत सरकार ने आकाश की तैनाती नोडल अभिकरण के रुप में की है। हथकरघा वस्तुओं के संवर्धन और विपणन में भी आकाश सहायता करता है।

एकल निविदा–प्रणाली के अंतर्गत आकाश ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान 107.18 करोड़ रुपए मूल्य के आदेश निष्पादित किए। वर्ष 2017–18 के दौरान (दिसंबर, 2017 तक) आकाश ने 68.80 करोड़ रुपए मूल्य के आदेश निष्पादित किए। आकाश का यह कार्य भी है कि वह देश के विभिन्न भागों में हथकरघा प्रदर्शनियां आयोजित कर हथकरघा उत्पादों के प्रत्यक्ष विपणन को सुकर बनाए। वित्तीय वर्ष 2017–18 दिस., 2017 तक के दौरान आकाश ने 23 प्रदर्शनियां आयोजित की हैं।

ङ. हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी)

फैब्रिक्स, होम फार्निशिंग, कारपेट और फ्लोर कवरिंग आदि जैसे सभी हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी) की स्थापना एक नोडल एजेंसी के रुप में की गई है।

हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद

(एचईपीसी) के क्रियाकलाप

1. सदस्य निर्यातकों को व्यापारिक सूचना तथा आसूचना का प्रचार–प्रसार,
2. भारतीय हथकरघा उत्पादों का विदेशों में प्रचार,
3. उत्पाद विविधीकरण एवं आधुनिक विपणन जरूरतों की पूर्ति को सुगम बनाना,
4. निर्यात–बाजार हेतु हथकरघों के आधुनिकीकरण की गति को तेज करना,
5. हथकरघा उत्पादों के निर्यात संवर्धन हेतु डिजाइन संबंधी निविष्टियां प्रदान करना,
6. व्यापार मिशनों / क्रेता–विक्रेता बैठकों का आयोजन एवं विदेशों के व्यापार मेलों में भागीदारी,
7. हथकरघा निर्यातकों हेतु परामर्शी एवं मार्गदर्शी सेवाएं,
8. हथकरघा निर्यात व्यापार से संबंधित सभी प्रकार के प्रक्रियात्मक एवं नीतिगत मामलों में भारत सरकार के साथ सम्पर्क करना,
9. हथकरघा निर्यातकों से संबंधित व्यापारिक शिकायतों का निपटान,
10. हथकरघा निर्यातकों के लाभ के लिए विदेश स्थित वाणिज्यिक एजेंसियों और आयात संवर्धन हेतु संपर्क करना।

निर्यात लक्ष्य और उपलब्धियां

वर्ष	लक्ष्य (यूएस डॉलर में)	उपलब्धि	
		करोड़ रुपये में	यूएस डॉलर में
2013-14	602 मिलियन	2233.11	369.11
2014-15	460 मिलियन	2246.48	367.41
2015-16	421 मिलियन	2353.33	360.02
2016-17	450 मिलियन	2392.21	357.53
2017-18 (अक्तूबर, 2017 तक)	-	1378.14	213.86

10.3 हस्तशिल्प

प्रस्तावना

हस्तशिल्प क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में एक सार्थक एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में शिल्पियों के बहुत बड़े समूह को रोज़गार प्रदान करता है तथा सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखते हुए देश के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करने में अपना विशेष महत्व रखता है। हस्तशिल्प में विशाल सम्भावनाएं हैं, चूंकि इसमें न केवल देश के सभी भागों में फैले हुए मौजूदा लाखों कारीगरों को, बल्कि शिल्प कार्यकलापों में बड़ी संख्या में जुड़ने वाले नए कारीगरों को बनाए रखने की भी क्षमता है। हस्तशिल्प क्षेत्र का रोजगार उत्पादन तथा निर्यात में विशेष योगदान जारी है।

हस्तशिल्प क्षेत्र में कम पूंजी, नई प्रौद्योगिकियों जानकारी का अभाव, विपणन आसूचना की कमी तथा अपर्याप्त संस्थागत फ्रेमवर्क जैसी रुकावटों को लेकर समस्याएँ रही हैं। इन समस्याओं का निवारण करने के लिए सरकार द्वारा बहुत से

प्रयास किए गए हैं और चालू वर्ष के दौरान उत्पाद विकास, घरेलू बिक्री और निर्यात के मामले में अब क्षेत्र में अच्छी वृद्धि देखी जा रही है।

नई दिल्ली में अपने मुख्यालय कार्यालय के साथ विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय की समग्र भारत में विद्यमानता है जिसके तहत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और गुवाहाटी में स्थित 6 क्षेत्रीय कार्यालय जो हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्रों, दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी और भोपाल सहित 06 क्षेत्रीय डिज़ाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्रों (आरडीएंडटीडीसी) और 52 हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्रों (एम एंड एसईसी) के बीच विभिन्न कार्यों को समन्वित करता है।

कारीगरः अनुमानित हस्तशिल्प कारीगरों की कुल संख्या 68.86 लाख है, इनमें से 30.25 लाख पुरुष हैं और 38.61 लाख महिला कारीगर हैं।

कारीगरों की जनसांख्यिकीय रुपरेखाः

महिला	56.13 %
पुरुष	43.87 %
अनुसूचित जाति	20.8%
अनुसूचित जनजाति	7.5%
अन्य पिछडा वर्ग	52.4%
सामान्य	19.2%

10.3.1 विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन सहित विभिन्न मेलों के अतिरिक्त देश भर में 9 मेगा कलस्टरों और 10 हस्तशिल्प परियोजनाओं के एकीकृत विकास और संवर्धन के माध्यम से कारीगरों को मिल रही घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय पहुंच (एक्स्पोज़र) के कारण हस्तशिल्प क्षेत्र निर्यात के मामले में तेजी से बढ़ रहा है।

नवंबर 2017 तक हस्तनिर्मित कालीनों सहित हस्तशिल्प का निर्यात 21201 करोड़ रुपये रहा। वर्ष 2016–17 के दौरान निर्यात 34394.30 करोड़ रुपए था और वर्ष 2015–16 में निर्यात 3,1038.52 करोड़ रुपए था और क्षेत्र में 10.8% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई।

2012–13 से 2016–17 के दौरान हस्तशिल्प का निर्यात
पिछले पाँच वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान उत्पादन और निर्यात

वर्ष	उत्पादन (करोड़ रुपये मे) *	रत्नों एवं आभूषणों को छोड़कर हस्तशिल्प का निर्यात (करोड़ रुपये में)
2012-13	25691	19190.17
2013-14	35275	26212.29
2014-15	38249	28524.49
2015-16	41418	31038.52
2016-17	46930	34394.30
2017-18	-	21201.00 (नवंबर, 2017 तक)

10.3.2 विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय हस्तशिल्प के संवर्धन एवं विकास के लिए निम्न दो स्कीमें क्रियान्वित कर रहा है–

क. ''राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम'' (एनएचडीपी)

ख. व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास स्कीम (मेगा कलस्टर स्कीम)

वर्ष 2017–18 के दौरान सभी हस्तशिल्प कलस्टरों के समग्र रूप से विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण पर बल देने हेतु ''राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम'' (एनएचडीपी) नामक योजना के एक छत्र के तहत हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास एवं संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के तहत एनएचडीपी के निम्न संघटक हैं–

1. बेस लाइन सर्वेक्षण एवं कारीगरों का संघटन (एएचवीवाई)
2. डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन
3. मानव संसाधन विकास
4. कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ
5. इंफ्रास्ट्रक्चर एवं प्रौद्योगिकी सहायता
6. अनुसंधान एवं विकास योजना
7. विपणन सहायता एवं सेवाएं

10.3.2(i)बेस लाइन सर्वेक्षण एवं कारीगरों का संघटन (एएचवीवाई)

इस योजना का उद्देश्य प्रभावी सदस्य भागीदारी एवं परस्पर सहयोग के सिद्धान्त के आधार पर कारीगरों के समूहों को व्यावसायिक रुप से व्यवस्थित और आत्मनिर्भर समुदाय उद्यमियों के रुप में विकसित करते हुए भारतीय हस्तशिल्पों का संवर्धन करना है। इस योजना में हस्तशिल्प के सतत विकास हेतु शिल्पियों की सहभागिता द्वारा परियोजना आधारित, आवश्यकता आधारित एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया है जिससे उन्हें सशक्त बनाया जा सके। स्कीम के संघटक निम्न प्रकार से हैं–

- कारीगरों को स्वावलंबन समूहों (एसएचजी)/समितियों में संघटित करने हेतु सामुदायिक सशक्तिकरण।
- डीपीआर/डीएसआर को तैयार करना।
- कलस्टर प्रबंधक को वेतन क्षतिपूर्ति सहित परियोजना प्रबंधन लागत।
- व्यापक विकास सहायता।
- कारीगरों की उत्पादक कंपनी का गठन।

31.12.2017 तक 62 कलस्टरों और 247 विभिन्न पहलों (इंटरवेंशनों) को 12.79 करोड़ रुपये की सीमा तक मंजूरी दे दी गई है और 7.29 करोड़ रूपये निर्मुक्त कर दिये गए हैं जिससे 31,330 कारीगरों को लाभ पहुंचा है। 31.12.2017 तक निम्न राज्यों को ब्लॉक स्तरीय कलस्टर स्वीकृत किए जा चुके हैं–

राज्य	एएचवीवाई के तहत स्वीकृत कार्यक्रम की संख्या		निर्मुक्त निधि	शामिल लाभ भोगियों की संख्या
	बीएलएसएम के तहत स्वीकृत	स्वीकृत इंटरवेंशन		
त्रिपुरा		1	800000	500
असम	1	65	14707150	4965
अरुणाचल प्रदेश		1	800000	500
मणिपुर	6	14	3949520	3400
नागालैंड		1	240000	30
नई दिल्ली		3	2762500	705
गुजरात	6	81	24122535	5500
मध्य प्रदेश	6	16	4316790	2970
पंजाब		5	1718580	130
बिहार		11	2029770	300
ओडिशा	0	9	2432400	780
जम्मू एवं कश्मीर	5	24	5546000	2800
राजस्थान	0	3	1590000	1030
उत्तर प्रदेश	13	6	2155500	6720
पश्चिम बंगाल		1	675000	500
महाराष्ट्र		2	175000	70
उत्तराखंड	2	8	1775000	2710
तमिलनाडू		6	1200000	600
कर्नाटक		12	2400000	1200
आंध्र प्रदेश		8	1600000	800
केरल		4	800000	400
कुल	**39**	**281**	**75795745**	**36610**

10.3.2 (ii) डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन

इस स्कीम का लक्ष्य विदेशी बाजारों के लिए अभिनव डिजाइनों और प्रोटोटाइप उत्पादों के विकास, लुप्तप्राय शिल्पों के पुनरुत्थान और विरासत के परिरक्षण आदि के माध्यम से कारीगरों के कौशल को उन्नत करना है।

इस स्कीम के निम्न संघटक हैं–

- डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यशाला।
- एकीकृत डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास परियोजना।
- डिजाइन प्रोटोटाइप के लिए निर्यातक एवं

उद्यमी को सहायता।

- डिज़ाइन, ट्रेंड और टेक्निकल कलर फॉरकास्ट के माध्यम से वाणिज्यिक विपणन आसूचना।
- हस्तशिल्प क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण पत्र।
- औजारों, सुरक्षा उपस्करों, लूमों, भट्टियों आदि की आपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता।

आज की आवश्यकताओं के अनुरूप इस योजना में वेतन क्षतिपूर्ति, कारीगरों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते, कार्यक्रम की अवधि आदि जैसे कुछ बदलाव किए गए हैं।

➢ **पुरस्कार :** शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण पत्र नामक हस्तशिल्प पुरस्कार, देश भर के हस्तशिल्प कारीगरों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिये जाने वाले देश के सर्वोच्च हस्तशिल्प पुरस्कारों में शामिल किए जाते हैं।

क) **शिल्प गुरुः** शिल्प गुरु पुरस्कार प्रति वर्ष ऐसे 10 सिद्धहस्त शिल्पियों को प्रदान किये जाते हैं जो हस्तशिल्प की परंपरा को आगे बढ़ाये जा रहे हों और जिन्होंने हस्तशिल्प क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया हो। कोई भी हस्तशिल्प कारीगर जो राष्ट्रीय पुरस्कृत या राज्य पुरस्कृत हो अथवा राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण पत्र विजेता हो अथवा जो हस्तशिल्प में असाधारण स्तर या विशिष्ट कौशल युक्त हस्तशिल्प कारीगर हो जिसने हस्तशिल्प परंपरा के संवर्धन, विकास और परिरक्षण, शिल्प एवं शिल्प समुदाय के कल्याण एवं विकास में असाधारण योगदान देने और अन्य पात्र मापदंडों को पूरा किया हो शिल्प एवं शिल्प समुदाय के कल्याण एवं विकास में असाधारण योगदान दिया हो। प्रत्येक पुरस्कार में 2,00,000/—रुपए नकद, एक स्वर्ण जड़ित सिक्का, एक शाल, एक प्रमाण पत्र और एक ताम्र पत्र शामिल होते हैं।

ख) **राष्ट्रीय पुरस्कारः** सिद्धहस्तशिल्पी को शिल्प कौशल में उत्कृष्टता बनाए रखने और हमारी पुरानी परंपरा को जीवित रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शिल्प के उत्कृष्ट योगदान और विकास के लिये प्रतिवर्ष 20 शिल्पकारों को सम्मानित किया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में 1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, एक शाल, एक प्रमाण पत्र और एक ताम्र पत्र शामिल होते हैं।

ग) **राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण पत्र :** राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार प्रति वर्ष 20 उत्कृष्ट हस्तशिल्पियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने हस्तशिल्प उत्पाद के विकास में काफी योगदान दिया हो और पात्रता मानदंडों को पूरा किया हो। प्रत्येक पुरस्कार में 75,000/— रूपए का नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र शामिल है।

घ) 1965 से 2015 तक देशभर के उत्कृष्ट हस्तशिल्प कारीगरों को हस्तशिल्प क्षेत्र में उनकी उत्कृष्टता के लिए दिये गए पुरस्कारों का सारांश।

वर्ष 2017—18 के लिए विकासात्मक गतिविधियों हेतु डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम के तहत निर्मुक्त निधि 31.12.2017 तक 8.56 करोड़ रुपए है।

क्र. स.	राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र	शिल्प गुरु पुरस्कार विजेता	राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता	राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण पत्र विजेता
1.	आंध्र प्रदेश	07	49	59
2.	अरुणाचल प्रदेश	.	02	04
3.	असम	02	12	17
4.	बिहार	03	21	24
5.	छतीसगढ़	03	07	08
6.	दिल्ली	08	60	47
7.	गोवा	.	01	05
8.	गुजरात	08	59	49
9.	हरियाणा	02	05	10
10.	हिमाचल प्रदेश	02	07	07
11.	जम्मू एवं कश्मीर	08	37	51
12.	झारखंड	.	02	03
13.	कर्नाटक	09	37	26
14.	केरल	.	20	27
15.	मध्य प्रदेश	02	25	29
16.	महाराष्ट्र	03	23	27
17.	मणिपुर	02	19	23
18.	मेघालय	.	01	03
19.	मिजोरम	.	02	04
20.	नागालैंड	.	09	09
21.	ओडिशा	14	70	74
22.	पंजाब	.	04	24
23.	राजस्थान	20	103	87
24.	सिक्किम	.	04	10
25.	तमिलनाडु	05	63	42
26.	तेलंगाना	01	02	.
27.	त्रिपुरा	03	22	17
28.	उत्तर प्रदेश	20	90	69
29.	उत्तराखंड	.	02	01
30.	पश्चिम बंगाल	05	72	63
	कुल	**127**	**830**	**819**

वर्ष 2017–18 के लिए विकासात्मक गतिविधियों हेतु डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम के तहत निर्मुक्त निधि 31.12.2017 तक 8.56 करोड़ रुपए है।

10.3.2 (iii) मानव संसाधन विकास

हस्तशिल्प क्षेत्र को अर्हता प्राप्त एवं प्रशिक्षित कार्यबल प्रदान करने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास योजना (एचआरडी) को तैयार किया गया है। यह कार्यबल वर्तमान बाजार की जरुरतों को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन में मजबूत उत्पादन आधार तैयार करने में योगदान देगा। यह योजना अपने संघटकों के माध्यम से अपेक्षित इनपुट प्रदान करके हस्तशिल्प हेतु डिजाइनरों के प्रशिक्षित काडर के रूप में हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए मानव पूंजी के निर्माण का भी लक्ष्य रखती है। इसमें कारीगरों को अपना व्यवसाय सफलता से शुरू करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक सॉफ्ट स्किल प्रदान करने का भी प्रावधान है जो निम्न प्रकार से हैं–

i. प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण।
ii. हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
iii. गुरु–शिष्य परंपरा के माध्यम से प्रशिक्षण।
iv. प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण ।
v. डिज़ाइन मेंटॅरशिप तथा प्रशिक्षुता कार्यक्रम ।

31.12.2017 तक स्वीकृत कार्यक्रमों का विवरण

		वर्ष 2017–18 दिनांक 31.12.2017 तक		
क्र. स.	स्कीम का नाम (संघटक)	भौतिक उपलब्धि	संस्वीकृत धनराशि (लाख रुपये में)	लाभान्वित कारीगर
1	प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण	1	44.35	400
2	गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्रशिक्षण	19	99.99	285
3	एचटीपी तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम	131	543.68	2620
	सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रम	156	103.34	3120
4	प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण	0	0	0
5	डिज़ाइन मेंटॅरशिप और प्रशिक्षुता कार्यक्रम	0	0	0
		307	791.36	6425

31.12.2017 तक विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए मानव संसाधन विकास स्कीम के तहत निर्मुक्त निधि 10.32 करोड़ रुपए हैं।

10.3.2 (iv) कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ

इस योजना में कारीगरों के लिए स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा, उनके के लिए ऋण सुविधाओं के क्षेत्र को बढ़ाने, उनको औजार एवं उपस्कर मुहैया कराने आदि जैसी उनके कल्याण से जुड़ी आवश्यकताओं से संबन्धित मुद्दों को उठाने के लिए इस योजना को तैयार किया गया है। इस योजना के निम्न संघटक हैं–

1. राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना (आर जी एस एस बी वाई) (रुकी हुई स्कीम)
2. हस्तशिल्प कारीगरों के लिए बीमा योजना (आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई))
3. दरिद्र परिस्थितियों में रह रहे कारीगरों को सहायता ।
4. क्रेडिट गारंटी स्कीम
5. ब्याज में छूट स्कीम
6. पहचान–पत्र जारी करना और डाटाबेस का निर्माण

➢ **हस्तशिल्प कारीगरों के लिए बीमा योजना (आम आदमी बीमा योजना) (एएबीवाई)**

''हस्तशिल्प कारीगरों के लिए आम आदमी बीमा योजना'' का मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्प कारीगरों को जीवन बीमा सुरक्षा मुहैया कराना है।

हस्तशिल्प कारीगरों के लिए आम आदमी बीमा योजना के तहत सभी शिल्पीगण समय–समय पर एलआईसी द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत कवर किये जाने के पात्र होंगे। लाभभोगियों की मौजूदा आयु 18–59 के बीच होनी अपेक्षित है।

वित्तीय सहायता के पैटर्न

भारत सरकार का योगदान	₹290/-
कारीगरों का योगदान	₹80/-
एलआईसी का योगदान	₹100/-
कुल प्रीमियम*	₹470/-

लाभ एवं शर्तें :

- प्राकृतिक मृत्यु–0.60 लाख रुपये
- दुर्घटना में मृत्यु –1.50 लाख रुपये
- पूर्ण विकलांगता –1.50 लाख रुपये
- आंशिक विकलांगता–0.75 लाख रुपये

इसके अतिरिक्त, कक्षा IX से कक्षा XII तक चार वर्षों के लिए अथवा जब तक कि बच्चों की कक्षा XII पूरी नहीं हो जाती, जो भी पहले हो उनको 1200 /– रुपये प्रति वर्ष प्रति बच्चे की दर से छात्रवृत्ती दी जाएगी। यह योजना अधिकतम 02 बच्चों तक सीमित है।

➢ **मुद्रा ऋण**

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय ने मुद्रा ऋण को संघटित किया है जिससे अब तक पूरे देश के 3551 हस्तशिल्प कारीगरों को लाभ पहुंचा है। 25.01.2018 को कार्यालय द्वारा संघटित मुद्रा ऋण के अंतर्गत क्षेत्रवार कारीगरों की संख्या का विवरण निम्न प्रकार से है–

क्र.सं.	क्षेत्र	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	धनराशि (रुपये लाख में)
1.	मध्य	422	304.05
2.	दक्षिणी	1330	672.40
3.	पूर्वी	629	300.21
4.	उत्तरी	132	52.00
5.	पश्चिमी	523	275.90
6.	पूर्वोत्तर	515	199.90
	कुल	**3551**	**1804.46**

इसके अतिरिक्त, 07 अक्तूबर, 2017 से 17 अक्तूबर, 2017 तक देशभर में 202 हस्तकला सहयोग शिविर आयोजित किये गए जिस दौरान मुद्रा ऋण के लिए 7188 आवेदन प्राप्त हुए जिसमे से 427 आवेदन उनके अपने बैंक से मुद्रा ऋण के लिए स्वीकृत कर दिये गए तथा मुद्रा ऋण के लिए स्वीकृत धनराशि 235.50 लाख रुपये तक पहुंच गई थी।

31.12.2017 तक कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ स्कीम के तहत निर्मुक्त निधि 3.88 करोड़ रूपये है।

10.3.2(v)इंफ्रास्ट्रक्चर एवं प्रौद्योगिकी सहायता

इस योजना का उद्देश्य देश में हस्तशिल्प उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है और विश्व बाज़ार में मुक़ाबला करने के लिए उत्पाद गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ–साथ उत्पाद लागत को कम करना है जिससे कि हमारे उत्पाद विश्व बाजार में मुकाबला कर सकें। इसके अतिरिक्त इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक कारीगरों को निकटतम संभावित स्थान पर अपेक्षित प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना है, उत्पाद विविधिकरण, डिज़ाइन विकास, कच्चे माल बैंक तथा विपणन एवं संवर्धन सुविधायें मुहैया कराना है।

31.12.2017 तक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं प्रौद्योगिकी सहायता स्कीम के तहत निर्मुक्त निधि 1.76 करोड़ रूपये है।

10.3.2(vi)) विपणन सहायता एवं सेवाएं

हस्तशिल्प के संवर्धन एवं विपणन के उद्देश्य से विभिन्न पात्र संगठनों के महानगरों/ राज्यों की राजधानियों/ पर्यटक एवं वाणिज्यक स्थलों/ अन्य स्थानों पर आयोजित होने वाली घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय शिल्प प्रदर्शनियों/संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इससे देश के विभिन्न भागों के हस्तशिल्प कारीगरों/ एसएचजी को सीधे विपणन मंच मुहैया होगा।

क. **विपणन कार्यक्रमः** घरेलू: 31.12.2017 तक 220 घरेलू विपणन कार्यक्रम आयोजित किये गये। ये कार्यक्रम कारीगरों को गांधी शिल्प बाजार, शिल्प बाजार, थीमिक प्रदर्शनी आदि के माध्यम से घरेलू विपणन अवसरों को मुहैया कराना सुसाध्य बनाते हैं। इसमें तोशीली मेला, सूरजकुंड, भारत पार्व, मास्टर

क्रियेशन आदि जैसे महत्वपूर्ण मेले भी शामिल हैं। विभिन्न केंद्रीय / राज्य सरकार के विभागों को उत्पाद प्रदर्शित करने के लिए दिल्ली हाट आईएनए में 08 स्लॉट आवंटित किए गए हैं जिसके कारण 31.12.2017 तक 18215 कारीगरों को लाभ पहुंचा।

ख. **अंतर्राष्ट्रीयः** 23 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से वे 10 प्रमुख मेले (देशों के नाम सहित) जिनमें भाग लिया गया इस प्रकार से हैं अर्थात यू.के. (संख्या 2), फ्रांस, इटली, मलेशिया, जापान (संख्या 2), हांगकांग और चीन (संख्या 2)। नेपाल और भूटान में 02 विषयगत प्रदर्शनियां/लोक शिल्प मेले आयोजित किये गए; हांगकांग में 08 रोड–शो/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये (3), चीन, फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका (संख्या 3); दक्षिण अफ्रीका में क्रेता–विक्रेता बैठक (संख्या 2) और स्वीडन में 1 सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम। 31 दिसंबर, 2017 तक उपरोक्त मेलों में कुल 135 कारीगरों/निर्यातकों ने भाग लिया।

विपणन सहायता एवं सेवायें स्कीम के तहत वर्ष 2017–18 के लिए विकासात्मक क्रियाकलापों हेतु निर्मुक्त निधि 50.00 करोड़ रूपये है जिसमें से 31.12.2017 तक 22.92 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये जा चुके हैं।

10.3.2(vii) अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास योजना की शुरुआत हस्तशिल्प क्षेत्र की समस्याओं तथा विशिष्ट पहलुओं के गहन विश्लेषण और महत्वपूर्ण शिल्पों के सर्वेक्षण एवं अध्ययन करने के उद्देश्य से की गई थी जिससे नीति आयोजन में उपयोगी आदान सृजित किया जा सके तथा चल रहे कार्यकलापों को बेहतर बनाने में मदद मिल सके और इस कार्यालय द्वारा क्रियान्वित स्कीमों का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जा सके। 12वीं योजना के दौरान निम्न क्रियाकलाप किये जाएंगे :

1. विभिन्न विषयों पर सर्वेक्षण एवं अध्ययन।
2. लेबलिंग/ प्रमाणीकरण को प्रेरित करने के प्रयोजन से लीगल, पैरा लीगल, मानकों, ऑडिटों और अन्य प्रलेखनों को तैयार करने हेतु वित्तीय सहायता।
3. क्षेत्र/ सेगमेंट की चुनौतियों का सामना करते हुए संगठन को सक्षम बनाने के लिए लुप्तप्राय शिल्पों, डिज़ाइन, विरासत, ऐतिहासिक ज्ञान आधार, अनुसंधान एवं इनके क्रियान्वयन को शामिल करते हुए शिल्पों की सुरक्षा से जुड़ी क्रियाविधि (मैकेनिज़्म) को बनाने, विकसित करने हेतु संगठनों को वित्तीय सहायता ।
4. देश के हस्तशिल्प कारीगरों की जनगणना कराना ।
5. ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट के तहत शिल्पों का पंजीकरण और क्रियान्वयन पर आवश्यक फॉलो अप।
6. जेनेरिक उत्पादों के लिए हस्तशिल्प मार्क सहित बार कोडिंग और ग्लोबल मानकों को अपनाने में हस्तशिल्प निर्यातकों की सहायता करना।

7. भारतीय हस्तशिल्प के ब्रांड निर्माण तथा संवर्धन से जुड़ी समस्याओं /मुद्दों को उठाने के लिए वित्तीय सहायता ।

8. हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े विशिष्ट प्रकृति के मुद्दों पर कार्यशालाओं /सेमिनारों का आयोजन।

वर्ष 2017–18 के दौरान, 5 सर्वेक्षण/ अध्ययन और 29 सेमिनार/ कार्यशालाओं को 31.12.2017 तक मंजूरी दी गई है। 31.12.2017 तक अनुसंधान एवं विकास स्कीम के तहत निर्मुक्त निधि 2.74 करोड़ रूपये है।

10.3.3 व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास स्कीम (मेगा कलस्टर स्कीम)

मेगा कलस्टर एप्रोच उन हस्तशिल्प कलस्टरों में आधारभूत संरचनात्मक एवं उत्पादन श्रृंखला को प्रवर्धित करने की एक मुहिम है जो असंगठित रहे हैं और जो अभी तक हुए आधुनिकीकरण और विकास के साथ बराबरी नहीं कर सके हैं। इस क्षेत्र की संभावनाएं, आधारभूत संरचनात्मक उन्नयन, मशीनरी के आधुनिकीकरण और उत्पाद विविधीकरण में निहित हैं। कलस्टरों द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए विशिष्ट बाजार सृजित करने हेतु मूल सिद्धांत के रुप में देशी उत्पादों के लिए ब्रांड निर्माण के अतिरिक्त नव परिवर्तित निर्माण सहित डिजाइनिंग की जानकारी भी अपेक्षित है। प्रस्तावित कार्यक्रम विपणन संपर्कों और उत्पाद विविधीकरण के साथ–साथ आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन का समर्थन करता है। हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के लिए विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, एनएचडीपी द्वारा ब्लॉक स्तर पर सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना करना संशोधित रणनीति का प्रतीक है। साथ ही साथ प्राथमिक उत्पादकों की सहायता करना, डिज़ाइन में मदद करना तथा कारीगरों को प्रशिक्षण देने और विपणन सहायता का भी प्रावधान रखा गया है।

10.3.3 (i) नरसापुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर–भदोही, श्रीनगर, जोधपुर, बरेली, लखनऊ, कच्छ और जम्मू एवं कश्मीर में 09 हस्तशिल्प मेगा कलस्टर मंजूर किए गए हैं और अब तक 198.15 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए जा चुके हैं। विवरण निम्नानुसार हैं:

क. नरसापुर स्थित मेगा कलस्टर में वर्ष 2008–09 के दौरान 83.84 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत

से क्रोशिया लेस शिल्प परियोजना स्वीकृत की गई थी और लघु एवं प्रमुख सामान्य उत्पादन केन्द्रों,

कौशल प्रशिक्षण, डिज़ाइन संसाधन केंद्र, कच्चा माल बैंक और अंतर्राष्ट्रीय लेस व्यापार केन्द्र (फेज़–I) और

सर्वेक्षण कौशल विकास, बाजार संवर्धन तथा व्यापार सुविधा एवं कारीगरों को प्रत्यक्ष सहायता फेस II) के लिए 49.1 9 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

ख. मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) स्थित मेगा कलस्टर में वर्ष 2008–09 के दौरान 102. 00 करोड़ रुपये की कुल

परियोजना लागत से पीतल धातु शिल्प

परियोजना मंजूर की गई तथा सामान्य सुविधा केंद्र, कच्चा माल

बैंक, संसाधन केंद्र, डिज़ाइन एवं विपणन सहायता केंद्र और परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के

लिए 50.23 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये जा चुके हैं।

ग. मिर्ज़ापुर–भदोही स्थित मेगा कलस्टर में वर्ष 2011–12 के दौरान 81.98 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत से कालीन शिल्प परियोजना मंजूर की गई तथा 10,000 कारीगरों को प्रशिक्षित करने और 8000 उन्नत लूमों के वितरण के लिए 15.88 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये जा चुके हैं।

घ. श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) स्थित मेगा कलस्टर में वर्ष 2011–12 के दौरान 81.02 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत से कालीन शिल्प परियोजना मंजूर की गई तथा 10,000 कारीगरों को प्रशिक्षित करने और 8000 उन्नत लूमों के वितरण के लिए 33.51 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये जा चुके हैं।

ङ. जोधपुर (राजस्थान) स्थित मेगा कलस्टर में वर्ष 2013–14 के दौरान 113.97 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत से काष्ठ एवं लौह शिल्प परियोजना मंजूर की गई तथा 10,000 कारीगरों को प्रशिक्षित करने, डिज़ाइन नवीकरण एवं उत्पाद विकास, व्यापार सुविधा केंद्र, विपणन संवर्धन, टूलकिट्स का वितरण और सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना और कच्चा माल बैंक की स्थापना से जुड़े कार्यों के लिए 10.90 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये जा चुके हैं।

च. बरेली (उत्तर प्रदेश) स्थित मेगा कलस्टर में वर्ष 2014–15 के दौरान 28.50 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत से ज़री एवं जारदोज़ी, बेंत एवं बांस उत्पाद, टेराकोटा, काष्ठ फ़र्निचर और दरी शिल्प संबंधी परियोजना आरंभ की गई तथा सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना, कौशल प्रशिक्षण, विपणन एवं डिज़ाइन एवं उत्पाद विकास तथा कारीगरों को प्रत्यक्ष सहायता जैसे कार्यों के लिए 09.60 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये जा चुके हैं।

छ. लखनऊ (उत्तर प्रदेश) स्थित मेगा कलस्टर में वर्ष 2014–15 के दौरान 28.50 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत से चिकनकारी शिल्प में परियोजना मंजूर की गई तथा सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना, कौशल प्रशिक्षण, विपणन एवं डिज़ाइन एवं उत्पाद विकास तथा कारीगरों को प्रत्यक्ष सहायता जैसे कार्यों के लिए 09.86 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये जा चुके हैं।

ज. कच्छ (गुजरात) स्थित मेगा कलस्टर में वर्ष 2014–15 के दौरान 28.50 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत से कलात्मक वस्त्र, कशीदाकारी, काष्ठ, चमड़ा, एवं तांबा लेपित लौह बेल में परियोजना मंजूर की गई तथा सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना, कौशल प्रशिक्षण, विपणन एवं डिज़ाइन एवं उत्पाद विकास तथा कारीगरों को प्रत्यक्ष सहायता जैसे कार्यों के लिए 09.10 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये जा चुके हैं।

झ. जम्मू एवं कश्मीर स्थित मेगा कलस्टर में वर्ष 2014–15 के दौरान 20.00 करोड़

रुपये की कुल परियोजना लागत से कशीदाकारी, चेन स्टिच, काष्ठ नक्काशी, नमदा, पेपर मेशी, केलिको छपाई, बसोली शाल, गाबा और जम्मू एवं कश्मीर के विविध शिल्प में परियोजना मंजूर की गई और सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना, कौशल प्रशिक्षण, विपणन एवं डिज़ाइन एवं उत्पाद विकास तथा कारीगरों को प्रत्यक्ष सहायता जैसे कार्यों के लिए 09.88 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये जा चुके हैं।

10.3.3 (ii) उत्तराखंड, झारखंड, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वाराणसी (उत्तर प्रदेश), कर्नाटक और तेलंगाना में 10 एकीकृत विकास एवं संवर्धन हस्तशिल्प परियोजना (विशेष परियोजनाएं) स्वीकृत की गई हैं और इनके लिए अभी तक 81.05 करोड़ रु. अभी तक जारी किए गए हैं। विवरण निम्नानुसार है:

क. उत्तराखंड स्थित एकीकृत विकास एवं संवर्धन हस्तशिल्प परियोजना (विशेष परियोजनाएं) के तहत वर्ष 2014–15 के दौरान 30 करोड़ रूपये की कुल परियोजना लागत से आइपन, मुराल, उत्तराखंड चित्रकारी, काष्ठ नक्काशी, रामबांस वस्त्र शिल्प परियोजनाएं स्वीकृत की गईं और डिजाइन कार्यशालाएं, एकीकृत डिजाइन, प्रदर्शनियों, विपणन गतिविधियों, (क्रेता–विक्रेता बैठकों) और सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना के लिए 15 करोड़ रुपये जारी किये गए तथा इससे राज्य के 24,300 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कारीगरों को लाभ पहुंचा।

ख. झारखंड स्थित एकीकृत विकास एवं संवर्धन हस्तशिल्प परियोजना (विशेष परियोजनाएं) के तहत 2015–16 के दौरान 30 करोड़ रूपये की कुल परियोजना लागत से काष्ठ शिल्प, बांस, पतितकर चित्रकारी, धातु कार्य, पत्थर नक्काशी शिल्प में परियोजनायें स्वीकृत की गई और डिजाइन कार्यशाला, एकीकृत डिजाइन विकास परियोजना, प्रदर्शनियों, विपणन गतिविधियां (क्रेता–विक्रेता बैठक) और सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना जैसे क्रियाकलापों के लिए 15 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये गए जिससे राज्य के 24,300 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कारीगरों को लाभ पहुंचा।

ग. तमिलनाडु स्थित एकीकृत विकास एवं संवर्धन हस्तशिल्प परियोजना (विशेष परियोजनाएं) के तहत 2015–16 के दौरान 20.38 करोड़ रूपये की कुल परियोजना लागत से तांबे की प्रतिमाएं, तंजोर कला प्लेट, पारंपरिक पीतल के दीये, पीतल पात्र, पेपर मेशी, पत्थर शिल्प, काष्ठ नक्काशी, प्राकृतिक फाइबर, टेराकोटा, नकली आभूषण शिल्प स्वीकृत किये गए और डिज़ाइन कार्यशालाएं, एकीकृत डिज़ाइन, प्रदर्शिनियां, विपणन गतिविधियां (क्रेता विक्रेता बैठक) और सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना जैसे क्रियाकलापों के लिए 10.19 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये गए जिससे राज्य के 19450 कारीगरों को लाभ पहुंचा।

घ. केरल स्थित एकीकृत विकास एवं हस्तशिल्प संवर्धन परियोजना (विशेष परियोजनाएं) के तहत 2015–16 के

दौरान 25.15 करोड़ रूपये की कुल परियोजना लागत से बेल धातु, बनाना फाइबर, काष्ठ, स्क्रू पाइन, कुंभकारी शिल्प स्वीकृत किये गए और डिज़ाइन कार्यशालाएं, एकीकृत डिज़ाइन, विकास परियोजना, प्रदर्शिनियां, विपणन गतिविधियां (खरीदार विक्रेता मीटिंग) और सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना जैसे क्रियाकलापों के लिए 9.09 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये गए जिससे राज्य के 18300 कारीगरों को लाभ पहुंचा है।

ङ. **मध्य प्रदेश स्थित एकीकृत विकास एवं संवर्धन हस्तशिल्प परियोजना (विशेष परियोजनाएं)** के तहत 2015–16 के दौरान 23.12 करोड़ रूपये की कुल परियोजना लागत से पिथोरा चित्रकारी, पंजा दरियों, चांदी के आभूषणों, चँदेरी की साड़ियों, साड़ियों की बुनाई, ढोकरा शिल्प, ज़री जारदोज़ी, जूट शिल्प, काष्ठ नक्काशी, टेराकोटा, बाघ प्रिंट, रोट आयरन, बेंत शिल्पों को स्वीकृत किया गया और डिज़ाइन कार्यशालायें, एकीकृत डिज़ाइन, विकास परियोजना, प्रदर्शिनियां, विपणन गतिविधियां (क्रेता विक्रेता बैठक) और सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना जैसे क्रियाकलापों के लिए 5.73 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये गए जिससे राज्य के 23580 कारीगरों को लाभ पहुंचा है।

च. **आंध्र प्रदेश स्थित एकीकृत विकास एवं संवर्धन हस्तशिल्प परियोजना (विशेष परियोजनाएं)** के तहत 2016–17 के दौरान 10.06 करोड़ रूपये की कुल परियोजना लागत से कोंडापल्ली काष्ठ चित्रांकित खिलौने, काष्ठ–लाख के खिलौने, वीणा बनाना, चमड़े की कठपुतलियां बनाने, कलमकारी चित्रकारी, काष्ठ नक्काशी शिल्प स्वीकृत किये गए तथा डिज़ाइन कार्यशालाएं, तकनीकी प्रशिक्षण, उद्यमी विकास कार्यक्रम, उन्नत औजारों की आपूर्ति, विपणन क्रियाकलाप (शिल्प बाज़ार, प्रदर्शिनी, क्रेता–विक्रेता बैठक, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी), प्रचार, एम्पोरियम और सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना जैसे क्रियाकलापों के लिए 5.03 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये गए जिससे राज्य के 4330 कारीगरों को लाभ पहुंचा।

छ. **वाराणसी (उत्तर प्रदेश) स्थित एकीकृत विकास एवं संवर्धन हस्तशिल्प परियोजना (विशेष परियोजनाएं)** के तहत 2016–17 के दौरान 31.00 करोड़ रूपये की कुल परियोजना लागत से ज़री एवं जरदोज़ी, कृत्रिम आभूषण/गुलाबी मीनाकारी, काष्ठ शिल्प/काष्ठ लाख पात्र, सोप, स्टोन/पत्थर नक्काशी, टेरा कोटा/कुंभकारी शिल्प, बीड कार्य एवं अन्य विविध शिल्प अर्थात म्यूरल हस्त ठप्पा प्रिंटिंग, गोल्ड स्मिथ, धातु शिल्प स्वीकृत किये गए और निर्यातकों के लिए बेस लाइन सर्वेक्षण, कौशल/क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, डिज़ाइन कार्यशाला, एकीकृत डिज़ाइन परियोजना, औजारों की आपूर्ति, विपणन क्रियाकलाप और इंफ्रास्ट्रक्चर सृजन (सीएफ़सी, कच्चा माल बैंक, शिल्प आधारित संसाधन केंद्र) और प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता जैसे क्रियाकलापों के लिए 2.96 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये गए जिससे वाराणसी में

21780 कारीगरों को लाभ पहुंचा है।

ज. **कर्नाटक स्थित एकीकृत विकास एवं संवर्धन हस्तशिल्प परियोजना (विशेष परियोजनाएं)** के तहत 2016–17 के दौरान 7.78 करोड़ रूपये की कुल परियोजना लागत से चन्दन और अन्य लकड़ियों पर नक्काशी, रोज़वुड पर नक्काशी और पेचवर्क, लाख से बनी वस्तुएं, बिदरी पात्र, सूती दरियाँ शिल्प स्वीकृत किये गए और डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यशाला, एकीकृत डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास परियोजना, प्रदर्शनियाँ, सामान्य सुविधा केंद्र, औजारों की आपूर्ति, प्रचार, विपणन सहायता जैसे क्रियाकलापों के लिए 1.73 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये गए किए गए जिससे राज्य के 3530 कारीगरों को लाभ पहुंचा।

झ. **तेलंगाना स्थित एकीकृत विकास एवं संवर्धन हस्तशिल्प परियोजना (विशेष परियोजनाएं)** के तहत 2016–17 के दौरान 13.20 करोड़ रूपये की कुल परियोजना लागत से सिल्वर फिलिगीरी, पत्थर पर नक्काशी, बंजारा कशीदाकारी, जनजातीय आभूषण, काष्ठ लाख से निर्मित पात्र हस्त कशीदाकारी, पीतल पात्र, कालीन बुनाई, बंजारा सुई कार्य, निर्मल खिलौने जैसी परियोजनाएं स्वीकृत की गई और डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यशाला, एकीकृत डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास परियोजना, शिल्प जागरूकता कार्यक्रम, प्रदर्शनियाँ, शिल्प बाज़ार, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी, एम्पोरियम, टूलकिट्स की आपूर्ति, प्रचार एवं ब्रांड संवर्धन जैसे क्रियाकलापों के लिए 5.02 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये गए किए गए जिससे राज्य के 2735 कारीगरों को लाभ पहुंचा।

ञ. **बिहार स्थित एकीकृत विकास एवं संवर्धन हस्तशिल्प परियोजना (विशेष परियोजनाएं)** के तहत 2016–17 के दौरान 30.00 करोड़ रूपये की कुल परियोजना लागत से टेराकोटा, सिंकी वस्तुएं, मधुबनी चित्रकारी, एप्पलीक कसीदा, सुजानी कला, बांस उत्पाद, टिकुली कला, पत्थर शिल्प, काष्ठ शिल्प, मंजूषा चित्रकारी और जूट शिल्प जैसी परियोजनाएं स्वीकृत की गईं और डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यशाला, आईटी और टीडीपी कार्यक्रम, हस्तशिल्प प्रशिक्षण, सामान्य सुविधा केंद्र, सेमिनार–सह–कार्यशाला, अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला, प्रदर्शिनी, टूलकिट्स की आपूर्ति और बेसलाइन सर्वेक्षण जैसे क्रियाकलापों के लिए 11.30 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये गए किए गए जिससे राज्य के 16500 कारीगरों को लाभ पहुंचा।

10.3.4 कारीगरों के लिए नए क्रियाकलापः

- कारीगरों को बेहतर लक्ष्य बनाने ताकि उनकी उन लाभों तक, जिनके लिए वे पात्र हैं, सरलता और सुगमता के साथ पहुंच बन सके, 7 अक्टूबर, 2016 को **''पहचान क्रियाकलाप''** का शुभारंभ किया गया। 31.12.2017 तक लगभग 18 लाख कारीगरों की पुष्टि हो चुकी है और 11.89 लाख पहचान पत्र कार्ड वितरित किये जा चुके हैं।
- **पुश्तैनी हुनर विकास योजनाः** यह

परियोजना भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भदोही द्वारा मई 2017 में आरंभ की गई जिसका प्रयोजन पारंपरिक कालीन बुनाई परिवारों से बुनकरों को तकनीकी एवं सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण देना था जिसकी परियोजना लागत 80.00 लाख रुपये थी। इसका एक अन्य प्रयोजन मिर्ज़ापुर–भदोही क्षेत्र के पारंपरिक कालीन बुनाई परिवारों के कालीन/दरी बुनकरों की गुणात्मक एवं मात्रात्मक उत्पादन में वृद्धि करना है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भदोही एक क्रियान्वयन एजेंसी है जो कारीगरों के परिवारों के 16–25 वर्ष आयु वर्ग को प्रशिक्षण मुहैया कराती है। प्रथम चरण में, 31.12.2017 तक इस योजना में 1000 कालीन बुनकरों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

- **हस्तशिल्प मार्क:** यह भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों के लिए एक ट्रेडमार्क प्रमाणीकरण है जो घरेलू एवं विदेशी उपभोक्ताओं को उत्पाद की विश्वसनीयता और सामाजिक और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के बारे में सुनिश्चित करने के लिए प्रतीकात्मक होगा। यह मशीन–निर्मित उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए हस्तशिल्प उत्पादों को सामूहिक पहचान भी प्रदान करेगा और मांग को बनाए रखने और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विकास की क्षमता में तेजी लाने में सहायता करेगा। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय ने वस्त्र समिति, मुंबई को ईपीसीएच और एआईएसीए के साथ मिलकर हस्तशिल्प मार्क के कार्यान्वयन के लिये प्रस्ताव/कार्य योजना तैयार करने हेतु ज्ञान भागीदारों (नॉलेज पार्टनर्स) के रूप में नियुक्त किया है। चार शिल्पों की पहचान की गई है और जयपुर की ब्लू मिट्टी के बर्तन, सहारनपुर और पिलखुआ के काष्ठ शिल्प, ब्लॉक प्रिंट और पत्थर नक्काशी को पायलट परियोजना के रूप में लेते हुए इनके लिये हस्तशिल्प मार्क विकसित किया जा रहा है।
- **वस्तुओं का भौगोलिक संकेतन:** वस्तुओं का भौगोलिक संकेतन (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 वस्तुओं के भौगोलिक संकेतन आदि को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है और अन्य लोगों द्वारा इनके अनधिकृत उपयोग से बचाता है। जीआई के तहत पंजीकरण के लिए विभिन्न राज्यों/एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। अब तक 92 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है।
- **कारीगर हेल्पलाइन:** 5 मई, 2017 को कारीगर हेल्पलाइन नंबर 18002084800 (टोल फ्री) सात भाषाओं क्रमशः अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगू, असमी, बांग्ला और कन्नड़ भाषा में आरंभ की गई। 31.12.2017 तक 8837 बार पूछताछ की गई और सभी के संतोषजनक उत्तर दिये गए।
- **एनएससीएफ़डीसी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू):** श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, माननीय वस्त्र मंत्री की उपस्थिति में अनुसूचित जाति से संबन्धित हस्तशिल्प कारीगरों के समग्र आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से 20 फरवरी, 2017 को वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए

गए। इससे अनुसूचित जाति के कारीगरों के लाभ के लिए और अधिक परियोजनाएं लेने में मदद मिलेगी। एनएससीएफडीसी को 2,45,86,480/– रुपए की परियोजना लागत पर 9 कलस्टरों को मंजूरी दे दी गई है जिसमे 31.12.2017 तक 1,55,93,240/– रुपए निर्मुक्त कर दिये गए। इससे 4500 कारीगरों को लाभ पहुंचा हैं।

- **एनबीसीएफ़डीसी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू):** श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, माननीय वस्त्र मंत्री की उपस्थिति में कलस्टर स्तर पर हस्तशिल्प के संवर्धन के लिये राज्यों में कार्यरत पात्र फील्ड संगठनों के माध्यम से अन्य पिछड़े वर्ग के कारीगरों के लिये देशभर के हस्तशिल्प के विभिन्न क्रियाकलापों के क्रियान्वयन के उद्देश्य हेतु वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय विछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफ़डीसी) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। 1,37,50,000/– रुपये की परियोजना लागत से एनबीसीएफ़डीसी को 11कलस्टरों को मंजूरी दे दी गई है। इस धनराशि में से 1,01,75,000/– रुपये निर्मुक्त कर दिये गए हैं जिससे 31.12.2017 तक 5500 कारीगरों के लाभ पहुंचा हैं।
- **विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय की निम्न नौ योजनाएं दिनांक 12.06.2017 को डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) मोड** के तहत तैयार कर ली गई हैं।
  - 1) अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (दस्तकार सशक्तिकरण योजना)
  - 2) कालीन बुनाई प्रशिक्षण योजना
  - 3) व्यापक हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम
  - 4) जम्मू–कश्मीर में अन्य शिल्पों का विकास
  - 5) कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ
  - 6) हस्तशिल्प डिजाइन और प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम
  - 7) हस्तशिल्प मानव संसाधन विकास
  - 8) हस्तशिल्प अनुसंधान और विकास
  - 9) विपणन सहायता एवं सेवाएँ एवं निर्यात संवर्धन स्कीम
- **हस्तकला सहयोग शिविर**
- विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा दिनांक 07 से 17 अक्टूबर, 2017 के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब कल्याण वर्ष को समर्पित 202 हस्तकला सहयोग शिविर आयोजित किये गए। इन शिविरों के दौरान पूरे देश में निम्न क्रियाकलाप आयोजित किये गए–
  - 1)सहयोग शिविर में 46942 कारीगरों ने भाग लिया।
  - 2)मुद्रा ऋण के तहत 7188 का पंजीकरण किया गया और उनमें से 427 मुद्रा ऋण स्वीकृत।
  - 3)पहचान के तहत 15578 का पंजीकरण किया गया और 16652 कार्ड वितरित किए गए।
  - 4)3005 टूल किट्स वितरित।
  - 5)अनुसूचित वर्ग के कारीगरों के बच्चों एवं हस्तशिल्प कारीगरों के लिये शिक्षा के

क्षेत्र में सहयोग के लिये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपेन स्कूलिंग (एनआईओएस) के लिये 82 आवेदन प्राप्त हुए।

- 6) इग्नू के लिये 701 आवेदन प्राप्त हुए।
- 7) 368 विपणन क्रियाकलाप आयोजित किए गए।

- **10.3.5आयोजित किए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम**

- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, वस्त्र मंत्रालय ने 08 मार्च, 2017 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में महिला कारीगरों/बुनकरों के एक सम्मेलन आयोजन किया गया जिसके निम्न क्रियाकलाप थे:
  - ✓ महिला हथकरघा बुनकरों एवं हस्तशिल्प कारीगरों के लिये विशेष रूप से नई पुरस्कार श्रेणी 'कमलादेवी चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार' की घोषणा की गई थी।
  - ✓ थाई रीलिंग की अस्वस्थ और अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिये महिला सिल्क रीलर्स को बुनियाद रीलिंग मशीनें वितरित की गई।
  - ✓ 'हैंडलूम वीवर मुद्रा पोर्टल' की शुरुआत की गई जिससे मार्जिन मनी और ब्याज़ में छूट धनराशि का शीघ्र, त्वरित अंतरण होना संभव हो पाएगा।
  - ✓ मिरर वर्क शिल्प के साथ मधुबनी चित्रकारी, कढ़ाई शिल्प और कशीदाकारी में महिला लाभ भोगियों के लिये प्रमुख रूप से तीन अनुसूचित जाति कारीगर कलस्टर परियोजनाएं और दो अनुसूचित जनजाति कारीगर कलस्टर परियोजनाएं आरंभ की गई।
  - ✓ हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में कार्यरत पिछड़े वर्ग से जुड़े हथकरघा बुनकरों एवं हस्तशिल्प कारीगरों की आय में वृद्धि के प्रमुख उद्देश्य से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) तथा विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
- 18 मार्च 2017 को कच्छ, भुज, गुजरात में माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा कारीगरों को पहचान आईडी काड्र्स एवं टूलकिट्स वितरित किये गए।
- विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के तहत विभिन्न स्कीमों के संबंध में आधार अधिनियम 2016 की धारा–7 के तहत गजेट नोटिफिकेशन में 29 मार्च, 2017 को ई–प्रकाशित ।
- भारत रत्न डॉ. बी. आर. अंबेडकर की जन्म शताब्दी के अवसर पर 14 अप्रैल, 2017 को वस्त्र मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अनुसूचित जाति कारीगरों / बुनकरों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसके निम्नलिखित क्रियाकलाप थे:
  - ✓ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू और नैनीताल में रेशम परियोजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत,
  - ✓ अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को रेशम परियोजनाओं के 5 लाभार्थियों को चेक और टूलकिट्स का वितरण।

- ✓ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बरेली हस्तशिल्प मेगा क्लस्टर में हस्तकला कारीगरों के साथ वार्ता संपर्क।
- ✓ अनुसूचित जाति श्रेणियों से संबंधित 5 हस्तशिल्प कारीगरों को उन्नत टूलकिट्स का वितरण।
- ✓ अनुसूचित जाति श्रेणियों से संबंधित 8 हथकरघा बुनकरों/हस्तशिल्प कारीगरों को मुद्रा ऋण का वितरण।
- ✓ अनुसूचित जाति वर्गों से जुड़े 5 एकीकृत कौशल विकास योजना आईएसडीएस) प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण।
- ✓ हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में कार्यरत अनुसूचित वर्ग से जुड़े हथकरघा बुनकरों की आय में वृद्धि के प्रमुख उद्देश्य से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम और विकास आयुक्त (हथकरघा) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

➢ भारत रत्न डॉ. बी. आर. अंबेडकर की जन्म शताब्दी को विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के 61 क्षेत्रीय कार्यालयों में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ शिविर आयोजित करके मनाया गया:

- कारीगरों के मोबाइल पर भीम एप्लिकेशन डाउनलोड करना और उन्हें बैंक अधिकारियों की मदद से इसका इस्तेमाल करना सीखना।
- "भारत हस्तनिर्मित बाज़ार" पोर्टल के बारे में जागरूकता और प्रत्येक शिविर में पोर्टल पर कम से कम 20 कारीगर रजिस्टर करना।
- कारीगर आईडी कार्ड का वितरण।

➢ 05 और 06 मई 2017 को मावलंकर ऑडिटोरियम, रफी मार्ग, नई दिल्ली में भौगोलिक संकेतों के लिए अनूठे वस्त्रों और हस्तशिल्पों के संवर्धन पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के दौरान निम्नलिखित क्रियाकलाप भी किये गए–

1. पारंपरिक हस्त बुनाई पर वस्त्र समिति की रिपोर्ट जारी करना।
2. तीन पंजीकृत मालिकों (प्रोप्राइटर) को भौगोलिक संकेत सौंपना।
3. हस्तशिल्प कारीगरों की हेल्पलाइन नंबर 18002084800 (टोल फ्री) का शुभारंभ। सेवाएं 7 भाषाओं में पूर्वोत्तर 10.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध हैं।
4. निम्नलिखित मुद्दों पर कार्यशाला के दौरान पांच तकनीकी सत्र आयोजित किये गए।
   i. कानूनी रूपरेखा और पंजीकरण प्रक्रिया।
   ii. जीआई पंजीकृत उत्पादों का संवर्धन और विपणन।
   iii. जीआई चिह्नित उत्पादों का गुणवत्ता आश्वासन।
   iv. जागरूकता बढ़ाने और प्रवर्तन को मजबूत करना।
   v. जीआई पंजीकरण के लाभ उठाने के लिये उत्पादक समूहों का एक्टिवेशन।

Ministry of Textiles
Government of India
National Workshop on
Promotion of Unique Textiles & Handicrafts
through GI and Post-GI Initiatives
Chief Guest :
Smt. Smriti Zubin Irani
Minister of Textiles, Government of India
Guest of Honour :
Shri Ajay Tamta
Minister of State for Textiles, Government of India
5-6 May, 2017, Mavalankar Auditorium, New Delhi

05 मई, 2017 को आयोजित जीआई और पश्च जीआई पहलों के माध्यम से अनूठे वस्त्र और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला।

मुद्रा ऋण का उपयोग करने वाले हस्तशिल्प कारीगरों को ब्याज सहायता प्रदान करने के लिए 1 सितंबर, 2017 को पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

10.3.6 हस्तशिल्प संगठन

10.3.6 (i) **हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच)** की स्थापना वर्ष 1986–87 में हस्तशिल्प निर्यात बढ़ाने, समर्थन, संरक्षण और उसे बनाए रखने के उद्देश्य से एक गैर–लाभकारी संगठन के रुप में की गई थी। ये देश के हस्तशिल्प के निर्यात के संवर्धन हेतु हस्तशिल्प निर्यातकों का एक शीर्ष निकाय है और उच्च गुणवत्ता की हस्तशिल्प वस्तुओं एवं सेवाओं के एक विश्वासयोग्य आपूर्तिकर्ता के रूप में अंतरराष्ट्रीय मानकों और विनिर्देशों के पालन को ध्यान में रखते हुए कई उपाय सुनिश्चित करते हुए विदेशों में भारत की छवि प्रस्तुत करता है। परिषद ने आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के साथ–साथ विपणन एवं सूचना सुविधाएं सृजित की हैं जिसका लाभ सदस्य निर्यातकों एवं आयातकों, दोनों द्वारा लिया जा रहा है।

परिषद की मुख्य गतिविधियां

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किये गये मुख्य क्रियाकलाप निम्न प्रकार से हैं :–

- निर्यात को बढ़ाने और उसके विकास के लिए सदस्यों को वाणिज्यिक रुप से उपयोगी सूचना एवं सहायता मुहैया कराना।

  प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता एवं डिजाइन सुधार, मानकों एवं विशेष विवरणों, उत्पाद विकास, नवीकरण आदि के क्षेत्रों में सदस्यों को व्यावसायिक सलाह एवं सेवाएं प्रदान करना।
- विदेशी बाजारों में विपणन अवसरों की खोज में दल के सदस्यों की विदेशी यात्राओं का आयोजन करना।
- विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेलों में भागीदारी।
- नई दिल्ली में भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेलों का आयोजन।
- केन्द्रीय एवं राज्य दोनों स्तर पर निर्यात करने वाले समुदाय एवं सरकार के बीच वार्तालाप, पारस्परिक क्रियाएं और केन्द्र तथा राज्य की लगभग सभी समितियों/पेनलों में प्रतिनिधित्व।
- ''निर्यात विपणन, प्रक्रियाएं एवं प्रलेखन'', पैकेजिंग, क्वालिटी अनुपालन, सेवा शुल्क, एफ टी पी, डिजाइन विकास, क्रेता–विक्रेता बैठक, ओपन हाऊस आदि पर कार्यशालाए, केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के साथ वार्तालाप और विभिन्न अन्य मिलते जुलते कार्यक्रमों के माध्यम से जागरुकता का वातावरण तैयार करना।
- मासिक पत्रिका 'क्राफ्टसिल' के माध्यम से ई पी सी एच के क्रियाकलापों, सरकारी आदेशों की अधिसूचनाओं, व्यापार मेलों पर जानकारियों और अन्य संबंधित सूचनाओं का प्रसार–प्रचार किया जाता है।

10.3.6 (ii) **कालीन निर्यात संवर्धन परिषद:** कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) की स्थापना वर्ष 1982 में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत हस्त निर्मित कालीनों और अन्य फर्श बिछावनों के निर्यात संवर्धन के उद्देश्य से एक गैर लाभकारी संगठन के रुप में की गई थी।

निर्यात विकास और बढ़ाने में सदस्यों को वाणिज्यिक दृष्टि से उपयोगी सूचना और सलाह देने के लिए कालीन निर्यात संवर्धन परिष्द की मुख्य गतिविधियां नीचे दी गई हैं:

- निर्यात को बढ़ाने और उसके विकास के लिए सदस्यों को वाणिज्यिक रुप से

उपयोगी सूचना एवं सहायता मुहैया कराना।

- प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता एवं डिजाइन सुधार, मानकों एवं विशेष विवरणों, उत्पाद विकास, नवीकरण आदि के क्षेत्रों में सदस्यों को व्यावसायिक सलाह एवं सेवाएं प्रदान करना।
- विदेशी बाजारों में विपणन अवसरों की खोज में सदस्यों की विदेशी यात्राओं का आयोजन करना। हाथ से बने कालीनों और अन्य फ्लोर कवरिंग के विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेना।
- रिवर्स क्रेता–विक्रेता बैठकों के तहत वाराणसी एवं दिल्ली में वार्षिक इंडिया कार्पेट एक्स्पो का आयोजन।
- केन्द्रीय एवं राज्य, दोनों स्तर पर निर्यात करने वाले समुदाय एवं सरकार के बीच वार्तालाप, पारस्परिक क्रियाएं और केन्द्र तथा राज्य की लगभग सभी समितियों/पेनलों में प्रतिनिधित्व।
- उद्यमियों तथा कालीन निर्यातकों को विभिन्न मुद्दों तथा ''निर्यात विपणन, प्रक्रियाओं एवं प्रलेखन'' डिजाइन विकास, क्रेता–विक्रेता बैठक आदि पर कार्यशाला/ सेमिनार, केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के साथ वार्तालाप और विभिन्न अन्य मिलते जुलते कार्यक्रमों के माध्यम से जागरुकता का वातावरण तैयार करना।
- परिषद के कार्पेट काउंसिल न्यूज जर्नल के माध्यम से सी ई पी सी के क्रियाकलापों, सरकारी आदेशों अधिसूचनाओं, व्यापार मेलों पर जानकारियों और अन्य संबंधित सूचनाओं का प्रचार–प्रसार किया जाता है।
- भारतीय हस्तनिर्मित कालीन एवं अन्य फर्श बिछावनों के नोडल अभिकरण के रुप में विश्व के सबसे बड़े फ्लोर कवरिंग शो डोमोटेक्स इंटरनेशनल ट्रेडफेयर हेनोवर (जर्मनी) में राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करना।
- हस्तनिर्मित कालीनों तथा अन्य फर्श बिछावनों के हिस्से में बढ़ोतरी हेतु मौजूदा बाजार के साथ–साथ नए बाज़ारों की खोज के लिए विपणन अध्ययन करना।
- घरेलू बाजारों में हस्तनिर्मित कालीनों की ब्रांडिंग के लिए प्रदर्शनी–सह–बिक्री का आयोजन तथा भारत में घरेलू बाजारों एवं खुदरा विक्रेता/रिटेलर/अंतर्राष्ट्रीय बाइंग हाउसों की सोर्सिंग की खोज करना।
- मेगा कलस्टर स्कीम की व्यापक हस्तशिल्प कालीन कलस्टर विकास स्कीम (सीएचसीडीएस) के तहत

भदोही–मिर्जापुर–वाराणसी के हस्त निर्मित एवं हेंड टफटेड कालीन बनाने वाले कारीगरों के लाभ के लिए भदोही–मिर्जापुर–वाराणसी में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना जिसमें वाराणसी जिले का जयापुर गाँव शामिल है।

10.3.6(iii)भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थानः भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, जो आईआईसीटी के नाम से बेहद लोकप्रिय है, की स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम,1860 के अंतर्गत भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय द्वारा 1998 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रुप में की गई है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान ने वास्तव में वर्ष 2001 में बी–टेक (कालीन और वस्त्र प्रौद्योगिकी) डिग्री कार्यक्रम की शुरुआत से कार्य करना आरम्भ किया, यह बी–टेक डिग्री कार्यक्रम अपनी तरह का एक अनूठा डिग्री कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 20 छात्रों से की गई थी और बाद में यह संख्या 60 तक पहुंच गई थी। आईआईसीटी की स्थापना वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई ताकि भारत के निरंतर विकास और विश्व स्तर पर उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों, अनुसंधान एवं विकास आदि के रूप में कालीन, वस्त्र और अन्य संबंधित क्षेत्रों को सभी संभव तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। संस्थान अपने बी.टेक के माध्यम से तकनीकी विशेषज्ञों, टेक्नोक्रेट के लिए लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। उद्योग भी आगे आ गया है और इन टेक्नोक्रेट्स को अपने संगठन में उचित रूप से रखा है। आईआईसीटी अपने छात्रों को विभिन्न संगठनों से समय–समय पर औपचारिक या अनौपचारिक प्रतिक्रियाओं के जरिए हितधारकों की अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हे लक्षित करके अपने छात्रों को विश्व स्तर की गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान कर रहा है। बी.टेक के अलावा विभिन्न पाठ्यक्रमों में संस्थान के अन्य प्रशिक्षु भी संगठनों में अच्छी स्थिति में हैं। संस्थान, आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित है और इसकी प्रयोगशालाएं जो दुनिया के कई देशों में मान्य निर्यातकों को अपनी परीक्षण रिपोर्ट प्रदान करता है, एनएबीएल (नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड केलीब्रेशन लैबोरेटरीज) से मान्यता प्राप्त है। संस्थान का बी.टेक पाठ्यक्रम एआईसीटीई, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित और यू.पी. तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ से संबद्ध है।

10.3.6(iv)धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्रः देश से कलात्मक धातु पात्रों के निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है और यदि बेहतर फिनिशिंग, पैकेजिंग आदि के साथ उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएं तो इसमें अधिक वृद्धि का सामर्थ्य है, चूंकि पारंपरिक तरीके से निर्यात मदों की फिनिशिंग में कमी रह जाती है जो आयातक देशों की कठोर आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। इस संबंध में, व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने मुरादाबाद में धातु हस्तशिल्प सेवा केन्द्र की स्थापना की है जिसे बाद में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत

पंजीकृत किया गया। केंद्र को संयुक्त राष्ट्र विकास निधि और उत्तर प्रदेश सरकार से समर्थन प्राप्त है। इस केन्द्र को कलात्मक धातुपात्रों की फिनिशिंग और सम्बद्ध प्रक्रियाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाने का विचार है और आशा है कि यह कलात्मक धातुपात्रों के निर्यातकों को कौशल एवं तकनीकी उन्नयन की आवश्यक और सुविज्ञ सेवाएं मुहैया करा सकेगा। धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है जिसका प्रबंधन भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, व्यापार एवं संबद्ध संगठनों के प्रतिनिधियों से बनी शासी परिषद द्वारा किया जाता है।

10.3.6 (v) राष्ट्रीय डिजाइन एवं उत्पाद विकास केन्द्र (एनसीडीपीडी)

वर्ष 1999 में सोसाइटी अधिनियम के तहत विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। एनसीडीपीडी के बोर्ड में प्रमुख निर्यातकों, नीति निर्माताओं और व्यापार एवं उद्योग के प्रमुखों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार पदेन अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय डिजाइन एवं उत्पाद विकास केन्द्र (एन सी डी पी डी) की स्थापना, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डिजाइन एवं उत्पाद विकास के क्षेत्रों में अंतराल को भरने के उद्देश्य से की गई है। केंद्र के अन्य उद्देश्य हस्तशिल्प क्षेत्र और जूट, सिल्क, कालीन, हथकरघा जैसे सिनर्जी क्षेत्रों और अन्य रोजगार सृजन क्षेत्रों में डिज़ाइनोमुखी उत्कृष्टता का निर्माण एवं सृजन करना है ताकि विश्व व्यापी प्रतिस्पर्धा का मुक़ाबला किया जा सके। डिजाइन एवं विकास उत्पाद सेवाएं प्रदान करने के अलावा एन सी डी पी डी के कार्यकलापों का अलग क्षेत्रों में भी विस्तार किया गया है जैसे कौशल/क्षमता विकास, कलस्टरों में बुनियादी सुविधाएं सृजित करना और सामान्य सुविधा केन्द्र, कच्चा माल बैंक, संसाधन केन्द्र, डिजाइन केन्द्र, डिजाइन बैंक, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, विपणन आउटलेट्स की स्थापना करते हुए मार्केट लिंकेजस आदि। एनसीडीपीडी पेशेवर डिजाइनरों से सुसज्जित है जो कस्टमाइज्ड डिज़ाइन/उत्पाद विकास के लिए सेवाओं की पूरी श्रृंखला प्रदान करने के लिए काम करते हैं।

10.3.7 (vi) हस्तशिल्प विकास निगमों की परिषद (सीओएचएएनडीएस)

हस्तशिल्प विकास निगमों की परिषद (कोहाण्ड्स) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय के तत्वावधान में 29 राज्य सरकारों के हस्तशिल्प विकास निगमों का एक पंजीकृत संघीय निकाय है। हस्तशिल्प के माध्यम से भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने में लगे जमीनी स्तर के संगठनों की सहायता में यह सक्रिय रूप से शामिल है। हाल के दिनों में कोहाण्ड्स ने अच्छी डिजाइनिंग और तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से कारीगर कौशल को अपग्रेड करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलापों की एक अच्छी संख्या आयोजित की है ताकि तेजी से बदलते बाजार के रुझानों के साथ सामना करने के लिए उन्हें अभिनव और

मूल्यवर्धित उत्पादों का उत्पादन करने में समर्थ बनाया जा सके। जमीनी स्तर के संगठनों, एनजीओ, स्वयं सहायता समूह, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं और छोटे उद्यमियों को हस्तशिल्प और संबद्ध शिल्पों में लगे रहने के लिए सहायता करना शामिल है। व्यापार के सभी पहलुओं को प्रभावित करना, कोहाण्ड्स का प्राथमिक महत्व है, लेकिन यह व्यापार में सीधे शामिल नहीं होता है। यह व्यापार के लिए आवश्यक गति, बल और दिशा प्रदान करता है और उत्प्रेरक तत्वों को सक्रिय करने में भी मदद करता है तथा जो सभी हितधारकों के लिए एक सकारात्मक और निष्पक्ष स्तर का मंच प्रदान करते हुए व्यापार को प्रभावित करता है। इसका प्रभाव प्रमुख रूप से कारीगरों और शिल्पियों पर स्पष्ट दिखता है।

प्रमुख उद्देश्य :

- सामान्य रूप से विभिन्न हस्तशिल्प विकास निगमों, सदस्य संगठनों और हस्तशिल्प क्षेत्र के सामान्य हितों को बढ़ावा देना, संरक्षित करना और विकसित करना।
- हस्तशिल्प क्षेत्र के विभिन्न घटकों के बीच बेहतर समन्वय, सहयोग, संयुक्त भागीदारी, संबंध और समझ विकसित करना।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और क्षेत्रीय प्रदर्शनियों को आयोजित करना, संचालित करना और भाग लेना।
- हस्तशिल्प से संबंधित जानकारी के संकलन और आदान प्रदान में भारत और विदेश में विभिन्न संस्थानों और संगठनों के साथ सहयोग करना।
- हस्तशिल्प से संबंधित यांत्रिक आविष्कार, डिजाइन के उपकरणों का अध्ययन, सर्वेक्षण; अनुसंधान परियोजना और संग्रहण से संबंधित कार्य
- भारत में अथवा भारत से बाहर के व्यापारिक प्रतिनिधियों या व्यापार संगठनों, संघों और विदेशों के चेंबर्स के साथ प्रत्यक्ष संपर्क विकसित करना और संबंध स्थापित करना ताकि विभिन्न देशों के साथ सीधे ही संपर्क स्थापित किए जा सकें और या अध्ययन टीम प्रायोजित की जा सके। में अध्ययन दल प्रायोजित किए जा सकें और/अथवा सीधे संपर्क, विकसित और स्थापित किए जा सके।

अध्याय–11

पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र संवर्धन

11.1. पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस)

वस्त्र मंत्रालय देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र उद्योग के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस) क्रियान्वित कर रहा है। एनईआरटीपीएस एक महत्वपूर्ण योजना है जो पूर्वोत्तर राज्यों की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिजाइन में आवश्यक लचीलापन और क्रियान्वयन के साथ अप्रोच आधारित परियोजना में क्रियान्वित की गई है। इस योजना के अंतर्गत तकरीबन 1200 करोड़ रूपये की प्रोजेक्ट्स हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन, विद्युतकरघा और अपैरल एवं गारमेंट आदि क्षेत्रों के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें भारत सरकार का योगदान 1150 करोड़ रूपये हैं। योजना का उद्देश्य अवसंरचना, नई प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और बाजार पहुंच के लिए आवश्यक सहायता के माध्यम से पूर्वोत्तर में वस्त्र उद्योग का स्थायी विकास करना है।

11.2. एनईआरटीपीएस के अंतर्गत पहल

11.2.1. रेशम उत्पादनः पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में मलबरी, एरी और मूगा रेशम को शामिल करते हुए कुल 24 परियोजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं। इन परियोजनाओं की कुल लागत 819.19 करोड़ रुपए है जिसमें से भारत सरकार की हिस्सेदारी 690.01 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य आवश्यक अवसंरचना सृजित करके और रेशमकीट पालन तथा मूल्य श्रृंखला में संबद्ध कार्याकलापों के लिए स्थानीय लोगों को कौशल प्रदान करके पूर्वोत्तर में व्यावहारिक वाणिज्यिक कार्यकलाप के रूप में रेशम उत्पादन को स्थापित करना है। परियोजना में मलबरी, एरी और मूगा क्षेत्रों के अंतर्गत पौधारोपण के लगभग 31010 एकड़ (मौजूदा–18331 एकड़ और नए–12679 एकड़) क्षेत्रफल को लाने का प्रस्ताव है और इससे परियोजना अवधि के दौरान कच्ची रेशम का 2285 मी.टन अतिरिक्त उत्पादन तथा 230500 लोगों के लिए रोजगार पैदा होने का अनुमान है।

प्रगतिः नवम्बर, 2017 तक 29905 लाभार्थियों तथा कच्ची रेशम का 1600 मी.टन उत्पादन को शामिल करते हुए मलबरी, एरी और मूगा के हॉस्ट प्लांटेशन के अंतर्गत लगभग 29255 एकड़ (मौजूदा 18331 एकड़ और नए 10924 एकड़) लाया गया है। उपर्युक्त परियोजनाओं के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 448.03 करोड़ रुपए की तुलना में 337.98 करोड़ रुपए का व्यय (75%) किया गया है। एनईआरटीपीएस में रेशम उत्पादन परियोजनाओं का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क. एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईएसडीपी): बीटीसी सहित असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा में क्रियान्वयन के लिए 582.42 करोड़ रुपए (भारत सरकार का हिस्सा 479.60 करोड़ रुपए) की कुल लागत के साथ कुल 16 परियोजनाएं अनुमोदित की गईं। यह परियोजना मलबरी, एरी और मूगा के

27010 एकड़ में (मौजूदा 17650 एकड़ और नई 9360 एकड़) पौधारोपण को सहायता प्रदान करेगी। इसमें त्रिपुरा के लिए रेशम छपाई एवं प्रसंस्करण इकाई, बीटीसी (असम) के लिए मृदा से रेशम और नागालैंड के लिए कोया पश्चात प्रौद्योगिकी की स्थापना शामिल होती है। जबकि 15 परियोजनाएं राज्य रेशम उत्पादन विभाग द्वारा क्रियांवित की जानी हैं, एक परियोजना–बीज अवसंरचना का सृजन पूर्वोत्तर राज्यों को गुणवत्ता बीजों का उत्पादन और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सीएसबी द्वारा क्रियांवित किया जाना है। नवम्बर, 2017 तक मंत्रालय ने उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए 310.31 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है जिसकी तुलना में व्यय 232.97 करोड़ रुपए (75%) की रिपोर्ट है।

ख. **इंटेसिव बाइवोल्टाइन सेरीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (आईबीएसडीपी):** एनईआरटीपीएस के अंतर्गत 236.78 करोड़ रुपये की कुल लागत (भारत सरकार का हिस्सा 210.41 करोड़ रुपये) के साथ आयात विकल्प वाली बाइवोल्टाइन रेशम के लिए 8 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इस परियोजना में लगभग 1100 महिला रेशम किसानों/ राज्य को शामिल करते हुए प्रत्येक जिले के 2 ब्लॉक में 500 एकड़ को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। कुल मिलाकर इसमें मलबरी पौधारोपण हेतु 4,000 एकड़ क्षेत्र, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों की लगभग 9000 महिलाएं भी होंगी, कवर करने का लक्ष्य है। नवम्बर, 2017 तक मंत्रालय ने उपर्युक्त परियोजना के लिए 135.72 करोड़ रुपए जारी किए हैं जिसकी तुलना में 105 करोड़ रुपए (77%) व्यय की रिपोर्ट है।

ग. **त्रिपुरा में रेशम छपाई इकाई:** त्रिपुरा में उत्पादित रेशम और फैब्रिक के लिए मूल्यवर्धन हेतु रेशम छपाई सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए एनईआरटीपीएस के अंतर्गत 3.71 करोड़ रुपए (100% केंद्रीय सहायता) की कुल लागत पर रेशम प्रसंस्करण और छपाई इकाई की स्थापना के लिए एक परियोजना अनुमोदित की गई है। इस इकाई का लक्ष्य 1.50 लाख मीटर रेशम प्रति वर्ष की छपाई और प्रोसेस करने का है। अभी तक मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए 3.16 करोड़ रुपए जारी किए हैं जिसकी तुलना में व्यय 3.14 करोड़ रुपए (99%) हुआ है। यह इकाई जनवरी, 2018 के अंत तक शुरू किए जाने की आशा है।

घ. **बीज भंडार इकाइयां:** पूर्वोत्तर में मलबरी, एरी और मूगा क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त बीज के उत्पादन के लिए अवसंरचना सृजित करने हेतु 37.71 करोड़ रुपए (100% केंद्रीय सहायता) की कुल लागत पर एक परियोजना अनुमोदित की गई थी। इस योजना में 6 बीज अवसंरचना इकाइयों [(जोरहट (असम) में 1 मलबरी बीज इकाई), सिल्चर (असम), मोकुकचुंग (नागालैंड), कोकराझार (बीटीसी–असम), तुरा (मेघालय) में 4 मूगा बीज इकाई और टोपाटोली (असम) में 1 एरी बीज इकाई)] 30 लाख मलबरी डीएफएलएस और 21.51 लाख मूगा और एरी डीएफएलएस की उत्पादन क्षमता सहित, के निर्माण की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना मार्च/जुलाई, 2018 तक पूरा किए जाने और शुरू किए जाने का कार्यक्रम है। इस परियोजना के लिए मंत्रालय ने अभी तक 32.99 करोड़ रुपए जारी किए हैं जिसकी तुलना में व्यय 32.54 करोड़ रुपए (98.63%) हुआ है।

बीटीसी, असम में मलबरी प्लांटेशन

इन परियोजनाओं की परियोजना–वार प्रगति नीचे तालिका में दी गई है:

एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना

#	राज्य	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.)	भारत सरकार का हिस्सा (करोड़ रु.)	भा. स.द्वारा आज तक जारी राशि (करोड़ रु.)	लाभार्थी (संख्या)		परियोजना के दौरान उत्पादन (मी.टन)	
					लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (अन.)
1	असम	66.67	47.42	37.48	5,965	4,451	196	198
2	बीटीसी, असम	34.92	24.68	22.62	3,356	2,344	171	203
3	बीटीसी (आईईडीपीबी)	11.41	10.61	4.19	654	142	60	18
4	बीटीसी (मृदा से रेशम)	51.61	49.37	9.41	3,526	750	245	59
5	अरुणाचल प्रदेश	18.42	18.42	17.50	1,805	1,392	79	23
6	मणिपुर (घाटी)	149.76	126.60	55.08	6,613	5,115	450	369
7	मणिपुर (पहाड़ी)	30.39	24.67	13.01	2,169	985	68	40
8	मेघालय	30.16	21.91	19.57	2,856	1,421	162	162
9	मिजोरम	32.49	24.49	23.26	1,683	665	117	99
10	मिजोरम (आईएमएसडीपी)	13.52	12.83	10.13	833	204	16	1
11	नागालैंड	31.47	22.66	21.52	2,678	1,565	166	160
12	नागालैंड (आईईएसडीपी)	13.66	12.83	8.11	1,053	113	72	7
13	नागालैंड (पीसीटी)	8.57	8.48	2.69	400	400	कोया पश्चात और यार्न पश्चात कार्यकलाप	
14	त्रिपुरा	47.95	33.20	29.58	3,432	3,659	275	174
15	त्रिपुरा (प्रिंटिंग)	3.71	3.71	3.16			1.50 लाख मीटर/वर्ष	
16	सीएसबी के अंतर्गत मलबरी एवं वान्या	37.71	37.71	32.99			30 लाख मलबरी और 3.70 लाख मूगा/एरी डीएफएलएस/वर्ष बीज	
	कुल(I)	**582.42**	**479.60**	**310.31**	**37,023**	**23,206**	**2,076**	**1,512**

इन परियोजनाओं की परियोजना–वार प्रगति नीचे तालिका में दी गई है:

II. गहन बाइवोल्टाइन रेशम उत्पादन विकास परियोजना

#	राज्य	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.)	भारत सरकार का हिस्सा (करोड़ रु.)	भा.स.द्वारा आज तक जारी राशि (करोड़ रु.)	लाभार्थी (संख्या)		परियोजना के दौरान उत्पादन (मी.टन)	
					लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (अ.न.)
1	असम	29.55	26.28	17.11	1,144	744	29	18
2	बीटीसी	30.06	26.75	18.20	1,188	611	26	19
3	अरुणाचल प्रदेश	29.47	26.20	14.23	1,144	508	20	2
4	मेघालय	29.01	25.77	16.81	1,044	1,033	27	13
5	मिजोरम	30.15	26.88	18.55	1,169	1,100	26	7
6	नागालैंड	29.43	26.16	17.98	1,144	1,034	27	7
7	सिक्किम	29.68	26.43	15.00	1,094	655	27	6
8	त्रिपुरा	29.43	25.95	17.84	1,144	1,014	27	15
	कुल (II)	**236.78**	**210.41**	**135.72**	**9,071**	**6,699**	**209**	**88**
	आईईसी			**2.00**				
	कुल योग (I+II)	**819.19**	**690.01**	**448.03**	**46,094**	**29,905**	**2,285**	**1,600**

अन.– अनंतिम

ङ **परियोजनाओं की मॉनीटरिंग:** ये परियोजनाएं केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) की मॉनीटरिंग, पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के अंतर्गत क्रियांवित की जाती हैं। सीएसबी द्वारा सभी रेशम उत्पादन परियोजनाओं पर रियल टाइम सूचना प्राप्त करने के लिए एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित की गई है। एनईआरटीपीएस को डीबीटी योजना के रूप में अधिसूचित किया गया है; इसलिए सीएसबी यह सुनिश्चित करती है कि अपेक्षित विवरण सहित लाभार्थी की सूचना एमआईएस में उपलब्ध है।

11.2.2 अपैरल एवं परिधान निर्माण परियोजना: इस परियोजना को स्थानीय उद्यमियों के माध्यम से पूर्वोत्तर में औद्योगिक परिधान के संवर्धन के लिए शुरू किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत प्लग एंड प्ले सेंटर (कारखानें), जिन्हें प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में 18.18 करोड़ रुपए प्रति सेंटर की दर पर उच्च प्रौद्योगिकी वाली परिधान मशीनरियों से सुसज्जित किया गया है। 7 सेंटरों का उद्घाटन किया गया है और अपने काम को शुरू करने के लिए उद्यमियों को सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आशा है कि परियोजना न केवल पूर्वोत्तर में औद्योगिक परिधान के लिए नए अवसर तैयार करेगी बल्कि पूर्वोत्तर में संबद्ध उद्योगों के विकास को भी बढ़ाएगी।

एनईआरटीपीएस के अंतर्गत अपैरल और परिधान निर्माण केंद्रों की स्थापना की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	स्थान	व्यय (रूपए करोड़ में)	वर्तमान स्थिति
1	असम	पश्चिम बोरागांव, गुवाहाटी	14.74	परिचालित
2	अरूणाचल प्रदेश	पासीघाट	14.74	परिचालित
3	मणिपुर	इम्फाल वेस्ट	14.74	परिचालित
4	मेघालय	अम्पटी	14.14	पूर्ण लेकिन इकाइयां अभी चालू की जानी है।
5	मिजोरम	आइजोल	14.14	परिचालित
6	नागालैंड	दीमापुर	14.14	परिचालित
7	सिक्कम*	बरूफोक	8.32	बरफोक स्थित 1 इकाई पूर्ण है और उद्घाटन का कार्यक्रम हैं।
8	त्रिपुरा	बोधजुंग नगर	14.74	परिचालित
		कुल	**109.70**	

* सिक्किम के लिए मूल परियोजना को संशोधित किया गया है। बरफोक में अपैरल एवं परिधान केंद्र स्थापित किया गया है। नामची और माखा के 2 अन्य स्थानों पर डिजाइनर केंडल क्राफ्ट यूनिट और कारपेट विविंग यूनिट की स्थापना की जा रही है।

वस्त्र मंत्री 30 जनवरी, 2017 को मेघालय में अम्पटी जिले में अपैरल एवं परिधान निर्माण केंद्र का उद्घाटन करते हुए

11.2.3 हथकरघा परियोजनाः हथकरघा जनगणना 2009–10 के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में 21.60 लाख बुनकर और 15.50 लाख हथकरघे हैं। राष्ट्रीय रूझान के विपरीत पूर्वोत्तर राज्यों में बुनकरों की संख्या 14.60 लाख बुनकर परिवारों (1995 में) से बढ़कर 15.10 लाख बुनकर परिवार हो गयी (जनगणना 2009–10)। पूर्वोत्तर राज्यों में अधिकांश करघे घरेलू उपयोग के लिए लगाए जाते हैं जबकि अत्यंत कम करघों को घरेलू एवं वाणिज्यिक उपयोग, दोनों के लिए लगाया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि हथकरघा बुनाई पूर्वोत्तर के सभी सामाजिक वर्गों की संस्कृति का साझा तत्व है। वर्ष 2009–10 की जनगणना के अनुसार, कुल बुनकरों की संख्या में महिला बुनकरों की संख्या पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक है। एनईआरटीपीएस के अंतर्गत हथकरघा क्षेत्र निम्नलिखित हस्तक्षेपों के साथ सहायता करता हैः

क. **हथकरघा के लिए कलस्टर विकास परियोजनाएंः** इस परियोजना के अंतर्गत 98.7 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से 195 कलस्टर विकास परियोजनाएं क्रियान्वयन के अधीन हैं। भारत सरकार डिजाइन हस्तक्षेप, उत्पाद लाइनों का विविधीकरण और विपणन सहायता के लिए सहायता प्रदान करती है।

ख. **विपणन संवर्धनः** वर्ष 2017–18 के दौरान विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत विपणन सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों को 39 लाख रुपए जारी किए गए हैं। हथकरघा बुनकरों को विपणन सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार वर्ष 2017–18 के दौरान विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत 13.13 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता सहित 34 एक्सपो के एक लक्ष्य का प्रावधान किया गया है।

हस्तशिल्प क्षेत्रः भारत सरकार के 52.60 करोड़ रुपए के हिस्से सहित पूर्वोत्तर हस्तशिल्प के विकास के लिए निम्नलिखित 6 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

i. ईपीसीएच द्वारा क्रियांवित पूर्वोत्तर हस्तशिल्प का व्यापक विकास।

ii. असम एवं नागालैंड के लिए हस्त निर्मित बांस, प्राकृतिक रेशे और वस्त्र आधारित कलस्टरों का एकीकृत विकास।

iii. मणिपुर एवं त्रिपुरा में– टेराकोटा के लिए सीएफसी टेराकोटा शिल्प का व्यापक विकास और संवर्धन।

iv. सीसीआईसी– स्रोत एवं विपणन के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह की सक्रिय भागीदारी सहित हस्तशिल्प का संवर्धन।

v. सतत आधार पर बांस और बेंत के संवर्धन के लिए बांस एवं बेंत विकास संस्थान का सुदृढ़ीकरण।

11.2.4 मणिपुर में विद्युतकरघा परियोजनाः मणिपुर में 13.17 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत और 9.22 करोड़ रुपए के भारत सरकार के हिस्से से पहली विद्युतकरघा परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत सरकार, विद्युतकरघा बुनकरों के लिए वर्कशेड एवं विद्युतकरघा (प्रीपेरेटरी मशीनों सहित) के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करती है।

11.2.5 डिजीटल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए पटसन में फोकस

इन्क्युवेशन सेंटरः पटसन फैब्रिकों के लिए डिजीटल प्रिंटिंग हेतु सुविधा सृजित करने के लिए गुवाहाटी में 3.75 करोड़ रुपए की कुल लागत और भारत सरकार की 2.75 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी से एक परियोजना क्रियांवित की गई है।

11.3 पूर्वोत्तर के लिए अन्य प्रमुख योजनाएं:

क. पूर्वोत्तर क्षेत्र में एग्रो टेक्सटाइल्स के उपयोग के संवर्धन संबंधी योजनाः वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने 55 करोड़ रुपये के कुल निधि परिव्यय से एक योजना अनुमोदित की है। इस योजना का उद्देश्य जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि, बागवानी, पुष्पोत्पादन और रेशम उत्पादन के उत्पादों में सुधार लाने हेतु एग्रो टेक्सटाइल्स के उपयोग को प्रोत्साहन देना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रयोग के लिए ग्राहक अनुकूल एग्रो टेक्सटाइल्स उत्पादों का विकास करना, क्षेत्र के लिए उपयोगी एग्रो टेक्सटाइल्स उत्पादों के प्रयोग–लाभों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी–सेटअप तैयार करना, स्थानीय समुदायों में किसानों को एग्रो टेक्सटाइल्स किटों का वितरण करना है। एग्रो टेक्सटाइल्स की बढ़ती स्वीकार्यता को देखते हुए देश में एग्रो टेक्सटाइल्स के उत्पादन के क्षेत्र में उद्यमशीलता को बल मिलेगा। देश में एग्रो टेक्सटाइल्स उत्पादों के प्रयोग की वृद्धि से इस प्रकार देश में किसानों के साथ–साथ वस्त्र उद्यमियों दोनों को लाभ होगा। यह योजना दिसम्बर, 2012 में वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक की 5 वर्ष की अवधि के लिए शुरू की गई थी। इस योजना को अगले दो वर्षों (2017–18 और 2018–19) के लिए बढ़ाया गया है।

अभी तक शीर्ष मॉनीटरिंग समिति (एएमसी) द्वारा कुल 44 प्रदर्शनी केंद्र अनुमोदित किए गए हैं जिसमें से सभी प्रदर्शन केंद्र चालू हो गए हैं। इसके अतिरिक्त 8 पूर्वोत्तर राज्यों में 1359 एग्रो टेक्सटाइल्स किटें वितरण के लिए अनुमोदित की हैं जिसमें से 742 एग्रो टेक्सटाइल्स किटें वितरित की गई हैं। प्रगति का सार नीचे तालिका में संक्षेप में दिया गया है:–

राज्य का नाम	स्थापित प्रदर्शन केंद्र	प्रशिक्षण पूर्ण	संगोष्ठी/ कार्यशाला	वितरित/ चिन्हित एग्रो किट
मणिपुर	4	386	9	172/172
मिजोरम	7	275	6	91/175
असम	4	688	8	216/216
मेघालय	6	899	6	84/120
अरुणाचल प्रदेश	6	374	6	86/120
त्रिपुरा	5	80	2	--/120
सिक्किम	7	215	2	--/150
नागालैंड	5	168	4	93/150
कुल	**44**	**3085**	**43**	**742/1223**

प्रदर्शन केंद्र और एग्रो टेकसटाइल्स का प्रयोग

ख. पूर्वोत्तर में जैव तकनीकी वस्त्रों के प्रयोग के संवर्धन के लिए योजनाः सरकार न यह योजना सड़क, पहाड़/ढलान संरक्षण तथा जलाशयों में मौजूदा/नई परियोजनाओं में जैव वस्त्रों के प्रयोग के फलस्वरूप किसी अतिरिक्त लागत, यदि कोई, को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकीय और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 427 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से 03 दिसम्बर, 2014 को पूर्वोत्तर राज्यों में अवसंरचना के विकास में जैव वस्त्रों के संवर्धन और उपयोग करने के लिए अनुमोदित की है। इन परियोजनाओं को राज्य सरकारों तथा संबंधित हितधारक एजेंसियों के परामर्श से चिह्नित किया गया है।

374 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से जैव तकनीकी वस्त्र समाधान (हार्ड इंटरवेंशन): यह संघटक चिन्हित प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए राज्य/केंद्रीय परियोजना प्राधिकरणों को जैव तकनीकी वस्त्र समाधान के प्रयोग के फलस्वरूप उन चिह्नित जारी या नई परियोजनाओं के प्रायोगिक खण्ड में आने वाली लागत वृद्धि का वित्त पोषण करेगा। यह संघटक पूर्वोत्तर क्षेत्र में तीन प्रमुख अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं को शामिल करेगाः

i. सड़क निर्माण
ii. पहाड़ी ढलान संरक्षण
iii. जलाशयों की लाइनिंग

11.4. पूर्वोत्तर निवेश सम्मेलनः

- वस्त्र मंत्रालय और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शिलांग में 29–30 जनवरी, 2017 को वस्त्र एवं संबद्ध क्षेत्रों में विनिर्माण पर केंद्रित प्रथम पूर्वोत्तर निवेश सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का प्रयोजन पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और पूर्वोत्तर

राज्यों के समन्यव प्रयासों के लिए निवेश और संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक वैश्विक स्थान के रूप में क्षेत्र की संभावनाओं को खोलना है। इस सम्मेलन में गृह राज्य मंत्री – श्री किरन रीजीजू, पूर्वोत्तर विकास राज्य मंत्री– श्री जितेंद्र सिंह, तत्कालीन उपाध्यक्ष, नीति आयोग–श्री अरविंद पनगढिया, मेघालय के मुख्यमंत्री– श्री मुकुल संगमा और पूर्वोत्तर राज्यों के वरिष्ठ मंत्री तथा प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में भारत के निर्यात संवर्धन परिषदों, उद्योग संघों तथा निवेशकों और पड़ोसी देशों ने भी भाग लिया था।

यह सम्मेलन बहुत सफल रहा। इसका प्रमाण यह है कि पूर्वोत्तर में निवेश के अवसरों तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 21 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान 200 बी2बी बैठकें भी हुईं थी।

अध्याय–12

वस्त्र क्षेत्र में आईसीटी पहलें

12.1 मंत्रालय, भारत सरकार का डिजिटल इंडिया पहल को सक्रिय रूप से अमल में ला रहा है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सेवाएं नागरिकों को डिजिटल रूप में प्राप्त हों। आईटी प्रभाग, नेटवर्क अवसंरचना में सुधार करने और एप्लीकेशन सिस्टम को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पर उपलब्ध कराने तथा नेशनल क्लाउड सेवाओं पर चलाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। मंत्रालय ने डिजिटल मोड के माध्यम से नागरिकों को अनेक योजनाएं और सेवाएं उपलब्ध कराई हैं।

सरकार के विजन और मिशन को हकीकत में बदलने के लिए इस मंत्रालय ने अपनी ई–गवर्नेंस सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु कई पहलें की हैं। मंत्रालय ने भारत सरकार की वेबसाइट (जीआईजीडब्ल्यू) के दिशानिर्देशों के अनुरूप अपनी सामग्री प्रबंधन रूप–रेखा (सीएमएफ) आधारित वेबसाइट को बनाया है जिससे यह पहुंच के मल्टिपल मोड के अनुसार हो गई है। वेबसाइट के पास गुणवत्ता संबंधी प्रमाणन है जो यह सुनिश्चित करता है कि मंत्रिमंडल सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए मानक गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी मानदंडों को पूरा करता है। मंत्रालय के विभिन्न अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों में भी ऐसे ही प्रयास किए जा रहे हैं। ई–ऑफिस स्यूट, ई–समीक्षा, ई–खरीद, हथकरघा और हस्तशिल्प योजनाओं पर एमआईएस का विकास, एनजीओ, आईएसडीएस को निधि जारी करना जैसे जी2जी/जी2बी/जी2ई एप्लीकेशनों के कार्यान्वयन और पॉवरटेक्स इंडिया (विद्युतकरघा क्षेत्र विकास के लिए एक व्यापक योजना) पोर्टल की शुरूआत करने से कार्यकरण में सुधार हुआ है जिसके आधार पर गुणवत्तायुक्त सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। मंत्रालय और इसके संगठन, नियमित आधार पर विभिन्न राज्यों और विभागों के साथ व्यापक रूप से वीडियो कांफ्रेंसिंग सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। देश के 45 से अधिक स्थानों पर एक साथ पॉवरटेक्स इंडिया पोर्टल की शुरूआत, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन और पूरे भारत की महिला बुनकरों को बुनियाद रीलिंग मशीन का वितरण, माननीया केंद्रीय वस्त्र मंत्री की समूचे देश की डब्ल्यूएससी और महिला बुनकरों के साथ चर्चा, वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों में मंत्रालय के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों की भागीदारी आदि जैसे महत्वपूर्ण वीडियो कांफ्रेंसिंग सत्र आयोजित किए गए। अनुभागों में आईसीटी अवसंरचना को नवीनतम डेस्कटॉप से उन्नत किया गया है और साफ्टवेयर को आईपीवी6 कंपैटिबिलिटी के साथ उद्योग भवन की गीगा बिट लैन/वैन/वायरलेस नेटवर्क के साथ जोड़ा गया है।

मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को भी

डेस्कटॉप वीडियो क्रांफ्रेंस सुविधा दी गई है। मंत्रालय, संबद्ध कार्यालयों के अधिकारियों के लिए वर्ष के दौरान मंत्रालय, एनआईसी, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्र, शास्त्री पार्क, दिल्ली में विभिन्न एप्लीकेशनों के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

एनआईसी–टीआईडी, मंत्रालय और इसके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों को तकनीकी और कार्यात्मक सहायता प्रदान कर रहे हैं। यह वेबसाइट के विकास, कार्यान्वयन, रख–रखाव और समन्वय तथा उसकी 24x7 उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। वे क्लाउड पर विभिन्न ऑनलाइन ई–गवर्नेंस सेवाओं, विभिन्न एप्लीकेशनों के विकास/विस्तार, नेटवर्क सहायता सेवाएं प्रदान कराने और आईसीटी अवसंरचना के रख–रखाव को भी सुकर बनाते हैं।

12.2. वेबसाइट प्रबंधन

मंत्रालय की वेबसाइट http://ministryoftextiles.gov.in सामग्री प्रबंधन रूपरेखा (सीएमएफ) पर आधारित है जिसे जीआईजीडब्ल्यू (भारत सरकार की वेबसाइट के दिशानिर्देश) के अनुरूप बनाया गया है और जिससे यह पहुंच के मल्टिपल–मोड के अनुसार बन गई है, द्विभाषी रूप में होने से यह नेत्रहीन लोगों की पहुंच में भी है। संबंधित कर्मचारियों/प्रभागों द्वारा वेबसाइट की सामग्री का समय पर अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सामग्री प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) शुरू की गई है। विकास आयुक्त (हथकरघा), राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केंद्र, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय, पटसन आयुक्त तथा वस्त्र समिति के कार्यालय की वेबसाइट को नए सिरे से तैयार किया गया है।

12.3. आईसीटी अवसंरचना का उन्नयन

हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है और लैन/वैन/पीसी के बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए आवश्यक उन्नयन किया जाता है। साइबर सुरक्षा संबंधी स्थिति का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है और भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार और अधिक फायरवाल और प्रबंधनीय नेटवर्क उपकरण लगाने जैसे आवश्यक उपाय किए जाते हैं। लैन/वैन/सेवाओं में वायरस मुक्त क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित पैच प्रबंधन और वायरस पहचान प्रणाली भी अद्यतन की गई हैं।

12.4. ई–गवर्नेंस

इन–हाउस वर्कफ्लो को मजबूत करने के लिए फाइलों और दस्तावेजों आदि की ई–हस्ताक्षर जैसी नई विशेषताओं के साथ वेब आधारित ई–ऑफिस स्यूट को अद्यतन किया गया है। रिकॉर्डों और फाइलों का डिजीटलीकरण प्राथमिक आधार पर किया गया है। मंत्रालय में ई–ऑफिस क्रियान्वित किया गया है, मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के लिए ई–ऑफिस पर नियमित व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र/ई–हस्ताक्षर क्रियान्वित किया गया है और फाइल बनाने, फाइल मूवमेंट आदि में संबंधित अधिकारियों द्वारा सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है।

वस्त्र मंत्री और वस्त्र राज्य मंत्री के कार्यालय में उन्नत वीआईपी संदर्भ मॉनीटरिंग प्रणाली कार्यान्वित की गई है। मंत्रालय में कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस), राष्ट्रीय आंकड़ा साझा नीति

(data.gov.in), ई–खरीद पोर्टल, ई–समीक्षा, जन शिकायत मॉनीटरिंग प्रणाली, संसदीय प्रश्न/उत्तर (ई–उत्तर), आधार समर्थित बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस), एसीसी रिक्ति मॉनीटरिंग प्रणाली (एवीएमएस) का नया संस्करण, स्पैरो सिस्टम, ई–विजिटर्स मॉनीटरिंग सिस्टम, विदेशी दौरा प्रबंधन प्रणाली, ई–पालिटिकल क्लीयरेंस सिस्टम, अपीलीय मॉनीटरिंग सिस्टम, कोर्ट केसेज मॉनीटरिंग सिस्टम सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), सरकारी भूमि सूचना प्रणाली (जीएलआईएस) और डीबीटी जैसी जी2जी सेवाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जाता है।

12.5. नई पहल

i. विद्युतकरघा क्षेत्र की योजनाओं के प्रबंधन के लिए आई–पॉवरटेक्स पोर्टल (एकीकृत विद्युतकरघा योजनाएं) शुरू किया गया है। इस पोर्टल की विशेषता है कि सभी योजनाओं के लिए एकीकृत डैशबोर्ड है।

पोर्टल के डैशबोर्ड में प्रदर्शित किए गए मॉड्यूल में शामिल हैं:–

- एसएसआई क्षेत्र के लिए साधारण विद्युतकरघों के लिए स्व–स्थाने उन्नयन योजना
- समूह वर्कशेड योजना (जीडब्ल्यूएस)
- यार्न बैंक योजना
- सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी)
- विद्युतकरघों के लिए सौर ऊर्जा योजना
- विद्युतकरघा बुनकरों के लिए पीएम क्रेडिट स्कीम
- पीएससी के आधुनिकीकरण/उन्नयन के लिए अनुदान सहायता
- वस्त्र उद्यम निधि
- विद्युतकरघा योजनाओं के लिए सुविधा केंद्र, आईटी, जागरूकता, बाजार विकास और प्रचार–प्रसार

ii. हैंडलूम मार्क योजना के लिए वेब आधारित और मोबाइल एप्लीकेशन का विकास प्रगति पर है और इसमें निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाएंगी:–

- मौजूदा योजना के अंतर्गत हैंडलूम मार्क का लाभ प्राप्त करने के लिए नए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए लाभार्थियों की पहुंच
- प्रत्येक चरण पर एसएमएस और ई–मेल नोटिफिकेशन
- सभी हितधारकों को ऑनलाइन आवेदन और दावे की स्थिति प्रदान करना
- वर्कफ्लो क्रियान्वयन और हैंडलूम मार्क का ऑनलाइन लेबल
- ऑनलाइन शिकायत प्रणाली
- वस्त्र समिति, मुंबई द्वारा जारी किए गए हैंडलूम लेबलों का ऑनलाइन सत्यापन

iii. **एनजीओ पोर्टल:** हस्तशिल्प की चल रही योजनाओं के लिए अनुदान हेतु आवेदन करने के लिए नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल से सृजित विशिष्ट आईडी संख्या का प्रयोग करके विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय में एनजीओ का ऑनलाइन पैनल बनाने और क्रियान्वित किए जाने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया है।

iv. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय की वेबसाइट को द्विभाषी बनाया गया है।

v. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय में ई–ऑफिस क्रियान्वित किया गया है और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अलग–अलग समूहों में ई–ऑफिस के सभी मॉड्यूलों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

vi. राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय की नई वेबसाइट शुरू की गई है।

vii. राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केंद्र की नई वेबसाइट तैयार की गई है।

viii. **ई–धागा (यार्न आपूर्ति योजना में बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन का एकीकरण)**

- हथकरघा बुनकरों को सुविधा प्रदान करने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत ईआरपी पोर्टल और ई–धागा मोबाइल एप्लिकेशन शुरू किया गया है।
- यह प्रणाली हथकरघा बुनकरों को ऑनलाइन अपना मांग पत्र प्रस्तुत करने और भुगतान को सुकर बनाती है।
- इस एप के माध्यम से 2.2 लाख से अधिक बुनकर लाभांवित हुए।
- यार्न आपूर्ति योजना में बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन का एकीकरण जारी है। विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय और एनआईसी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे पारदर्शिता आएगी और धोखाधड़ी नहीं होगी।

ix. हथकरघा कार्यक्रमों के लिए पोर्टल शुरू किया गया है। यह पोर्टल, विपणन कार्यक्रमों, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के प्रस्तावों को आमंत्रित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाने को सुकर बनाएगा। राज्य सरकार के विभाग और शीर्ष संगठन इसमें आवेदन कर सकते हैं। बिक्री संबंधी रिपोर्टों, उत्पादों और स्थानों के माध्यम से कार्यक्रमों के निष्पादन का विश्लेषण किया जा सकता है।

x. हथकरघा योजना पोर्टल शुरू किया गया है जो राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) योजना के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय कलस्टर के अनुदान के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने को सुकर बनाता है।

12.6. संबद्ध/अधीनस्थ संगठनों में आईसीटी का कार्यान्वयन

मंत्रालय के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों ने अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों को विकसित और अद्यतन किया है, आईपीवी6 के अनुरूप व्यवस्थित और वायरलेस लैन की अपेक्षानुसार अपनी आईसीटी अवसंरचना का भी उन्नयन किया है। इन कार्यालयों ने और अधिक प्रयोक्ता क्रेंद्रित विशेषताओं और जीआईजीडब्ल्यू का अनुपालन करके अपनी–अपनी वेबसाइटों को उन्नत किया है। विभिन्न योजनाओं के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जनता या व्यापारिक समुदाय द्वारा अपेक्षित विभिन्न आवेदन फार्मों को डाउनलोड करने हेतु उन्हें साइट पर उपलब्ध कराया जाता है। औद्योगिक डाटाबेस आधारित बहुत सी सांख्यिकीय/विश्लेषणात्मक रिपोर्टें भी उद्योग जगत के संदर्भ हेतु प्रकाशित की जा रही हैं। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों/क्षेत्र स्तरीय कार्यालयों को भी पर्याप्त आईसीटी अवसंरचना से लैस किया गया है। बेहतर प्रचालन संबंधी कुशलता हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों में मोबाइल गवर्नेंस को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

12.7. सरकारी खरीद में जीईएम पोर्टल का प्रयोग

वस्त्र मंत्रालय, नवम्बर, 2016 से जीईएम पोर्टल के माध्यम से माल/मदों की खरीद कर रहा है। जो सेवाएं जीईएम पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं केवल वे ही ऑफलाइन खरीदी जाती हैं। अर्द्ध शासकीय पत्र, पत्र शीर्ष जैसी लेखन सामग्री की कुछ मुद्रित मदों को भी जो फिलहाल निविदा के अंतर्गत आती है उनकी संविदा की समाप्ति के पश्चात जीईएम पोर्टल के माध्यम से विचार किया जाएगा/खरीदा जाएगा।

अध्याय–13

राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

13.1 राजभाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित कार्यकलाप

हिंदी संघ सरकार की राजभाषा है और सरकार की राजभाषा नीति का उद्देश्य सरकारी कामकाज में हिंदी के उत्तोत्तर प्रयोग में बढ़ोतरी सुनिश्चित करना है। वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन, वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन और संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार के विभिन्न आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

13.2 राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों का अनुपालन

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्पों, सामान्य आदेशों, नियमों आदि जैसे सभी दस्तावेज और संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने वाले सभी कागजातों को द्विभाषिक रूप से अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में जारी किया गया।

मंत्रालय में राजभाषा नियम, 1976 के नियम–5 का कार्यान्वयन उसकी मूल भावना के अनुरूप किया जा रहा है।

13.3 निगरानी और निरीक्षण

संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न कार्यालयों/उपक्रमों/बोर्डों की तिमाही प्रगति रिपोर्टों की नियमित समीक्षा की जाती है तथा समय–समय पर निरीक्षण के माध्यम से उनकी निगरानी की जाती है। इन निरीक्षणों के दौरान पाई गई कमियों पर संबंधित कार्यालयों को अपेक्षित निदेश दिए जाते हैं तथा उनकी अनुपालना को सुनिश्चित किया जाता है।

13.4 अनुवाद कार्य

मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग द्वारा नियमित रूप से मंत्रिमंडल नोट, सभी अधिसूचनाओं, सामान्य आदेशों, निविदाओं, बजट संबंधी कागजातों, वार्षिक रिपोर्ट, संसदीय प्रश्नोत्तरों, संसदीय आश्वासनों, स्थायी समितियों व अन्य संसदीय समितियों से संबंधित दस्तावेजों, वस्त्र मंत्री, वस्त्र राज्य मंत्री के कार्यालय से प्राप्त विभिन्न कागजातों तथा प्रेस विज्ञप्तियों का नियमित रूप से अनुवाद किया जाता है।

13.5 हिंदी पखवाड़ा एवं पुरस्कार वितरण समारोह

मंत्रालय में 14 से 28 सितंबर, 2017 के दौरान हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। सरकारी कामकाज हिंदी में करने को बढ़ावा देने के लिए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने हेतु हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन, हिंदी अनुवाद एवं भाषा ज्ञान, ई–नोटिंग, हिंदी टंकण एवं हिन्दी श्रुतलेख प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। वस्त्र मंत्रालय और

उसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के वस्त्र उपक्रमों में हिंदी में अधिकतम कार्य करने के लिए हिंदी दिवस के अवसर पर गृह मंत्री, वस्त्र मंत्री, मंत्रिमंडल सचिव और सचिव (वस्त्र) की अपीलें परिचालित की गईं।

इसी क्रम में दिनांक 13 नवंबर, 2017 को आयोजित किए गए हिन्दी पखवाड़ा पुरस्कार वितरण समारोह में माननीय वस्त्र राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा द्वारा सभी पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।

माननीय वस्त्र राज्य मंत्री, श्री अजय टम्टा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करते हुए

13.6 समितियां

मंत्रालय में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, संयुक्त सचिव एवं प्रभारी राजभाषा की अध्यक्षता में गठित है। समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने से संबंधित निर्णयों के अनुपालन हेतु अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

मंत्रालय में ''हिंदी सलाहकार समिति'' गठित है। समिति की 24वीं बैठक दिनांक 16.06.2017 को तिरुवनंतपुरम (केरल) में आयोजित की गयी थी। हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों पर संघ की राजभाषा नीति के आलोक में कार्रवाई की जाती है।

माननीय वस्त्र राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा की अध्यक्षता में तिरुवनंतपुरम (केरल) में 16 जून, 2017 को संपन्न हिन्दी सलाहकार समिति की 24वीं बैठक में उपस्थित समिति के गैर–सरकारी एवं सरकारी सदस्य

अध्याय–14

एससी/एसटी/महिला और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

14.1 वर्ष 2017–18 के दौरान केंद्रीय क्षेत्र की पुनर्गठित योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) का क्रियान्वयन

14.1.1 रेशम क्षेत्र

चालू वर्ष 2017–18 के दौरान केंद्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस) के अंतर्गत अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) क्रियान्वयन के लिए 23 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। उपर्युक्त स्वीकृत की गई धनराशि 'अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) के अंतर्गत रेशम उत्पादन के माध्यम से अनुसूचित जाति के परिवारों का सशक्तिकरण' नामक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए उपयोग की जा रही है। यह परियोजना जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और मध्य प्रदेश राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है। चालू वर्ष 2017–18 के दौरान एससीएसपी के संघटकों के क्रियान्वयन के लिए राज्यों/क्रियान्वयन एजेंसियों को अभी तक 4.85 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है।

इसी तरह वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने चालू वर्ष 2017–18 के दौरान केंद्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस) के अंतर्गत जन जाति उप–योजना (टीएसपी) के क्रियान्वयन के लिए 30 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। उपर्युक्त स्वीकृत की गई धनराशि 'जन जाति उप–योजना (टीएसपी) के अंतर्गत रेशम उत्पादन के माध्यम से अनुसूचित जन जाति के परिवारों का सशक्तिकरण' नामक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए उपयोग की जा रही है। यह परियोजना आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है। चालू वर्ष 2017–18 के दौरान टीएसपी के संघटकों के क्रियान्वयन के लिए राज्यों/क्रियान्वयन एजेंसियों को अभी तक 9.60 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है।

14.1.2 ऊन क्षेत्र

केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड द्वारा अ.जा./अ.ज.जाति के लिए अलग से कोई कार्यक्रम/योजनाएं कार्यान्वित नहीं की जाती है । तथापि, बोर्ड की योजनाओं के अधिकांश लाभार्थी सभी प्रमुख ऊन उत्पादक राज्यों के ग्रामीण और दूर–दराज के पहाड़ी क्षेत्रों तथा मरूस्थली

क्षेत्रों के होते हैं जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के गरीब लोग भी शामिल होते हैं ।

14.1.3 हथकरघा

हथकरघा क्षेत्र 23.77 लाख हथकरघों पर बुनाई एवं संबद्ध क्रियाकलापों में 43.31 लाख कामगारों को रोजगार देता है । यह क्षेत्र बुनकर विशिष्ट/पेशेवर स्वरूप का है और इसमें अधिकतर बुनकर समाज के सबसे गरीब और निम्न वर्गों से हैं । भारत की हथकरघा गणना (2009–10) की रिपोर्ट के अनुसार कुल वयस्क कार्यबल में अनुसूचित जाति के 10 प्रतिशत बुनकर, अनुसूचित जनजाति के 18 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग से 45 प्रतिशत और शेष अन्य जातियों से हैं ।

इस कार्यालय द्वारा प्रचालित योजना हथकरघा स्कीमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वगों तथा महिलाओं सहित सभी श्रेणियों के बुनकरों के लिए समान रूप से लागू हैं । इन स्कीमों के अंतर्गत बुनकर को (i) आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए, (ii) निविष्टि सहायता, (iii) विपणन सहायता, (iv) प्रचार एवं प्रदर्शन, (v) अवसंरचनात्मक सहायता, (vi) कल्याण उपाय, (vii) निर्यात योग्य उत्पादों के विकास (viii) अनुसंधान एवं विकास आदि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। एनएचडीपी और सीएचसीडीएस के संघटक ब्लॉक स्तरीय कलस्टर में एससी/एसटी/महिला समुदाय से संबंधित बुनकर व्यक्तिगत वर्कशेडों के निर्माण के लिए भारत सरकार की 100 प्रतिशत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। एनएचडीपी के अंतर्गत एससी/एसटी/महिला हथकरघा बुनकर और उनके बच्चे एनआईओएस/इग्नू से संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश शुल्क की 75% शुल्क प्रतिपूर्ति के पात्र हैं।

योजनागत स्कीमों में अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के अंतर्गत अलग बजट आबंटन किया जाता है और वर्ष 2016–17 के दौरान एससीएसपी के अंतर्गत 35.04 करोड़ रुपए की राशि और टीएसपी के अंतर्गत 31.64 करोड़ की धनराशि व्यय की गई थी।

वर्ष 2017–18 के दौरान अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) के अंतर्गत 43.15 करोड़ रूपए की धनराशि और जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के अंतर्गत 33.95 करोड़ रूपए की धनराशि उपलब्ध करायी गई है। 09.10.2017 तक एससीएसपी के अंतर्गत 16.29 करोड़ रूपए की धनराशि और टीएसपी के अंतर्गत 27.82 करोड़ रूपए की धनराशि व्यय की गई है।

14.1.4 हस्तशिल्प

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय वर्ष 2017–18 के दौरान हस्तशिल्प कलस्टर का विकास समग्र रूप में करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण पर बल देने के लिए **'राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)'** नामक एक व्यापक योजना के अंतर्गत हस्तशिल्प क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास के लिए निम्नलिखित योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। एनएचडीपी के अंतर्गत निम्नलिखित संघटक हैः–

I. क. अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना

(i) बेस लाइन सर्वेक्षण और शिल्पकारों का एकीकरण
(ii) डिजाइन और प्रौद्योगिकी उन्नयन
(iii) मानव संसाधन विकास
(iv) शिल्पकारों को प्रत्यक्ष लाभ
(v) अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी सहायता
(vi) अनुसंधान एवं विकास
(vii) विपणन सहायता एवं सेवाएं

ख. व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना (मेगा कलस्टर योजना)

ये सभी योजनाएं महिला कारीगरों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित कारीगरों के सशक्तिकरण और उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े कुल कार्यबल में से अनुमानतः 56.1% महिलाएं हैं जिनमें से 28.30% महिलाएं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं (स्रोतः जनगणना सर्वे 2012–13)। कुछ ऐसे विशिष्ट शिल्प हैं जिन्हें केवल महिलाएं ही बनाती हैं जैसे कशीदाकारी, चटाई बुनाई आदि। यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि बड़ी संख्या में महिला कारीगरों को प्रशिक्षण, विपणन संबंधी कार्यक्रमों, राष्ट्रीय पुरस्कार, प्रदर्शनी आदि जैसी सभी विकासात्मक योजनाओं का लाभ प्राप्त हो।

14.1.5 नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन जनजाति उप–योजना

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को कम से कम उनकी जनसंख्या के अनुपात में भौतिक और वित्तीय, दोनों के संबंध में परिव्यय और लाभ बनाए रखने के लिए नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लागू विभिन्न आरक्षणों को क्रियान्वित कर रहा है। आरक्षण के लाभ प्रदान करने के अलावा मिल स्तर पर कतिपय अन्य लाभ जैसे एससी/एसटी कर्मचारियों के बच्चों को वर्दी और स्कूल फीस की प्रतिपूर्ति, मेरिट छात्रवृत्ति आदि भी प्रदान की जाती हैं।

14.1.6 हैंडीक्राफ्टस एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन लि.

निगम, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के साथ–साथ विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करता है। एससी/एसटी/ओबीसी के लिए पदों के आरक्षण संबंधी रोस्टर को यह सुनिश्चित करने के लिए विधिवत रूप से तैयार किया जाता है कि इस संबंध में नियमों/निर्देशों का उल्लंघन न हो। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान एससी/एसटी/ओबीसी के लिए आरक्षित किसी पद को अनारक्षित नहीं किया गया है।

14.2 दिव्यांग व्यक्ति

पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' के विभिन्न पदों में विभिन्न प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्तियों के आरक्षित की जाने वाली 3% रिक्तियों की तुलना में उनकी संख्या नीचे दी गई है:

क्र. सं.	कार्यालय/ संगठन	समूह क		समूह ख		समूह ग		समूह घ	
		एसएस	पीडब्ल्यूडी की संख्या	एसएस	पीडब्ल्यूडी की संख्या	एसएस	पीडब्ल्यूडी की संख्या	एसएस	पीडब्ल्यूडी की संख्या
1.	वस्त्र मंत्रालय	36	1	79	2	55	0	-	-
2.	विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय और इसके संगठन	102	0	304	3	739	14		
3.	नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन	269	4	184	1	388	6	6505	42
4.	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन इंडिया लि.	69	0	45	4	481	2	156	3
5.	भारतीय कपास निगम लि.	73	2	91	1	1118	13	155	4
6.	राष्ट्रीय फैशन टैक्नालॉजी संस्थान	830	2	305	0	763	1		
7.	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय	62	1	242	4	325	2	-	-
8	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय	39	-	393	-	2383	02	-	-
9.	भारतीय पटसन निगम लि.	38	1	100	4	199	6	65	2
10.	वस्त्र समिति	80	1	156	1	198	2	82	-
11.	केंद्रीय रेशम बोर्ड	725	10	1358	25	1295	27	-	-

14.3. लैंगिक समानता

महिला: वस्त्र क्षेत्र में महिला कामगारों का आधिपत्य है। 70% कामगार महिलाएं हैं। इसलिए मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली अधिकांश योजनाओं में प्रमुख लाभार्थियों में महिलाएं हैं। एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस) में 70% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं। एकीकृत बाइवोल्टाइन रेशम विकास योजना 100% महिला लाभार्थियों के लिए तैयार की गई है। समग्र रेशम मूल्य श्रृंखला में विभिन्न कार्यकलापों में महिला कवरेज लगभग 55% है।

वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए रेशम क्षेत्र में एससी/एसटी कर्मचारियों और महिलाओं के संबंध में श्रमशक्ति व्यय अनुबंध I और II में दिया गया है।

योजना के अंतर्गत सीएसबी में वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए एकीकृत रेशम उद्योग विकास योजना क्रमशः अनुबंध I और II में दर्शाई गई है।

अनुबंध–I

केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरू–560 068

'लैंगिक बजट' और एससी एवं एसटी के विकास की योजना संबंधी सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

(लाख में)

क्र. सं.	योजना का ब्यौरा	बजट प्राक्कलन 2017–18 (वस्त्र मंत्रालय द्वारा अनुमोदित)		बजट प्राक्कलन 2017–18 (सीएसबी द्वारा अनुमोदित)		बजट प्राक्कलन 2018–19 (सीएसबी द्वारा प्रस्तावित)	
		कुल वेतन एवं मजदूरी	एससी/एसटी हिस्सेदारी	कुल वेतन एवं मजदूरी	एससी/एसटी हिस्सेदारी	कुल वेतन एवं मजदूरी	एससी/एसटी हिस्सेदारी
1	2	3	4	5	6	7	8
I	सीएसबी श्रमशक्ति का विवरण						
1	एकीकृत रेशम उद्योग विकास योजना	289.16	97.71	388.02	129.90	377.46	136.93

अनुबंध– ।।

केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरू–560 068

'लैंगिक बजट' और महिलाओं के विकास की योजना संबंधी सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

(लाख में)

क्र. सं.	योजना का ब्यौरा	बजट प्राक्कलन 2017–18 (वस्त्र मंत्रालय द्वारा अनुमोदित)		बजट प्राक्कलन 2017–18 (सीएसबी द्वारा अनुमोदित)		बजट प्राक्कलन 2018–19 (सीएसबी द्वारा प्रस्तावित)	
		कुल वेतन एवं मजदूरी	महिला हिस्सेदारी	कुल वेतन एवं मजदूरी	महिला हिस्सेदारी	कुल वेतन एवं मजदूरी	महिला हिस्सेदारी
1	2	3	4	5	6	7	8
I	सीएसबी श्रमशक्ति का विवरण						
1	एकीकृत रेशम उद्योग विकास योजना	289.16	46.85	388.02	62.57	377.46	65.32

अध्याय–15

सतर्कता कार्यकलाप

15.1 वस्त्र मंत्रालय की सतर्कता इकाई के प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं जो मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति, केंद्रीय सतर्कता आयोग की मंजूरी पर की जाती है। मुख्य सतर्कता अधिकारी, मंत्रालय की सतर्कता व्यवस्था में नोडल व्यक्ति होता है और उन्हें निम्नलिखित कार्य सौंपे गए है:

- कदाचार/लालच संबंधी प्रमुख संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना और सरकारी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय करना

  शिकायतों की जांच करना और उन पर जांच/जांच पड़ताल संबंधी उपयुक्त उपायों की पहल करना
- निरीक्षण करना तथा अनुवर्ती कार्रवाई करना
- केंद्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा अपेक्षित टिप्पणियों सहित वास्तविक रिपोर्ट/जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना
- केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर अथवा अन्यथा विभागीय कार्यवाहियों के संबंध में समुचित कार्रवाई करना
- जहां कहीं आवश्यक हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग की पहले और दूसरे स्तर की सलाह प्राप्त करना
- जहां कहीं आवश्यक हो, अनुशासनात्मक कार्यवाही करना
- आरोपी अधिकारी पर लगाए जाने दंड की मात्रा पर संघ लोक सेवा आयोग की सांविधिक सलाह प्राप्त करना
- वस्त्र मंत्रालय ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित सतर्कता स्वीकृति जारी करना और मंत्रालय के अंतर्गत कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के मामले में सीवीसी से सतर्कता स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करना
- वस्त्र मंत्रालय में एवं इसके अंतर्गत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक संपत्ति रिटर्न का रखरखाव करना और डीओपीएंडटी द्वारा अपेक्षित संबंधित नियंत्रक प्राधिकारी/संवर्ग को अग्रेषित करना
- सहमत सूची और संदिग्ध सत्यनिष्ठा और अनिच्छुक संपर्क व्यक्तियों की सूची तैयार करना
- मंत्रालय के नियत्रंणाधीन संगठनों में सीवीओ/अंशकालिक सीवीओ की नियुक्ति/विस्तार से संबंधित कार्य
- चल और अचल, बहुमूल्य संपत्तियों तथा संबंधित व्यक्ति को इसकी पावती के रिकार्ड का रखरखाव करना
- प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन और सीवीओ को रिपोर्ट प्रस्तुत करना

15.1.1 वस्त्र मंत्रालय ने मंत्रालय के नियत्रंणाधीन कार्यशील निम्नलिखित संगठनों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) के पद स्वीकृत किए हैं:

- नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लि. (एनटीसी लि.)

  भारतीय कपास निगम लि. (सीसीआई लि.)
- भारतीय पटसन निगम लि. (जेसीआई लि.)
- राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान (निफ्ट)
- सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. एवं हैंडीक्राफ्ट एवं हैंडलूम एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआईसी एवं एचएचईसी लि.)।

उपर्युक्त के अलावा, मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यशील संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और संगठनों में अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी/सतर्कता अधिकारी हैं। तथापि, इन कार्यालयों के सतर्कता संबंधी क्रियाकलापों का पूरा उत्तरदायित्व वस्त्र मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी पर है।

15.1.2 मुख्य रूप से कदाचार तथा लालच संबधी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान पर जोर उपचारात्मक सतर्कता की ओर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाता है। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों/अनुदेशों का पालन किया जाता है। की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल है:

- मंत्रालय में संवेदनशील प्रकृति के क्षेत्रों की पहचान की जाती है और उन पर नजर रखी जाती है।
- वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संगठनों को समय–समय पर सीवीसी, लोक उद्यम विभाग और डीओपीएंडटी के परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुसार अपने आचरण, अनुशासनिक और अपील नियमावली को संशोधित और अद्यतन करने का अनुरोध किया गया है।

15.1.3 इस वित्त वर्ष (दिनांक 01.12.2017 की स्थिति के अनुसार) के दौरान विभिन्न स्रोतों अर्थात केन्द्रीय सतर्कता आयोग, सीवीसी पोर्टल, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा व्यक्तियों से 48 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों पर समुचित कार्रवाई करने के लिए उन्हें संबंधित प्रशासनिक डिवीजनों और सीवीओ को समय पर अग्रेषित करके कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। सीवीओ को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कुछ शिकायतों पर जांच रिपोर्ट/की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है। इन मामलों में सीवीसी की प्रथम स्तर की सलाह मांगी गई है। सीवीसी की प्रथम चरण की सलाह मांगने के लिए कुछ मामले प्रक्रियाधीन हैं।

15.1.4 वर्ष के दौरान दो प्रशासनिक मामलों में यूपीएससी की सांविधिक सलाह मांगी गई है। शेष 7 मामले विभिन्न स्तरों पर हैं और मंत्रालय के नियत्रंणाधीन कार्यरत संबंधित संगठनों द्वारा प्रक्रियाधीन है।

15.1.5 मंत्रालय में एवं इसके अंतर्गत कार्यरत 62 अधिकारियों/कर्मचारियों को सतर्कता स्वीकृति जारी की गई है। सीवीसी से सतर्कता स्वीकृति मांगने के लिए पीएसयू के बोर्ड स्तर के एक मामले को आगे बढ़ाया गया है।

15.1.6 मंत्रालय में दिनांक 30.10.2017 से 04.11.2017 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2017 मनाया गया है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2017 शपथ ग्रहण समारोह के साथ आरंभ हुआ। यह शपथ

सचिव (वस्त्र) द्वारा मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 30.10.2017 को 11.00 बजे पूर्वाह्न दिलाई गई। मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में 'सरकार में भ्रष्टाचार' विषय पर दिनांक 01.11.2017 को एक चर्चा की गई थी। सप्ताह के दौरान क्रमशः 'भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ई–गवर्नेंस और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग' तथा 'क्या भ्रष्टाचार की बुराई से लड़ने के लिए वर्तमान प्रणाली का नियंत्रण और संतुलन पर्याप्त है?' नामक विषय पर मंत्रालय के अधिकारियें और कर्मचारियों के लिए निबंध लेखन/वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। 'मेरा विजन–भ्रष्टाचार मुक्त भारत' नामक थीम पर एक नारा लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। पांच सर्वश्रेष्ठ चयनित नारों के रंगीन पोस्टर तैयार कराए गए और मंत्रालय के भीतर प्रदर्शित किए गए। 26 अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 03.11.2017 को आयोजित समापन समारोह के दौरान विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कार प्रदान किए गए। इन कार्यक्रमों के आयोजन पर अत्यधिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। इस संबंध में सीवीसी को रिपोर्ट भेजी जा रही है।

15.2 विकास आयुक्त (हथकरघा) के सतर्कता कार्यकलाप

विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यरत एक गैर–प्रतिभागी संबद्ध कार्यालय है। इसके मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं। वस्त्र मंत्रालय के सतर्कता अनुभाग से समय–समय पर प्राप्त निदेशों का पालन किया जा रहा है।

अध्याय–16

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

हाल ही में और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणी पैरा

क्र.सं.	लेखा परीक्षा संदर्भ	विषय	स्थिति
1.	पैरा संख्या 21.1, वर्ष 2017 की रिपोर्ट संख्या 12	राष्ट्रीय पटसन बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की गई लघु मिशन–IV की योजनाओं के अंतर्गत पूंजीगत सब्सिडी के संवितरण के उद्देश्य वाली योजना के क्रियान्वयन में असफल।	की गई कार्रवाई टिप्पणी दिनांक 20.10.2017 को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय को जांच के लिए भेजी गई, सीएजी से टिप्पणी अभी लंबित है।

वस्त्र मंत्रालय

भारत सरकार

उद्योग भवन, नई दिल्ली

www.ministryoftextiles.gov.in